U.P. CHAMOLI

FOR REFERENCE ONLY

सातवीं

पंचवर्षीय योजना

१९८५-९०

एवं

वार्षिक जिला योजना

१९८७-८८

54215
309.26
UTT-S

उत्तर प्रदेश सरकार

जनपद–चमोली

प्रस्तावना

वर्ष 1987-88 सातवीं पंचवर्षीय योजना का तृतीय वर्ष है, इस वर्ष जिला सैक्टर योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली की योजना का आकार 13·65 करोड़ रूपये प्रस्तावित की गयी है । ये गत वर्ष की स्वीकृत योजना से 10 प्रतिशत अधिक है । प्रस्तावित योजना में शासन के उद्देश्य के अनुरूप कृषि, सिंचाई, क्षेत्रीय विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, निर्बल वर्ग आवास, तथा हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गयी है । 20 सूत्रीय कार्यक्रमों हेतु अधिक धनराशि आवंटित की गयी है ताकि जनपद में कार्य क्रम को सफलता से कार्यान्वित किया जा सके । इसके अतिरिक्त विकास कार्यक्रमों में बैंकों से भी सदैव की भांति पूर्ण सहयोग मिलने की आशा है ।

मैं अपने सहयोगी तत्कालीन अतिरिक्त जिला अधिकारी, (विकास) श्री ब्रह्मसिंह द्वारा जिला योजना संरचना में दिये गये मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ । अर्थ अधिकारी श्रीमती संगीता वर्मा तथा नियोजन व अर्थ एवं संख्या विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप यह योजना प्रस्तुत की जा सकी ।

मुझे आशा है कि जनपद की जनता जन प्रतिनिधि एवं कार्यक्रमों से सम्बद्ध अधिकारियों में आपस के अच्छे सामान्जस्य से हम कार्य क्रमों का सफल कार्यान्वयन में सक्षम होंगे और जनपद को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में समर्थ होंगे ।

(लव वर्मा)
जिला अधिकारी,
चमोली ।

NIEPA DC
D03676

54215 309.2
UTT-S

PLN
UTT-S

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
3676
Date 16/4/87

आमुख

नियोजन का विकेन्द्रीकरण वास्तव में प्रजातांत्रिक ढांचे में नीचे के स्तर से नियोजन किये जाने की मूल आवश्यकता के अनुरूप ही है । इसी विकेन्द्रित नियोजन नीति के अनुपालन में वर्ष 1987-88 जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का तृतीय वर्ष है, की जिला वार्षिक योजना तैयार की गयी है । योजना बनाते समय शासन द्वारा इंगित बिन्दुओं तथा जनपद की मूल-भूत समस्याओं को दृष्टिगत रखा गया है ।

वर्ष 1987-88 के लिए जिला योजना हेतु 13.65 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है । जिला योजना की संरचना का मुख्य उद्देश्य जनपद के आर्थिक विकास को विशेष गति प्रदान करना है । इसके अतिरिक्त आर्थिक विषमता दूर करने का प्रयास किया गया है, तथा पिछड़े और निर्बल वर्गों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गयी है । भारत सरकार की नीति के अनुरूप न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम को भी महत्व दिया गया है । मुझे आशा है कि जनता तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वर्ष 1987-88 की योजना के सफल कार्यान्वयन से जनपद प्रगति की राह पर अग्रसर होने में सक्षम हो सकेगा ।

इस योजना की संरचना में संख्या अधिकारी, श्री डी०डी० कापरी के मार्ग दर्शन तथा सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ । सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी, श्री डी०के० वार्ष्णेय का जिला योजना वर्ष 1987-88, समय से पूर्ण करने में अथक प्रयास सराहनीय है । इसके अतिरिक्त सहायक . अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री दर्शनसिंह नेगी, श्री वेद प्रकाश कौशिक, वरिष्ठ लिपिक श्री रामनरेश शुक्ला, कनिष्ठ लिपिक श्री रमेशलाल एवं कनिष्ठ लिपिक जिला विकास कार्यालय के श्री जगदम्बा प्रसाद का सहयोग जिला योजना संरचना में अच्छा रहा । श्रीमती विजया भट्ट, चपरासी ने डुप्लीकेटिंग कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसी प्रकार अल्प सिंचाई विभाग, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं कार्यालय अपर जिला विकास अधिकारी (ह०क०) द्वारा भी पूर्ण सहयोग दिये जाने के लिए मैं उनके आभारी हूँ जिसके कारण जनपद की योजना का कार्य समय से सम्पन्न किया जा सका ।

मैं इस योजना की संरचना में श्री लव वर्मा, जिला अधिकारी चमोली के मार्ग दर्शन के लिए आभारी हूँ ।

संगीता वर्मा

(संगीता वर्मा)

अर्थ अधिकारी,
चमोली ।

1

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1- 5
2.	अवस्थापना	6- 8
3.	प्रशासनिक तथा संस्थागत ढांचा	9-11
4.	आर्थिक कार्यकलाप	12-14
5.	सेवायोजन सम्बन्धी समस्याये	15-16
6.	पिछड़े समुदाय की समस्यायें	17
7.	जिला योजना का समालोचनात्मक मूल्यांकन	18-23
8.	स्थानीय संसाधन	24-26
9.	दीर्घकालीन विकास की रूप रेखा	27-29
10.	जिला योजना की पूर्वता	30-40
11.	राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	41-42
12.	पिछड़े समुदाय के लिए कार्यक्रम	43-46
13	जिले के विकास कार्यक्रम	
	§1§ कृषि	47-50
	§2§ उद्यान	51-55
	§3§ लघु सीमान्त कृषक योजना	56
	§4§ भूमि संरक्षण	57
	§5§ पशुपालन	58-62
	§6§ मत्स्य	63
	§7§ वन	63
	§8§ एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	63-64
	§9§ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	64-65
	§10§ भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी योजना	65-66
	§11§ पंचायत	66-67
	§12§ प्रादेशिक विकास दल	67-68
	§13§ सामुदायिक विकास	68-69
	§14§ सहकारिता	69-70

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	(15) निजी लघु सिंचाई	71
	(16) राजकीय सिंचाई	71
	(17) विधुत	71-72
	(18) ग्रामीण लघु उद्योग	73
	(19) उद्योग (रेशम)	73
	(20) पर्यटन	73
	(21) शिक्षा (प्रारम्भिक)	73-76
	(22) शिक्षा (माध्यमिक)	76
	(23) प्राविधिक शिक्षा	77
	(24) क्रीडा	77
	(25) जनस्वास्थ्य	78-79
	(26) जल निगम	80
	(27) सूचना	81
	(28) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	81-82
	(29) सेवा योजन	82
	(30) हरिजन कल्याण	82-84
	(31) समाज कल्याण	84-85
	(32) सैनिक कल्याण	85
	(33) पुष्टाहार	85
	(34) विभाग वार प्रस्तावित परिव्यय का प्रतिशत	86-87
14-	(35) योजनाओं का वित्त पोषण	88
15-	जिला योजना 87-88 का संक्षिप्त विवरण	89-92
16-	जी.एन. -1 एंव रूप पत्र -1	83-95
17-	जी. एन. -2	96-164
18-	जी. एन. -3	165-202
19.	जी.एन.-2 अनुसूचित जाति	203-210
20-	जी.एन.-3 ,, ,,	211-219
21-	जी.एन.-2 अनुसूचित जनजाति	220-233
22-	जी.एन.-3 ,, ,,	234-241

III

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
23-	जी. एन. -2 राज्य सेक्टर	242-252
24-	जी. एन. -3 ,, ,,	253-256
25-	आधारभूत आंकड़े	257-302
26-	नक्शे	

--- xxx ---

अध्याय-1
भोगोलिक स्थिति

जनपद चमोली को दिनांक 24 फरवरी 1960 को तत्कालीन जनपद पौढ़ी गढ़वाल की तहसील चमोली को उच्चीकृत कर जनपद स्तर प्रदान किया गया। यह जनपद 29^{0}-55-37 से 31^{0}-27-3 उत्तरी अक्षांश तथा 78^{0}-54-3 से 80^{0}-2-23, पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद के उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय पर्वत श्रेणीयां इसे तिब्बत से पृथक करती है। दक्षिण में जनपद अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल स्थित है। पूर्व में जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा है और पश्चिम में उत्तरकाशी तथा टिहरी गढ़वाल जनपद स्थित है। इस जनपद की समुद्रतल से अधिकतम ऊचाई 7917 मीटर है जो भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर नन्दादेवी है। जनपद का मुख्यत: भाग पहाड़ी है। जनपद का भोगोलिक क्षेत्रफल 9125 वर्ग कि0मी0 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद का स्थान प्रदेश में द्वितीय है तथा पर्वतीय क्षेत्र के जनपदो में प्रथम स्थान है। जनगणना 1981 के अनुसार जनपद की जनसंख्या 364346 है0 है। जनसंख्या की दृष्टि से जनपद का स्थान प्रदेश में 56 वां है। यह जनपद सीमान्त जनपद है।

1- नदियां :-

जनपद में नदियों के उद्गम स्थान है तथा संगम है। इस जनपद में 7 नदियां सतत प्रवाहशील है। यह नदियां अलकनन्दा, धौली, विरही, नन्दाकिनी, मन्दाकिनी पिण्डर एंव रामगंगा है। इसके अतिरिक्त 12 नदियां मौसमी है। यह नदियां सरस्वती, काकड़ागाड, ब्यगाड, बालखिला, मोंग गधेरा, गरूड़ गंगा, पातालगंगा निगोलगाड, ऊरागाड, थेलसाढगाड़, सौकाड़ एंव प्रागमति है। जनपद का ढाल उत्तर एंव पूर्वोत्तर से दक्षिण की ओर है। इस जनपद में चार घाटी है वह निम्न है:-
1. अलकनन्दा घाटी 2. नन्दाकिनी घाटी 3. पिण्डर घाटी 4. मन्दाकिनी घाटी । इन घाटियों के नाम नदियों के नाम पर है। यह जनपद इन घाटियों से चार भाग में विभाजित है, इन घाटियों के दोनो ओर ऊचे ऊचे शिखर पर्वत है। अधिकांश कृषि क्षेत्र इन घाटियों में ही है। इसी कारण जनसंख्या इन घाटियों में निवास करती है, जनपद में आबाद ग्रामों की संख्या इन्ही घाटियों में है।

2. झीलें :-

जनपद में स्थित झीलों में मुख्यत: भीष्मताल देवरियाताल, वेनीताल, रूपकुण्ड, वासकी ताल, हेमकुण्ड और तपोवन है जो आकर्षक एंव रमणीय स्थान है साथ ही साथ धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व भी रखते है जिनसे पर्यटक आकर्षित होते है।

3. जलवायु :-

जनपद में विभिन्न ऊचाई वाले क्षेत्र होने के फलस्वरूप जलवायु भिन्न है। 1300 मीटर ऊचाई तक उष्ण जलवायु तथा 1300 मीटर से 2000 मीटर ऊचाई तक शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। 2000 मीटर से 4000 मीटर की ऊचाई तक शीतल एंव बुग्याल जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु वाले क्षेत्र घास से आच्छादित है।

4000 मीटर से 5000 मीटर तक की ऊंचाई के भूभाग में ध्रुव प्रदेशीय जलवायु है तथा इन से ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात होता है। इस भाग में 6 माह तक वर्ष में बर्फ जमी रहती है।

4. वर्षा एवं तापमान :-

सामान्य वर्षा इस जनपद में 1425-9 मि0मी0 है तथा वास्तविक वर्षा 1984 को 978 मि0मी0 है। जनपद का तापमान वर्ष 84-85 में न्यूनतम 1-9 सें0ग्रे0 तथा अधिकतम 38.5 सें0ग्रेड रहा। इस से स्पष्ट है कि तापमान में काफी असमानता है।

5. वन सम्पदा :-

जनपद में वन क्षेत्र 52935 है0 है। जनपद में इन वनों का बहुत महत्व है। यह वन जनपद के तापमान, वर्षा तथा अन्य वातावरण पर प्रभाव डालते है। यह वन इस जनपद में आर्थिक दृष्टिकोण से भी अपना विशेष महत्व रखते है। इस जनपद में चीड़, देवदार, साल, शीशम, खैर, पांगर, पापड़ी, भीमल, फर्र, खर्सर आदि प्रजाति के वृक्ष पाये जाते है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जड़ी बुटी भी मिलती है। इन जंगलों में शेर, बाघ, चीता, हाथी, जंगली सुअर, काकड़, हिरन एवं रीछ आदि जानवर रहते है।

6. खनिज सम्पत्ति:-

यद्यपि भारत सरकार के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा जनपद में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है तथापि अभी तक किए गये सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनपद में पीपलकोटी, कर्णप्रयाग, जोशीमठ एवं चमोली तहसील के कुछ भाग में डोलामाईट, लोहा, ईस्पात, चूने का पत्थर, संगमरमर तथा मैगनेसाईट के भण्डार उपलब्ध है। खनिजों की मात्रा के संबंध में निश्चित आकड़े उपलब्ध न होने के कारण अभी तक जनपद में खनिज पदार्थ पर आधारित कोई उद्योग नही है।

7. जनपद के उप सम्भाग:-

भौगोलिक विषमताओं को दृष्टिगत करते हुये जनपद को दो उप संभागों में बाटा जा सकता है वह निम्न प्रकार है -

(क) 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र- इस क्षेत्र के अन्तर्गत केदारनाथ (ऊखीमठ) दशोली, घाट, जोशीमठ, थराली एवं देवाल विकास खण्ड है। यह उप-सम्भाग काफी ऊंचाई पर भी है। इस सम्भाग में बर्फ भी पड़ती है। यहां पर कृषि योग्य भूमि अपेक्षाकृत दूसरे सम्भाग से कम है।

(ख) 2000 मीटर से कम ऊंचाई वाला भाग- इस उप सम्भाग में विकास खण्ड, अगस्त्यमुनी, नागपोखरी, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़ तथा गैरसैण है। यह उप सम्भाग अपेक्षाकृत दूसरे सम्भाग से अधिक उपजाऊ समतल एवं अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जलवायु उष्ण एवं शीतोष्ण है।

8. जनसंख्या एवं व्यवसाय :-

जनपद की कुल जनसंख्या 364345 है। 1971 में यह जनगणना 292571 की थी जो 24.5 प्रतिशत बढ़ी है। विभिन्न दशकों की जनसंख्या इस जनपद

जनगणना वर्ष०	कुल	जनसंख्या ग्रामीण	नगरीय	प्रतिशत वृद्धि
1901	145670	145670	-	-
1911	162703	162703	-	11•7
1921	164584	164584	-	1•2
1931	181103	181103	-	10•0
1941	204248	204248	-	22•8
1951	216972	216972	-	6•2
1961	253137	253137	-	16•2
1971	292571	280365	12206	15•6
1981	364346	335172	29174	24•5

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक दशक में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1911-1921 के दशक में जनसंख्या बहुत कम वृद्धि हुई है। 1971-81 में अधिकत्तम नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है नगरीय जनसंख्या वर्ष 1970 से पूर्व नहीं थी। इस समय जनपद में 7 नगर है तथा जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि०मी० 40 व्यक्ति है जबकि प्रदेश में 377 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है जनसंख्या के कम घनत्व का कारण यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थिति है जनपद में प्रति पुरुषों के पीछे 1041 स्त्रियाँ है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात 1088 तथा नगर क्षेत्र में अनुपात 615 है।

1981 के गणना के अनुसार कर्मकरों की संख्या 163025 है जो जनसंख्या का 44•59 प्रतिशत है इसमें कृषक 80•92 प्रतिशत, खेतिहर मजदूर 0•33 प्रतिशत है तथा अन्य कार्यों के लोग व्यक्ति 14•75 प्रतिशत है कूल जनसंख्या में 136482 व्यक्ति साक्षर है ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता मे प्रतिशत 35•16, नगरीय क्षेत्र में 63•87 प्रतिशत एवं कुल साक्षरता का प्रतिशत 37•46है। 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 62886 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 9164 है जो कि कुल जनसंख्या का क्रमशः 17•2 तथा 2•5 है जबकि प्रदेश में प्रतिशत 21•2 तथा 0•2 है जनपद में जोशीमठ विकास खण्ड को जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड घोषित किया गया है।

कृषि:- इस जनपद का मुख्य जीविका उपार्जन खेती से ही होता है। इस जनपद का क्षेत्रफल बहुत अधिक है . परन्तु कृषि योग्य क्षेत्र फल बहुत कम है जिस पर यहाँ की जनता निर्भर रहती है।

भूमि उपयोगिता के आकड़े निम्न प्रकार है:-

विकास खण्डवार भूमि उपयोग के आकड़े §है0§ वर्ष 1983-84

विकास खण्ड का नाम	कुल प्रतिवेदित क्षेत्र	वन	कृषि योग्य बंजर भूमि	वर्तमान परती	अन्य परती	ऊसर कृषि अयो0 भूमि	कृषि के अतिरिक्त अन्य उप0 में भूमि
1• जोशीमठ	216553	39638	9677	95	231	141077	8016
2• कर्णप्रयाग	20565	4655	187	-	61	4627	1093
3• गैरसैण	32341	13987	2101	87	240	2625	468
4• नारायणबगड़	20350	7167	121	43	76	701	496
5• थराली	13784	6125	390	19	37	1344	176
6• देवाल	20667	11024	702	35	66	2418	316
7• दशोली	33139	16922	1565	171	161	2191	800
8• घाट	11474	5979	553	46	57	774	283
9• ना0पोखरी	28818	9541	503	67	98	2440	5167
10• ऊखीमठ	39072	22245	1880	49	99	2784	916
11• अगस्तमुनी	39353	4172	3245	12	34	16415	778
वन क्षेत्र	385480	385480	-	-	-	-	-
योग	861596	526935	20724	582	1160	177405	18509

	चरागाह	उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	सकल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र
1• जोशीमठ	7322	7344	3113	339	3462	93
2• कर्णप्रयाग	1088	2817	6037	3732	9769	730
3• गैरसैण	2940	4916	4977	4276	9253	291
4• नारायणबगड	3532	2916	5298	2262	7560	353
5• थराली	463	1844	3386	1109	4495	249
6• देवाल	832	3320	1956	1030	2986	23
7• दशोली	3800	2726	4843	2156	6999	294
8• घाट	1342	557	1883	1882	3765	71
9• ना0पोखरी	1338	427	5580	4855	10435	349
10• ऊखीमठ	728	6337	3634	1756	5390	35
11• अगस्तमुनी	3195	8262	7518	3049	10567	554
वन क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
योग	26580	41466	43235	26446	74681	3042

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कु क्षेत्रफलके विपरीत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कम है। इसके मुख्य फसलों का विवरण विकास खण्डवार निम्न प्रकार है:-

फसलवार आकड़े § हैक्टर § वर्ष 1983-84

विकास खण्ड का नाम	धान	गेहूँ	जौ	मक्का	दालें	तिलहन	आलू	तम्बाकू
1• जोशीमठ	889	1116	90	27	16	10	132	-
2• कर्णप्रयाग	2508	3149	254	49	13	7	55	2
3• गैरसैण	2376	2982	242	46	18	10	31	1
4• नारायणबगड़	1941	2437	196	38	25	14	18	1
5• थराली	1154	1449	117	22	2[illegible]	13	27	-
6• देवाल	767	963	77	15	7	5	65	-
7• दशोली	1797	2256	182	35	6	12	60	12
8• घाट	967	1214	98	19	4	16	53	4
9• ना०पोखरी	2679	3364	271	52	2[illegible]	30	184	3
10• ऊखीमठ	1384	1737	140	27	1[illegible]	8	58	5
11• अगस्तमुनी	2711	3405	277	54	2[illegible]	16	12	3
योग	19173	24072	1944	374	22[illegible]	141	645	31

भौगोलिक स्थिति के कारण जनपद के विकास में कठिनाई है। अधिकतम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यातायात के साधन कम है फिर भी शासन द्वारा मार्गों का निर्माण कराया गया है। जनपद सीमान्त होने के फलस्वरूप यातायात के साधन एवं विकास की तीव्रगति से होना चाहिये। जनपद की मुख्य समस्यायें निम्न प्रकार है :-

1• क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जनपद बहुत बड़ा है परन्तु जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है और प्रदेश में इस का स्थान 56वां है।

2• जनपद का सभी भाग पहाड़ी है तथा वन के अन्तर्गत क्षेत्र 60•71 प्रतिशत है।

3• कर्मकरों की दृष्टि से जनपद की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान प्रतीत होती है परन्तु शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिवेदित क्षेत्र का केवल 5•5 प्रतिशत है। इसी कारण गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या है।

4• जनपद चमोली आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों की श्रेणी में आता है।

5• जनपद में अवस्थापना संबंधी कमी है। यातायात, संचार, विद्युतीकरण, सिंचाई विपणन आदि की कमी है।

6• खनिजों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है।

7• जनपद में पंजीकृत उद्योग नहीं है जिससे जनपद उद्योग की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है।

8• यहां पर वित्तीय संस्थाओं की कमी है।

अध्याय - 2

अवस्थापना

किसो भो क्षेत्र के विकास में अवस्थापनाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्णहोता है। जिस क्षेत्र में अधिक अवस्थापना होगो उतना हो उस क्षेत्र का विकास अधिक तोव्रता से होगा । जनपद में अवस्थापनाओं को कमो है, क्योंकि यहाँ को भौगोलिक परिस्थिति ऐसो है जनपद की अवस्थापना का विवरण निम्न प्रकार है:-

1- संचार प्रणालो :- इस जनपद में पक्को सड़कों को लम्बाई 1124•5 कि0मो0 है। इनमें 893•5 कि0मो0 सार्वजनिक निमार्ण विभाग को सड़के है। प्रति हजार कि0मो0 पर सड़कों को लम्बाई 123 कि0मो0 है। 256 ग्राम में पक्को सड़के है। पक्को सड़क से एक कि0मो0 से कम दूरो पर ग्राम 101, 1-3कि0मो0 दूरो पर 256 ग्राम 3-5 कि0म0ो दूरो पर 265 ग्राम तथा 5 कि0मो0 एवं अधिक दूरो पर 626 ग्राम है। अभो जनपद में पक्को सड़को को कमो है जनपद में 109 बस स्टाप है। दूरस्थ क्षेत्र में घोड़े खच्चर बकिरियाँ आदि से समान का दुलान कार्य किया जाता है।

जनपद में 304 डाकघर, 57 तारघर, 372 टेलोफोन, एवं 57 पब्लिक काल आँफिस हैं।

शिक्षा:- इस जनपद में वर्ष 1985-86 तक जुनियर बेसिक स्कूल 782, सोनियर बेसिक स्कूल 149, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय 88, एवं महाविद्यालय 3 हैं। बो0 टो0सो0 प्रशिक्षण केन्द्र दो एवं बो0एड0 प्रशिक्षण केन्द्र -1 है। कक्षा 1-5 तक के छात्रों को संख्या 32138 तथा छात्राओं को संख्या 23186 है। 6-8 कक्षा के छात्रों को संख्या 14003 तथा छात्राओं को संख्या 1657 है। डिग्रो कालेज में छात्र संख्या 1219 तथा छात्रायें 82 है। बो0टो0सो0एवं बो0एड0 को छात्र संख्या 145 है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के भर्ती कक्षा 1-5 में 13522, कक्षा 6-8 में 3616 कक्षा 9-12 में 1717, तथा डिग्री कालेज में 119 है। उपरोक्त के अतिरिक्त कर्णप्रयाग में एक आई0टो0आई तथा गौचर में एक राजकोय पॉलो टैक्निक भो है। इन संस्थाओं द्वारा तकनोको प्रशिक्षण दिया जाता है। आइ0टो0 में वर्ष 1985-85 में छात्र संख्या 89 तथा राजकोय पॉलोटैक्निक में 93 है।

2- क्रय विक्रय सुविधा :- जनपद में 53 ग्राम ऐसे हैंजाहँ बाजार लगते हैं नियमित बाजार गोपेश्वर, चमोलो, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग गौचर, रूद्रप्रयाग, घाट, थरालो, ग्वालदम, जोशोमठ, नारायण बगड़ बद्रोनाथ, अगस्तमुनि, और ऊखोमठ आदि स्थान पर लगते हैं। जनपद में कोई भो थोक मण्डो नहों हैएक क्रय विक्रय समिति विकास खण्ड थरालो में है। शासन द्वारा विपणन को और कोई सुविधा उपलब्ध नहों है। जनपद में पशु बाजार कहीं भी नहीं लगता है।

3- भण्डार एवं विधायन:- बोज गोदाम 11, एवं कोटनाशक डिपों 12 है तथा शोतभण्डार कोई नहों है ग्रामोण गोदाम 49 है इसके अतिरिक्त जनपद में कोई कृषि सेवा केन्द्र नहो है। जनपद में कोई विधायन समिति नहो है। यहाँ पर ऊन विधायन के द्रोत्रों को कमो है।

4- सिचाई सुविधा:- जनपद में सिचाई के मुख्य स्त्रोत नहरे हैं । जनपद में नहरों को लम्बाई 201 कि0मी0 है इसके अतिरिक्त 7 पम्पिग सेट, 1829 हौज, हाईड्राम 66 एवं 559 कि0मी0 गूल है। इन स्त्रोतो के माध्यम से सिचाई को जाती है। शुद्ध सिचित क्षेत्र 3042 हैक्टयर है। जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र फल का 6 प्रतिशत है एक बार से अधिक बोये गये क्षेत्रफल का 54·82प्रतिशत सकल सिचित क्षेत्र का सकल बोये गये क्षेत्र का 7·2 प्रतिशत है स्त्रोत वार सिचित क्षेत्र नहरों द्वारा 1290 हैक्टेअर तथा अन्य साधनोंसे 1752 हैक्टेअर है सकल सिंचित क्षेत्र 5376 है0 है। सिचाई सुविधा को इस जनपद में कमी है।

5- विधुत सुविधा:- जनपद में 1504 ग्राम आवाद ग्राम है। इनमें से विद्युत को सुविधा 636 ग्रामों को दी जा चुको है। जनपद में 7 नगर है। जो सभी विद्युतीकृत हैं। 374 हरिजन वस्तियों में बिजली को सुविधा प्रदान को जा चुको है।जनपद में मार्च 86 त हाईटेन्सन लाईन 11 कि0 613·48कि0मी0 है तथा 33 कि0वा0 कोई लाइन नहीं है। लोटेन्सन लाइन 872·65 कि0मी0 । विद्युत उपयोग के आकड़े वर्ष 1984-85 में निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	मद	हजार किलोवाट घण्टे 1982-83	1983-84	1984-85
1·	घरेलु प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	2341	235	2914
2·	वाणिज्य प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	32	53	59
3·	औद्योगिक शक्ति	664	49	614
4·	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	14	18	15
5·	रेल -ट्राम्वे	-	-	-
6·	कृषि विद्युत शक्ति	-	98	545
7·	सार्वजनिक जलकल एवं	-	-	-
	योग	305[illegible]	373	4144
	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कि0वा0घण्टे	8·[illegible]	1033	12·37

6-बैंक:- आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाने में बैंक व्यवस्था का बहुत योगदान होता है। जनपद में बैंक व्यवस्था है। जनपद में 26 राष्ट्रीयकृत बैंक, 17 सहकारी बैंक, एक भूमि विकास बैंक, 2 ग्रामीण बैंक स्थित है। बैंक का विकास खण्ड वार व्यौरा निम्न प्रकार है:-

विकास खण्ड का नाम	स्टेट बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब [ज0 बैंक	भूमि विकास बैंक	सहकारी बैंक	ग्रा
1• जोशीमठ	1	1	1		1	1
2• कर्णप्रयाग	4	–	–	–	1	
3• गैरसैण	3	–	–	–	2	–
4• नारायण बगड़	1	–	–	–	1	–
5• थराली	2	–	–	–	1	–
6• देवाल	1	–	–	–	1	–
7• दशौली	3	–	–	1	1	–
8• घाट	1	–	–	–	3	–
9• ना0पोखरी	1	–	–	–	1	–
10• ऊखीमठ	4	–	–	–	3	–
11• अगस्तमुनि	3	–	–	–	2	1
योग	24	1	1	1	17	2

जनसंख्या की दृष्टि से बैंक शाखायें उचित है परन्तु भौगोलिक परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुये यह शाखायें बहुत ही कम है। बैंकों द्वारा जनपद में आर्थिक स्थिति में सुधार आया है मार्च 1986 में बैंको में 215975 हजार रूपयें जमा धनराशि तथा 84723 हजार रुपयें अग्रिम था। प्राथमिकता के क्षेत्र में 75731 हजार रूपयें वितरित किये गये जो कुल अग्रिम का [illegible] प्रतिशत है।

सेवायोजन:- जनपद मुख्यालय पर सेवायोजन कार्यालय बेरोजगारों के पंजीकरण एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्यरत है।

पेयजल व्यवस्था :- जनपद में मार्च 86 तक जल निगम द्वारा 1226 ग्रामों में पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। ग्राम विकास विभाग द्वारा 96 हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया गया।

चिकित्सा :- जनपद में मार्च 86 तक 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 94 एलोपैथिक अस्पताल, 5 होम्योपैथिक अस्पताल, 55 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 1 टी.बी. अस्पताल 1 संक्रामक चिकित्सालय, 1 नेत्र चिकित्सालय 5 महिला चिकित्सालय तथा एक पुलिस अस्पताल कार्यरत है। इसके अलावा एक पोस्ट मार्टम सेन्टर तथा 9 परिवार कल्याण मुख्य केन्द्र तथा 124 परिवार कल्याण मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र कार्यरत है।

अध्याय - 3

प्रशासनिक तथा संस्थागत ढाँचा

यह सीमान्त जनपद है तथा यह पर्वतीय क्षेत्र है जनपद चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है । जनपद में चार तहसील चमोली, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, एवं उखीमठ है। इस जनपद में ग्यारह विकास खण्ड जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गैरसैण, देवाल, घाट, दशौली, थराली, अगस्तमुनि, नागनाथपोखरी, नारायणबगड़ एवं उखीमठ है जनपद में थाने चमोली, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, उखीमठ, जोशीमठ एवं बद्रीनाथ है इसके अतिरिक्त पुलिस चौकी थराली एवं महलचौरी में है और एक सीजनल चौकी मलारी भी है। जनपद में नगर पालिका जोशीमठ वगोपेश्वर,- चमोली टाउन एरिया गौचर तथा नोटिफाइड एरिया बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, एवं केदारनाथ है जनपद में कुल ग्रामों की संख्या 1633 है जिसमें से आबाद ग्राम 1504 है तथा 13 वन ग्राम है इस जनपद में 54 न्याय पंचायत एवं 632 ग्राम सभाओं में विभक्त किया गया है। एक जिला परिषद भी है।

स्थानीय निकाय :- स्थानीय निकाय के अन्तर्गत जनपद में जिला परिषद है। जिला परिषद का मुख्य कार्य ग्रामीण अंचलों में विकास कार्यों गति प्रदान करना है इस के द्वारा ग्रामों में सड़के पेयजल आदि का प्रबन्ध होता है । वर्ष 1984-85 की आय व्यय विवरण जिला परिषद का निम्नानुसार है:-

वर्ष 1984-85 के आय व्यय के विवरण के जनपद जिला परिषद की कुल आय 7771749 रूपये है यह आय सम्पत्ति कर से 5588 सेवा कर से 125229 रूपया व्यापार व कृतिकर से 44705 तथा विविध कर से 347223 रूपये हुई। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा 7424526 अनुदान दिया गया । वर्ष 1984-85 में जिला परिषद द्वारा भवन नव निर्माण पर 16752 रूपये, पुलिया निमार्ण पर 52934रू0 तथा पुलिया मरम्मत पर 10583 रूपये व्यय किये गये अन्य निमार्ण पर 29126 रूपये व्यय किये गये । इधारण शासन तथा एकत्रीकरण पर व्यय 535972 रूपयें, [illegible] र 7855 रू0, सार्वजनिक निमार्ण पर 5349137 रूपयें व्यय हुआ । अन्य व्यय 29126 रूपयें हुआ। कुल व्यय 5992810 रूपया हुआ।

नगरपालिकाओं की वर्ष 1984-85 में आय जनपद में 241029 रूपयें हुई आय का मुख्य स्त्रोत करेत्तर राजस्व से 45583रूपये तथा साधारण अनुदान से 430501 रूपयें हुई। सम्पत्ति करसे 66182 रू0 टोलकर से 240000 रूपये एवं अन्य करों से 48509 रूपये हुई । नगर पालिकाओं की व्यय प्रशासन पर 203838 रू0 [illegible] पर 136238 रूपयें सुरक्षा सुविधा पर 85432 रूपयें शिक्षा पर 205 रूपये सार्वजनिक निमार्ण पर 512549 रूपये अन्य व्यय 187166 रूपया हुआ तथा ऋणों की अदायगी 1030 रूपयें की गई। इस प्रकार कुल व्यय 1166458 रूपया हुआ । निमार्ण कार्यो पर सड़क निमार्ण पर 481417 रूपये तथा सड़क मरम्मत पर 31132 रूपया किया गया । जनपद में एक टाउन एरिया है इस की कुल आय 83429 रूपये वर्ष 1984-85 में हुई । यह आय व्यापार वृत्ति कर से 6464 रूपये, टोलकर से 11000रूपये करेत्तर [illegible] से 15965 रूपये साधारण अनुदान से 50000 रूपये हुई ।

इस टाउन एरिया का व्यय प्रशासन पर 15458 रू0 सार्वजनिक निर्माण कार्य पर 56899 रूपये तथा अन्य व्यय 2991 रूपये हुआ । कुल व्यय इस प्रकार वर्ष 1984-85 में 75348 रूपया हुआ । सड़क निर्माण पर इस टाउन एरिया द्वारा 56899 रूपया खर्च किया गया ।

जनपद में चार नोटिफाइड एरिया है। इन की कुल आय वर्ष 1984-85 में 595498 रू0 है। व्यापार/कर से आय 7295 रू0, पशुओं एवं सवारियों पर कर से 6075 रू0, टोलकर से 97160 रू0, और विविध कर से 37008 रू0 करेत्तर राजस्व से 50747 रू0, तथा साधारण अनुदान से 300000 रू0 से हुई। कुल राजस्व व्यय इन नोटिफाइड एरिया पर 532774 रू0 हुआ. साधारण प्रशासन पर 50997 रू0, जनस्वास्थ्य पर 76038 रू0 तथा सुरक्षा पर 3045 रू0, सार्वजनिक निर्माण पर 361849 रू0 एंव विविध व्यय 40845 रू0 हुआ सड़क निर्माण पर 178191 रू0 तथा सड़क मरम्मत पर 337 रू0 व्यय हुये ।

विकास खण्ड स्तर पर एक क्षेत्र समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति का अध्यक्ष प्रमुख तथा सचिव क्षेत्र विकास अधिकारी, एंव सदस्य सम्बन्धित विकास खण्डों ,ग्राम पंचायतों के प्रधान एंव अन्य चुने सदस्य होते है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य विकास की गति में तेजी लाना ।।

सहकारी समितियां :-

जनपद में वर्ष 85-86 के अन्त तक 75कृषि सहकारी समितियां थी। इन समितियों में सदस्य संख्या 63372, हिस्सा पूंजी 6806 हजार रू0 , जमाधन 711 हजार रू0 है। एक क्रय विक्रय समिति, 8 श्रमिक सहकारी समितियां, 68 सहकारी खाद बिक्री केन्द्र, 74 सस्ते गल्ले की दुकाने एं 17 सहकारी बैंक है। एक पी0सी0 एफ0 गोदाम है। वर्ष 85-86 में अल्पकालीन ऋण 76 लाख रू0, मध्यकालीन ऋण 65 लाख रूपये तथा दीर्घकालीन ऋण ? लाखरूपये वितरण किये गये। यह समितियां जनपद की अर्थ व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रही है।

विभिन्न विभागीय अनुभागों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध :- प्रशासन ढांचे में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी विभागीय अनुभागों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु नियुक्त है। जिलाधिकारी के सहयोग हेतु अपर जिलाधिकारी §वि0§ मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी नियुक्त है। इसके पश्चात विकास की गति तीव्र करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त किये गये है। विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली एक जिला समन्वय एंव कार्यान्वयन समिति गठित की गई है जो योजना कार्य को सफलीभूत बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया है :-

1• अध्यक्ष - जिलाधिकारी ।
2• सचिव - अपर जिलाधिकारी §वि0§
3• सह सचिव - अर्थ अधिकारी
4• समस्त विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य है।

जनपद स्तर पर मुख्यत: निम्न अधिकारी है जो जनपद के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करते है ।

1• परियोजना निदेशक ।
2• जिला कृषि अधिकारी ।
3• अपर मुख्य अधिकारी जिला परिषद ।
4• कृषि रक्षा अधिकारी ।
5• जिला पशुधन अधिकारी ।
6• जिला पंचायतराज अधिकारी ।
7• भूमि संरक्षण अधिकारी ।
8• सहायक निबन्धक सहकारी समितिया ।
9• सहायक अभियन्ता §लघु सिंचाई §
10• जिला युवा कल्याण अधिकारी एंव प्रादेशिक विकास दल ।
11• जिला क्रीडा अधिकारी ।
12• जिला सूचना अधिकारी ।
13• जिला हरिजन एंव समाज कल्याण अधिकारी ।
14• जिला सेवायोजन अधिकारी ।
15• अपर जिला विकास अधिकारी §ह0क0§
16• बनाधिकारी ।
17• सहायक निदेशक § मत्स्य §
18• सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ।
19• मुख्य चिकित्साधिकारी ।
20• जिला विद्यालय निरीक्षक
21• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ।
22• अधिशासी अभियन्ता §विद्युत §
23• अधिशासी अभियन्ता §राजकीय सिंचाई§
24• अधिशासी अभियन्ता §जल निगम§
25• बाल विकास परियोजना अधिकारी बाला आहार योजना।

उपरोक्त को योजनाओ के चलाने का दायत्व है। इन योजनाओ का करने हेतु शासन द्वारा अर्थ एंव संख्या प्रभाग का जिला स्तर पर संख्याधिकारी कार्यालय गया है। संख्याधिकारी अर्थ अधिकारी एंव सहायक अर्थ एंव संख्याधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन से किया जाता है।

अध्याय - 4

आर्थिक कार्य कलाप

आर्थिक कार्य कलाप किसी क्षेत्र देश या राज्य के विकसित तथा समृद्धिशाली होने के [ ]तक होते हैं । प्रत्येक देश में आर्थिक कलाप, भौगोलि राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार होते हैं । इस जनपद की भौगोलिक स्थिति बहुत ही विचित्र है, क्यों कि मुख्यत: क्षेत्र पर्वतीय तथा नदि का जाल सा है बिछा है । जो जनपद के आर्थिक कार्य कलापों को प्रभावित क है ।

जनपद का क्षेत्रफल 9125 वर्ग कि०मी०है परंतु 1981 की जनगणना अनुसार जनसंख्या 364346 है तथा घनत्व 40 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है । में कर्मकरों की संख्या 163025 है । यह जनसंख्या का 44-6 प्रतिशत है ।

यहाँ के लोगों का मुख्य उद्देश्य खेती है§ कृषि तथा संवर्गीय का में 81•25 प्रतिशत कर्मकर कार्यरत हैं § परन्तु खेतों का आकार बहुत छोटा तथा कुल क्षेत्र के अनुपात में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कम है । इस कारण खा उत्पादन में जनपद आत्मनिर्भर नहीं है । खाद्यान्न अन्य जनपदों से आता है । शासन द्वारा कृषि उद्यम को विकसित करने हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । कार्यक्रम के अन्तर्गत अच्छे किस्म के बीजों का वितरण रसायनिक उर्वरक वितरण शाक सब्जी उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्जी बीज वितरण, आलू के अच्छे कि के बीज वितरण एवं पौध सुरक्षा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण कार्य तथा सिंचाई के साधनों को विकसित किया जा रहा है । सिंचाई साधनों के विकास के संबंध में उल्लेखनीय है कि जनपद में नदियों का जाल बिछा होने के बावजूद इन नदियों से सिंचाई करने में कठिनाई होती है, क्यों कि जनपद में अधिकांश खेती नदी की सतह से काफी ऊपर है । नदी का पानी ऊपर स्थित खेतों तक पहुँचाने हेतु लघु सिंचाई के अन्तर्गत पम्पिंग योजनायें तथा हाईड्रम योजनायें चलाई जा रही हैं । किन्तु पम्पिंग योजनाओं के लिए बिजली की पूर्ति अक्सर नहीं हो पाती अत: हाईड्रम योजनाओं को ही औ प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । वर्तमान में जनपद में 66 हाईड्रम कार्यरत हैं ।

पशुपालन:- जनपद में भेड़, सुअर, भारवाहक पशु, दुधारू पशु तथा कुक्कट व्यापारिक तथा निजी प्रयोग हेतु पाले जाते हैं, जनपद में भेड़, सुअर आदि पशुओं का मांस भी बिकता है । जिले के गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लक्ष्य से आई•आर•डी• कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त सभी पशुओं के क्रय हेतु अनुदान सहित ऋण दिया जाता है ।

दुधारू पशुओं के लिए "स्टाल फीडिंग" की कोई व्यवस्था नहीं है और अधिकांश पशु जंगलों में चरने पर ही मुख्य रूप से आधारित हैं । इन पशुओं में से अधिकांश स्थानीय पशु होने से उन्नत नस्ल के नहीं हैं ।इसी कारण दुग्ध उत्पादन की मात्रा प्रति दुधारू पशु बहुत कम है ।

जनपद में मत्स्य पालन तथा मत्स्य आखेट को बढावा देने हेतु तलवाड़ी में एक मत्स्य बीज फार्म की स्थापना की गयी है । इस फार्म द्वारा वर्ष 1985-86 में कुल 4700 अंगुलिकाओं का उत्पादन, वितरण तथा संचय किया गया ।मत्स्यपालन हेतु क्षेत्र तलवाड़ी विकास खण्ड थराली में एक सरकारी फार्म है ।

औद्योगिक विकास:- औद्योगिक विकास की दृष्टि से जनपद पिछड़े जनपद की श्रेणी में आता है । जनपद में उद्योग पारिवारिक उद्योग के रूप में हैं, 1981 की जनगणना के अनुसार पारिवारिक उद्योग में 3409 व्यक्ति लगे हैं । जनपद में अगस्तमुनी में एक तारपिनटाइन एवं रोजिन फैक्ट्री तथा कर्णप्रयाग में यू0पी0एग्रो इकाई कार्यरत है । उद्योग विभाग द्वारा भीमतल्ला में ऊनी तथा लकड़ी का कार्य किया जा रहा है । भारत सरकार के सहयोग से चमोली में एक बुनकर केन्द्र खोला गया है, उद्योग में पिछड़ेपन का मुख्य कारण अच्छे कच्चे माल की कमी अवस्थापना की सुविधाओं की न्यूनता है । विपणन पर्याप्त सुविधा का अभाव तथा उद्योगी व्यक्तियों का अभाव है । औद्योगिक गति में तीव्रता लाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग द्वारा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त कालीन बुनाई पागड़ी काष्टकला तथा रिंगाल का प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्ष 1984-85 के अन्त में 1008 लघु उद्योग इकाइयाँ कार्यरत थी इनमें 2875 व्यक्ति लगे हुए थे ।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण जनपद में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है । बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा आर0एल0इ0जी0पी0योजना चलाई जा रही है । इन योजनाओं के अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारयोजना भी चलाई जा रही है । इन

योजनाओं के अन्तर्गत बैंको द्वारा ऋण प्रदत्त किया गया है । अनुसूचित जाति परिवारों को लाभान्वित करने हेतु विशेष समन्वित योजना चलाई जा रही साथ ही साथ लघु सीमान्त कृषक योजना भी कार्यान्वयन की गयी है ।अनु जाति/ जनजाति के उत्थान केलिए जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिका के माध्यम से योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

क्रय विक्रय:- जनपद में कोई थोक मण्डी नहीं है । यहाँ पर 7 नियमित ब हैं तथा ग्राम में 53 बाजार लगते हैं । इन्हीं के माध्यम से यहाँ के लोग अपनी उपभोग की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं । एक क्रय विक्रय समिति भी है ज विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत आती है ।

ऋण :- ऋण वितरण का कार्य सहकारी समितियों तथा बैंको द्वारा किया है । जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंक 26 ग्रामीण बैंक 2,जिला सहकारी बैंक 17 तथ भूमि विकास बैंक है । इसके अतिरिक्त 75 सहकारी समितियाँ हैं जो विकास ख से संबंधित ऋण उपलब्ध कराती है ।

भण्डारण:- भण्डारण हेतु 49 ग्रामीण गोदाम 11 कृषि गोदाम तथा पी०सी०एफ० का गोदाम उपलब्ध है ।

विधायन:- यहाँ पर कोई विधायन सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

यातायात:- जनपद में दुर्गम स्थानों में माल पहुँचाने का कार्य पशुओं द्वारा जाता है,यात्रा के मौसम में स्थानीय लोग अपने घोड़े,खच्चरों से दुर्गम स्थानों यात्रियों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं ।

पर्यटन :- जनपद में कई दर्शनीय ,धार्मिक तथा तीर्थ स्थल भी हैं,जिस बहुत पर्यटक बाहर से आते हैं । जनपद की अर्थ व्यवस्था में पर्यटन को बढावा दे की आवश्यकता है,इन पर्यटकों के आने से यहाँ पर रह रही जनता को मौसमीत पर कार्य भी मिल जाता है ।

अध्याय-5

।। सेवायोजन सम्बन्धी समस्यायें ।।

जनपद चमोली के लोगों का मुख्य उद्देश्य खेती है । खेती का आकार छोटा व सीढी दार खेत होने के कारण उत्पादन क्षमता कम है इसके अतिरिक्त शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से कम है । एवं औद्योगिक विकास नगण्य रूप है । यहाँ पर जो उद्योग हैं वह मुख्यत: पारिवारिक उद्योग ही हैं । जिसके कारण जनपद में बेरोजगारी काफी है, जनशक्ति का पूर्ण उपयोग इस जनपद में नहीं हो पा रहा है । शहरों में बेरोजगारों की संख्या अधिक है क्यों कि जो शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं वे यह नहीं चाहते कि वह ग्रामीण अंचल में कार्य करें । अपितु उनका मुख्य उद्देश्य राजकीय सेवा करना होता है । अत: शहरों में बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है ।

भूमिहीन श्रमिकों, शिल्पकार तथा शिक्षित नवजवानों को रोजगार प्राप्त करने हेतु जनपद में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, यहाँ पर राजकीय कार्यालय ही उपलब्ध हैं जिन में ये लोग सेवा कार्य में लग पाते हैं । यहाँ पर ऐसी कोई अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे इनको जीविका कमाने के साधन उपलब्ध हो सकें ।

जनपद में एकजिलासेवायोजन कार्यालय स्थापित किया गया है जो बेरोजगार व्यक्तियों के नाम अंकित करता है तथा समय-समय पर सृजित होने वाले पदों हेतु उपयुक्त नव युवकों को रोजगार प्रदत्त कराता है । जिला सेवायोजन कार्यालय चमोली के 3 वर्ष के आंकड़े निम्न प्रकार हैं

क्र0सं0	मद	वर्ष		
		83-84	84-85	85-86
1	2	3	4	5
1-	जीवित पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थी	6775	6847	9619
2-	वर्ष में पंजीकृत अभ्यर्थी	4064	3123	3381
3-	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	374	300	421
4-	नौकरी पर लगे अभ्यर्थियों की संख्या	310	271	355

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा बेरोजगारी दूर करने हेतु एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, विशेष समन्वित योजना, ट्राइसेम योजना, तथा अन्य योजनायें चलाई जा रही है, जिससे जनपद में उपलब्ध जनशक्ति का पूर्ण उपयोग हो सके। उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों द्वारा मुख्य/लघु उद्योग व्यापार, उद्योग पशुपालन कृषि विकास तथा अन्य योजनाओं को ऋण दिया जाता है ताकि उक्त जनशक्ति अपनी आजीविका कमा सके। इसके साथ इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। शासन द्वारा बेरोजगारी दूर करने हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।

अध्याय-6

पिछड़े समुदाय की समस्या:-

जनपद चमोली की वर्ष 1981 की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या 364346 थी, जिसमें कुल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 62686 तथा 9164 थी, जिनकी कुल जनसंख्या में प्रतिशत क्रमश: 17-3 तथा 2-5 है जब कि प्रदेश स्तर में इसका प्रतिशत क्रमश: 21-16 और 8-21 है। इन जातियों के आर्थिक शैक्षिक तथा स्वास्थ्य आवास एवं अन्य उत्थान हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, द्वारा लाभान्वित किया गया तथा आगामी वर्षों में भी इस प्रकार के विकास की योजना है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रीय विकास योजना, अन्त्योदय, विशेष समन्वित योजना, हरिजन एवं समाज कल्याण, हरिजन पेयजल योजना, निर्बल वर्ग आवास हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण, जल निगम द्वारा हरिजन बस्तियों में जल सम्पूर्ति आदि कार्यक्रमों से इन समुदाय के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 1985-86 तथा 86-87 की जिला योजना में अधिकांश विभागों द्वारा जिले में चलाई जा रही योजनाओं में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लाभार्थ वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को मात्राकृत किया गया है, जिसका विवरण जी0एन0-2, जी0एन0-3 प्रारूपों में दिया गया है।

शासन का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक विभाग अनुसूचित जातियों हेतु 21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु 2 प्रतिशत धनराशि एवं भौतिक लक्ष्यों का मात्राकरण करें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रयास किया गया है कि वर्ष 1987-88 में भी इन निर्देशों का भरपूर पालन जिला योजना में हो जाय।

अध्याय-7

जिला योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन

24 फरवरी, 1960 को जनपद चमोली के सृजन के साथ सुरक्षा की दृष्टि से सीमान्त क्षेत्र घोषित किया गया तथा यहाँ पर विकास कार्यक्रम द्रुत गति से चलाये जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश शासन ने जनपद स्तर पर उपलब्ध होने वाली लगभग सभी सेवाओं का प्रसार यहाँ पर किया गया है । साथ ही साथ इसके पिछड़ेपन को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में अतिरिक्त बजट का प्राविधान भी कराया गया । विकास कार्यक्रमों का लाभ जनपद के निवासियों को मिला किन्तु गत 23 वर्षों में विभिन्न योजनावधि में जिस अनुपात से धनराशि व्यय की गयी उस अनुपात में यहाँ पर आर्थिक विकास नहीं हो सका । इसका मुख्य कारण क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थिति का होना है । साथ ही योजनाओं का स्थानीय आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल न होना भी है । समीक्षात्मक विवरण निम्न प्रकार है ।

1- कृषि एवं औद्यानिकी:- जनपद में कृषि योग्य क्षेत्रफल नदियों की घाटियों में ही है । शेष भागों में उपजाऊ क्षेत्र नहीं है । फलत: कृषि कार्यक्रम यहाँ पर विस्तृत रूप से सफल नहीं हो सका । फिर भी कृषि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । वर्ष 1981-82 में नत्रजन खाद 79 मी0टन, फास्फेटिक 60 मी0टन तथा पोटासिक 18 मी0टन वितरित किया गया, जब कि वर्ष 1983-84 में 161 मी0टन फास्फेटिक 116 मी0टन एवं तथा पोटासिक 15 मी0टन वितरण हुआ । इस प्रकार वर्ष 1981-82 में प्रति हैक्टर 3-72 किलोग्राम तथा वर्ष 1983-84 में 6-05 किलो ग्राम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया है । कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1981-82 में 61691 मी0 टन तथा वर्ष 1983-84 में 77145 मी0टन उत्पादन हुआ है । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि खाद्यान उत्पादन बढा है । कृषकों द्वारा आज भी परम्परागत फसलें धान, गेहूँ, जौ, मक्का, झंगोरा, मडुवा अन्य धान्यें, लाही तथा आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं । जनपद में कृषि विभाग द्वारा अच्छे व अधिक उपज

जाति के बीजों का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड में एक बीज गोदाम है। जनपद का क्षेत्रफल अधिक होने की दृष्टि से प्रत्येक विकास खण्ड में दो बीज गोदाम होने चाहिए। वर्ष 1982-83 में कृषि विकास हेतु पर्वतीय क्षेत्र में जनजाति विकास में उर्वरकों के कम्पोजिट प्रदर्शन अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों पर राजसहायता की योजनायें चलाई जा रही हैं और कृषि रक्षा कार्यक्रम आदि है। जनपद में औद्यानिकी भी अपना विशेष महत्व रखती है। जनपद में औद्यानिकी विकास की पूर्ण सम्भावनायें हैं। शाक-सब्जी उत्पादन एवं आलू उत्पादन अच्छा है। आलू का उत्पादन बढ़ कर 119680 क्विंटल वर्ष 1983-84 तक हो गया है। इसके अतिरिक्त जनपद में उद्यानों का विस्तार तथा बागों का जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। जनपद में उद्यानों का क्षेत्रफल 4144 हैक्टर है। फलों के परिवहन एवं विपणन तथा विधायन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2-सिंचाई :- वर्ष 1983-84 के आंकड़ों के अनुसार जनपद का शुद्ध बोया गया क्षेत्र फल 48235 है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 3042 हैक्टर जो शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 6-30 प्रतिशत है। सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी कृषि का विकास सम्भव है। जनपद में नहरों द्वारा सिंचाई 1290 हैक्टयर तथा अन्य साधनों से 1752 हैक्टयर सिंचाई हुई है। जनपद में सिंचाई की प्रमुख समस्या है। जनपद में 201 कि0मी0 नहरें, 4 भूस्तरीय पम्पिंग सेट तथा 3 बोरिंग पम्पिंग सेट, हौज 1829 तथा गूल 559 कि0मी0 हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में 66 हाईड्रम भी हैं। सिंचाई विकास की आवश्यकता है। अतः राजकीय नहरें तथा हाईड्रम निर्माण कर सिंचन क्षमता में वृद्धि की जा रही है। भूमिगत जल उपलब्ध न होने के कारण नदियों पर हाईड्रम लगाने की व्यवस्था की गयी है। राजकीय लघु सिंचाई की नहरों द्वारा यद्यपि अभी तक सिंचित क्षेत्रफल में प्रभावी वृद्धि नहीं की जा सकी है किन्तु भविष्य में ऐसी आशा की जाती है कि वर्तमान में निर्माणाधीन योजनाओं के आशातीत परिणाम होंगे।

3-भूमि संरक्षण:- पर्वतीय क्षेत्र में ~~पर्याप्त रूप~~ एवं ऐकोलाजी के महत्त्व से भूमि संरक्षण योजनाओं का विशिष्ट स्थान है । कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वर्तमान में संपादित कार्यों को और सघन करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । जनपद योजना में सीमित परिव्यय के कारण नयें प्रस्ताव नहीं दिये जा सके हैं । भूमि संरक्षण(कृषि विभाग) द्वारा प्रति वर्ष 1200 हैक्टयर भूमि को संरक्षित करने का लक्ष्य है ।इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा भी भूमि संरक्षण हेतु वनीकरण तथा कटाव नियंत्रण कार्य क्रम चलाये जा रहे हैं ।

4- क्षेत्रीय विकास:- क्षेत्रीय विकास परियोजना के गत वर्षों में उपलब्धियों को देखते हुए प्रति वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड का लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 600 परिवारों को लाभान्वित करने का रखा गया है । गत वर्ष 1985-86 में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत नयें परिवारों को 2915 तथा पुराने परिवारों को 4284 लाभान्वित किया गया । अनुसूचित जाति /जनजाति के ~~कस~~ नयें परिवार 869, अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के पुराने 1169 लाभान्वित किया गया । छटी पंचवर्षीय योजना में 26525 परिवार लाभान्वित हुए ।

5-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनाओं के द्वारा क्रय शक्ति के उपयोग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा स्थाई परिसंपतियों के सृजन के कार्य छटी पंचवर्षीय योजना में बहुत सफल रहे हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इन कार्यों को गति दी जा रही है । वर्ष 1985-86 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 1965 हजार व्यय किया गया तथा 86-87 में रू0 2757 हजार स्वीकृत किया गया है । तथा मानव दिवस सृजन का लक्ष्य है ।

5- वन:- आरक्षित वनों से संबंधित कार्यक्रम जनपद में यथावत चलते रहेंगे । गत वर्षों में पर्यावरण की दृष्टि से वनों के कटान पर प्रतिबन्ध रहने तथा संवेदनशील स्थानों पर वनीकरण के कार्यों को गति देने के विषय

पर सोचा गया । राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में वनों को सुरक्षित करना तथा वन विभाग के प्रबंध के अन्तर्गत खाली स्थानों पर वृक्षारोपण के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी ।

7- - सहकारिता:- प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति के कार्य क्षेत्र को बढाने तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति को और सुदृढ करना छटी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित था । वर्तमान में चल रहे कार्यक्रम को और गति प्रदान करने की आवश्यकता है ।

8- ग्रामीण विद्युतीकरण:- जनपद में वर्ष 1984-85 तक 636 ग्राम तथा 374 हरिजन बस्तियाँ विद्युतीकृत की जा चुकी हैं । यह मद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आती है । इस कार्यक्रम में शासन द्वारा तीव्र गति से विकास करने का निर्णय लिया गया है ।

9- उद्योग:- जनपद उद्योग के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है । इसका कारण यहाँ पर यातायात की कठिनाइयाँ, कच्चेमाल की दुर्लभता तथा कुशल कारीगरों का न होना है । जनपद में दिनांक 31-3-86 तक औद्योगिक अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कोई इकाई पंजीकृत नहीं थी । लघु उद्योग इकाई की संख्या 1000 है तथा इनमें लगे व्यक्तियों की संख्या 2825 है । आगामी वर्षों में लघु एवं कुटीर उद्योग इकाइयों की स्थापना करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता देना प्रस्तावित है ।

10- सड़क:- वर्ष 1983-84 के अन्त तक प्रति हजार वर्ग कि0मी0 पर पक्की सड़के 98 कि0मी0 तथा प्रति लाख जनसंख्या पर 309 कि0मी0 पक्की सड़कें हैं । मोटर मार्ग 893-5 कि0मी0 है । सड़क निर्माण का कार्य जनपद में चल रहा है । सड़क निर्माण का कार्य हेतु राज्य सैक्टर से व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

11- पर्यटन:- जनपद में दो मुख्य तीर्थ स्थान बद्रीनाथ एवं केदारनाथ हैं । पर्यटन की दृष्टि से यह जनपद महत्त्वपूर्ण है क्यों कि यहाँ कई धार्मिक तथा

दर्शनीय स्थल हैं । तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए आवासगृह निर्माण के विकास की आवश्यकता है । यह कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा भी किया जा रहा है ।

12- शिक्षा:- छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बेसिक शिक्षा एवं सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने के कार्य में पर्याप्त वृद्धि हुई । इस समय जनपद में 782 प्राइमरी स्कूल, 149 जूनियर हाई स्कूल, 88 उच्चतर माध्यमिक कालेज तथा तीन डिग्री कालेज हैं । प्रयत्न यह रहा है कि प्रत्येक ग्राम के बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ हो किन्तु विषम स्थलाकृति के कारण ऐसा शतप्रतिशत सम्भव नहीं हो सका है । चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण 1978 में शासन द्वारा नये मानक के अनुसार 6-11 आयु वर्ग के बच्चों को शत प्रतिशत शिक्षा देना प्रस्तावित है ।

13- प्राविधिक शिक्षा:- जनपद में तकनीकी व्यक्तियों की कमी है । तकनीकी व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए एक राजकीय पोलीटेक्निक की स्थापना गोचर में की गयी है तथा एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्णप्रयाग में स्थापित है । इनके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है ।

14- चिकित्सा एवं परिवार कल्याण:- जनपद में वर्ष 1985-86 के अंत तक 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 55 एलोपैथिक, चिकित्सालय, 56 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं । जनसंख्या के अनुसार 6 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की संख्या उचित हैं । परन्तु भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कम है । इनको पूरा करने की अब भी आवश्यकता है । चिकित्सा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को योजनावधि में गति देना प्रस्तावित है ।

15- पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम:- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने एवं उनमें सामाजिक चेतना का उदय करने के कार्यक्रमों में सातवीं पंचवर्षीय योजना में और तेजी लाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है । हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से अभी भी अनुसूचित जाति /

जनजाति के बहुत से परिवार अछूते हैं । आगामी योजना में पिछड़े वर्ग के कार्यक्रमों को समुचित बल दिया गया है ।

1.6- ग्रामीण पेय जल:- जल निगम द्वारा 31 मार्च, 1986 के अन्त तक 1105 ग्रामों को नल द्वारा पानी देने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था से 266102 जनसंख्या लाभान्वित होती है । डिग्गी द्वारा 138 ग्रामों को पीने के पानी की व्यवस्था है और 191 ग्राम अन्य साधनों से पीने का पानी प्राप्त कर पाते हैं । जनपद में पेयजल सुविधा हेतु अभाव ग्रस्त 169 ग्राम हैं । जनपद में ऐसे ग्राम भी हैं जिनमें नल लगाने के पश्चात भी पीने का पानी सुलभ नहीं हो पा रहा है । ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी पूर्व वर्षों में पेयजल योजनाओं का निर्माण करा कर हरिजन बस्तियों में पीने का पानी सुलभ कराया गया है । परन्तु हरिजन पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं अनुरक्षण में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसके कारण उक्त पानी की व्यवस्था निष्क्रिय हो गयी है । शासन का उद्देश्य [illegible] समस्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है । उक्त कार्य जल निगम के माध्यम से करना प्रस्तावित है ।

अध्याय-8

स्थानीय संसाधन

योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय संसाधनों का विशेष महत्त्व है ।अत: स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना तैयार की गयी है योजनाओं का क्रियान्वयन जनता के सहयोग पर निर्भर करता है इसलि योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभागीय संस्थायें प्रयत्नशील हैं ।जनपद के मुख्य-मुख्य संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार है ।

§1§ मिट्टी- नदी के किनारे घाटियों में उपलब्ध भूमि की मिट्ट खेती के अनुरूप है और इसमें बलवी से बलवी दोमट मिट्टी पाई जाती है । ऊँचा के क्षेत्रों की भूमि में प्राय: बड़े-बड़े बोल्डरस हैं और मिट्टी ढालों मेंपाई जाती है । अत: भूमि क्षरण एवं समतलीकरण कार्य हेतु वन एवं कृषि योग्य भूमि में भूमि संरक्षण इकाइयाँ कार्यरत हैं । कृषि विभाग के चार भूमिसंरक्षण इकाई भूमि संरक्षण कार्य के निष्पादन के कार्य हेतु,लागत व्यय का 50 % अधिकतम् रू0 2500/-प्रति है0 अनुदान के रूप में दिया जाता है । शेष व्यय कृषकों द्वारा स्वयं बहन किया जाता है ।

§2§ जल:- इस संसाधन की पर्याप्त मात्रा जनपद में नदियों,झीलों, जलाशयों के रूप में विद्यमान है जिनसे दो राजकीय लघुसिंचाई खण्डों द्वारा नहरों का निर्माण कर इस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है ।विद्युत विभाग द्वारा लघु विद्युत प्रजनन इकाई द्वारा विद्युत तैयार की जाती है ।छोटे-छोटे श्रोतों एवं गधेरों एवं नालों से लघुसिंचाई विभाग द्वारा हौज,गूल निर्माण किया जा रहा है तथा हाईड्रम इकाई की स्थापना कर सिंचन क्षमता में वृद्धि की जा रही है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत से स्थानीय लघु एवं कुटीर उद्योग चलाये जा रहें हैं ।

§3§ पशुधन- जनपद में पशुपालन विकास हेतु विदेशी पशु प्रजनन भरारीसैंण कुक्कुट पालन विस्तार हेतु राजकीय कुक्कुट फार्म गोपेश्वर,

भेड़ नस्ल सुधार हेतु मक्कू एवं बंगालो फार्म तथा कई भेड़ा केन्द्र ऊन तथा भेड़ प्रसार केन्द्र तथा कृतिम गर्भाधान एवं नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना की गयी है ।

{4} वन- जनपद में वन संसाधन भी पर्याप्त हैं । जनपद के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 61•6 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है । वनसंपदा में इमारती लकड़ी ,आर्थिक एंव औद्योगिक महत्व की प्रजातियों के वृक्ष एवं ईंधन की लकड़ी उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त रिंगाल एवं लोसा का उपयोग कर रिंगाल पापड़ी काष्टकला,टरपेन्टाइन और रेजिन उद्योग चलाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त सहकारिता एंव वन विभाग के माध्यम से भेषज कार्यक्रम चलाया जा रहा है । वन संपदा से वर्ष 1985-86 में उत्पादन एंव विक्रय 13 लाख रू0 का किया गया । उक्त उत्पादन एवं बिक्रय का विवरण निम्न प्रकार है :-

मद	उत्पादित लकड़ी	उत्पादित लकड़ी का मूल्य रू0	बिक्री की गयी लकड़ी का मूल्य रू0
1	2	3	4
वन निगम द्वारा चीड़	2127-288 घन मी0	810300	810300
रागा	490-443 ,, ,,	83400	83400
जलौनी लकड़ी	611 पेड़	130859	130859
गिरे पेड़ विविध	47574 क्वि0	475740	475740
योग वन निगम		1300299	1300299

इसके अतिरिक्त 2563•520 घन मी0 लकड़ी निशुल्क दी गयी तथा विभागीय ऐजेन्सी द्वारा 18-527 घन मी0 लकड़ी का उपयोग किया गया।

{5} खनिज- भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार साफ्ट स्टोन,मैगनेसाइट, एस्बेस्टस,ताँबा,शीशा,जस्ता,गंधक,रेडियन धर्मी एन्टामनी,लाइनस्टोन,मार्बल, डोलोमाइट,लोहा आदि खनिज जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध है ।इसके

अतिरिक्त स्लेट, बोल्डरस वाइम स्टोन व अन्य निर्माण कारी पत्थर आदि उप खनिज भी विद्यमान हैं। परन्तु अभी तक जनपद में कोई बृहद उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई है।

§6§ फल एवं उद्यान- जनपद में मुख्य रूप से माल्टा, नारंगी, नींबू सेव आदि का उत्पादन उचित मात्रा में होता है। जनपद में उपलब्ध फल पौध की सुरक्षा हेतु राज सहायता दिये जाने का प्राविधान है। फलों के संरक्षण हेतु फल संरक्षण इकाइयाँ कार्यरत हैं जिसमें कृषकों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। उद्यानों के विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण दिये जाने का प्राविधान है। सब्जी के अन्तर्गत आलू उत्पादन भी काफी होता है। विशेष रूप से इसे बोने में जोशीमठ विकास खण्ड अग्रणी रहा है।

§7§ जनशक्ति:- 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में 131921 कृषक, 546 कृषक मजदूर, 3172 परिवारिक उद्योग, 27386 अन्य कर्मकर, 194118 सीमान्त कर्मकर बर्गीकृत हैं, इस प्रकार कुल जनसंख्या में 182443 कर्मकर कार्यरत हैं। स्पष्ट है कि अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि पर ही निर्भर है। जनपद में उपलब्ध जनशक्ति के विकास हेतु कृषि/उद्यान, पशुपालन, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास, युवा कल्याण, हरिजन एवं समाजकल्याण, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जल संपूर्ति, सा0नि0वि0 आदि विभागों की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं एवं सम्भावित विकास हेतु योजनायें तैयार की गयी हैं।

अध्याय-9
xxxxxxxxxxx

दीर्घकालीन विकास की रूप -रेखा

जनपद की वर्तमान योजनाओं की स्थिति देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि जनपद के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाओं के लिए भी पहले से ही एक अनुमान लगाया जाय/गत 10 वर्षों में किये जा रहे कार्यों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए आगामी 10 वर्षों के परिपेक्ष में एक 10 वर्षीय ढाँचा भी हमारे समक्ष हो ताकि हम अभी से ऐसे कार्यक्रम तैयार करें अथवा ऐसी नियोजन प्रणाली अपनायें कि हमें दीर्घकालीन कार्यक्रमों का ज्ञान हो और उनके लिए भी नियोजन करें । नियोजन करते समय निम्न तत्थ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है ।

§1§ जनसंख्या:- प्रत्येक नियोजन में जनसंख्या अपना महत्त्व रखती है ।यहाँ की जनसंख्या केवल 364346 है परन्तु जनपद का क्षेत्रफल 9125 वर्ग कि0मी0 है । जनसंख्या का घनत्त्व 40 प्रति वर्ग कि0मी0 है । यद्यपि प्रति कि0मी0 जनसंख्या कम है, क्यों कि भौगोलिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की है जिसके कारण जनसंख्या कम है परन्तु जनसंख्या की वृद्धि गत दशक से ... 24-51 प्रतिशत है जब कि 1951-1961 के दशक में 16-67 प्रतिशत एवं 96 -1971 के दशक में 15-58 प्रतिशत वृद्धि हुई है । अत: जनसंख्या का दबाव निरन्तर बढ रहा है । यदि जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आगामी 10 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि दर और बढ जायेगी जो जनपद के आर्थिक ढाँचों को प्रभावित करेंगी क्यों कि उक्त जनसंख्या हेतु भोजन एँव वस्त्र की ब्यवस्था उपलब्ध कराई जानी होगी । इनके लिये निवास हेतु मकान शिक्षा के लिए विद्यालय, स्वास्थ्य के लिय अस्पताल भी उसी अनुपात में होने चाहिए । साथ ही साथ यातायात, सफाई और विजली आदि की उपलब्धता भी तदनुसार बढानी होगी । इन समस्त आवश्यक ब्यवस्थाओं की की उपलब्धियों के लिए अतिरिक्त साधन जुटानें होंगे । बढती हुई जनसंख्या का प्रभाव बेरोजगारी पर भी पड़ेगा । अत: उसी अनुपात में सेवाओं और

व्यवसायों तथा उद्योग धन्धों का भी बढ़ावा देना होगा ।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन /परिवार कल्याण की आवश्यकता पड़ेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले पाँच वर्षों में अच्छी प्रगति हुई है । वर्ष 1985-86 में नसबन्दी 3058 हुई है ।

2- कृषि कार्यक्रम:- अगले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचना होगा, इसके लिए दो फसली क्षेत्र को बढ़ाना होगा, इस जनपद में वर्ष 1983-84 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 48235 हैक्टयर था तथा दोफसली क्षेत्रफल 26446 है0 जिसको और भी बढ़ाया जा सकता है तथा 22466 हैक्टयर कृषि भूमि बंजर भूमि पर खेती करनी होगी, तभी कृषि क्षेत्र में प्रगति हो सकती है ।

3- सिंचाई- उपरोक्त कृषि कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अगले 10 वर्षों में अल्प सिंचाई कार्यों व सिंचाई कार्यों में वृद्धि करनी होगी । अत: इसके लिए हाईड्रम, गूल निर्माण एवं नहरों का निर्माण करना होगा । वर्ष 1983-84 का सिंचित क्षेत्रफल 3042 (6-3 प्रतिशत) हैक्टयर है । अगले 10 वर्षों में इस सिंचन क्षमता को बढ़ाकर 19000 है0 करनी होगी ।

4- पशुपालन:- जनपद में अच्छे नस्ल के पशु नहीं हैं । इन पशुओं की नस्ल बदलने की आवश्यकता है । विशेषतया दुधारू पशुओं हेतु विचार की आवश्यकता है ताकि दूध का उत्पादन आवश्यकतानुसार हो सके । इसके अतिरिक्त जनपद में पशुओं स्वास्थ्य हेतु पशु सेवा केन्द्र तथा पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता होगी । पशु सेवा केन्द्रों को उच्चीकृत कर डी क्लास के पशु चिकित्सालय स्थापित किया गया है ।

5- क्षेत्रीय विकास:- एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रति विकास खण्ड 600 ऐसे परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, का चयन किया जायेगा । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विशेष लाभ पहुँचाने की योजना है । तथा ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति को विशेष लाभ पहुँचाया जायेगा इस जनपद में विकास खण्ड जोशीमठ को जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड घोषित किया गया है तथा वहाँ एकीकृत जनजाति विकास परियोजना द्वारा

जनजाति को लाभान्वित किया जाता रहेगा ।

शिक्षा:- शिक्षा के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की यह एक वर्षीय योजना है । इस आयु वर्ग के शतप्रतिशत बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना है । अत: नये प्राइमरी विद्यालय खोल कर तथा भवन रहित विद्यालयों में भवन बनवा कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है । बेरोजगारी दूर करने हेतु बैंकों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को उनके स्वयं के व्यवसाय में लगाने की भी योजना है ।

7- उद्योग:- उद्योग की दृष्टि से यह जनपद पिछड़ा हुआ है । लघु उद्योग इकाइयाँ 1000 है तथा इनमें लगे व्यक्तियों की संख्या 3172 है । जनपद में पंजीकृत कारखाना नहीं है । अत: उद्योग विकास की योजना बनाने की आवश्यकता है ।

जनपद में पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की एक प्रमुख समस्या है यह सम्भव नहीं है कि सभी बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी दिलाई जा सके अत: शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वत: रोजगार पर लगाने की योजना है । ट्राईसम अथवा अन्य औद्योगिक कार्यों में इन युवकों को प्रशिक्षण देकर बैंक से ऋण दिलाया जायेगा ताकि वे अपना स्वयं रोजगार स्थापित कर सकें ।

उद्यान: - जनपद की जलवायु हर प्रकार से फल सब्जी के लिए उपयुक्त है । यहाँ पर 1500 मीटर से ऊँचाई वाले स्थानों में शीतोष्ण जिन में मुख्यत: सेव 900 मीटर तक की ऊँचाई पर मुख्यत: माल्टा, सन्तरा एवं 900 मीटर से नीची वाली घाटी में सदाबहार फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद आदि सुगमता से उत्पादित होते हैं । इनके विकास हेतु -- बागों का जीर्णोद्धार तथा नये बागों के विस्तार की योजना चलाई जा रही है ।

आलू का उत्पादन जनपद में सब्जियों में मुख्य है । इसका क्षेत्र वर्ष 1983-84 में 645 हेक्टयर था । आलू उत्पादन का विकास करने की आवश्यकता है । जनपद में एक आलू विकास अधिकारी की नियुक्ति की गयी है । अगले 10 वर्षों में इस कार्यालय के सुदृढ़ीकरण की योजना है ।

अध्याय-10

जिला योजना की पूर्वतायें

योजना संरचना में निम्न मूलभूत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नीति सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना है:-

§1§ विकास सामाजिक न्याय के साथ हो । इस सिद्धान्त को मानते हुए जो विकास कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे हैं उनमें रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर समाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध हो सकेंगे ।

§2§ जनपद के आर्थिक विकास हेतु स्थानीय, भौतिक तथा मानवीय साधनों का अधिकतम् एवं सर्वोत्तम उपयोग हो जिससे आय एवं रोजगार दोनों में अभिवृद्धि हो सके तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के जीवन स्तर में वृद्धि हो ।

§3§ भूमि, पशुधन, लघु एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादकता की वृद्धि । इस प्रकार के विकास से जो लाभ संभावित हो उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन कृषक तथा ग्रामीण उद्यमियों को मिले ।

§4§ राष्ट्रीय न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें 1- प्राथमिक एवं प्रौढ़शिक्षा, 2- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पेयजल 3- ग्रामीण सड़कें 4-ग्रामीण विद्युतीकरण 5- ग्रामीण निर्धनों हेतु आवास, 6-पौष्टिक आहार सम्मिलित है की पूर्ति ।

§5§ ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाना। जिनसे उपरोक्त तथ्यों की पूर्ति हो सके ।

§6§ अव्यवस्थित अवस्थापनाओं को इस प्रकार पुर्नगठित किया जाये जिससे गरीबों के हितों की रक्षा हो सके ।

§7§ रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाय जिन से भूमिहीनों छोटे कृषकों आदि को रोजगार के अधिकतम् अवसर उपलब्ध हो सके ।

§8§ रोजगार के अधिक अवसरों को उपलब्ध कराने हेतु उक्त दलित वर्ग, भूमिहीनों एवं ग्रामीण उद्यमियों को विभिन्न प्रशिक्षणों द्वारा विकसित किया जाना ।

योजनागत परिव्यय को जिला सेक्टर को उपयोग के लिए राज्य सेक्टर के समान निम्न पूर्वतायें निर्धारित है:-

§1§ खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि । लघु एवं सीमान्त कृषकों को उत्पादकता को बढ़ाने हेतु समान रूप से राज्य एवं केन्द्रीय सहायता ।

§2§ कृषि पर निर्भर लोगों के लिए पूरक व्यवसाय और उत्पादन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना जिनसे उनकी आय में वृद्धि की जा सके ।

§3§ ऐसे उपाय करना जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की आय में वृद्धि हो सके और वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके ।

§4§ लघु एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत कारीगरोंकी उत्पादकता और आय में वृद्धि करना ।

§5§ निर्धन एवं पिछड़े वर्ग की लोगों की आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधायें प्रदान करना जिससे उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके।

उपरोक्त पूर्वताओं को ध्यान में रखते हुए जिला सेक्टर परिव्यय में से निम्न प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए जिला योजना में उपयुक्त प्राविधान किया गया है -

§क§ चालू कार्यक्रमों /परियोजनाओं के लिए आगामी वर्ष का अनुमानित व्यय ।

§ख§ चालू कार्यक्रमों योजनाओं में अपरिहार्य विस्तार तथा उस पर होने वाला व्यय, ।

§ग§ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें अथवा ऐसी अन्य ऐसी योजनाओं के लिए निर्धारित अंश जो प्रशासकीय विभाग स्वीकृत करें ।

§घ§ नये कार्यक्रमों/योजनायें तथा उन पर अनुमानित व्यय ।

विभाग - - वार परिव्यय के जी०एन०-1 तथा विभाग के योजनावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के लिए क्रमश: संबंधित विभाग के

जी0एन0-2,जी0एन0-3 का अवलोकन किया जा सकता है ।

वर्ष 87-88 की जिला योजना संरचना हेतु प्राथमिकतायें एवं मार्ग निर्देशक विन्दु

कृषि विभाग

§1§ कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज गोदाम निर्माण, सिंचाई आदि का कार्य उन्नतिशील बीजों के सम्बर्द्धन एवं संग्रहण की योजना के अन्तर्गत होता है । इन कार्यों हेतु पृथक से नई योजनायें प्रस्तावित की जायें । निर्माण कार्यों के विस्तृत विवरण तथा आगणन अवश्य दिये जायें ।

§2§ नये प्रक्षेत्रों की स्थापना संबंधित प्रस्ताव करने से पूर्व निःशुल्क भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय ।

§3§ केन्द्र पोषित दलहन, जूट तथा कपास संबंधी योजनाओं के लिए जिले पहले से सुनिश्चित हैं । अन्य जनपदों में इन केन्द्रपोषित योजनाओं के प्रस्तव न किये जायें । यदि विभागीय मार्ग निर्देश हों तो पूर्णतया राज्य द्वारा चलाये जाने वाली योजना के रूप में इनका प्रस्ताव किया जा सकता है ।

§4§ पूर्व में चल रही तिलहन विकास से संबंधित योजनाओं को समाप्त कर पिछले वर्ष प्रदेश में शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना कार्यान्वित की गयी थी जो अब 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर चल रही है । अतः इस योजना में राज्य अंश के समतुल्य परिब्यय प्रस्तावित किया जाये ।

उद्यान विभाग

§1§ पौधशाला की स्थापना प्रस्तावित करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय ।

§3§ फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार तथा सुदृढीकरण नामक योजना में नयें केन्द्र तथा सम्भव प्रस्तावित - किये जायँ ।

भूमि सुधार :- भूमि सुधार सेक्टर के अन्तर्गत ग्राम सभा भूमि के आवंटियों को आर्थिक सहायता नामक योजना आई0आर0डी0 के द्वारा वित्त पोषित की जाती है अत: इस योजना में परिव्यय प्रस्तावित न किया जाय ।

§2§ सीलिंग भूमि के आवंटियों को आर्थिक सहायता नाम क योजना में आवेटियों को अभिज्ञान करते हुए अवशेष आवंटियों को निधारित मानक के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने हेतु परिव्यय प्रस्तावित किया जाय ।

निजी लघु सिंचाई

§1§ अन्य व्यय के मद के अन्तर्गत जिला स्तर पर कार्यरत स्टाफ हेतु व्यवस्था की जाती है । इस संबंध में विस्तृत विवरण विभाग से प्राप्त कर परिव्यय प्रस्तावित किया जाय । यथासंभव नवीन स्टाफ के प्रस्ताव न किये जायँ ।

§2§ लघु एवं सीमान्त कृषकों को /नि:शुल्क बोरिंग हेतु सहायता नामक योजना में अनुदान अन्तर के भुगतान हेतु ही प्राविधान करना है । अत: योजना का सही आकलन करने के बाद प्राविधान किया जाय ।

§3§ डाईकूल सुधार योजना हेतु केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त परिव्यय प्रस्तावित किया जाये ।

राजकीय लघु सिंचाई :- पक्कीय नहर

§1§ राजकीय पक्कीय नहर योजना के अन्त में विभाग के पास जा अवशेष कार्य थे उन्हें पूरा करने के लिए यथासम्भव शासन स्तर पर परिव्यय उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, फिर भी अपने जनपद में अवशेष कार्यों का अभिज्ञान कर उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि का का प्रविधान किया जाय ।

भूमि एवं जल संरक्षण कृषि:-

§1§ प्रत्येक स्थापित भूमि संरक्षण इकाई का अधिष्ठान व्यय औसतन प्रति वर्ष लगभग 7.00 लाख रू0 होता है । तद्नुसार ही प्राविधान कर ही विकास कार्य के लिए अतिरिक्त धन रखा जाय । स्थापित इकाई कीक्षमता का उपयोग करने के लिए विकास कार्य हेतु परिव्यय उपलब्ध करान अपरिहार्य है ।

§2§ गत वर्षों में क्षारीय एलकलाइन भूमि के सुधार की योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों में यह योजना चल रही है,आवश्यकता अनुसार परिव्यय उपलब्ध नहीं हुआ है अत: इस योजना हेतु पर्याप्त परिव्यय प्रस्तावित किये जाने पर विचार किया जाये ।

एकीकृत ग्राम्य विकास

§1§ इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 6.0 लाख रू0 प्रति ब्लाक की दर से राज्यांश के रूप में परिव्यय उपलब्ध कराया जाता था । इस संबंध में विस्तृत निर्देश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे उन्हीं के अनुरूप अपरिहार्य परिव्यय रखा जाये ।

सूखोन्मुख कार्यक्रम

§1§ सूखोन्मुख कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति ब्लाक 7.50 लाख रू0 की दर से राज्यांश के रूप में परिव्यय प्रस्तावित किया जाय ।

लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता बढाने हेतु सहायता-

§1§ इस योजना के अन्तर्गत प्रति ब्लाक 2.50 लाख रू0 की दर से राज्यांश परिव्यय प्रस्तावित किये जायें ।

पशुपालन विभाग

§1§ जनपद में स्थानीय निकायों द्वारा चालित पशु चिकित्सालय प्रान्तीकरण हेतु उपलब्ध है । अत: जिन पशु चिकित्सालयों का प्रान्तीकरण अवशेष है उन्हें बेहतर स्थिति में लाने हेत प्रान्तीकरण करने के लिए परिव्यय प्रस्तावित किया जाये ।

§2§ विभिन्न जनपदों में बहुत से पशु चिकित्सालय अथवा पशु सेवा केन्द्र के भवनों का निर्माण अवशेष है । अत: भवनों के निर्माण के संबंध में निर्धारित मानक के अनुसार परिव्यय प्रस्तावित किया जाये ।

§3§ अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का सुदृढीकरण एवं विस्तार नामक योजना में अतिरिक्त केन्द्रों तथा अतिरिक्त स्टाफ के प्रस्ताव न किये जायें । वर्तमान में जिन जनपदों में केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं उन्हीं को अधिष्ठापित क्षमता तक उपयोग किया जाय ।

वन विभाग-

§1§ सामाजिक वानिकी योजना जो विश्वबैंक की सहायता से कार्यान्वित हो रही है, हेतु विभाग के मार्ग निर्देशानुसार परिव्यय उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाये ।

§2§ ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण नामक योजना कुछ ही जनपदों तक सीमित है । अत: जिन जनपदों में यह योजना चल रही है, उनमें 7·50 लाख रू0 की दर से राज्यांश के रूप में परिव्यय उपलब्ध कराया जाय ।

पंचायत/राज विभाग-

§1§ पंचायतराज संस्थाओं की आय में वृद्धि हेतु सहायतानामक योजना में 6·0 हजार रू0 प्रति जिला प्रविधान किया जाय ।

§2§ पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता नामक योजना में उन्हीं पंचायत उद्योगों को सहायता उपलब्ध होती है जो 50 हजार से एक लाख रू0 के मध्य वार्षिक उत्पादन करते हैं ।

§3§ पंचायत भवनों का निर्माण नामक योजना में ग्राम स्तरीय पंचायत भवनों के लिए अधिकतम् 25·0 हजार तथा जिला स्तरीय पंचायत भवनों के लिए अधिकतम 1·0 लाख रू0 शासन से सहायता प्राप्त होती है परन्तु क्रमश: इन पंचायत भवनों की लागत 50·0 हजार तथा 3·0 लाख रू0 से अधिक नहीं होगी । अवशेष धनराशि ग्राम सभाओं से अंशदान के रूप में प्राप्त कर उपयोग की जायेगी ।

सहकारिता-

§1§ सहकारिता विभाग को परियोजनावार जैसा कि बर्गीकरण में दिया गया है परिव्यय आवंटित किया जायेगा ।

विद्युत विभाग-

§1§ विद्युत विभाग का राज्य सामान्य योजना कतिपय जनपदों में समाप्त हो गयो है और ऐसे जनपदों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अथवा आर0.ई0सी0 योजना के अन्तर्गत जो राज्य सैक्टर में बर्गीकृत है सभी ब्लाकों को ले लिया गया है । अत: इस संबंध में विद्युत परिषद द्वारा सूचित जनपदवार परिव्यय के अनुरूप जिला योजनाओं में व्यवस्था को जाये ।

उद्योग विभाग-

§1§ औद्योगिक आस्थान नामक योजना में केवल स्वतंत्र फोडर लाइन मरम्मत तथा बिजलो पानी को व्यवस्था का कार्य जिला सैक्टर में है । अत: इस कार्य हेतु हो परिव्यय प्रस्तावित किया जाना चाहिए । इस योजना के अन्तर्गत मिनो औद्योगिक आस्थान अथवा नयाँ औद्योगिक आस्थान स्थापित करने का कार्य राज्य सैक्टर के परिव्यय से होगा ।

§2§ जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मार्जिनमनो ऋण संबंधी योजना एक लाख रू0 प्रति जनपद को दर से राज्यांश के रूप में परिव्यय प्रस्तावित किया जाये । मार्जिनमनी से संबंधित दूसरी योजना एकोकृत मार्जिनमनी ऋण योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार परिव्यय प्रस्तावित किया जा सकता है ।

सड़क एवं पुल-

§1§ विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनपदों में बहुत बड़ी संख्या में कच्ची सड़कों का निर्माण हो गया है । अतएव सार्वजनिक निर्माण विभाग हो जिला योजना को धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से कच्चे बनी सड़कों को पक्का करने के लिए या छूटी हुई कड़ियों या पुलों के निर्माण के लिये किया जायेगा ।

§2§ एन0आर0ई0पी0 और आर0एल0ई0जी0पी0 में उपलब्ध धनराशि का उपयोग कच्ची सड़कों के निर्माण एवं खड़ंजा स्तर तक के निर्माण के लिए किया

जा रहा है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिन परिसम्पत्तियों का निर्माण हो रहा है उनको स्थाई स्वरूप देने अथवा रखारखाव करने के लिए जिला योजना से उपलब्ध धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम अतिआवश्यक है ।

(3) **ऐसी सड़के जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को है जैसे 1500 सौ से अधिक आबादी वाले ग्रामों को या 1000 और 1500 सौ के बीच की** आबादी वाले गाँवों को सड़क से जोड़ने के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । एन0आर0ई0पी0तथा आर0एल0ई0जी0पी0कार्यक्रम से भी एम0एन0पी0कार्यक्रम के मदों को सड़कों को लिया जाय ।

(4) नई सड़कों की स्वकृति अवशेष कार्य का ज्ञान करके ही की जाय । इसके लिए यह फारमूला रखा जाये कि आवंटित धनराशि के दुगने से अवशेष कार्य की धनराशि निकाल कर शेष धनराशि तक की अनुमानित लागत के कार्य स्वीकृत किये जा सकते है उदाहरणार्थ यदि किसी जनपदों में चालू कार्य को पूर्ण करने के लिए अवशेष धनराशि 1करोड़ रू0 है और वर्ष 87-88 में जनपद द्वारा सड़क एवं पुल के मद में 70 लाख रू0 का आवंटन किया जाता है तो इस वर्ष 40 लाख रू0 के अतिरिक्त कार्य स्वीकृत किये जा सकते हैं । यदि किसी जनपद में 1 करोड़ रू0 की धनराशि के अधूरे कार्य हैं और उपलब्ध कराने वाला ब्यय 40 लाख रूपया है तो नई सड़को की स्वीकृति न दी जाये । इस श्रेणी के जनपदों में नयें कार्य की स्वीकृति उपलब्ध परिब्यय के 10 प्रतिशत तक किये जा सकते हैं परन्तु इस आधार पर उसी दशा में नई सड़कें ली जायेगी जब कि चालू वित्तीय वर्ष में एन0आर0ई0पी0 तथा आर0एल0ई0जी0पी0 कार्यक्रम से नईसड़कें न ली जा रही हो यदि और उपलब्ध कराये जाने वाले परिब्यय से तीन गुना से अधिक अवशेष कार्य जनपद में नहीं, यदि वह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न उद्येश्यों के लिए प्रस्तावित है:-

(अ) ऐसे विकास खण्ड मुख्यालय,थाने,हाईस्कूल,इण्टरमीडिएट कालेज प्रसिद्ध मेले,मण्डियाँ या कस्बे जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं,को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रस्ताव किये गये हैं या और कोई ऐतिहासिक ,धार्मिक अथवा पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हों ।

§5§ जिला सेक्टर में वर्गीकृत योजनावार परिव्यय प्रस्तावित किया जाये ।

§6§ पूर्व निर्मित मार्गों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए अवशेष पुलों तथा सड़कों की छूटी कड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर परिव्यय उपलब्ध कराया जाय ।

§7§ सामान्यत: जिला योजनाओं में सड़कों एवं पुलों के विवरण उपलब्ध नहीं कराये जाते । अत: वर्ष 1987-88 की जिला योजना संरचना करते समय जी0एन0-2 में ही सड़क एवं पुलों के विवरण, नाम व लागत सहित उपलब्ध कराते हुए उनके सम्मुख परिव्यय प्रस्तावित किया जाना अनिवार्य होगा।

पर्यटन विभाग-
----

§1§ पर्यटन विभाग के अन्तर्गत केवल स्थानीय महत्व की स्कीमें उनके पहुँच मार्ग, रोशनी, रूकने के प्रबंध के लिए शेड, जल व्यवस्था आदि की स्कीमें प्रस्तावित की जा सकती है जिनकी फिजिबिलटी नहीं देखी जाती ।

शिक्षा विभाग- प्रदेश में बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाईस्कूल

भवन रहित हैं । साथ ही विभिन्न कारणों से पहले के बने हुए भवन भी कुछ अंश तक प्रत्येक वर्ष क्षतिग्रस्त हो कर उपयोग करने योग्य नहीं रह जाते हैं ।

सप्तम पंचवर्षीय योजना के अवशेष वर्षों में यह प्रयास होता है कि प्रदेश में कोई भी जूनियर हाई स्कूल भवन रहित न रह जाय । साथ ही यह भी प्रयास करना है कि जहाँ तक सम्भव हो कोई प्राइमरी स्कूल भी भवन रहित न रहे । आवश्यकता अनुसार पुर्न निर्माण भी करायें जायें ।

2- कोई भी नये प्राइमरी स्कूल एवं लड़कों के जूनियर हाई स्कूल न खोले जायें जहाँ पर छात्रों की संख्या अधिक हो, ऐसे विद्यालयों का अभिज्ञान करेंगे आवश्यकतानुसार अति0 व कक्षा भवन/अध्यापक पठन पाठन सामग्री आदि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाये ।

3- लड़कियों के लिए नये जूनियर हाई स्कूल अधिक से अधिक खोलने का प्रयास किया जाये ।

4- लड़कों के नये राजकीय हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज न प्रस्तावित किये जायें ।

5- जो वर्तमान राजकोय हाई स्कूलया इण्टरमोडिएट कालेज हैं या गैर सरकारी हाई स्कूल या इण्टर मीडिएट कालेज हैं उनमें आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं के लिए प्राविधान किया जा सकता है ।

6- शासन की नीति है कि लड़कियों के हाईस्कूल एवं इण्टरमोडिएट कालेजों को अधिक से अधिक स्थापना की जाय । यह प्रयास हो कि ऐसे समस्त तहसील, मुख्यालयों, नोटीफाइड/एरिया तथा नगरपालिका जहाँ पर पहले से सरकारी या गैर सरकारी हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज न हों या पूर्णतया अप्राप्त हों, वहाँ पर नये सरकारी लड़कियों के लिए हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों आदि के लिए प्राथमिकता पर प्राविधान किया जाय ।

7- यदि 300 से अधिक जनसंख्या और 1.5 कि०मी० की दूरी पर जिन ग्रामों में नये स्कूल खोले जाते हैं तो प्रत्येक स्कूल में अधिक से अधिक 30-35 छात्र ही प्रवेश लेंगे । इसके स्थान पर यदि नयें स्कूलों पर खोलने हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि वर्तमान में चल रहे स्कूलों को सुसज्जित करने व उनके भवन निर्माण करने पर व्यय किया जाता है और यह प्रयास किया जाये कि प्रत्येक स्कूल में 10 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश दिया जाये तो लगभग 7 लाख नयें बालक प्रवेश पा सकते हैं । शिक्षा के सारभौमीकरण की दिशा में इस प्रकार नयें स्कूल खोलने को कोई विशेष महत्व नहीं है और इसमें कमी की जा सकती है । नयें स्कूल केवल अपरिहार्य स्थिति में बहुत ही पिछड़े दूरस्थ इलाकों में जहाँ आवागमन की सुविधा न हो नयें स्कूल प्रस्तावित किये जाने चाहिए ।

8- छटी योजना के अन्त में अनुदान सूची/में लिये गये विद्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 1986-87 में 50 नयें जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लियें जाने पर विचार किया जा रहा है । इन स्कूलों की जनपदवार सूची शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी । वर्ष 87-88 में केवल अनुदान सूची में लिये गये विद्यालयों के वचनबद्ध व्यय हेतु ही प्राविधान किया जाना है । उनके अतिरिक्त अन्य नयें विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने के प्रस्ताव न किये जायें ।

9- ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने से संबंधित अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में प्राइमरी स्तर के 550 तथा माध्यमिक स्तर के 75 केन्द्र कार्यरत हैं । केवल लखनऊ, अलीगढ, तथा देवरिया जनपदों में कुछ अतिरिक्त केन्द्र कार्यरत हैं ।

अध्याय -11

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ।

पांचवी पंच वर्षीय योजना में केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा यह महसूस किया गया कि गत योजनाओं में सामाजिक आवश्यकता को एक न्यूनतम सीमा तक विभिन्न क्षेत्रों एंव विभिन्न समुदायों को उपलब्ध कराने की दिशा में पर्याप्त उपलब्धि नहीं हो पायी थी। इस कमी के निराकरण के उद्देश्य से केन्द्रीय योजना आयोग ने विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं का अध्ययन किया तथा निर्णय लिया कि जनता का जीवन स्तर को उठाने के लिए व्यक्तिगत एंव सामूहिक खपत, जैसे शिक्षा, जनस्वास्थ्य पेयजल एंव आवास के लिए एक न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किया जाय। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में इनका समावेश किया जाय। इस राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष प्रयत्न किया गया है।

इस जनपद में वर्ष 1987-88 की योजना ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रू. 64472.95 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसकी विभागवार फांट निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	सेक्टर /विभाग	87-88 के लिए प्रस्तावित परिव्यय (हजार रू.)	प्रतिशत
1.	विद्युत	16265.35	25.23
2.	सामान्य शिक्षा	7374.00	11.47
3.	चिकित्सा एंव स्वास्थ्य	4860.00	7.54
4.	जल निगम	33714.00	52.32
5.	हरिजन पेयजल योजना	640.00	0.99
6.	ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना	399.60	0.62
7.	हरिजन कल्याण में आवास	270.00	0.42
8.	पुष्टाहार समाज कल्याण	800.00	1.24
9.	व्यहारिक पुष्टाहार		
	योग	64322.95	100.00

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के लिए निम्नांकित [illegible] लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. विद्युत :-

1.	ग्रामीण विधुतीकरण	100 ग्राम
2.	हरिजन बस्तियों का विधुतीकरण	80 बस्तियॉ

2. सामान्य शिक्षा :-

1.	भवन रहित जू. बे. स्कूलो में भवन हेतु अनुदान	8 भवन
2.	योग्यता छात्रवृत्रि हेतु अनुदान	96 छात्र
3.	बुक बैंक स्थापना हेतु अनुदान	12 स्कूल
4.	शिक्षोपसामग्री हेतु अनुदान	103 स्कूल
5.	साज्ज सज्जा / काष्ठोपकरण हेतु अनुदान	30 स्कूल
6.	दक्षता पुरूस्कार	6 अध्यापक

7. नगर क्षेत्र में जू. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान — 2 स्कूल
8. ग्रामीण/ नगर क्षेत्र में सी. बे. स्कूल भवन निर्माण अनु. — 4 भवन
9. ग्रामीण क्षेत्र में नवीन सी. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान — 2 स्कूल
10. पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु अनुदान — 1500 छात्र
11. सी. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान — 2 स्कूल
12. 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अंशकालीन कक्षा खोलने हेतु अनुदान — 490 कक्षा
13. शाखा आधारिक विद्यालयों को पूर्ण विद्यालय का दर्जा देने हेतु अनुदान — 65 विद्यालय
14. ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित जू. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान — 12 स्कूल
15. निर्बल वर्ग के बच्चों को पोषाक देने की व्यवस्था — 500 छात्र
16. सहायता प्राप्त सी. बे. स्कूलों को भवन अनुदान — 1 स्कूल
17. जू. बे. स्कूल में प्रधानाध्यापकों तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान — 449 स्कूल

3. चिकित्सा एंव स्वास्थ्य :-

1. नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना — 1
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण — 1
3. उप केन्द्रों का भवन निर्माण — 15

4. जल निगम :- (ग्रामीण पेयजल योजना)

1. कुल ग्राम — 100
2. हरिजन बस्तियां — 55

5. हरिजन पेयजल योजना :-(ग्राम्य विकास)

1. ग्राम संख्या — 32

6. निर्बल वर्ग आवास :-

1. कुल आवास — 111
   क- अनुसूचित जाति/ जनजाति — 105 आवास
   ख- अन्य निर्बल वर्ग आवास — 6 ,,

7. समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह निर्माण तथा सुधार हेतु अनुदान :- 90 आवास

8. पुष्टाहार (समाज कल्याण) :-

जनपद में अब तक एक विकास खण्ड जोशीमठ में सम्वन्वित बाल विकास योजना चलाई जा रही थी । वर्ष 87-88 में इस योजना को 2 अन्य विकास खण्डों- घाट तथा थैरसैण में भी चलाया जायेगा ।

अध्याय -12

पिछड़े समुदाय के लिये कार्यक्रम

जनपद चमोली में 1981 की जनगणना के अनुसार 62886 अनुसूचित जाति तथा 9164 अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या है। यह कुल जनसंख्या का क्रमश: 17-3 प्रतिशत और 2-5 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त पिछड़ी जातियों के व्यक्ति जिनमें भूमिहीन, लघु एवं सीमान्त कृषक, निराश्रित विधवा महिला, सीमान्त कर्मकर आदि सम्मिलित है। वर्ष 1987-88 की जिला योजना में जो योजनायें विशेष रूप से पिछड़े समुदायों के लिये प्रस्तावित है उनका विभागवार विवरण निम्न प्रकार है:-

विभाग का नाम / योजना	परिव्यय {रुपये हजार में}
1-कृषि :-	
1-पर्वतीय क्षेत्रों में जन जाति विकास खण्डों में	
1-उर्वरकों के कम्पोजिट प्रदर्शन	65=00
2-अधिक उपज देय प्रजातियों के बीजों पर रक्म सहायता	65=00
2-पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन पररलाज सहायता	605=00
3-पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि रक्षा सुदृढीकरण कुरमुला कीट नियन्त्रण एवं उन्मूलन योजना	475=00
4-गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एव वितरण की योजना	750=00
2-उदयान	
1-अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को लोकप्रिय बनाने की योजना	60=00
3-ग्राम्य विकास विभाग	
1-लघु सीमान्त कृषकों को सहायता	2750=00
2-उक्त योजना में आई0आर0 डी0 पैटर्न पर अतिरिक्त अनुदान	340=00
3-हरिजन पेय जल योजना	640=00
4-एकीकृत ग्राम्य विकास	3420=45
5-अतिरिक्त आई0 आर0 डी0	2676=30
6-रोजगार सृजन हेतु:-	
1-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3032=70

2- 2-ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना	129=40
7-आवास स्थल विकास तथा निर्बल वर्ग आवास निर्माण।	399=60
8-विकास की गति में तेजी	1100=00

4-उद्योग

1 अनुसूचित जाति/जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिकरण एवं उनके विस्तार की योजना।	80=00

5-जल निगम

ग्रामीण पेय जल योजना	33714=00

6-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रशिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्र की स्थापना	110=00

7-हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय

क- अनुसूचित जाति के लिये	
1-शैक्षिक कार्यक्रम	711-00
2-आर्थिक उत्थान कार्यक्रम	240=00
3-स्वास्थ्य एवं आवास सम्बन्धी योजनायें।	270=00
ख- अन्य पिछड़ी जाति के लिये	
शैक्षिक कार्यक्रम	90=00
ग- अनुसूचित जन जाति के लिये	
1-शैक्षिक कार्यक्रम	230=00
2- आर्थिक उत्थान कार्यक्रम	352=00
3-गृह निर्माण/सुधार योजनायें	60=00
घ- निर्धन एवं निराश्रित महिलाओं का पुर्नवासन।	20=00
ङ- निराश्रित विधवाओं को सहायता	789=00
च- विकलांग व्यक्तियों हेतु योजनाये	298=60
छ- समन्वित बाल विकास योजना	800=00

8- शिक्षा

1-ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र सं0 में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण एवं प्रोत्साहन अनुदान	5=00
2-वय वर्ग 6-11 के निर्बल वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में लाने हेतु छात्रवृति	5=00
3- निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देना	50=00

उपरोक्त विशेष योजनाओं के अलावा अधिकांश विभागों ने अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति को लाभान्वित करने के लिये धनराशि मात्राकृत की है। मात्राकरण का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

जनपद चमोली की जिला सेक्टर योजनायें 1987-88 हेतु मात्राकृत धनराशि का विवरण। (हजार रुपये में)

क्रमसं० विभाग का नाम	मात्राकृत धनराशि अनु जाति	अनु० जनजाति
1 2	3	4
1-कृषि	180=70	151=40
2-उद्यान	220=70	141=00
3-लघु एवं सीमान्त कृषकों की सहायता	927=00	61=80
4-भूमि संरक्षण	240=00	150=00
5-पशुपालन	362=00	40=00
6-ग्राम्य विकास(आई आर डी)	1026=13	68=40
7-अतिरिक्त आई०आर०डी०	802=89	53=52
8-एन०आर०ई०पी०	758=20	60=65
9-आर० एल० ई०जी०पी०	25=88	- -
10-पंचायत राज	20=00	10=00
11-युवा कल्याण	18=00	2=00
12-जिला परिषद	75=00	15=00
13-विकास खण्ड अनुदान	440=00	110=00
14-सहकारिता	51=00	44=00
15-निजी लघु सिंचाई	464=00	24=00
16-राजकीय सिंचाई	1800=00	1500=00
17-विद्युत	3000=00	1600=00
18-उद्योग	334=00	346=00
19-प्राथमिक शिक्षा	1558=00	899=00

20- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	110=00	140=00
21 - जल निगम	5000=00	500=00
22- हरिजन पेय जल योजना	640=00	-
23- सामुदायिक विकास		
आवास स्थल	48=00	12=60
आवास	267=00	48=00
24- सेवायोजन	82=25	60=50
25- हरिजन समाज कल्याण	1221=00	642=00
योग	19671=75	6679=37
कुल योजना से प्रतिशत	14-41	4-89

अध्याय-13

जिले के विकास कार्यक्रम

कृषि विभाग- जनपद चमोली का भौगोलिक क्षेत्रफल 9125 वर्ग कि0मी0 है तथा जनपद की जनसंख्या 364346 §1981 की जनगणना§ है । शुद्ध व बोया गया क्षेत्र 48235 है0 है तथा सकल बोया गया क्षेत्रफल 74681 है0 है, जिसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 3042 है0 है जो शुद्ध बोयेगये क्षेत्र का6-3 प्रतिशत है तथा शेष 93-7 प्रतिशत असिंचित क्षेत्र है जिसकी उत्पादकता काफी कम है । जनपद के कृषक गरीब हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, खेत सीढीनुमा तथा ढालदार हैं । जनपद में कृषि कार्यक्रम को लाभप्रद बनाने तथा फसलों की उत्पादकता बढाने के लिए मंडुवा एवं झंगोरा के क्षेत्र को कम कर सोयाबीन के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा रहा है । वर्ष 1986-87 के अंत तक जनपद में सोयाबीन 9321 है0 शुद्ध तथा 496 है0 मिश्रित क्षेत्र में लाया गया है। रबी में लाई/सरसों की शुद्ध फसल का क्षेत्रफल तथा औसत उपज बढाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । वर्ष 83-84 में जनपद में 77-145 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन, 8-050 हजार मैट्रिक टन तिलहन उत्पादन तथा 11-968 हजार मैट्रिक टन आलू उत्पादन हुआ । जनपद की सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने तथा अलाभकारी फसलों के स्थान पर लाभकारी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि के प्रस्ताव हैं । वर्ष 87-88 के लिए निम्न योजनायें प्रस्तावित हैं :-

1- जनजाति विकास खण्डों में उर्वरकों के कम्पोजिट प्रदर्शन:-

इस योजना अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 60000/- का प्राविधान है। ~~उर्वरकके~~ उर्वरकों की लोकप्रियता बढाने के लिए वर्ष 1987-88 में 800 उर्वरक प्रदर्शन प्रस्तावित हैं, जिसके लिए 65,000/- की व्यवस्था प्रस्तावित की जाती है जिसमें 800 कृषक लाभान्वित किये जाने का प्राविधान किया गया है ।

2- जनजाति विकास खण्डों में बीज विनिमय की योजना:-

इस जनपद में केवल एक विकास खण्ड, जोशीमठ, इस योजना के अन्तर्गत आता है । योजना के अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत प्रजाति के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं जिसके लिए वर्ष 1986-87 में 60,000/- स्वीकृत परिव्यय के रूप में हो चुका है । वर्ष 1987-88 में यह परिव्यय 65000/- प्रस्तावित किया गया है जिसमें 275 कुन्तल गुणात्मक बीज 1500 कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

3-पर्वतीय क्षेत्र में सघन दलहन योजना:-

जनपद में दलहनी फसलों का औसत उत्पादन लगभग 10 कुन्तल प्रति है0 है तथा शुद्ध फसल के रूप में क्षेत्र कम है । इसके क्षेत्र को बढाने के लिए फास्फेटिक उर्वरकों के उपयोग पर बल दिया जाना आवश्यक है । इस योजना के अन्तर्गत 33 प्रतिशत प्रति है0 अनुदान फास्फेटिक उर्वरकों पर दिया जा रहा है । वर्ष 1986-87 में 30 हजार परिव्यय स्वीकृत है । वर्ष 87-88 में यह परिव्यय 35 हजार का प्रस्तावित है । 400 है0 क्षेत्र में उक्त धन राशि व्यय की जायेगी, जिसमें 720 अनुसूचित जाति 80 अनुसूचित जनजाति के कृषक भी सम्मिलित होंगे ।

4- पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि रक्षा सुदृढीकरण एवं कुरमुला कीट उन्नमूलन की योजना :-

कृषि रक्षा कार्यक्रमों में द्रुतगति लाने के लिए शासन ने इस जनपद में कृषि रक्षा कार्यक्रमों के सुदृढीकरण एवं कुरमुला कीट उन्नमूलन की योजना वर्ष 1977-78 से आरम्भ की । योजना के अन्तर्गत कृषि रक्षा रसायनों के विक्रय मूल्य पर सामान्य कीटों के निवारण हेतु 50 % तथा कुरमुला कीट नियंत्रण पर 75 % राज सहायता कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 86-87 में इस योजनान्तर्गत अनुदान/स्थापना मद हेतु 4,30,000/-परिव्यय स्वीकृत है, तथा 85 है0 क्षेत्र उपचारित किया जायेगा । वर्ष 1987-88 हेतु 4,75,000/- का परिव्यय प्रस्तावित है । वर्ष में 90,000 है0 क्षेत्र उपचारित किया जायेगा ।

5-गुणात्मक बीजों के उत्पादन संग्रहण एवं वितरण की योजना:-

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणात्मक बीज अत्यन्त महत्वपूर्ण कृषि निवेश हैं। स्थानीय जलवायु एवं परिस्थितियों में गुणात्मक बीज तैयार कर के कृषकों को वितरीत करने हेतु 4.0 है. क्षेत्रफल का पंचाखिला प्रक्षेत्र स्थापित है। इस प्रक्षेत्र में वर्ष 87-88 में लगभग 250 कुन्टल गुणात्मक बीज तैयार किया जायेगा तथा रू. 150000 ग गोचर कफर गोदाम में कृषि निवेश तथा स्टाफ के वेतन आदि पर प्रस्तावित है।

जनपद में कृषकों को गुणात्मक बीज तथा रासायनिक उर्वरक , कृषि यंत्र आदि, कृषि निवेश वितरण का कार्य मुख्य रूप से कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्य के सुगम सम्पादन के लिए वर्ष 86-87 में विकास खण्ड जोशीमठ, गैरसैण तथा दशोली में गोदामो के निर्माण हेतु रू. 620000/- स्वीकृत किया गया। वर्ष 87-88 में विकास खण्ड ऊखीम०, थराली तथा घाट में क्रमशः 50 मै.टन क्षमता के ~~हिसाब~~ गोदाम निर्माण के लिए रू. 1.5 लाख प्रति गोदाम के हिसाब से रू. 4.50 लाख प्रस्तावित किया जाता है तथा रू. 1.5 लाख फार्म व्यय हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस प्रकार गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण की योजना पर वर्ष 87-88 में कुल रू. 7.50 लाख प्रस्तावित है जिसमें से 6.00 लाख पूंजीगत व्यय होगा ।

6- उर्वरक परिवहन पर राज सहायता :-

पर्वतीय क्षेत्र होने के फलस्वरूप परिवहन एवं यातायात में काफी कठिनाइयां हैं। विभाग द्वारा अधिकांश उर्वरक 50 किलो की पैकिंग में उपलब्ध कराई जाती है। जनपद की दुर्गम परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए केन्द्रीय बीज भण्डार गोचर पर 10 किलो की थैलियों को तैयार कर विभिन्न विकास खण्ड मुख्यालयों तक पहुचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। वर्ष 87-88 के लिए 15000, 10किलो की थैलियां बनाने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को उर्वरक उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए रेल हेड से बिक्री केन्द्र तक ढुलान अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1987-88 में 650 मै. टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

योजना अन्तर्गत वर्ष 87-88 में रू. 2,00,000 का व्यय प्रस्तावित किया जाता है। जिसमें 2700 अनुसूचित जाति एवं 300 अनुसूचित जन जाति के कृषक लाभान्वित होगें योजना के अन्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता मद में वर्ष 86-87 में 635 मै.टन उर्वरक वितरण प्रस्तावित थे वर्ष 87-88 में 650 मै.टन उर्वरक

वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया जाता है।

योजना अन्तर्गत 1986-87 में 180000 परिव्यय स्वीकृत है तथा वर्ष 87-88 में 200000 प्रस्तावित किया जाता है।

7- सघन कृषि एंव बहुफसलीय योजना :-

जनपद में मुख्य फसलें तथा वाणिज्य फसल सोयाबीन ,रामदाना की उत्पादकता बढ़ाने की काफी सम्भावनाये है। लेकिन जनपद में गरीब एंव सीमान्त कृषकों की संख्या ही अधिक है। जिसका कारण कृषक महगें कृषि निवेश खरीदने में असमर्थ रहते है। विकास खण्ड पर नियुक्त एक मात्र एक स०वि०अ०(कृषि) दूरस्थ क्षेत्रो के कृषकों को आधुनिक नवीतम जानकारी नहीं दे पाता हैं। जिसके लिए प्रत्येक विकास खण्ड में 5 सहायक कृषि निरीक्षक के पदों की स्वीकृति हो जाने पर इनके माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के कृषको के नवीनतम वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जायेगी तथा कृषक फसल चक्र योजना बना कर कार्यान्वित की जायेगी। प्रत्येक कृषक की खेतो पर 0.1 है. का प्रदर्शन आयोजित कर जिसमें रू. 100/- के कृषि निवेश उपलब्ध करा कर वैज्ञानिक विधि द्वारा अधिक उत्पादन हेतु प्रदर्शन आयोजित किये जायेगें ।

वर्ष 86-87 में 550000 परिव्यय स्वीकृत है अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था न होने पर केवल 2000 प्रदर्शन धान ,गेहूँ के कृषि कार्यकर्ताओं के द्वारा कराये जा रहें है। वर्ष 87-88 में वांच्छित स्टाफ (55 सहायक कृषि निरीक्षक) की नियुक्ति हो जाती है तो योजना पर 605000 रू. व्यय प्रस्तावित किया जाता है।

8- तिलहन विकास परियोजना(नई योजना):-

वर्ष 86-87 तक योजना केन्द्र पोषित रही है अब इस योजना का 50 प्रतिशत राज्य अंश को जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, योजना अन्तर्गत मुख्य रूप से तिलहनी फसलो का उत्पादन जिसमें क्षेत्राच्छादन मिनिकिट वितरण, वृहत प्रदर्शन तथा सोयाबीन कलचर पैकेट वितरण की व्यवस्था अनुदानित रूप से है। वर्ष 87-88 में राज्य अंश जो 205000 रू. है को जिला सेक्टर में सम्मिलित किया जाता है जिसके अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम सम्पादन किये जायेगें। वर्ष 87-88 में 200 तिलहन प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया है।

2- उद्यान एवं फलोपयोग विभाग :-

जनपद चमोली की जलवायु हर प्रकार से फल, सब्जी के लिए उपयुक्त है। यहां पर 1500 मी. की ऊंचाई वाले स्थानों में शीतोष्ण जलवायु है जिसमें, मुख्यतया सेब, 900 से 1500 मी. तक की ऊंचाई वाले स्थनों में मुख्यतया माल्टा, सन्तरा तथा 900 मी. से नीचे वाली घाटियों में सदाबहार फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद, केला आदि आसानी से पैदा किये जा रहे है।

कृषकों के पास छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत है जिसमें कृषि फसलों के उत्पादन की अपेक्षा सब्जी की फसलों से अधिक आय प्राप्त हो सकती है वर्तमान में, सब्जियों में अधिकतर आलू उगाया जा रहा है। फल तथा सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु उद्यान विभाग द्वारा जो योजनाये चलाई जा रही है उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

I- औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित देने हेतु विभिन्न इनपुट्स तथा फल पौध सब्जी बीज के परिवहन कीट एवं व्याधियों (कुरमुला सहित) की रोकथाम अ औद्यानिक ऋण एवं संयत्रों के वितरण पर राज सहायता:-

(1) फल पौध., सब्जी, बीज के परिवहन पर राज सहायता:- इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त के परिवहन पर मीटर हेड से रेल हेतु तक शत प्रतिशत राज सहायता दी जा रही है वर्ष 1986-87 में इस योजना के अन्तर्गत एक ट्रक की खरीद एव एक चालक व परिचालक की नियुक्ति प्रस्तावित है अत: इस हेतु वर्ष 1987-88 में अन्य इस=हेतुसामान्य व्यय के अतिरिक्त चालक एवं परिचालक के आवास के स्थल विकास एवं निमार्ण हेतु परिव्यय प्रस्तावित है। वर्ष 1987-88 हेतु रू03.12 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ) फल पौध सब्जी बीज एवं अन्य औद्यानिक सामग्री के परिवहन पर राज सहायता :-	50,000.00
(ब) चालक (330-495) तथा क्लीनर (305-390) के वेतन तथा भत्तों पर व्यय एवं ट्रक के अनुरक्षण एवं डीजल पर व्यय	1,12,000.00
(स) ट्रक चालक एवं क्लीनर हेतु आवास एवं स्थल विकास	1,50,000.00

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 2 लाख फल पौध वितरण, 1.25 लाख शोभाकार पौध वितरण, 7000 कि0ग्रा0 सब्जी बीज वितरण तथा 40.00 लाख सब्जी पौध वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार 225 है0 अति अतिरिक्त क्षेत्र उत्पादन के अन्तर्गत लाया जायेगा।

§2§ औद्योगिक फसलों के कीट एवं व्याधि की रोकथाम पौध रक्षा कार्यों पर राज सहायता :-

पौध सुरक्षा कार्य के लिये रसायन दल एवं कुरमुला कीट निवारण हेतु 50 प्रतिशत राज सहायता कृषकों को दी जा रही है वर्ष 1987-88 में 2000 है० क्षेत्र में सामान्य पौध रक्षा का कार्य 1500 है० पर कुरमुला कीट रोकथाम तथा 525है० पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धारा किया जाना लक्षित है। इन कार्यों हेतु रू० 50,000/= राज सहायता के रूप में व्यय प्रस्तावित है।

§3§ वितरित किये गये दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण के मूलधन पर राज सहायता:-

वर्ष 1987-88 में रू० 4,23,600/= के मूलधन पर 1/4§ 25 प्रतिशत§ की दर से राज सहायता देनी होगी । जिसके लिये रू०1,00,000/= की राज सहायता की आवश्यकता होगी ।

§4§ औद्यानिक औजार एवं संयन्त्रों के वितरण पर राज सहायता:-

उद्यानपतियों को प्रोत्साहन देने हेतु गत वर्षों की भाँति वर्ष 1987-88 में भी 50 प्रतिशत राज सहायता पर औद्यानिक संयन्त्रों एवं औजारों के वितरण हेतु रू० 15,000/= की आवश्यकता होगी। इस योजना में 150 संयंत्र के वितरण का लक्ष्य है।

§5§ आलू एवं सब्जियों की फसल पर कुरमुला कीट विरूद्ध उपचार:-

गत वर्षों की भाँति 1,500 है० क्षेत्र में कुरमुला कीट की रोकथाम हेतु 75 प्रतिशत राज सहायता के आधार पर रू० 63,000/= के रसायन दवाओं के क्रय प्रस्तावित की गयी है।

II:= नवीन उद्यान, खुम्ब उत्पादन इकाई तथा शीतगृह की स्थापना हेतु कृषकों को दीर्घकालीन ऋण :-

§1§ दीर्घकालीन बागवानी ऋण§तकावी §

जनपद चमोली हेतु वर्ष 1987-88 हेतु रू० 23,00,000/= का परिव्यय जो निर्धारित किया गया है, व्यय किया जाना असम्भव है, क्योंकि वर्ष 1986-87 से उद्यान ऋण वितरित किया जा रहा है और काश्तकारों के पास एक ही स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं है, खेत छितरे क्षेत्र में है। वर्ष वर्ष 1985-86 तक कुल रू० 1,24,000/= उद्यान ऋण वितरित किया जा चुका है, और वर्ष 1986-87 में विभागीय उद्यान ऋण रू० 20,00,000/= के अतिरिक्त जलागम क्षेत्र में रू० 60,000/= का ऋण भी वितरित होना है जिन काश्तकारों को पास एकमुश्त भूमि उपलब्ध थी, उन्हेंउनकी माँग के अनुसार ऋण मिल चुका है अब प्रायः अधिकतर

ऐसे काश्तकार हैं कि जिनके पास बहुत ही छोटी जोत की भूमि है। इसलिये ऐसे कृषकों को ऋण देने पर दुरुपयोग होने की सम्भावना है अत: वर्ष 1987-88 हेतु केवल रू0 10,00 उद्यान ऋण वितरण का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसमें से रू0 1,00,000/= जनजाति को दिया जायेगा ।

वर्तमान समय में मूल्य वृद्धि को देखते हुए शासन द्वारा निर्धारित काश्त भूमि में रू01500/= एवं बंजर भूमि में 2500/= रू0 प्रति एकड़ उद्यान ऋण दिया जाना बहुत ही कम है इस काश्त भूमि पर 3500/= तथा बंजर भूमि पर 5000/= प्रति एकड़ किये जाने का सुझाव दिया जाता है अधिकतम रू0 25000/= दिया जाना उचित होगा ।

(2) फल उत्पादकों को शीतगृह निर्माण हेतु तकावी ऋण :-

वर्ष 1987-88 में काश्तकारों को रू0 90,000/= ऋण वितरित किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य की लागत वृद्धि को देखते हुए रू0 15000/= प्रति शीतगृह की धनराशि पर्याप्त नहीं है जिसे बढ़ा कर रू0 25000/= प्रति शीतगृह करने का सुझाव दिया जाता है ।

III :- उद्यान एवं पौध रक्षा सेवा का सुदृढ़ीकरण तथा विकास क्षेत्र स्तर पर औद्यानिक कार्यों का विस्तार एवं समन्वय :-

(1) पर्वतीय क्षेत्र में विकास खण्डों में औद्यानिक कार्यों का विस्तार एवं समन्वय

जनपद के विकास खण्डों घाट देवाल नारायणबगड़ कर्णप्रयाग पोखरी एवं अगस्तमुनि में एक एक पद विशेषज्ञ (उद्यान) की आवश्यकता है। इन विकास खण्डों में इन पदों का सृजन होने से उद्यान ऋण वितरण एवं वसूली तथा बगीचों का समुचित रख रखाव हेतु तकनीकी जानकारी में काश्तकारों को सहयोग देते रहेंगे जिससे वे औद्यानिक कार्यों में अधिक रूचि लेकर अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकेंगे ।

इसके अतिरिक्त विकास खण्ड घाट में एक उद्यान निरीक्षक वर्ग-2 व दो माली देवाल में दो माली तथा काटा में एक उद्यान निरीक्षक वर्ग -2 व दो मालियों की आवश्यकता है इनके सृजन होने से औद्यानिक कार्यों को अधिक बढ़ावा मिल जायेगा इन पदों के वेतन तथा समस्त भत्तों हेतु रू0 142,600/= का परिव्यय प्रस्तावित किया किया जाता है ।

(2) उद्यान एवं पौध रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढ़ीकरण :-

औद्यानिकरण को बढ़ावा देते हुए यदि उद्यान पौध रक्षा प्रसार सेवा की तुलनात्मक वृद्धि नहीं हुई तो औद्यानिकरण की वांछित प्रगति नहीं हो पायेगी । इस आशय से वर्ष 1985-86 से दो उद्यान रक्षा सचल दल आदिबद्री व थराली में स्थापित किए गए वर्ष 1987-88 में अन्य चार सचल दल पोखरी, रामणी, मुन्दोली तथा सेलना में स्थापित करने का प्रस्ताव है अत: नए तथा पुराने दलों को मिला कर इसमें 6 उद्यान निरीक्षक वर्ग-2 (470-735) 6 उद्यान पर्यवेक्षकवर्ग

(400-615) तथा 36 माली (305-390) होंगे जिनके वेतन तथा समस्त भत्तों पर वर्ष 87-88 में रू0 580.50 हजार प्रस्तावित है।

IV :- आलू विकास एवं प्रमाणित आलू तथा सब्जी उत्पादन का सुदृढीकरण:=

(1) सब्जी बीज एवं आलू बीज के सम्बन्ध र्धन एवं प्रमाणीकरण की योजना:-

वर्तमान मे इस योजना के अन्तर्गत एक ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक वर्ग -1 तथा दो माली कार्यरत है जिनके लिए वर्ष 87-88 हेतु वेतन आदि पर रू. 46300 का व्यय होगा ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 87-88 में रोग रहित अधिक उत्पादन देने वाले एंव प्रमाणित बीज की किस्मो के उत्पादन को बढावा देने के लिए प्रामाणीकरण हेतु कृषकों को आलू बीज, उर्वरक (डी.ए.पी., एम.ओ.पी तथा यूरिया) एंव रसायन दवाओं इत्यादि में 50 % राज सहायता देने का प्रस्ताव है। सन्दर्भित वर्ष में आलू बीज उत्पादन 32 है. क्षेत्र में किया जायेगा। इस कार्य हेतु रू. 101700 प्रस्तावित है।

इस प्रकार कुल योजना पर रू. 148000 रू. प्रस्तावित किया जाता है।

2- पर्वतीय क्षेत्र में आलू विकास को सघन करने की योजना:- गत वर्षो की तरह वर्ष 87-88 में भी आलू विकास को सघन करने की योजना के अन्तर्गत कृषकों को उन्नतशील आलू बीज उपलब्ध कराने हेतु परिवहन पर राज सहायता की आवश्यकता होगी। इसके लिए रू. 50000 रू. का व्यय किया जायेगा ।

जनपद चमोली की मिट्टी तथा जलवायु आलू उत्पादन के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। आलू उत्पादन को बढावा देने के लिए वर्ष 65-66 में एक आलू बीज उत्पादन एंव सम्वर्द्धन प्रक्षेत्र की स्थापना जनपद के विकास खण्ड जोशीमठ में कोटि नामक स्थान पर की गई । इसी विकास खण्ड में फिर 76-77 में 3 स्थान औली में स्थित राजकीय उद्यान , परसारी से 25 एकड़ क्षेत्रफल आलू बीज उत्पादन एंव सम्वर्द्धन कार्य हेतु प्राप्त किया गया। इन दोनों प्रक्षेत्रो में शुद्ध एंव रोग/ कीट मुक्त , उच्च स्तर का आलू बीज पैदा किया जाता है। इस उत्पादन का एक भाग जनपद के सभी कृषकों को उनकी बुआई हेतु हर साल उनकी मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष अन्य पर्वतीय जनपदो में आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र /उद्यानो तथा कृषको को उपलब्ध कराया जाता है। विगत पांच वर्षो में यहां से आलू बीज परिवहन बंगाल भी भेजा गया जिससे कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी हुई ।

वर्तमान में आलू उत्पादन को लोकप्रिय कृषकों के मध्य व्यवसायिक फसल के रूप में बढ़ती जा रही है। इससे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की अत्यधिक सम्भावना है। किन्तु वर्तमान में जोशीमठ के अलावा जनपद के अन्य 10 विकास क्षेत्रों में आलू बीज के प्रचार व विकास कार्य हेतु शासन द्वारा कोई भी पद सृजित नहीं किया गया है। कर्मचारियो के अभाव में दूर दराज इलाकों में आलू बीज समय से उपलब्ध कराना

सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कृषक अपनी भूमि का भरपूर उपयोग इस व्यवसायिक फसल के द्वारा नहीं कर पाता है। अत: जनपद के सभी निकटतम व दूर दराज के इलाकों में उन्नतशील आलू बीज का वितरण, प्रचार व विकास कार्य, उच्च स्तर की फसल का उत्पादन कराना तथा जनपद में अधिक से अधिक भूमि को आलू उत्पाद से आच्छादित करने के उद्देश्य से जनपद के चार विकास क्षेत्रों, देवाल, कांता (ऊखीमठ), गैरसैंण तथा दशोली में आलू विकास एवं रक्षा सघन दल केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इन दलों द्वारा समय समय पर आलू उत्पादकों को नई तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी तथा उनकी आलू की फसलों का समय समय पर अवलोकन कर आवश्यक सुझाव दिए जायेंगे।

इन केन्द्रों पर प्रत्येक विकास क्षेत्र हेतु एक अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-II (470-735) का पद तथा दो आलू कामदार (315-440) के पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। उक्त के कार्यों में समन्वय व विकास सूचनाये एकत्रित करने हेतु एक वरिष्ठ लिपिक का पद भी प्रस्तावित है। इन केन्द्रों पर सृजित पदों के वेतन तथा अन्य समस्त भत्तों हेतु रू. 2.50 लाख परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

इस प्रकार आलू विकास को सघन करने की पूरी योजना पर रू. 3.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। इसमें 1000 क्विन्टल आलू बीज वितरण तथा 5000 मै. टन आलू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

- अनुसूचित जाति/ जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को लोकप्रिय बनाने की योजना :-

जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड जोशीमठ में कृषकों को ताजी सब्जी उगाकर उनके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु उन्हें सब्जियों के बीज, रासायनिक दवा एवं उर्वरक निःशुल्क उपलब्ध करा कर इस कार्यक्रम को आकर्षित किया जा रहा है। योजना में 100 सब्जी प्रदर्शन कार्य का लक्ष्य रखा गया है।

फल उत्पादन को लोकप्रिय करने हेतु जनजाति के कृषकों को उनकी नाप भूमि पर फल पौध रोपण हेतु फल पौध की कीमत, कम्पोस्ट खाद की कीमत, पौध रक्षा रसायन, उर्वरक, गड्ढा खुदान तथा औजार के लिए शत प्रतिशत राज सहायता देय होगी।

इस योजना हेतु कुल रू. 60.00 हजार का परिव्यय रखा गया है।

- भवन निर्माण कार्य :- विकास खण्ड नारायणबगढ़ में नारायणबगढ एवं डुंगरी-पैतोली में अवशेष कार्य पूर्ति हेतु रू. 2.71 लाख की मांग की गयी है।

3- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण :-

1. लघु एवं सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता :-

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढाने हेतु यह योजना केन्द्र सरकार के 50% अंशदान तथा 50 % राज्यअंश के आधार पर कृषि, नर्सरी एवं लघु सिंचाई योजना हेतु वर्ष 83-84 से प्रारम्भ की गयी। यह परिवारोन्मुख योजना है। लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सामूहिक तथा व्यक्तिगत योजनाये ली जाती है।

वर्ष 87-88 में रू. 27.50 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। इसमें से रू. 825 ह. अनुसूचित जाति तथा रू. 55 ह. अनुसूचित जनजाति के लिए मात्राकृत है। इस अवधि में कुल 12075 लाभार्थी, जिसमें से 3622 अनुसूचित जाति तथा 241 जनजाति के समुदाय के परिवार होंगे, को लाभान्वित किया जायेगा ।

प्रति विकास खण्ड 2.50 लाख रू. की धनराशि रखी गई है। इसमें से प्रति विकास खण्ड रू. 1.75 लाख लघु सिंचाई ,50 हजार भूमि सुधार तथा 25 हजार रू. निःशुल्क मिनिकीट वितरण के लिए व्यय का प्राविधान है।

इसके अतिरिक्त उक्त योजना पर लघु सिंचाई एवं भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.आर.डी. पैटर्न पर अतिरिक्त अनुदान हेतु रू. 3.40 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार कुल योजना पर रू. 30.90 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

4- भूमि संरक्षण विभाग -:

1. पर्वतीय क्षेत्रो में भूमि एंव जल संरक्षण योजना :- वर्तमान में जनपद अन्तर्गत चार भूमि संरक्षण इकाईयां कार्यरत है :-

1. चमोली (गोपेश्वर) 2. कर्णप्रयाग 3. अगस्तमुनी (रूद्रप्रयाग)
4. अपर गंगा गोपेश्वर ।

इन इकाईयों में तीन इकाईयॉ जिला सेक्टर अन्तर्गत एंव अपर गंगा भूमि संरक्षण इकाई राज्य सेक्टर अन्तर्गत आती है। छटी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ मे भूमि संरक्षण कार्य इकाई हेतु अनुमोदित जलागम क्षेत्रों में कराया जा रहा है। वर्तमान में जनपद के लगभग सभी विकास खण्डो में यह कार्य कराया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य तथा भूमि संरक्षण के निम्न कार्य सम्पन्न कराते भूमि कटाव, भूमि धसाव, बाढ आदि समस्याओं के समाधान किये जा रहे है जिससे प्रत्यक्ष लाभ जन साधारण को हो रहा है।

1. समतलीकरण 2. पुस्तीकरण समतलीकरण 3. पुस्तीकरण + पत्थर व बन्धियां 4. पत्थर बन्धियां 5. उधानीकरण
6. वनीकरण 7. चारागाह विकास 8. सिचाई टैंक/गूल निर्माण
9. जलमोड नाली/जल निकास नाली 10. सिंचाई नियन्त्रण/ भू-स्खलन नियन्त्रण

उक्त कार्यों द्वारा व्यक्तिगत भूमि (कृषि भूमि) का उपचार 50 % अनुदान पर कराया जाता है व सामूहिक /सामूदायिक कार्य 100 % राजकीय लागत पर सम्पन्न कराये जाते है। अब तक जनपद में चारो इकाईयो द्वारा लगभग 9827 है. समस्याग्रस्त क्षेत्र का उपचार उक्त कार्यो द्वारा किया जा चुका है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ जनसाधारण को हुआ है व जनता को रोजगार के अवसर सुलभ हो रहे है।

वर्ष 87-88 हेतु 500 है. क्षेत्र उपचार के लक्ष्य प्रति इकाई रखते हुए कुल + 1500.00 है. का लक्ष्य प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध जनपदीय जिला सैक्टर योजनाओं (तीन इकाईयां) का व्यय 35.25 लाख रू. स्थापना व्यय सहित प्रस्तावित है जिसमें स्थापना व्यय लगभग 27.00 लाख रू. है।

5- पशुपालन विभाग :-

(1) पशु चिकित्सा सेवायें एवं स्वास्थ्य :-

1. खुरपका, मुंहपका रोग की रोकथाम हेतु एफ.एम.डी. वैक्सीन का क्रय (50% केन्द्र पोषित तथा 50% राज्य अंश)

इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को उनके पशुओं पर खुरपका मुंहपका रोग के निदान हेतु 50% अनुदान पर एफ.एम.डी. वैक्सीन उपलब्ध कराई जायेगी जिससे लगभग 6000 पशुओं में उक्त वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। इस योजना के संचालन पर रू. 20 हजार (राज्य अंश) परिव्यय का प्रस्ताव है।

2. रैबीज वाइरस रोग की रोकथाम हेतु ऐन्टीरैबीज वैक्सीन की व्यवस्था:-

इस योजना के अन्तर्गत निर्धन पशुपालकों के पशुओं को रैबीज बीमारी से मुक्त रखने के उद्देश्य से ऐन्टीरैबीज वैक्सीन का क्रय कर पशुओं में निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य किया जाता है। वर्ष 87-88 में 700 पशुओं को वैक्सीनेशन का लाभ दिया जा सकेगा और योजना के संचालन पर 10 हजार रू. व्यय होने का अनुमान है।

3. "ए" तथा "ब" श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में अतिरिक्त दवा एवं साज सज्जा का प्राविधान :-

इस जनपद में वर्तमान समय में 1 पशु चिकित्सालय "ए" श्रेणी दो पशु चिकित्सालय "बी" श्रेणी तथा शेष 18 पशु चिकित्सालय "सी" श्रेणी के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में कार्यरत है। किन्तु आयोजनेत्तर योजनाओं में बजट आवंटन अत्यन्त न्यून प्राप्त होने के कारण सभी पशु चिकित्सालयों का संचालन सम्भव नही हो पाता है इसलिए विभागीय मानक के हिसाब से रू. 2 हजार प्रति "ब" एवं बी श्रेणी तथा रू. 1 हजार प्रति "सी" श्रेणी पशु चिकित्सालयो के लिये गत वर्षों की भांति वर्ष 87-88 में भी कुल 24 हजार रू. की अतिरिक्त आवश्यकता इस योजना के अन्तर्गत होगी ताकि पशु चिकित्सालयो पर मानक के अनुसार 12 हजार पशुओं को चिकित्सा सुविधा दी जा सके।

4. पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्सालयो एंव पशु सेवा केन्द्रो की स्थापना :-

इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 तथा 86-87 में स्थापित पांच पशु चिकित्सालयों तथा 8 पशु सेवा केन्द्रो का संचालन वर्ष 87-88 में किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 250 हजार रू. व्यय होने का प्रस्ताव है। तथा इन केन्द्रो से वांछित वर्ष में लगभग 40 हजार पशुओं को चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण आदि कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जा सकेगा ।

5. "ए" श्रेणी के पशु चिकित्सालय पर मुख्य औषधिक के पद का सृजन :-

वर्ष 85-86 में सृजित इस पद पर वर्ष 87-88 में 20 हजार रू. व्यय होने का अनुमान है।

2- पशुधन विकास :-

1. पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु साड़ों के उत्पादन की योजना:- साड़ों का क्रय एवं वितरण - जनपद में विभिन्न योजनाओं में 90 सांड प्रसार केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों पर साड़ों की नश्वरता, वृद्धपन आदि भौतिक कारणों से उनके बदलने की आवश्यकता है। इस योजना में वर्ष 87-88 में साड़ों को बदलने हेतु 64 हजार रू. की आवश्यकता होगी ताकि 8 भैंसा सांड तथा 16 गाय सांड क्रय कर केन्द्रों पर ~~व्यवस्थ~~ व्यवस्थित किए जा सकें।

2. नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र की स्थापना तथा सांड परिसर का प्राविधान- वर्ष 86-87 में स्थापित किए जाने वाले 4 सांडों केन्द्रों को मिला वर्ष 87-88 में कुल 35 सांड प्रसार केन्द्र/ नैसर्गिक अभिजनन कार्यरत रहेंगे। जिन पर 381 ह. रू. व्यय होने का प्रस्ताव है। यहाँ प्रति वर्ष 7 हजार पशुओं को गर्भित कराकर कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। पशु प्रजनन के महत्व को देखते हुए स्थान अखेड़ी, देवलधार (अगस्तमुनी) धूनी राजणी (घाट) तथा सकण्ड देवोली में सांड प्रसार /नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए 50 हजार रू. का परिव्यय रखा गया है।

3- कुक्कुट विकास :-

1. संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के सहयोग से चल रहे व्यवहारिक पुष्टाहार ~~क~~ कार्यक्रम के अन्तर्गत कुक्कुट उत्पादन की योजना:- इस योजना में वर्ष 87-88 में जनपद के दो विकास खण्डों, नारायणबगड़ तथा ऊखीमठ में चूजों के अनुरक्षण तथा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 4 हजार रू. प्रति विकास खण्ड की दर से 8 हजार रू. की आवश्यकता होगी तथा 800 चूजे उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 86-87 में यह योजना जनपद के 3 विकास खण्डों में चलाई जा रही है। 2 नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान का सु

2. नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान का सुदृढ़ीकरण:- इस योजना के ~~लि~~ लिए वर्ष 87-88 में 140 हजार रूपये का व्यय प्रस्तावित है।

4- -- भेड एंव ऊन विकास -

अ- भेड प्रजनन सुविधा का प्रसार एंव सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवायें -.

1. परजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये भेड़ो को सामूहिक रूप से दवा पिलाने की योजना -

इस योजना के अन्तर्गत भेड़ो को कृमिनाशक दवाओं को सामूहिक रूप से ~~पिलायी~~ पिलायी जाती है। ताकि वे रोग ग्रस्त न होकर अधिक उत्पादक हो सके। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 80 हजार भेड़ो को सामूहिक रूप से दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। तथा योजना में 160 हजार रू. व्यय होने का अनुमान है।

2- नये भेड एंव ऊन प्रसार केन्द्रो की स्थापना :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 में स्थान पागा विकास खण्ड दशोली में स्थापित है। तथा वर्ष 86-87 में स्थान भेटी विकास खण्ड घाट में स्थापित दो भेड़ एंव ऊन प्रसार केन्द्र वर्ष 87-88 में कार्यरत रहेंगें। इन केन्द्रो के संचालन पर उक्त वर्ष में 90 हजार रूपया व्यय होने का अनुमान है इन केन्द्रो से प्रति वर्ष 1 हजार भेड़ो को गर्भित कर भौतिक लक्ष्यो की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

3- माइग्रेट्री रूटस पर बहुउद्देशीय केन्द्रो की स्थापना -

इस योजना के अन्तर्गत स्थान तपोवन (जोशीमठ) तथा घाट में दो मरइगेटी रूटस पर बहुउद्देश केन्द्रो की स्थापना वर्ष 85-86 में की गयी है। इन केन्द्रो पर बुगियाल जाने वाली भेड़ो तथा बुगियाल से लौटने वाली भेड़ो को वैक्सीनेशन, बधियाकरण तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि उनकी नश्वरता में कमी लायी जा सके। इस योजना के संचालन पर वर्ष 87-88 में 25 हजार रूपया व्यय होगा। तथा 20 हजार भेड़ो को उक्त सुविधाये प्रदान की जा सकेगी।

4- भेड प्रजनन ~~प्रक्षेत्र~~ प्रक्षेत्र पीपलकोटी का सुधार एंव विस्तार की योजना-

इस योजना के अन्तर्गत भेड प्रजनन प्रक्षेत्र पीपलकोटी में भवनो की मरम्मत एंव निर्माण हेतु रू. 635 हजार के आगणन शासन के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु वर्ष 86--87 में प्रेषित किये गये है तथा स्वीकृत परिव्यय के अनुसार 86--87 में 200 हजार रूपया अवमुक्त होने की आशा है। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से वर्ष 87-88 में 200 हजार रूपये की आवश्यकता होगी और शेष धनराशि के व्यय का वहन 88-89 में किया जायेगा। प्रक्षेत्र पर बुगियाल उपकरणों की व्यवस्था एंव अन्य साज सज्जा आदि के क्रय हेतु 87-88 में 20 हजार रू. की आवश्यकता होगी। इस प्रकार इस योजना में 220 हजार रू. की परिव्यय की आवश्यकता वर्ष 87-88 में है।

5- पर्वतीय क्षेत्र में अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना -

इस में कृषकों में अंगोरा शशक पालन ~~व्यवस्था~~ व्यवसाय को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से एवं इच्छुक शशक पालकों को शशक उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से एक अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षे. ग्वालदम में स्थापित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वर्ष 85-86 में उक्त योजना में शैड के निर्माण हेतु 200 ह. रू. की धनराशि शासन से अवमुक्त हो चुकी है। वर्ष 86-87 के अन्त तक योजना के प्रारम्भ होने की आशा है।

वर्ष 87-88 में इस योजना के अन्तर्गत 300 हजार रूपया परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से 100 हजार रूपया अंगोरा शशकों के लिए तथा 200 हजार रू. निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावित है।

6. भेड़ एंव ऊन प्रसार केन्द्रों पर भवन निर्माण -

वर्तमान में भेड़ एंव ऊन प्रसार केन्द्र किराये के भवनो में स्थापित है किन्तु किराये के भवन उपयुक्त न होने के कारण इसका प्रभाव पशुओं के स्वास्थ्य एंव उनकी प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। वर्ष 87-88 में नई योजना के रूप में कलगोठ तथा बड़ागांव (जोशीमठ) में एक बाड़ा, 1 टाइप -1 मकान तथा टाइप -11 में के मकान प्रति केन्द्र निर्माण का प्रस्ताव है। इस निर्माण पर 400 हजार रूपया परिव्यय का प्रस्ताव है।

~~5--ग्रामीण-प्रचार-का~~

5- <u>अन्य पशुधन विकास</u> :-

1- ग्रामीण प्रचार कार्यक्रम :-

पशुपालन विभाग की आधुनिक प्रगति को जनता तक पहुचाने एंव प्रचार एंव प्रसार कार्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत चलाया जा रहा है ताकि प्रदर्शनी एंव समाचार पत्रों के माध्यम से इस का प्रचार एंव प्रसार किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 20 हजार रूपया व्यय होने का अनुमान है।

2- हाडा परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण -

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में 20 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र एंव एक अन्य प्रजनन केन्द्र कार्यरत है। वर्ष 87-88 में योजना में 138 हजार पशुओं को [illegible] लाभान्वित किया जा सकेगा।

3-चारा एंव पोषण विकास -

इस जनपद में वर्तमान समय में 9 चारा पौधालय कार्यरत है इन पौधालयों से कृषकों को उन्नत किस्म के चारा बीजों की जड़े एंव कटिंगस रोपण हेतु उपलब्ध कराई

जाती है। पौधालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 87-88 में रु. 20 हजार परिव्यय की आवश्यकता होगी ।

1- पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य के सुधार एवं विस्तार की योजना :-

(अ) नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना :- जनपद चमोली में वर्तमान समय में जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर स्थान तपोवन (विकास खण्ड जोशीमठ) तथा स्थान चोपड़ा धारकोट (पोखरी) में पशु चिकित्सालय की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना के संचालन हेतु 87-88 में 60 हजार रूपये परिव्यय की आवश्यकता होगी और 10 हजार पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

(ब) नये पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना - जनपद में 60 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत है । किन्तु जनपद की विषम भौगोलिक स्थिति एवं दुर्गम एवं चट्टानी मार्ग को देखते हुये यह संख्या पर्याप्त नही है। इस तथ्य को देखते हुये वर्ष 87-88 में 3 नये पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य स्थान मोख, मायापुर, तथा अखेड़ी में खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के संचालन पर वर्ष 87-88 में 40 हजार रूपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी ।

(स) पशु चिकित्सालयों पर टेलीफोन व्यवस्था :- वर्ष 86-87 में 6 पशुचिकित्सालयों पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। वर्ष 87-88 में 4 अन्य विकास खण्ड अगस्तमुनी, गोचर, ऊखीमठ तथा देवाल में टेलीफोन व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है जिस पर 10 हजार रू. व्यय किया जायेगा ।

(द) पशु चिकित्सालयों तथा पशु सेवा केन्द्र हेतु भवन निर्माण:- वर्तमान में जनपद में पशु चिकित्सालयों तथा पशु सेवा केन्द्र किराये के भवनों में चलाये जा रहे है। किन्तु व्यक्तिगत भवन इन कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है अतः वर्ष 87-88 में 2 पशु चिकित्सालय घाट तथा देवाल के भवन निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए 300 रू. का परिव्यय रखा जा रहा है। नयी योजनाओं में 4 पशु सेवा केन्द्रों, सिमली, लंगासू तथा पीपलकोटी पर भवन निर्माण किया जायेगा जिसके लिए 240 हजार रू. का प्रस्ताव है। निर्माण कार्य हेतु उक्त स्थानों पर विभाग के पास भूमि उपलब्ध है तथा निर्माण कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किया जायेगा ।

1. नई योजनाओं में वर्तमान पशु सेवा केन्द्रों का ही क्लास डिस्पेन्सरी के रूप में उच्चीकरण हेतु 65 हजार रूपया व्यय का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों पर एक पशुधन प्रसार अधिकारी, एक ड्रेसर तथा एक अटेन्डर प्रति डिस्पेन्सरी , 3 डिस्पेन्सरियों हेतु सृजित किए जाने का प्रस्ताव है।

6- मत्स्य विभाग :-

1. तलवाड़ी हैचरी पर आवासीय गृह एंव अन्य भवनो का निर्माण- इस मत्स्य क्षेत्र प्रेक्षत्र में निजी क्षेत्र, जलाशय में संचय हेतु अंगुलिकाये वितरित की जाती है तथा ट्रूट मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन कर के नदियों में संचय किया जा रहा है। वर्ष 87-88 में सी. कार्पिया अंगुलिका वितरण का 5000 का लक्ष्य तथा ट्रूट अंगुलिका उत्पादन एंव संचय का भी 5000 का लक्ष्य है। हैचरी पर प्रयोगशाला की मरम्मत, लेन्टर डालना आदि कार्यों के 152 हजार रू. का प्रस्ताव ~~कार्यों-के-152-हजार-रू.~~ है। निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त मत्सय विभाग के जनपद में जो पद स्वीकृत हुए हैं उनके वेतन तथा प्रशासनिक व्यय हेतु वर्ष 1987-88 में 340 हजार रूपये का प्रस्ताव रखा गया है।

इस प्रकार कुल योजना 492 हजार की प्रस्तावित है।

7- वन विभाग :-

इस विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के किनारे वृक्षारोपण हेतु 233 हजार रूपया, भवन निर्माण के अन्तर्गत 6 भवनो को पूर्ण करने तथा 14 भवनो के आंशिक निर्माण हेतु 850 हजार रूपया , वन संचार योजना जिसके अन्तर्गत मोटर मार्ग सुधार , पैदल मार्ग निर्माण तथा सुधार एंव लकड़ी पुल सुधार के कार्य लिए जायेगें, के लिए 507 हजार रूपया, एक वन चेतना केन्द्र के लिए रू. 50 हजार तथा वन कर्मचारियों के आवासों में बिजली/ पानी की व्यवस्था हेतु रू. 156 हजार का व्यय प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल रू. 1871 हजार का व्यय प्रस्तावित है। विभाग द्वारा कोई भी नई योजना नहीं रखी गयी है।

8- ग्राम्य विकास विभाग :-

1. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना :- इस कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा प्रोनिधानित योजना के अन्तर्गत लिया गया है। जिसमें राज्य तथा केन्द्र सरकार की 50,50 % की साझेदारी है। योजना का मुख्य उद्धेश्य ग्रामीण अंचलो में गरीबी रेखा के नीचे का जीवन यापन करने वाले परिवारो को वित्तीय संसाधनो की सुविधा सुलभ कराके उनको स्वत: रोजगार के अवसर देना है जिससे वह अपने परिवार की आमदनी में वृद्धि कर सके और गरीबी से उपर उठ सके ।

भारत सरकार ने सातवीं योजना काल में कार्यक्रम को नई दिशा देने हेतु कुछ मौलिक परिवर्तन किये जिनको ध्यान में रखते हुये योजना तैयार की गयी है। गरीबी रेखा की परिभाषा भी परिवर्तित कर दी गयी है अब 6400 रू. वार्षिक आमदनी से कम आमदनी वाले परिवारों को गरीबी रेखा में आते है।

प्राथमिकता के आधार पर सर्व प्रथम उन परिवारों को चयन करना है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आमदनी रू. 3500 से कम हो। ऐसे परिवारों को लाभान्वित के बाद खण्ड विकास अधिकारी अभिकरण की अनुमति से 3500 से 4800 आय वर्ग के परिवारों को चयन करेंगे ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार छठी पंचवर्षीय योजना काल में लाभान्वित उन परिवारों को दूसरी बार सहायता उपलब्ध कराने हेतु पुनः चयन करना है जो गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके और 3000 रू. अनुदान नहीं दिया गया।

वर्ष 86-87 हेतु नये व 1164 पुराने लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य शासन से निर्धारित है जिसमें से 192 नये 350 पुराने अनुसूचित जाति के व अनुसूचित जन जाति के 13 नये व 23 पुराने लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है।

वर्ष 87-88 हेतु 3108 नये लाभार्थी तथा 1079 पुराने लाभार्थियों का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसके लिए जिला योजना में राज्यांश के रूप में सामान्य आई.आर.डी. योजना हेतु रू. 3425.45 हजार तथा अतिरिक्त आई.आर.डी. हेतु रू. 2676.30 ह. की आवश्यकता होगी ।

वर्ष 87-88 में उक्त लक्ष्यों में से अनुसूचित जाति के क्रमशः 211 नए तथा 385 पुराने लाभार्थी लाभान्वित किए जायेगे जिनके लिए कुल रू. 1829.02 हजार का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जनजाति के 14 नए तथा 25 पुराने व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा और इनके लिए कुल रू. 121.92 ह. का व्यय प्रस्तावित है।

9- <u>राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम</u> -

2 अक्टूबर 1980 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। यह केन्द्र तथा राज्य पोषित योजना है। इस कार्यक्रम के लिए 50 % राज्य अंश तथा 50 % केन्द्रीय अंश प्राप्त होता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों पुरूषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन ।

(2) ग्रामीण आधारभूत ढाचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन जिनके फलस्वरूप ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का शीघ्र विकास हो और गरीब ग्रामीणों के आय स्तर में वृद्धि हो ।

(3) गरीब ग्रामीणो के पोषाहार स्तर तथा रहन सहन के स्तर में सुधार-

आवंटित धनराशि का कम से कम 50 % मजदूरी घटक एवं शेष 50% सामग्री घटक तथा प्रशासनिक मद में व्यय किया जाना है। इस जनपद के लिए शासन द्वारा निर्धारित दैनिक कृषि मजदूरी के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। कुल मजदूरी का 1.50 रू. प्रति किलो की दर से चार किलो खाधान्न तथा 5.50 रू. नकद देने का प्राविधान है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 % अनुसूचितजाति तथा 2 % अनुसूचित जनजाति के सामुहिक लाभ के लिए व्यय निर्धारित है। योजना का कार्यान्वयन सिंचाई विभाग, वन विभग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई, जल संस्थान, भूमि संरक्षण तथा विकास विभाग द्वारा किया जाना है।

वर्ष 1980-85 छटी पंचवर्षीय योजना काल में 8743.45 हजार रू. व्यय किए गये 1379 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया ।

वर्ष 86-87 में 2757 ह. रू. व्यय एवं 239 ह. रोजगार मानव दिवस सृजन का प्राविधान रखा गया है किन्तु शासन से 1604 हजार रू. एवं 133 हजार रोजगार सृजन के मानव दिवस का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

वर्ष 87-88 में 3032.70 ह. रू. का परिव्यय तथा 263 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन प्रस्तावित किया गया है जिसमें से अनुसूचितजाति के लिए 758.20 हजार रू. परिव्यय एवं 65.75 हजार रोजगार सृजन एवं जनजाति के लिए 60.65 ह. रू. का परिव्यय एवं 6.00 हजार रोजगार मानव दिवस सृजन का प्रस्ताव है। शासन से प्रति मानव दिवस 4 किलोग्राम खाधान्न मजदूरी के रूप में दिये जाने का प्राविधान है इसलिए वर्ष 87-88 हेतु 1052 मी. टन खाधान्न का प्रस्ताव किया गया है।

10. <u>ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना</u> :-

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना वर्ष 85-86 से इस जनपद में लागू की गई है। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित दो मुख्य उद्देश्य है :-

(1) प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार की गारन्टी सुलभ करने के उद्देश्य से ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसरो में सुधार लाना तथा उनमें वृद्धि करना ।

§2§ ग्रामीण आधारभूत ढ़ाचे को सुदृढ़ बनाने के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना जिनके परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का तेजी से विकास होगा ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन श्रमिकों को विशेष रूप से अनुसूचित जातियों /जनजातियों के लोगों को रोजगार हेतु वरीयता दी जायेगी। कार्यक्रमों की अन्तिम स स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त होती है। 20 सूत्री कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से सम्बन्धित निम्न प्रकार के कार्य परियोजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है।

§1§ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंग के रूप में ग्रामीण सम्पर्क सड़कों तथा पुलों का निर्माण ।

§2§ वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सम्भाव्यता का अधिक से अर्ध अधिक उपयोग करने हेतु खेत की नालियों का निर्माण/ उनकी मरम्मत ।

§3§ समासाजिक वानिकी ।

§4§ स्थाई परिसम्पत्ति जैसे प्राइमरी स्कूल भवन, पंचायतघर/ सामुदायिक विकास भवन, कार्यशाला आदि में सम्मिलित किया जा सकता है।

11- पंचायतीराज विभाग :-

1. पंचायत उद्योगो को प्रबन्धकीय सहायता:- जनपद के पंचायत उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जिससे किसी भी पंचायत उद्योग को प्रबन्धकीय सहायता में नहीं रखा गया है।

2. पंचायत भवनो का निर्माण :- गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एंव स्थान की सुगमता को देखते हुये एक पंचायत भवन विकास खण्ड देवाल में ग्राम सभा सवाड़ में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 25 हजार रूपये सम्बन्धित गांव सभा वहन करेगी। तथा 25 हजार शासन से दिये जायेंगे ।

3. पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन :- वर्ष 87-88 में भी गांव सभाओं की आय में न वृद्धि करने पर पुरूष्कार देने का प्राविधान रखा गया है। इससे गांव सभाओं से आय में वृद्धि करने पर बल मिलता है। यह पुरूष्कार गांव सभा को उनके गत 3 वर्षों की आय के आधार पर दिया जाता है। यह पुरूष्कार जिले की 3 सर्वश्रेष्ठ गांव सभाओं को क्रमश: प्रथम को 3 हाजर द्वितीय को 2 हजार एंव तृतीय को 1 हजार दिया जाता है। इस प्रकार इसमें कुल रू. 6 हजार व्यय का प्रस्ताव है।

4. खड़ंजा तथा भूमिगत नालियों का निर्माण :- यातायात के अभाव एवं मार्गों की सफाई को मद्देनजर रखते हुये वर्ष 87-88 के लिए 12 अभावग्रस्त गांव सभाओं में इसे रखा गया है। इसके अन्तर्गत रास्तों के लिये भूमि उपलब्ध हो जायेगी। 12 गांव सभाओं में से 4 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के गांवों में भी यह योजना रखी गई है। कुल रू. 60 हजार का परिव्यय प्रस्तावित है।

12- युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल:-

विभाग की जिला सेक्टर योजना वर्ष 87-88 के लिए वार्षिक योजना निम्न प्रकार प्रस्तावित की जा रही है :-

1. ग्रामीण खेलकूद :- इस मद में वर्ष 86-87 में 24 हजार रू. का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसमें ब्लाक, जिला एवं प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिताएं सम्मिलित की गई है। वर्ष 87-88 के लिए 35 हजार रू. का प्रस्ताव है, जिसमें उक्त के अतिरिक्त न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिता सम्मिलित की गई है। कुल 13 प्रतियोगिताओं के आयोजन का लक्ष्य है।

2. स्वयं सेवकों का सुदृढ़ीकरण :- इस मद में वर्ष 86-87 के लिए 89 हजार रू. का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसमें 290 स्वयंसेवकों (दलपति) को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 87-88 में ब्लाक कमाडरों को 75.00 रू. प्रतिमाह की दर से मासिक मानदेय दिया जायेगा और 83-84 में 25 प्रशिक्षित ब्लाककमाडर एवं हल्कासरदारों कोदूसरा वर्दी तथा 15 दिवसीय पुनर्श्चर्या शिक्षण दिया जायेगा। इसके अलावा 5 प्रति विकास खण्ड की दर से 55 दलपतियों को वर्दी तथा 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार इस मद में वर्ष 87-88 के लिए 46 हजार रूपये का प्रस्ताव है। इसमें से 9 हजार रूपया अनुसूचित जाति तथा 1 हजार रूपया अनुसूचित जनजाति हेतु प्रस्तावित है।

3. युवक/ महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन :- रू. 500 के हिसाब से 150 युवक मंगल दल एवं 50 महिलामंगल दलों को सामग्री के रूप में अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 87-88 के लिए उक्त मद में 37 हजार रू. का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु क्रमशः 9 हजार तथा 1 हजार का प्रस्ताव है।

4. व्यायामशाला/ युवा केन्द्र की स्थापना :- वर्ष 86-87 में इस मद में 125 हजार रू. का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिससे व्यायामशाला भवन निर्माण एवं व्यायामशाला उपकरण क्रय किए जाने है। यह धनराशि भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को हस्तान्तरित की गई है। भवन निर्माण एवं व्यायामशाला स्टाफ पर होने वाले व्यय हेतु वर्ष 87-88 में 270 हजार रू. का पुनः प्रस्ताव है।

नई योजना :-

1. जिला कार्यालय का सुदृढ़ीकरण (जीप क्रय तथा अनुरक्षण आदि) :-

इस जनपद के लिए नई योजना है। कई जनपदों को वर्ष 86-87 में इस मद में स्वीकृती प्राप्त हुई है। चूंकि विभाग में हर वर्ष कार्य बढ़ रहा है, तथा टास्क फोर्स के सदस्य होने के नाते गाड़ी न होने के कारण 20 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थलीय जांच भी नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त नये 20 सूत्री कार्यक्रम 1986 में तेरहवां सूत्र ~~निभ~~ विभाग को दिया गया है। जिसके सफल कार्यान्वयन हेतु विभग के पास एक जीप गाड़ी का होना नितान्तआवश्यक है। इन्ही बिन्दुओं को देखते हुए इस मद में वर्ष 87-88 के लिए 111 हजार रूपये का प्रस्ताव किया जाता है।

3. सामुदायिक विकास :-

1. विकास खण्डो के भवन तथा आवासीय भवन निर्माण :- विकास खण्ड घाट , देवाल , ऊखीमठ, कर्णप्रयाग तथा अगस्तमुनी में आवासीय भवन नही बने हैं तथा विकास खण्ड घाट में कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है। इन भवनो के निर्माण हेतु वर्ष 87-88 में 300 हजार रू. का प्रस्ताव किया गया है।

2. प्रचार एंव प्रसार के लिए गत वर्षों की भांति 16 हजार रूपया प्रस्तावित है।

3. विकास खण्डो को अनुदान :- शासन से स्वीकृत विकास की गति में तेजी लाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्य जैसे पुलिया निर्माण, खड़न्जा निर्माण व आधारिक विद्यालय भवन मरम्मत आदि के लिए प्रति विकास खण्ड 1. लाख रू. दिया जाता है। वर्ष 87-88 के लिए रू. 11 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

4. जिला परिषद को अनुदान :- वर्ष 87-88 में ~~2~~ 330 हजार रू. प्रस्तावित किया गया है। उक्त धनराशि से 33 कि.मी. क्षति ग्रस्त मार्गों की मरम्मत /सुधार का लक्ष्य रखा गया है।

5. ग्रामीण हरिजन पेयजल योजनाओं का निर्माण :- वर्ष 87-88 हेतु 32 हरिजन ~~बस्तियों~~ बस्तियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु पेयजल योजनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। रू. 20 हजार प्रति योजना के हिसाब से रू. 640 हजार का व्यय प्रस्तावित है। अनुमानत: 1000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी ।

नई योजना :-

जिला विकास कार्यालयों में कार्यालय तथा आवासीय भवन निर्माण योजना :- वर्तमान समय में जिला विकास कार्यालय कलक्ट्रेट कार्यालय भवन में चल रहा है। जि जिला विकास कार्यालय का अपना कोई भवन नहीं है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिए वर्ष 87-88 की योजना में रू. 15 लाख का व्यय प्रस्तावित किया जाता है।

जिला योजना विकास कार्यालय हेतु 37 आवासीय भवनों के निर्माण की भी योजना प्रस्तावित है जिसके लिए वर्ष 87-88 में रू. 10 लाख का प्रस्ताव किया जाता है। निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। इस प्रकार कुल योजना हेतु रू. 25 लाख का प्रस्ताव है।

6. निर्बल वर्ग आवास -

इस योजना के अन्तर्गत कम आय वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु 3000 रूपये की दर से अनुदान दिया जाता है। इस योजना हेतु वर्ष 1987-88 हेतु 111 आवासों की 333 हजार रूपये प्रस्तावित किये गये है।

7. स्थल विकास :-

निर्बल वर्ग आवास के निर्माण के लिये स्थल विकास हेतु प्रति परिवार को 600 रूपये का अनुदान दिया जाता है। उक्त योजना में वर्ष 1987-88 हेतु 66.60 हजार रूपये प्रस्तावित किये गये है।

14- <u>सहकारिता विभाग</u> :-

सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में ऋण एवं अधिकोषण योजना के लिए 2.37 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत पैक्स के स सचिवों हेतु वेतन कामन कैडर को अनुदान, जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान, जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को नवीनीकरण हेतु अनुदान, अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्यों को अंश क्रय करने हेतु ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण/ अनुदान तथा उपयोग ऋण वितरण पर रिस्क फन्ड हेतु अनुदान के कार्यक्रम सम्मिलित है।

क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना हेतु वर्ष में 1.40 लाख रू. का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत डी.सी.डी.एफ. को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्तधन के कार्य आते हैं।

उपभोक्ता योजना के लिए वर्ष में 1.35 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार चढाव निधि हेतु अनुदान तथा पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धन के कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

जड़ी बूटी एंव भेषज विकास योजना हेतु 2.12 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है। श्रम योजना हेतु 5 हजार रू. का तथा उपभोक्ता योजना हेतु 20 हजार रू. का परिव्यय प्रस्तावित है।

सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 नई योजनायें भी प्रस्तावित है जिनके लिए कुल 2.51 लाख रू. का परिव्यय प्रस्तावित है। इनमें से प्रमुख प्रस्तावित योजना पैक्स में उपभोक्ता कार्य हेतु समितियों के पुनर्स्थापन हेतु 20 पैक्स के लिए अनुदान की योजना है। जिसके लिए 1.05 लाख रू. का परिव्यय प्रस्तावित है।

इस प्रकार वर्ष 1987-88 में सहकारिता हेतु 10 लाख रू. का परिव्यय प्रस्तावित है।

निजी लघु सिंचाई योजनान्तर्गत छोटी-छोटी गूलों का निर्माण छोटी जोत वाले कृषकों को व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने पर पूर्ण किया जाता है । इन कृषकों को देय ऋण का 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

वर्ष 1987-88 हेतु जनपद चमोली के लिए 12 हाईड्रम मशीनों का लक्ष्य रखा गया है । जिनसे 72 है0 भूमि में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन रखा गया है । ~~जिनसे 72 है0 भूमि में~~ इसके लिए रू0 18,26,000•00 की आवश्यकता होगी तथा उपकरण हेतु रू0 50000•00 की मांग की गयी है । हाईड्रम योजना सुदृढीकरण के अन्तर्गत इस जनपद में अब तक निर्मित 52 हाईड्रम मशीनों के रख-रखाव हेतु रू0 5000•00 प्रति मशीन की दर से रू0 220000•00 की मांग की गयी है ।

वर्ष 1987-88 में निजी लघु सिंचाई कार्यों के लिए रू0 330 हजार ऋण तथा रू0 165 हजार अनुदान का प्राविधान है । 18 कि0 मी0 गूल निर्माण तथा 100 हौज निर्माण का लक्ष्य है ।

16- राजकीय लघु सिंचाई:-

जनपद के विकास खण्डों में सिंचाई निर्माण एवं बाढ कार्यों के अनुरक्षण निर्माण एवं अनुसंधान सर्वेक्षण कार्य के लिए सिंचाई विभाग के दो खण्ड चमोली एवं रूद्रप्रयाग कार्यरत हैं ।

वर्ष 87-88 की जिला वार्षिक योजना हेतु 60 कि0 मी0 लम्बी नहरों का निर्माण कर 750 है0 सिंचन क्षमता सृजन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है । जिस पर 141 लाख रू0 व्यय होने का अनुमान है । इस वार्षिक योजना में विगत 3 वर्ष से अधिक पुरानी चालू योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है उन्हें वर्ष 87-88 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित किया गया है । वर्ष 87-88 में 43 चालू योजनाओं पर व्यय प्रस्तावित है । वर्ष 87-88 की जिला योजना में स्पेशल कम्पोनेन्ट तथा ट्राइबल उप योजना हेतु क्रमशः रू0 11 लाख तथा रू0 9•5 लाख का प्राविधान किया गया है । योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धि योजनाओं की स्वीकृति उपरान्त होविस्तृत सर्वेक्षण एवं समरेखान निर्धारण उपरान्त सुनिश्चित की जाती है ।

17- राज्य विद्युत परिषद:-

जिले में विद्युतीकरण की निम्न योजनायें कार्यरत हैं ।

(अ) राज्य सामान्य योजना- के अन्तर्गत उन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाता है । जो कि पर्वतीय क्षेत्र में 8 % की राजस्व रिटर्न की परिधि में आते हैं ।

(ब) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम- इसमें कार्य करने से पूर्व योजना बना कर उनको स्वीकृत किया जाता है । और फिर उन्हीं ग्रामों का विद्युतीकरण

किया जाता है । , जो कि स्वीकृत योजनाओं में होते हैं ।

जनपद में इस समय 9 योजनाओं पर कार्य चल रहा है, तथा अन्य तीन योजनायें तैयार की जा रही हैं । विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु तपोवन, सीतापुर एवं बराली माइक्रोहाइडिल योजनाओं पर कार्य हो रहा है । ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु रू० 16265·35 हजार का प्रस्ताव रखा गया है । इसमें 100 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जिनमें 80 हरिजन बस्तियाँ होंगी ।

18- <u>उद्योग निदेशालय</u>- उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र ने वर्ष 1987-88 में 21·53 लाख रू० की चालू योजनायें एवं 2·05 लाख की नई योजनायें प्रस्तावित की हैं ।

चालू योजनाओं में लघु स्तरीय उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक सहकारी समितियों (अवस्त्रीय) के प्रसार हेतु अंश पूंजी एवं प्रबंधकीय राज्य सहायता के अन्तर्गत क्रमश: 10 हजार एवं 5·40 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

लघु स्तरीय उद्योगों के विकास हेतु ही जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण के राज्य अंश के रूप में, हरिजन एवं कमजोर वर्ग की सहकारी समितियों को अंश पूंजी ऋण तथा एकीकृत मार्जिन ऋण के लिए क्रमश: 100 हजार रू०, 18 हजार रू० एवं 25 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

हस्तकला के विस्तार हेतु वर्ष में 12योजनाओं हेतु 24·67 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । इनमें से प्रमुख योजनायें - रिंगाल उपयोगी केन्द्र, कच्चा माल व वाणिज्य क्रियाओं की व्यवस्था अनुसूचित जाति/जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगीकरण एवं उनके विस्तार की योजनायें, उद्यमियों के माध्यम से कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु क्रमश: 80 हजार रू०, 500 हजार रू०, 80 हजार रू० तथा 184·20 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त चालू योजनायें गोपेश्वर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए होस्टल एवं कर्मचारियों के लिए आवासों की व्यवस्था हेतु भी 10 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

नई योजनाओं में विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु वर्ष में 1 लाख रू० का तथा पीपलकोटी में सिलाई, बुनाई उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु कर्मचारियों का वेतन आदि तथा अन्य आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय मिला कर 1·05 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । प्रशिक्षण के साथ-साथ केन्द्र रू० 15000·00 का उत्पादन भी करेगा । इस प्रकार योजना प्रशिक्षण एवं उत्पादन प्रधान होगी । कार्मिकों के रूप में प्रति केन्द्र दो प्रशिक्षक तथा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों कीआवश्यकता होगी जो स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जायेंगे । प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण हो जाने पर प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपना स्वत: रोजगार चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी । किसी निश्चित स्थान पर इस योजना के कार्य

करने के पश्चात इस केन्द्र को दूसरे उपयुक्त स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ताकि जनपद का प्रत्येक भाग इस योजना से लाभान्वित हो सके ।

19-हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग- हथकरघा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में वर्ष 1987-88 के जिला सैक्टर योजना में 2•50 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । कालीन बुनाई एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 160 हजार रू० , रेशम कर्मचारियों व कीट पालकों के प्रशिक्षण की योजना हेतु 8•10 हजार रू० तथा रेशम कीट पालन प्रसार योजना के अन्तर्गत माडल चार्थ कीट पालन योजना हेतु 82•50 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

20- पर्यटन विभाग- 1- ऋण उपादान योजना- पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से वर्ष 80-81 में शासन द्वारा पर्यटन ऋण उपादान योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । जिसके अन्तर्गत निजी उद्यमियों को जिला पर्यटन समिति के माध्यम से व्यावसायिक बैंकों से ऋण सुलभ करा कर दिये गये ऋण (अधिकतम् सीमा रू० 50000-00) पर 20% या अधिकतम रू० 10000•00 की राजसहायता का प्राविधान है ।

जनपद चमोली में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 तक शासन से उद्यमियों को राजसहायता के रूप में कार्य पूर्ण करने पर भुगतान की जाने वाली धनराशि रू० 6•75 लाख प्राप्त हो चुकी है जिसमें से रू० 0•29लाख की धन राशि उद्यमियों को भुगतान की जा चुकी है । तथा संशोधित नियमावली 1983 के अन्तर्गत रू० 1•346 लाख की राजसहायता उद्यमियों को उनकी योजना के परीक्षण पर इसी वर्ष 86-87 में स्वीकृत की जा रही है । शेष धनराशि डी•आर•डी•ए•के पी•एल•ए• कोष में जमा है ।

नई योजना- पाण्डुकेश्वर में मिनी कैपेटेरिया तथा शौचालय निर्माण

बद्रीनाथ यात्रामार्ग पर पाण्डुकेश्वर नामक स्थान पर मिनी कैपेटेरिया तथा शौचालयों की आवश्यकता है क्यों कि इस स्थान पर गेट चैक होता है जिस कारण यहीं पर यात्रियों को काफी देर रूकना पड़ता है । अत: यहां पर एक मिनी कैपेटेरिया तथा शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव है जिस पर अनुमानित रू० 1•00 लाख की धनराशि व्यय होगी भूमि प्राप्त की जा सकती है ।

21- बेसिक शिक्षा- बेसिक शिक्षा के प्रसार से संबंधित सभी योजनायें जिला सैक्टर योजना में सम्मिलित है । इनका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है ।

1- आवर्तक योजनायें 2- अनावर्तक योजनायें ।

वर्ष 1987-88 के लिए प्रस्तावित जिला योजनायें हैं ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान:- इस योजनान्तर्गत वर्ष 87-88 के लिए 12 नवीन प्राइमरी विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है । 1 नवीन विद्यालय की यूनिट कास्ट 110 हजार रू० निर्धारित है । अत: 12 नवीन विद्यालयों के लिए 1320 हजार रू०

का प्राविधान किया गया है । इस योजना में वर्ष 1985-86, 86-87 में नवीन खोले गये 6। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु 1454 हजार रू0 वचन वद्ध व्यय को व्यवस्था की गयी है ।

2- नगर क्षेत्र में बालक बालिकाओं के नवीन मिश्रित प्राइमरी विद्यालय खोलने हेतु अनुदान- इस योजना अन्तर्गत 86-87 में खोले गये । नगर क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालय के शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु 61 हजार रू0 वचन वद्ध व्यय अन्तर्गत तथा वर्ष 87-88 में नगर क्षेत्र में 2 नये प्राइमरी विद्यालय खोलने हेतु 218 हजार रू0 यूनिट काष्ट के अनुसार 436 हजार रू0 का प्रस्ताव किया गया है ।

3- बालक बालिकाओं के सी0बी0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान- इस योजनान्तर्गत वर्ष 85-86 एवं 86-87 में खोले गये 5 नवीन सी•बे•स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु 407 हजार रू0 वचन वद्ध व्यय की व्यवस्था की गयी है । तथा वर्ष 87-88 में 4 नवीन विद्यालय खोलने हेतु 123•5 हजार रू0 यूनिटकास्ट के अनुसार 4 नवीन विद्यालयों के लिए 494 हजार रू0 व्यय का ~~प्राविधान~~ प्रस्ताव किया गया है ।

4- अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त सी•बे•स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान:- इस योजना अन्तर्गत वर्ष 87-88 हेतु कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं की गयी है । योजना अन्तर्गत 216 हजार रू0 वर्ष 85-86 में स्वीकृत दो विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वचन वद्ध व्यय की व्यवस्था की गयी है ।

5- नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ~~व्यय~~ वय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिए अंश कालीन कक्षायें खोलने हेतु अनुदान:- 6-14 वय वर्ग के ऐसे बच्चों जो नियमित रूप से अपना अध्ययन विद्यालयों में जारी नहीं रख सके हैं, को अनोपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षित करने हेतु 490 केन्द्रों के संचालन एवं शिक्षिकों ~~के मानदेय~~ का मानदेय हेतु वर्ष 87-88 में योजना में 446 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है ।

6- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सुदृढीकरण:- वर्ष 87-88 में योजना अन्तर्गत कोई नई योजना सम्मिलित नहीं की गयी है ।

7- जिले में कक्षा 6-8 में 15-0 रू0 मासिक की दर से योजना छात्रवृत्ति हेतु अनुदान:- इस योजना अन्तर्गत योग्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है । योजनान्तर्गत शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए 87-88 में 33 हजार रू0 ~~तथा~~ माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6-8 में पढने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 34 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है ।

8- प्रदेश में अशासकीय सी0बे0 स्कूलों का प्रान्तीयकरण:- इस योजना में वर्ष 87-88 में कोई नवीन प्रस्ताव नहीं किये गये हैं ।

9- जूनियर बेसिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक तथा सी0बे0 स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुदान:- बेसिक शिक्षा परिषद के ~~445~~ 449 प्राइमरी विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद सृजित नहीं हैं । वार्षिक योजना 87-88 में 449 सहायक अध्यापकों के पदों को उच्चीकृत कर प्रधानाध्यापक पद बनाने का प्रस्ताव है । इस प्रकार 449 प्रधानाध्यापक पदों पर वर्ष 87-88 के लिए 54 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है ।

10- ग्रामीण क्षेत्रों में भवन रहित जू0बे0 स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान:- भवन रहित विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 87-88 में 93 हजार रू0 प्रति विद्यालय भवन की दर से 9 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 840 ह0 रू0 का प्राविधान योजना में किया गया है ।

11- ग्रामीण क्षेत्रों में भवन रहित सी0बे0स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान:- भवन रहित सी0बे0स्कूलों के भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 180 हजार रू0 की दर 4 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 87-88 में 720 ह0 रू0 का प्राविधान किया गया है ।

12- जू0बे0स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतुअनुदान:- वर्ष 87-88 में 25 विद्यालयों को विज्ञान शिक्षा साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 600·00 रू0 प्रति विद्यालय की दर से 15 ह0 रू0 का प्राविधान किया गया है ।

13- ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु अनुदान:- वर्ष 87-88 में +5000-00 रू0 प्रति विद्यालय की दर से 8 विद्यालयों के लिए विज्ञान किट क्रय करने हेतु 40 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है ।

14- छात्र सं0 वृद्धि एवं स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण हेतु अनुदान:- निर्धन छात्रों एवं छात्राओं जो पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और नियमित रूप से विद्यालयों में अध्ययनरत नहीं रहते हैं, को प्रोत्साहित करने हेतु 3-00रू0 प्रतिछात्र,छात्रा की दर से 1666 छात्र,छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु योजना में 5000/- रू0 का प्राविधान किया गया है ।

15- जू0बे0स्कूलों में अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार देने हेतु अनुदान:- इस योजनान्तर्गत वर्ष 87-88 में 500-00 रू0 प्रति शिक्षक की दर 6 शिक्षकों को पुरस्कार देने हेतु 3000·00 का प्रविधान किया गया है ।

16- ग्रामीण क्षेत्रों में सी0बे0स्कूलों में साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु अनुदान:- सी0बे0स्कूलों में साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 3000-00 प्रति विद्यालय की दर से वर्ष 1987-88 में 30 विद्यालयों को साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 90 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है ।

17-जूनियर बेसिक स्कूलों में साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु अनुदान:- वर्ष 87-88 में 70 विद्यालयों को साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 1000·00 रू0 प्रति विद्यालय की दर से 70 हजार रू0 का प्राविधान योजना में किया गया है ।

18- सी0बे0 स्कूलों में बुक बैंक स्थापना हेतु अनुदान:- सी0बे0स्कूलों में बुक बैंक स्थापना हेतु 1250·00 रू0 प्रति विद्यालय की दर से 12 सी0बे0 स्कूलों में बुक बैंक स्थापना हेतु योजना में 15 हजार रू0 का प्राविधान किया गया है।

19- सहायता प्राप्त सी0बे0स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान :- इस योजनान्तर्गत वर्ष 87-88 में एक अशासकीय सी0बे0स्कूल के भवन निर्माण हेतु मानक अनुसार 54 हजार रू0 की योजना में व्यवस्था की गयी है।

20- विद्यालय संकुल निर्माण हेतु अनुदान:- शैक्षिक उन्नयन हेतु एक केन्द्रीय विद्यालय के अन्तर्गत आने वाले प्राइमरी एवं जू0हाई0 स्कूलों का संकुल बनाया जाना है। वर्ष 87-88 में 116 संकुलों के निर्माण हेतु 30 हजार रू0 प्रति संकुल 258-00 रू0 की दर से व्यवस्था की गयी है।

21- छात्रवृद्धि अभियान हेतु अनुदान:- 6-11 वय वर्ग के पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को विशेष रूप से छात्राओं को विद्यालयों में भर्ती कराने हेतु छात्रवृद्धि अभियान संचालन हेतु वर्ष 87-88 में 5 हजार रू0 की योजना में व्यवस्था की गयी है।

22- निर्बल वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने हेतु अनुदान:- निर्बल वर्ग के बच्चों को विशेष रूप से बालिकाओं को जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित नहीं होते हैं, के लिए 100/रू0 प्रति छात्र,छात्रा की दर से वर्ष 87-88 में 500 छात्र, छात्राओं को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु योजना में 50000·00 रू0 की व्यवस्था की गयी है। नई योजना के अन्तर्गत शाखा आधारित विद्यालयों को पूर्ण विद्यालय का दर्जा देने हेतु अनुदान के लिए वर्ष में 433 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

23 माध्यमिक शिक्षा:- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला सेक्टर में खेलकूद तथा युवक कल्याण, संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान तथा पुस्तकालय सेवा आते हैं।

(1) जनपद एवं मण्डलीय स्तर पर खेलकूद आयोजन हेतु टीम भेजने के लिए बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के लिए 40 हजार रू0 एवं माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए 15 हजार रू0 का परिव्यय 87-88 में प्रस्तावित है।

(2) संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान हेतु वर्ष 1987-88 में 21·10 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है।

(3) पुस्तकालय सेवा के अन्तर्गत वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालय के विकास हेतु 70 हजार रू0, सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान हेतु 7 हजार रू0 तथा तहसील स्थित राजकीय पुस्तकालयों की स्थापना और विकास हेतु 250 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

24- प्राविधिक शिक्षा:- चमोली जैसे पिछड़े जनपद हेतु पोलीटैकनिक की स्थापना का विशेष महत्व है। राजकीय पोलीटैकनिक के लिए गोचर में भूमि उपलब्ध है। इसकी कुल लागत 3 करोड़ की अनुमानित है। प्रथम वर्ष अर्थात 1987-88 में पोलीटैकनिक के भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ रू० का परिव्यय प्रस्तावित है।

25-खेलकूद एवं युवाकल्याण:- खेलकूद कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में जिला सैक्टर में कुल 1.68 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित है। चालू योजनाओं में क्रीडा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 15 हजार रू० तथा ग्रामीण क्षेत्र में खेल कूद केन्द्रों के विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में खेल कूद केन्द्रों की स्थापना हेतु 3800 रू० का परिव्यय प्रस्तावित है। नई योजना के अन्तर्गत क्रीडा प्रतिष्ठानों के निर्माण हेतु 1.50 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित है।

25-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

जनपद चमोली की जनसंख्या एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

वर्तमान योजनाओं के सुदृढीकरण एवं निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु वर्ष 87-88 की जिला सैक्टर योजना में निम्न प्राविधान किये जा रहे हैं :-

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद चमोली की जनसंख्या को मद्दयनजर रखते हुए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 उप केन्द्रों की स्थापना, एवं 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 15 उपकेन्द्रों के भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रा0स्वा0 केन्द्रों का उच्चीकरण योजना वर्ष 1986-87 से जिला सैक्टर में परिवर्तित हो गयी है। वर्तमान समय में दो उच्चीकृत प्रा0स्वा0 केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं जिसकी स्वीकृति रू0 102-32 लाख रू0 है। अत: वर्ष 1987-88 में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु 6 लाख रू0 का प्राविधान रखा गया है। वर्तमान में जनपद में 124 उपकेन्द्र हैं जो सभी किराये भवनों में स्थित हैं। 16 उप केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन तथा 15 उपकेन्द्रों के भवन 86-87 में प्रस्तावित हैं। इस प्रकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु वर्ष 87-88 में उप केन्द्रों के निर्माण हेतु 18 लाख रू0 का प्राविधान किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 48•60 लाख रू0 प्राविधान वर्ष 1987-88 के लिए किया जा रहा है।

क्षय रोग चिकित्सालय पटियालधार में 40 शैय्याओं का चिकित्सालय कार्यरत है, जिसमें अभी तक स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत नहीं हैं। 4 स्टाफ नर्स के पदों का प्राविधान 87-88 हेतु किया गया है।

जिला स्पताल गोपेश्वर में 4 आवासीय सुविधा का नर्सेज हास्टल निर्माणाधीन है, जिसकी लागत 4-61 लाख है। 87-88 में उक्त भवन को पूर्ण करने हेतु 1 लाख 10 हजार रू0 का प्राविधान किया जा रहा है।

बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जिला स्पताल में 10 शैय्याओं की वृद्धि की जानी आवश्यक है, जिसमें साज सज्जा आदि हेतु वर्ष 87-88 के लिए 2 लाख रू0 का प्राविधान रखा गया है।

वर्तमान समय में 5 राजकीय चिकित्सालय, 16 स्टाफ क्वार्टर्स, एक औषधी भण्डार निर्माणाधीन है तथा 2 चिकित्सालय 86-87 हेतु निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं । वर्ष 87-88 हेतु नये निर्माण कार्य नहीं रखे गये हैं । चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु योजना वर्ष 1987-88 में 20 लाख रू0 का प्राविधान किया जा रहा है ।

थराली, देवाल, नारायणबगड़ क्षेत्र में रोगी वाहन की व्यवस्था हेतु रू0 1.45 लाख की धनराशि की व्यवस्था की जा रही है । जिसमें वाहन चालक का पद भी सृजित होगा । जिला अस्पताल गोपेश्वर में एक्सरे मशीन अक्सर खराब रहती है, जिसके नई मशीन हेतु 2 लाख रू0 का प्राविधान योजना वर्ष 1987-88 में रखा जा रहा है ।

जिला योजना 87-88 में विभिन्न अस्पतालों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना को भी लक्ष्य रखा गया है ; जिस हेतु 1 लाख 20 हजार रू0 प्राविधानित हैं । वर्तमान समय में जिले में एक ही चोर घार है, बढती जनसंख्या एवं दुर्घटनाओं को देखते हुए एक दूसरा चोर घार कर्णप्रयाग में स्थापित होना आवश्यक है । इसके लिए 20 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय के विस्तार एवं स्थापना का प्राविधान का भी नई योजना में प्राविधान रखा गया है । क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के कार्यालय हेतु जीप एवं टैलीफोन व्यवस्था भी नई योजना में सम्मिलित है । इसके लिए भी 1.50 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

राजकीय होमोपैथिक अस्पतालों में अतिरिक्त दवाओं हेतु 15 हजार रू0 का अतिरिक्त प्राविधान किया गया है ।

यद्यपि इस विभाग की सभी योजनायें सामूहिक योजनायें हैं, फिर भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 2-2 उप केन्द्रों की स्थापना एवं निर्माण का लक्ष्य रखा जा रहा है ॥ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र थराली के लिए एक रोगी वाहन का लक्ष्य भी प्रस्तावित है ।

26- जलनिगम:-

पेयजल व्यवस्था का कार्यक्रम न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है,और पर्वतीय क्षेत्र में इस कार्यक्रि म का विशेष महत्व है ।

छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनपद में जलनिगम द्वारा रू0 100987/- का व्यय किया गया तथा 417 ग्रामों के लक्ष्य के विपरीत 434 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था की गयी ।

वर्ष. 1985-86 में न्यूनतम् आवश्यकता कार्यक्रम में रू0 16471 तथा त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 2055 का व्यय कर के 64 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया गया । वर्ष 1986-87 में कुल रू0 33714 का व्यय अनुमोदित है,तथा 15•5 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु वर्ष 1987-88 में 3•37 करोड़ रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है तथा 125 ग्रामों का लक्ष्य रखा गया है ।

27- सूचना विभाग:-

सूचना विभाग की केवल एक चालू योजना जिला सैक्टर में वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित है । सामूहिक दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत 40 टी0वी0 सेट्स के क्रय करने हेतु 40 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

इस विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 में 10 सामूहिक टेलीविजन सेट्स की स्थापना की गयी थी ।

वर्ष 1986-87 में सूचना विभाग द्वारा 30000/ रू0 का व्यय किया जायेगा जिससे जनपद में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 20 सामूहिक टेल विजन सेट्स की स्थापना की जायेगी ।

28- औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में दो चालू योजना ब्रान्च औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवाल/गैरसैंण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्णप्रयाग का भवन निर्माण एवं एक नई योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्णप्रयाग में पद सृजित हेतु 28•31 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

चालू योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं ब्रान्च आई0टी0आई0 के स्थापना हेतु 7•96 लाख रू0 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु 20 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है । नई योजना के

अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्णप्रयाग में फोरमैन तथा टंकण मैकेनिक के पदों के सृजन हेतु 35 हजार रू० के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

29- सेवायोजन:-

सेवा योजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला सेक्टर में वर्ष 1987-88 में केवल चालू योजनाओं में 1•43 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु केन्द्र की स्थापना हेतु 110 हजार तथा रोजगार बाजार सूचना इकाई की स्थापना के लिए 33 हजार रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

30- हरिजन एवं समाज कल्याण:-

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 में जिला सैक्टर में कुल 11•07 लाख रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है,जब कि इस कार्यक्रम में जनपद में वर्ष 1985-86 में 9•17 लाख रूपया व्यय हुआ और वर्ष 1986-87 में 9•29 लाख रू० व्यय होने का अनुमान है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान

के विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

{क} शैक्षिक कार्यक्रम:-

प्राइमरी कक्षाओं के अनुसूचित जाति के विद्यालयों हेतु 1•50 लाख रू0 के तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर के अनुसूचित जाति के विद्यालयों के लिए 3•50 लाख रू0 को छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य उपकरण हेतु अनावर्ती सहायता का प्रस्ताव रखा है । इसी प्रकार अनुसूचित जाति के छात्राओं को अपारच्यु-निटी कास्ट अनुदान हेतु वर्ष में 2•00 लाख रू0 का प्रस्ताव रखा है ।

2- दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष पुरस्कार हेतु वर्ष में 6 हजार रू0 प्रस्तावित है ।

3- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों, पुस्तकालयों एवं पाठशालाओं के सुधार/विस्तार हेतु 5 हजार रू0 का प्रस्ताव रखा गया है ।

{ख} आर्थिक उत्थान के कार्यक्रम:-

1- कृषि /बागवानी हेतु अनुसूचित जाति के परिवारों को अनुदान के मद में वर्ष में 1•20 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

2- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लघु कुटीर उद्योग हेतु अनुदान के लिए वर्ष में 1•20 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है ।

3- अनुसूचित जाति के परिवारों को गृह निर्माण/सुधार हेतु अनुदान के लिए वर्ष में 2·70 लाख रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

4- अन्य पिछड़ी जातियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि भूमि क्रय हेतु अनुदान तथा हायर पर्चेज के आधार पर दुकानों के निर्माण हेतु वर्ष में 90 हजार रू0 का परिव्यय प्रस्तावित है ।

जनपद में अनुसूचित जनजाति के भोटिया परिवारों के लिए निम्न योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं ।

क्र0सं0	कार्यक्रम का नाम	वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित परिव्यय (हजार रू0)
1	2	3
1-	गृह निर्माण विस्तार तथा मरम्मत हेतु अनुदान	60·00
2-	अन्य विशेष कार्यक्रम	137·00
3-	बागवानी अनुदान	75·00
4-	कुटीर उद्योग अनुदान	90·00
5-	अनुसूचित जनजाति का पुनर्वासन	50·00

समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं ।

क्र0सं0	कार्यक्रम का नाम	वर्ष 1987-88 में प्रस्तावित परिव्यय (हजार रू0 में)
1-	निर्धन एवं निराश्रित महिलाओं को उनके पुनर्वासन हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई मशीनों के क्रय हेतु अनुदान	20·00
2-	निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान	789·00
3-	शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों को कक्षा 8 तक शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	6·00
4-	शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम तथा विकलांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा तथा व्यवसायिक सर्व वृत्ति प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	6·00

5-शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांगों को कृत्रिम अंग तथा श्रवण यंत्र आदि क्रय करने हेतु अनुदान 3•00

6-निराश्रित तथा विकलांग व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु अनुदान 283•00

31-सैनिक कल्याण :- जिला सैक्टर में सैनिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1987-88 में 2•74 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

32- पुष्टाहार कार्यक्रम:-

जनपद में पुष्टाहार कार्यक्रम शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । वर्ष 1986-87 में शिक्षा विभाग द्वारा 1•50 लाख रू० तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा 1•32 लाख रू० के व्यय का अनुमान है । वर्ष 1987-88 में शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम में कोई परिव्यय नहीं किया गया है । जब कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 8•00 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

xxxxxxxx ********** xxx xxxxxx

विभागवार 1987-88 में प्रतिशत

क्र. सं.	विभाग का नाम.	प्रस्तावित परिव्यय हजार रूपये में	कुल परिव्यय में प्रतिशत
1.	कृषि	2400.00	1.76
2.	उद्यान	3132.10	2.29
3.	लघु सीमान्त कृषक योजना	3090.00	2.26
4.	भूमि संरक्षण	3525.00	2.58
5.	पशुपालन	3055.00	2.24
6.	मत्स्य	492.00	0.36
7.	वन	1871.00	1.37
8.	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	3420.45	2.51
9.	अतिरिक्त एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	2676.30	1.96
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	3032.70	2.22
11.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना	129.40	0.09
12.	पंचायत	91.00	0.07
13.	प्रादेशिक विकास दल	535.00	0.39
14.	सामुदायिक विकास	2816.00	2.07
15.	जिला परिषद अनुदान.	330.00	0.24
16.	विकास खण्ड अनुदान.	1100.00	0.80
17.	सहकारिता	1000.00	0.73
18.	निजी लघु सिंचाई	2591.00	1.90
19.	राजकीय लघु सिंचाई	14100.00	10.33
20.	विद्युत	16265.35	11.92
21.	उद्योग	2358.00	1.73
22.	उद्योग (रेशम)	250.60	0.18
	योग उत्पादक योजना	68260.90	50.00

विभागवार 1987–88 में प्रतिशत

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रस्तावित परिव्यय हजार रुपये में	कुल परिव्यय में प्रतिशत
23.	पर्यटन	110.00	0.08
24.	प्रारम्भिक शिक्षा	7404.00	5.43
25.	माध्यमिक शिक्षा	378.10	0.28
26.	प्राविधिक शिक्षा	10000.00	7.33
27.	खेलकूद	168.80	0.12
28.	जन स्वास्थ्य	8276.00	6.06
29.	जल निगम	33714.00	24.70
30.	हरिजन पेयजल	640.00	0.47
31.	आवास स्थल	66.60	0.05
32.	निर्बल वर्ग आवास	333.00	0.24
33.	सूचना	40.00	0.03
34.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2831.00	2.07
35.	सेवायोजन	143.00	0.11
36.	हरिजन एवं समाज कल्याण	1953.00	1.43
37.	समाज कल्याण	1107.60	0.81
38.	सैनिक कल्याण	274.00	0.20
39.	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	800.00	0.59
	योग योजना अनुत्पादक	68239.10	50.00
	कुल योग	136500.00	100.00

अध्याय-14

योजनाओं का वित्त पोषण

जनपद की जिला सेक्टर योजनाओं के लिए वर्ष 1985-86 में 94258 हजार रू० वर्ष 1986-87 में 124056-5 हजार रू० तथा 1987-88 हेतु 1365 लाख रू० नैमित्तिक किये गये हैं।

वर्ष 1987-88 के लिए नैमित्तिक धनराशि का भार उत्तर प्रदेश शासन पर है।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, पर्यटन योजना, विशेष संबंधित योजना (केन्द्र पुरोनिर्धारित योजना) शिक्षित बेरोजगार को रोजगार नगरीय निर्धन योजना आदि बैंक के ऋण से जुड़े हुए हैं। ऋण से सम्बद्ध इन योजनाओं हेतु एनुअल ऐक्शन प्लान 1987 में वित्त पोषण हेतु व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1987 के लिए एनुअल ऐक्शन प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही अग्रणी बैंक अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक चमोली को सौंपी गयी है। केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत एकीकृत ग्राम्य विकास, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, भूमि संरक्षण कार्यक्रम, कृषि, वन, उद्योग, प्रौढ शिक्षा तथा विशेष समन्वित योजनायें जनपद में कार्यान्वित है।

निर्माण से संबंधित निर्माण सामग्री जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, प्रयोग में लाई जायेगी/ अन्य सामग्री के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने के कारण बाहर से मंगाई जायेगी। इसी प्रकार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कुशल एवं अकुशल श्रमिक भी रोजगार में लगाये जायेंगे। अनुपलब्धता की स्थिति में बाहरी क्षेत्र से व्यवस्था की जायेगी।

जिलास सैक्टर योजना वर्ष 1987-88 का संक्षिप्त विवरण

क्र०सं०	विभाग	परिव्यय (हजार रू० में)	कार्य विवरण
1-	कृषि	2400-00	1- 3 बीज गोदामों का निर्माण 2- कृषि फार्म का रखारखाव 3- 800 उर्वरक प्रदर्शन 4- 200 तिलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बृहत प्रदर्शन 200
2-	उद्यान	3132-10	1- ट्रक चालक ऐवं क्लीनर हेतु आवास निर्माण 2- 150 संयंत्र/यंत्र वितरण 3- 1500 हैक्टयर क्षेत्र में करमुला कोट की रोकथाम 4- उद्यानिकी कार्यक्रम हेतु स्टाफ का सुदृढीकरण उद्यान रक्षा कार्यक्रम में 5- 4 सचल दलों की स्थापना 6- आलू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दो सचल दलों की स्थापना
3-	लघु सीमान्त कृषकों को सहायता	3090-00	1- 5020 लघु सीमान्त कृषकों को लाभान्वित करने की योजना
4-	भूमि संरक्षण	3525-00	1- 1500 हैक्टयर भूमि संरक्षण
5-	पशुपालन	3055-00	1- एक पशु चिकित्सालय की स्थापनाएँ 2- पशु चिकित्सालय मैहलचौरी का निर्माण 3- 800 चूजे (मुर्गी के बच्चों) का वितरण 4- भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र पीपलकोटी के भवनों की मरम्मत 5- 4 पशु सेवा केन्द्रों का निर्माण
6-	मत्स्य	492-00	1- 5000 अंगुलिकायें वितरण
7-	वन	1871-00	1- 54 कि०मी० सड़क के किनारे वृक्षारोपण 2- 6 भवन पूर्ण निर्माण 3- 14 भवन आंशिक भवन निर्माण 4- पैदल मार्ग निर्माण 33 कि०मी० 5- पैदल मार्ग सुधार 72 कि०मी० 6- पुल सुधार- 4

8- ग्राम्य विकास कार्यक्रम एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एवं अतिरिक्त ग्राम्य विकास योजना	6096-75	1- नये 3108 परिवार एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करना 2- पुराने 1079 परिवार एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करना
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	3032-70	1- 1052 मी0टन खाद्यान वितरण
10-ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	129-40	1- 1406 हजार मानव दिवस का सृजन ।
11-पंचायत	91-00	1- खडंजा तथा भूमिगत नालियों का निर्माण 12 ग्राम सभायें
12- प्रान्तीय विकास दल	535-00	1- 66 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 2- 92 युवक मंगलदलों का प्रोत्साहन 3- एक जीप क्रय करने की योजना
3-सामुदायिक विकास	2816-00	1- 3 विकास खण्डों में विद्युतीकरण एवं भवन निर्माण 2- जिला मुख्यालय पर 10 भवनों का निर्माण
4- जिला परिषद का अनुदान	330-00	1- सड़क मरम्मत हेतु प्राविधान
5- विकास खण्ड अनुदान	1100-00	1- 28 ग्राम सभाओं में खण्डजा निर्माण
6- सहकारिता	1000-00	1- जिला सहकारी बैंक की 5 शाखाओं को प्रबंधकीय अनुदान 2- एक जिला सहकारी बैंक का नवीनीकरण 3- 28 पैक्स के लिए पुनर्स्थान हेतु प्राविधान
- लघु सिंचाई	259-00	1- 18 कि0मी0 गूल निर्माण 2- 20 हौज निर्माण 3- 12 हाईड्रम निर्माण
- राजकीय लघु सिंचाई	14100-00	1- 3 कि0मी0नई नहर का निर्माण 2- 271 कि0मी0चालू योजनाओं का पूर्ण किया जाना
- विद्युत	16265-35	1- 100 ग्रामों का विद्युतीकरण 2- 80 हरिजन वस्तियों का विद्युतीकरण

20- उद्योग तथा हथकरघा उद्योग (रेशम)	2603-60	1-जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण 10 व्यक्तियों को 2- रिंगाल उपयोगी केन्द्र 5 3-उद्यमियों के माध्यम से कालीन प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थी- 100 4- एक हास्टल निर्माण 5- 43 क्वाटर निर्माण
21- पर्यटन	110-00	1- पाण्डुकेशर में मिनीकेफेटिरिया तथा शौचालय का निर्माण
22-प्रारम्भिक शिक्षा	7404-00	1- 14 जूनियर बेसिक स्कूल खोलना 2- 2 सीनियर बेसिक स्कूल खोलना 3- 8 जूनियर बेसिक स्कूल भवन रहित के भवन निर्माण 4- 4 सीनियर बेसिक स्कूल के भवन निर्माण
23-माध्यमिक शिक्षा	378-10	1- पुस्तकालय शाखा खोलना - 1 2- संस्कृत पाठशाला काण्डई को भवन निर्माण अनुदान
24- खेल कूद	168-80	1- स्टेडियम निर्माण- 1
25- प्राविधिक शिक्षा	10000-00	1-राजकीय पौलीटैक्निक गोचर का भवन निर्माण
26- जनस्वास्थ्य	8276-00	1- उप केन्द्रों की स्थापना - 10 2- उप केन्द्रों का भवन निर्माण- 15 3- वर्तमान आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालय प्रोन्नयन - 10 4- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना- 1 5- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण- 1 6- एम्बुलेन्स क्रय - 7- जीप क्रय - 1 8- चोर द्वार निर्माण -1
27- जल निगम	33714-00	1- 125 ग्रामों को लाभान्वित करना
28- हरिजन पेयजल	640-00	1- 32 योजनाओं का निर्माण

29-	निर्बल वर्ग आवास एवं आवास स्थल विकास	399-60	1- निर्बल वर्ग आवास का निर्माण-111
30-	सूचना	40-00	1- सामुदायिक टेलीविजन 40 की स्थापना
31-	सेवायोजन	143-00	1- चालू योजना हेतु
32-	औद्योगि प्रशिक्षण संस्थान	2831-00	1-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्णप्रयाग के भवन का निर्माण 2- दो शाखाओं को उपकरण क्रय
33-	हरिजन कल्याण	1953-60	1- अनुसूचित जाति के 2500 छात्रों को छात्रवृत्ति 2-अनुसूचित जनजाति के 842 छात्रों को छात्रवृत्ति 3- पिछड़ी जाति के 321 छात्रों को छात्रवृत्ति 4- कुटीर उद्योग हेतु अनुदान 5- कृषि/बागवानी हेतु अनुदान
33-	समाज कल्याण	1107-00	1- 1095 विद्यालयों को भरण पोषण अनुदान 2- कृतिम अंग उपलब्ध कराना- 6 ब्यक्तियों को 3- विकलांगों को भरण पोषण 338 ब्यक्तियों को
34-	सैनिक कल्याण	74-00	1- चालू योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु अनुदान
35-	पुष्टाहार	800-00	1- दो नये विकास खण्डों में योजना चलाने हेतु
योग:-		136500-00	

योजनावार व्यय /परिव्यय (सेक्टरवार विवरण)   जी.एन.- 1   (हजार रू. में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ष 1980-85 का व्यय	वर्ष 1985-86 का व्यय	1986-87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 1986-87 का अनुमानित व्यय			वर्ष 1987-88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ.प. कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ.प. कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आ.प. कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कृषि	1550.90	1011.67	1930.00	500.00	-	1930.00	500.00	-	2400.00	600.00	-
2.	उद्यान	8636.40	2667.86	4077.00	800.00	-	4077.00	800.00	-	3132.10	421.00	-
3.	लघु सिमान्त कृषक योजना	734.50	1427.45	3090.00	-	-	3090.00	-	-	3090.00	-	-
4.	भूमि संरक्षण	10532.00	2487.00	2344.00	-	-	2344.00	-	-	3525.00	-	-
5.	पशुपालन	2535.00	1910.61	2093.00	584.00	-	2093.00	584.00	-	3055.00	940.00	-
6.	मत्स्य	62.74	-	352.00	-	-	352.00	-	-	492.00	-	-
7.	वन	5864.00	1099.71	2485.00	1155.00	-	2485.00	1155.00	-	1871.00	1533.00	-
8.	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	1785.00	3856.60	6219.00	-	-	6219.00	-	-	3420.45	-	-
9.	अति. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	15488.00	3750.00	2433.00	-	-	2433.00	-	-	2676.30	-	-
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	8747.85	1448.50	2757.00	2757.00	-	2757.00	2757.00	-	3032.70	3032.70	-
11.	ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गा. योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	129.40	129.40	-
12.	पंचायत	111.25	30.35	173.00	154.50	-	173.00	154.50	-	91.00	85.00	-
13.	प्रा. वि. दल	91.00	272.00	369.00	125.00	-	369.00	125.00	-	535.00	360.00	-
14.	सामुदायिक विकास	470.00	11.00	823.00	50.00	-	823.00	50.00	-	2816.00	2800.00	-
15.	जिला परिषद अनुदान	947.50	500.00	300.00	-	-	300.00	300.00	-	330.00	-	-
16.	विकास खण्ड अनु.	3850.00	614.39	1100.00	1100.00	-	1100.00	1100.00	-	1100.00	1100.00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय (सेक्टरवार विवरण) पी. एन. – (हजार रु. में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष 1980–85 का व्यय	वर्ष 1985–86 का व्यय	1986–87 का अनुमोदित परिव्यय			वर्ष 1986–87 का अनुमानित व्यय			वर्ष 1987–88 का प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आव. कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आव. कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आव. कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	सहकारिता	4062.00	660.00	728.00	–	–	728.00	–	–	1800.00	–	–
18.	निजी लघु सिचाई	8719.00	2454.83	2395.00	1700.00	–	2395.00	1700.00	–	2591.00	1876.00	–
19.	राजकीय लघु सिं.	38424.40	10200.00	14100.00	12500.00	–	14100.00	12500.00	–	14100.00	12500.00	–
20.	विद्युत	39055.00	11922.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	15200.00	16265.35	16265.35	16265.35
21.	उधोग	5110.35	1019.56	2255.20	500.00	–	2255.20	500.00	–	2358.00	1000.00	–
22.	उधोग (रेशम)	18.00	119.83	242.00	–	–	242.00	–	–	250.60	–	–
23.	योग उत्पादक	156794.89	47463.36	65465.20	37125.50	15200.00	65465.20	37125.50	15200.00	68260.90	42622.45	16265.35
23.	पर्यटन	525.00	4.00	100.00	–	–	100.00	–	–	110.00	[illegible]	–
24.	शिक्षा (प्रा०)	20743.123	7536.06	6338.00	2097.00	6308.00	6338.00	2097.00	6308.00	7404.00	1776.00	7374.00
25.	शिक्षा (माध्य.)	139.10	322.00	292.00	–	–	292.00	–	–	378.10	18.00	–
26.	प्राविधिक शिक्षा	3650.00	588.62	4304.00	4300.00	–	4304.00	4300.00	–	10000.00	10000.00	–
27.	क्रीड़ा	34.36	4.72	18.80	–	–	18.80	–	–	168.80	150.00	–
28.	जनस्वास्थ्य	11742.00	2278.95	7350.00	6050.00	6170.00	7350.00	6050.00	6170.00	8276.00	7420.00	4860.00
29.	जल निगम	54227.00	16471.00	33714.00	33714.00	33714.00	33714.00	33714.00	33714.00	33714.00	33714.00	33714.00
30.	ग्राम्य विकास											

योजनवार व्यय/परिव्यय (सेक्टरवार विवरण)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष 1980-85 का व्यय	वर्ष 1985-86 का व्यय	1986-87 का अनुमोदित परिव्यय: कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आव. कार्यक्रम	वर्ष 1986-87 की अनुमानित व्यय: कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आव. कार्यक्रम	वर्ष 1987-88 का प्रस्तावित परिव्यय: कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आव. कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	ग्रामीण आवास स्थल	196.00	66.60	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	66.60	66.60	66.60
32.	निर्बल वर्ग आवास	2276.00	317.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00
33.	सूचना	107.00	30.00	30.00	–	–	30.00	–	–	40.00	–	–
34.	औद्योगिक प्रशि. सं.	158.00	2000.00	2460.00	2000.00	–	2460.00	2000.00	–	2831.00	2380.00	–
35.	सेवायोजन	–	8.50	130.00	–	–	130.00	–	–	143.00	–	–
36.	हरिजन कल्याण	1816.20	949.30	1623.00	–	250.00	1623.00	–	250.00	1953.00	–	270.00
37.	समाज कल्याण	266.50	917.88	929.50	–	–	929.50	–	–	1107.60	[illegible]	[illegible]
38.	सैनिक कल्याण	200.00	447.00	–	–	–	–	–	–	274.00	274.00	–
39.	विशेष पुष्टाहार (शिक्षा विभाग)	–	48.49	150.00	–	150.00	150.00	–	150.00	–		–
40.	पुष्टाहार (समाज कल्याण)	500.00	118.40	132.00	–	132.00	132.00	–	132.00	800.00	–	800.00
	योग अनुत्पादक	99520.80	32720.7[illegible]	58594.72	49184.00	47747.00	58594.50	49184.00	47747.00	68239.10	5[illegible]71.63	48057.[illegible]
	कुल योग	256315.74	80184.08	124059.50	86309.50	62947.00	124059.50	86309.50	62947.00	136500.00	89494.5	64322.95

45A

रूप पत्र - 1

(हजार रु०में)

वर्ष 1987-88 के लिये प्रस्तावित परिव्यय (चालू व नई योजना सहित)

क्र. सं.	विभाग का नाम	1987-88 का प्रस्तावित परिव्यय चालू योजना	नई योजना	कुल परिव्यय
1.	कृषि	2195.00	205.00	2400.00
2.	उद्यान	3132.10	-	3132.10
3.	लघु सीमान्त कृषक योजना	3090.00	-	3090.00
4.	भूमि संरक्षण	3525.00	-	3525.00
5.	पशुपालन	2350.00	705.00	3055.00
6.	मत्स्य	492.00	-	492.00
7.	वन	1871.00	-	1871.00
8.	एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	3420.45	-	3420.45
9.	अति. आई.आर.डी.	2676.30	-	2676.30
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	3032.70	-	3032.70
11.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना	-	129.40	129.40
12.	पंचायत	91.00	-	91.00
13.	प्रादेशिक विकास दल	424.00	111.00	535.00
14.	ग्राम्य विकास	316.00	2500.00	2816.00
15.	जिला परिषद अनुदान	330.00	-	330.00
16.	विकास खण्डों को अनुदान	1100.00	-	1100.00
17.	सहकारिता	749.00	251.00	1000.00
18.	निजी लघु सिंचाई	2591.00	-	2591.00
19.	राजकीय लघु सिंचाई	14100.00	-	14100.00
20.	विद्युत	16265.35	-	16265.35
21.	उद्योग	2153.00	205.00	2358.00
22.	उद्योग (रेशम)	250.60	-	250.60
23.	पर्यटन	10.00	100.00	110.00
24.	प्रारम्भिक शिक्षा	6971.00	433.00	7404.00
25.	माध्यमिक शिक्षा	378.10	-	378.10
26.	प्राविधिक शिक्षा	10000.00	-	10000.00
27.	क्रीडा	18.00	150.00	168.00
28.	जनस्वास्थ्य	5481.00	2795.00	8276.00
29.	जल निगम	33714.00	-	33714.00
30.	हरिजन पेयजल योजना	640.00	-	640.00
31.	आवास स्थल	66.60	-	66.60
32.	निर्बल वर्ग आवास	333.00	-	333.00
33.	सूचना	40.00	-	40.00
34.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2796.00	35.00	2831.00
35.	सेवा योजना	143.00	-	143.00
36.	हरिजन कल्याण	1953.00	-	1953.00
37.	समाज कल्याण	1107.00	-	1107.00
38.	सैनिक कल्याण	274.00	-	274.00
39.	पुष्टाहार समाज कल्याण	800.00	-	800.00
	योग -	128880.60	7619.40	136500.00

योजनावार ब्यय/परिब्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- कृषि . (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमोदित परिब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1986-87 अनुमानित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में उर्वरकों के कम्पोजिट प्रदर्शन.	30-10	19-68	60-00	-	-	60-00	-	-	65-00	-	-
2-	जनजाति विकास खण्डों में बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों पर राजसहायता यो0 -	49-60	45-00	60-00	-	-	60-00	-	-	65-00	-	-
3-	दलहनी फसलों की सघन खेती की योजना	190-30	30-00	30-00	-	-	30-00	-	-	35-00	-	-
4-	कृषि रक्षा कार्यक्रम के सुदृढीकरण (कुरमुला कीट के नियंत्रण एवं उन्मूलन)की योजना	933-00	274-44	430-00	-	-	430-00	-	-	475-00	-	-
5-	उर्वरक परिवहन पर राज सहायता	60-00	160-00	180-00	-	-	180-00	-	-	200-00	-	-
6-	सघन कृषि एवं बहुफसली योजना	-	-	550-00	-	-	550-00	-	-	605-00	-	-
7-	गुणात्मक बीजों के उत्पादन संग्रहण एवं वितरण की योजना	287-90	482-55	620-00	500-00	-	620-00	500-00	-	750-00	600-00	-
	योग:-चालू योजना	1550-90	1011-67	1930-00	500-00	-	1930-00	500-00	-	2195-00	600-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- कृषि-

(हजार रू0 में)

जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमोदित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमोदित परिव्यय न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	1987-88 प्रस्तावित व्यय पूंजीगत	1987-88 प्रस्तावित व्यय न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नई योजना:-												
1-	तिलहन विकास योजना।	-	-	-	-	-	-	-	-	205-00	-	-
योग नई योजना:-		-	-	-	-	-	-	-	-	205-00	-	-
कुल योग नई + चालू योजना:-		1550-90	1011-67	1930-00	500-00	-	1930-00	500-00	-	2400-00	600-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम-- उद्यान एवं फलोद्यान   (हजार रु0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इनपुट्स तथा फलपौध, सब्जी बीज के परिबहन/कीट एवं व्याधियों (करमुला कीट) की रोक थाम औद्यानिक ऋण एवं तकावी के वितरण पर राज सहायता											
(1)	फल पौध सब्जी के परिबहन पर राजसहायता।	325-13	150-00	420-00	-	-	420-00	-	-	312-00	150-00	-
(2)	औद्यानिक फसलों के कीट एवं व्याधि की रोक थाम एवं पौध रक्षा कार्य पर राज सहायता।	175-57	45-00	45-00	-	-	45-00	-	-	50-00	-	-
(3)	वितरित किये गये दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण के मूलधन पर राज सहायता।	55-49	68-35	130-00	-	-	130-00	-	-	100-00	-	-
(4)	औद्यानिक औजार/संयंत्रों के वितरण पर राज सहायता।	31-96	16-00	12-00	-	-	12-00	-	-	15-00	-	-

विभाग का नाम-उद्यान एवं फलोद्यान   (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(5)	आलू एवं सब्जियों की फसल पर कुरमुला कीट के विरुद्ध उपचार।	363-71	71-00	50-00	-	-	50-00	-	-	63-00	-	-
योग:-1		951-86	350-35	657-00	-	-	657-00	-	-	540-00	150-00	-
2-	नवीन उद्यानों खुम्ब उत्पादन इकाई तथा शीतगृहों की स्थापना हेतु कृषकों को दीर्घकालीन ऋण वितरण											
(1)	दीर्घकालीन बागवानी ऋण वितरण	5875-00	1135-00	2000-00	-	-	2000-00	-	-	1000-00	-	-
(2)	मशरूम उत्पादन हेतु दीर्घकालीन ऋण	-	-	50-00	-	-	50-00	-	-	-	-	-
(3)	फल उत्पादकों को शीतगृहों के निर्माण हेतु दीर्घकालीन (तकावी) ऋण।	75-00	90-00	30-00	-	-	30-00	-	-	90-00	-	-
योग:-2		5950-00	1225-00	2080-00	-	-	2080-00	-	-	1090-00	-	

-100-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- उद्यान एवं फलउद्योग   (हजार रु0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-	उद्यान एवं पौधा रक्षा सेवा का सुदृढीकरण तथा विकास क्षेत्र स्तर पर औद्यानिक कार्यक्रमों का समन्वय।											
(1)	पर्वतीय क्षेत्र के विकास खण्डों में औद्यानिक कार्यक्रमों का विस्तार एवं समन्वय	-	-	100-00	-	-	100-00	-	-	142-60	-	-
(2)	उद्यान एवं पौधा रक्षा प्रसार सेवा का सुदृढीकरण	29-64	209-30	300-00	-	-	300-00	-	-	580-50	-	-
योग:-2		29-64	209-30	400-00	-	-	400-00	-	-	723-10	-	-
4-	आलू विकास एवं प्रमाणित आलू तथा सब्जी उत्पादन का सुदृढीकरण।											
(1)	सब्जी बीज एवं आलू बीज के सम्बर्धन एवं प्रमाणीकरण की योजना	238-63	23-21	40-00	-	-	40-00	-	-	148-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- उद्यान एवं फलोद्योग (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0 योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय कुल	1986-87 अनुमानित परिव्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित परिव्यय न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूंजीगत	1986-87 अनुमानित व्यय न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	1987-88 प्रस्तावित व्यय पूंजीगत	1987-88 प्रस्तावित व्यय न्यू0 आव0 कार्य0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(2) पर्वतीय क्षेत्र में आलू विकास को सघन करने की योजना।	130-89	40-00	45-00	-	-	45-00	-	-	300-00		-
योग:- 4	368-52	63-21	85-00	-	-	35-00	-	-	448-00	-	-
5- अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य विकास विकास खण्डों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को लोक प्रिय बनाने की योजना।	26-43	12-00	55-00	-	-	55-00	-	-	60-00	-	-
6-भवन निर्माण कार्य।	1300-00	808-00	800-00	800-00	-	800-00	800-00	-	271-00	271-00	-
7-पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत सघन रोपण कार्यक्रम	9-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग:-	1336-38	820-00	855-00	300-00	-	355-00	800-00	-	331-00	271-00	-
कुल योग-	3636-40	2667-86	4077-00	800-00	-	4077-00	800-00	-	3132-10	421-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग   (हजार रु0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	लघु व सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता।	734-50	1427-45	2750-00	-	-	2750-00	-	-	2750-00	-	-
2-	उक्त योजना पर लघु सिंचाई एवं भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.आर.डी. पैटर्न पर अतिरिक्त अनुदान की धन-राशि।	-	-	340-00	-	-	340-00	-	-	340-00	-	-
	योग-	734-50	1427-45	3090-00	-	-	3090-00	-	-	3090-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- कृषि विभाग, भूमि संरक्षण   (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	पर्वतीय क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण योजना ।	10552-00	2487-00	2344-00	-	-	2344-00	-	-	3525-00	-	-
2-	वाढोन्मुख केन्द्र पोषित योजना अपर गंगा	2820-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग-		13372-00	2487-00	2344-00	-	-	2344-00	-	-	3525-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम-पशुपालन (हजार रु0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-पशु चिकित्सा सेवायें एवं स्वास्थ्य-												
1-	खुरपका, मुहपका रोग के रोकथाम हेतु ए.डी.वैक्सीन की व्यवस्था (50% केन्द्र तथा 50% राज्य अंश)	25-00	-	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-
2-	एन्टी रैबीज बाईरस रोग की रोक थाम हेतु एन्टी रैबजी वैक्सीन का क्रय।	25-00	20-00	8-00	-	-	8-00	-	-	10-00	-	-
3-	पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार एवं विस्तार की योजनायें- "ए" तथा "बी" श्रेणी के पशु चिकित्सालयों पर अतिरिक्त दवाओं एवं साज सज्जा की व्यवस्था।	50-00	20-00	24-00	-	-	24-00	-	-	24-00	-	-
4-	पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना।	1198-00	-	300-00	90-00	-	300-00	90-00	-	250-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- पशुपालन-क्रमश: (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0 सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5-	"ए" श्रेणी के पशु चिकित्सालयों पर मेख्य पशु औषधिक के पद का सृजन।	-	0-20	12-00	-	-	12-00	-	-	20-00	-	-
	2-पशुधन-विकास											
1-	पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु साँडों को उत्पादन की योजना											
	1-उन्नत साँडों का क्रय	31-00	50-00	50-00	-	-	50-00	-	-	64-00	-	-
	2-पर्वतीय क्षेत्र में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना तथा साँड परिचर का प्राविधान	507-00	278-87	341-00	40-00	-	341-00	40-00	-	381-00	-	-
	3-कुक्कुट विकास											
	संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत कुक्कुट उत्पादन की योजना।	47-00	20-00	20-00	-	-	20-00	-	-	8-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- पशुपालन क्रमशः: (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2-	नयें कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण	-	702-00	200-00	-	-	200-00	-	-	140-00	-	-
	4-भेड़ एवं ऊन विकास											
	भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण सेवायें-											
1-	परजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये भेड़ों को सामूहिक रूप से दवा पिलाने की योजना	153-00	-	160-00	-	-	160-00	-	-	160-00	-	-
2-	नयें भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना	-	30-24	80-00	30-[illegible]	-	80-00	30-00	-	90-00	-	-
3-	भेड़ प्रजनन मार्ग पर बहुद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना।	-	60-00	20-00	-	-	20-00	-	-	25-00	-	-
4-	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र गोचलकोटी चमोली के सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजना।	-	177-50	200-00	200-00	-	200-00	200-00	-	220-00	200-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जो0एन0-2

विभाग का नाम- पशुपालन क्रमशः (हजार रु0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5-	पर्वतीय क्षेत्रों में अंगोरा शशक प्रजनन फाइनियाँ इकाइयों की स्थापना	-	200-00	200-00	124-00	-	200-00	124-00	-	300-00	200-00	-
6-	**अन्य पशुधन विकास**											
1-	पशुधन विकास संबंधित कार्यक्रमों के विस्तार की योजना ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम भेड़/पशु प्रदर्शिनियों को प्रसार सामग्री।	5-00	9-98	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-
2-	हाड़ा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण	404-00	163-50	138-00	-	-	138-00	-	-	138-00	-	-
7-	**चारा नर्सरियों का सदृढ़ीकरण**											
-	पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सुधार एवं विस्तार की योजना-	90-00	90-00	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-
क-	पशु चिकित्सालयों की स्थापना	-	88-32	40-00	-	-	40-00	-	-	60-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय — जी0एन0-2

विभाग का नाम- पशुपालन क्रमश: (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-86 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ख-	पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	-	-	50-00	-	-	50-00	-	-	40-00	-	-
ग-	पशु चिकित्सालयों पर टेलीफोन की व्यवस्था (प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर स्थित पशु चिकित्सालयों पर)	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-	10-00	-	-
घ-	पशु चिकित्सालयों तथा पशु सेवा केन्द्रों हेतु भवन निर्माण।	-	-	100-00	100-00	-	100-00	100-00	-	300-00	300-00	-
2-	पशुधन विकास:-											
(1)	प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना, पर्वतीय क्षेत्र में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना तथा सांड परिचार का प्राविधान	-	-	40-00	-	-	40-00	-	-	50-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- पशुपालन क्रमश: (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-	भेड़ एवं ऊन विकास:-											
(1)	पर्वतीय क्षेत्र में नयें भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना ।	-	-	30-00	-	-	30-00	-	-	-	-	-
	योग:-	2535-00	1910-61	2093-00	584-00	-	2093-00	584-00	-	2350-00	700-00	-
	नई योजना-											
1-	पशु सेवा केन्द्रों पर भवन निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	240-00	240-00	-
2-	वर्तमान पशु सेवा केन्द्रों का डी क्लास डिस्पेन्सरी के रूप में उच्चीकरण।।	-	-	-	-	-	-	-	-	65-00	-	-
3-	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों पर भवन निर्माण ।	-	-	-	-	-	-	-	-	400-00	-	-
	योग (नई योजना) -	-	-	-	-	-	-	-	-	705-00	240-00	-
	कुल योग:-	2535-00	1910-60	2093-00	584-00	-	2093-00	584-00	-	3055-00	940-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- मत्स्य विभाग   (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 आव0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	तलवाड़ी हैचरी पर आवासीय गृह एवं अन्य भवनों का निर्माण ।	62-74	-	152-00	-	-	152-00	-	-	152-00	-	-
2-	प्रशासकीय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।	-	-	200-00	-	-	200-00	-	-	340-00	-	-
योग:-		62-74	-	352-00	-	-	352-00	-	-	492-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय — जी0एन0-2

विभाग का नाम- वानिकी (वनसंरक्षक) — (हजार रू0 में) — जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों के किनारे वृक्षारोपण ।	1302-00	217-79	180-00	-	-	180-00	-	-	233-00	-	-
2	ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण ।	-	-	935-00	-	-	935-00	-	-	-	-	-
3	वन संचार साधन ।	931-00	430-98	450-00	450-00	-	450-00	450-00	-	507-00	507-00	-
4	भवन निर्माण ।	526-00	352-97	375-00	375-00	-	375-00	375-00	-	850-00	850-00	-
5	वन कर्मचारियों के लिए पेयजल तथा विद्युत सुविधा तथा टांगिया कृषकों को सुविधायें	-	-	330-00	330-00	-	330-00	330-00	-	156-00	156-00-	
6	अधिक उच्च क्षेत्र प्राणी उद्यान एवं मनोरंजन तथा वन चेतना केन्द्रों की स्थापना एवं विकास ।		47-99	25-00	-	-	25-00	-	-	50-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

भाग का नाम- वानिकी (वन संरक्षक) क्रमश: (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 का0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 का0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 का0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	न पंचायतों के माध्यम से चारागाहों ा विकास।	-	-	140-00	-	-	140-00	-	-	-	-	-
	ोल सब्सिडी।	165-00	49-98	50-00	-	-	50-00	-	-	75-00	-	-
	ार्थिक एवं औद्योगिक प्रजातियों - वृक्षारोपण	2840-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	5864-00	1099-71	2485-00	1155-00	-	2485-00	1155-00	-	1871-00	1513-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग   (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	एकीकृत ग्राम्य विकास (50% राज्य अंश)	17085-00	3856-60	6219-00	-	-	6219-00	-	-	3420-45	-	-
2-	एकीकृत ग्राम्य विकास (अतिरिक्त राज्य अंश)	15488-00	3750-00	2433-00	-	-	2433-00	-	-	2676-30	-	-
योग:-		32573-00	7606-60	8652-00	-	-	8652-00	-	-	6096-75	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग

(हजार रु0 में)

जिला सेक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 का0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	8747-85	1448-50	2757-00	2757-00	-	2757-00	2757	-	3032-70	3032-70	-
	नई योजना-											
2-	ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी योजना।	-	-	-	-	-	-	-	-	129-40	129-40	-

योजनावार व्यय/परिव्यय — जी0एन0-2 — 116

विभाग का नाम- पंचायती राज विभाग — (हजार रु0 में) — जिला सैक्टर

क्र0सं0 योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-पंचायतीराज उद्योग को तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता।	50-00	4-35	12-50	-	-	12-50	-	-	-	-	-
2- पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु उनकी आय में वृद्धि करने के लिए ग्राम सभाओं को प्रोत्साहन	26-75	6-00	6-00	-	-	6-00	-	-	6-00	-	-
3-ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिए खड़ंजा नाली निर्माण।	-	20-00	54-50	54-50	-	54-50	54-50	-	60-00	60-00	-
4-पंचायत भवनों का निर्माण।	10-00	-	50-00	50-00	-	50-00	50-00	-	25-00	25-00	-
5-पंचायत उद्योगों की कार्यशाला का निर्माण।	--	-	50-00	50-00	-	50-00	50-00	-	-	-	-
6-पी0आर0ए0 टाइप शौचालय निर्माण।	24-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग:-	111-25	30-35	173-00	154-50	-	173-00	154-50	-	91-00	85-00	-

योजनावार ब्यय/परिब्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- प्रादेशिक विकास दल (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमोदित परिब्यय			1986-87 अनुमानित ब्यय			1987-88 प्रस्तावित ब्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-ग्रामीण खेलकूद।	140-00	24-00	24-00	-	-	24-00	-	-	35-00	-	-
	-स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण।	35-00	94-44	90-00	-	-	90-00	-	-	46-00	-	-
	-युवक मंगलदलों को प्रोत्साहन।	32-00	121-00	100-00	-	-	100-00	-	-	37-00	-	-
	-युवा केन्द्र को स्थापना	-	30-00	30-00	-	-	30-00	-	-	36-00	-	-
	-व्यायामशालाओं को स्थापना	10-00	2-56	125-00	125-00	-	125-00	125-00	-	270-00	250-00	-
	योग:-	91-00	272-00	369-00	125-00	-	369-00	125-00	-	424-00	250-00	-
	नई योजना-											
	-जिला कार्यालय का सुदृढीकरण (जीप क्रय, चालक का वेतन, गाड़ी अनुरक्षण तथा कार्यालय की साज सज्जा)	-	-	-	-	-	-	-	-	111-00	110-00	-
	योग:-	-	-	-	-	-	-	-	-	111-00	110-00	-
	महायोग:-	91-00	272-00	369-00	125-00	-	369-00	125-00	-	535-00	360-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम-- ग्राम्य विकास(सामु0विकास) (हजार रु0 में) जिला सैक्टर -- 117 --

क्र0 सं0 योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
			कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव्0 का0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव्0 का0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव्0 का0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-विकास खण्ड भवन तथा आवासीय भवन निर्माण।	362-00	-	50-00	50-00	-	50-00	50-00	-	300-00	300-00	-
2-प्रचार एवं प्रसार	-	11-00	16-00	-	-	16-00	-	-	16-00	-	-
3- निदेशन एवं प्रशासन	108-00	-	757-00	-	-	757-00	-	-	-	-	-
योग:-	470-00	11-00	823-00	50-00	-	823-00	50-00	-	316-00	300-00	-
नई योजना-											
1-जिला विकास कार्यालय में आवासीय भवन निर्माण+	-	-	-	-	-	-	-	-	2500-00	2500-00	-
योग:-(नई योजना)-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500-00	2500-00	-
कुल योग:-	470-00	11-00	823-00	50-00	-	823-00	50-00	-	2816-00	2800-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- सामुदायिक विकास   (हजार रू0 में)   जिला सेक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	जिला परिषदों को अनुदान ।	947-50	500-00	300-00	-	-	300-00	-	-	330-00	-	-
2-	विकास खण्डों को लघु विकास कार्यों हेतु अनुदान ।	3850-50	614-39	1100-00	1100-00	-	1100-00	1100-00	-	1100-00	1100-00	-
योग:-		4797-50	1114-39	1400-00	1100-00		1400-00	1100-00	-	1430-00	1100-00	-

विभाग का नाम- निबन्धक सहकारी समितियाँ। (हजार रू0 में) जिला सेक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 का0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 का0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ऋण एवं अधिकोषण योजना-											
1-	पैक्स के सचिवों हेतु वेतन कामन केडर को अनुदान	-	125-00	120-00	-	-	120-00	-	-	125-00	-	-
2-	जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान।	190-00	70-00	70-00	-	-	70-00	-	-	80-00	-	-
3-	जिला सहकारी बैंक की शाखाओं का नवीनीकरण हेतु अनुदान।	90-00	-	10-00	-	-	10-00	-	-	10-00	-	-
4-	अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अंश क्रय करने हेतु ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण/अनुदान।	80-00	20-00	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-
5-	उपभोग ऋण वितरण पर रिस्क फण्ड हेतु अनुदान।	133-00	-	3-00	-	-	3-00	-	-	2-00	-	-
6-	नगरीय सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-	बैंक को शासकीय पूंजी।	1400-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय — जी0एन0-2

विभाग का नाम- निबंधक सहकारी समि0 (हजार रु0 में) जिला सेक्टर

क्र0सं0 / योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
			कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8-जमानत समितियों को अंश पूंजी	394-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-अकृषीय ऋण पर निर्बल वर्ग रिस्क फण्ड अनुदान ।	164-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10- मात्राकरण ऋण पर निर्बलवर्ग रिस्क फन्ड अनुदान ।	1357-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण एवं अनि0योजना-योग-	3808-00	215-00	223-00	-	-	223-00	-	-	237-00	-	-
2- क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना:-											
1-डी0सी0डी0एफ0 को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन	-	20-00	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-
2- पैक्स को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमान्त धन ।	-	210-00	120-00	-	-	120-00	-	-	120-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय डी0एन0-2

विभाग का नाम- निबंधक सहकारी समितियां । (हजार रु0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-	क्रय विक्रय समितियों को अनुदान ।	34-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-	निजी खरीद हेतु सीमान्त धन ।	50-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना ।	84-00	230-00	140-00	-	-	140-00	-	-	140-00	-	-
3-	उपभोक्ता योजना:-											
1-	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार चढाव निधि हेतु अनुदान	69-00	25-00	25-00	-	-	25-00	-	-	25-00	-	-
2-	पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धन ।	-	130-00	150-00	-	-	150-00	-	-	110-00	-	-
3-	क्रय विक्रय एवं उपभोक्ता योजना-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम- निबंधक सहकारी समितियां (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य	कुल	पूंजी गत	न्यून0 आव0 कार्य	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-डी0सी0डी0एफ0 गोदाम किराया		3-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग-3		72-00	155-00	175-00	-	-	175-00	-	-	135-00	-	-
4- जड़ी बूटी एवं भेषज विकास योजना-												
1-पैक्स को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु प्रबंधकीय अनुदान ।		-	25-00	50-00	-	-	50-00	-	-	50-00	-	-
2-पैक्स को जड़ी बूटी संग्रहण हेतु अंश पूंजी		5-00	25-00	25-00	-	-	25-00	-	-	25-00	-	-
3-जड़ी बूटी एवं भेषज विकास संघों को आर्थिक सहायता ।		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(अ) भेषज संघों को प्रबंधकीय को प्रबंधकीय अनुदान ।		-	10-00	10-00	-	-	10-00	-	-	10-00	-	-
(ब) भेषज संघों की शाखाओं को प्रबंधकीय अनुदान ।		-	-	50-00	-	-	50-00	-	-	50-00	-	-

विभाग का नाम- निबंधक सहकारी समिति (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0 योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(स) भेषज संघों को गोदाम किराया अनुदान	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-
(द) भेषज संघों को साखाओं को गोदाम किराया अनुदान	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-	25-00	-	-
(च) भेषज संघों को यातायात अनुदान	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-
4- लैम्पस को अंश पूंजी	25-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5- भेसज संघों को अंश पूजी अनुदान	8-00	-	-	-	-	-	-	-	42-00	-	-
योग- जड़ी बूटी एवं भेषज विकास योजना	38-00	60-00	165-00	-	-	165-00	-	-	212-00	-	-
5-श्रम योजना:-											
1-पुनर्गठित समितियों को प्रबंधकीय अनुदान को द्वितीय किस्त।	60-00	-	5-00	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-
योग- 5 (श्रम योजना)	60-00	-	5-00	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम-निबंधक सहकारी समितियाँ {हजार रू0 में} जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	उपभोक्ता योजना केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को यातायात अनुदान	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-
	कुल योग-	4062-00	660-00	728-00	-	-	728-00	-	-	749-00	-	-
	नई योजना-											
1-	सकल ऋण विक्रय पर लैम्पस को ब्याज की छूट 5% से	-	-	-	-	-	-	-	-	5-00	-	-
2-	तिलहन, दलहन उत्पादन समितियों को प्रोत्साहन अनुदान {10 हजार रू0 प्रति समिति}	-	-	-	-	-	-	-	-	20-00	-	-
3-	सेव/लैम्पस को खरीद हेतु मूल्य उतार चढाव हेतु अनुदान।	-	-	-	-	-	-	-	-	1-00	-	-

विभाग का नाम- निर्बंधक सहकारी समितियाँ । (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	86-87 अनुमानित परिब्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आ0 का0	1986-87 अनुमानित ब्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आ0 का0	1987-88 प्रस्तावित ब्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-	तिलहन दलहन उत्पादन समितियों को राज्य साझेदारी (10 हजार रू0 प्रतिसमिति)	-	-	-	-	-	-	-	-	20-00	-	-
5-	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार हेतु 5 हजार रू0 प्रति समिति सोमान्त धन ।	-	-	-	-	-	-	-	-	10-00	-	-
6-	लैम्पस को जड़ी बूटी कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान ।	-	-	-	-	-	-	-	-	10-00	-	-
7-	पैक्स में उपभोक्ता कार्य हेतु समितियों के पुनर्स्थापन हेतु 20 पैक्स के लिए अनुदान ।	-	-	-	-	-	-	-	-	185-00	-	-
	योग-(नई योजना)	-	-	-	-	-	-	-	-	251-00	-	-
	कुल योग:-	4062-00	660-00 728-00	-		-	728-00	-	-	1000-00	-	-

योजनावार ब्यय /परिब्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- निजी लघु सिंचाई ।

(हजार रू0 में)

जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमोदित परिब्यय			1986-87 अनुमानित ब्यय			1987-88 प्रस्तावित ब्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यून0 आव0 कार्य	कुल	पूंजीगत	न्यून0 आव0 कार्य	कुल	पूंजीगत	न्यून0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	ऋण ।	3020-00	450-00	300-00	-	-	300-00	-	-	330-00	-	-
2-	अनुदान ।	1279-00	261-83	215-00	-	-	215-00	-	-	165-00	-	-
3-	उपकरण ।	100-00	-	40-00	40-00	-	40-00	40-00	-	50-00	50-00	-
4-	हाईड्रम ।	4206-00	1570-00	1660-00	1660-00	-	1660-00	1660-00	-	1826-00	1826-00	-
5-	हाईड्रम/आर्टीजन कूप योजना का सुदृढीकरण	114-00	173-00	180-00	-	-	180-00	-	-	220-00	-	-
	योग:- चालू योजना ।	8719-00	2454-83	2395-00	1700-00	-	2395-00	1700-00	-	2591-00	1876-00	-

योजनावार ब्यय/परिब्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- सिंचाई (राजकीय)   (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0 सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमोदित परिब्यय			1986-87 अनुमानित ब्यय			1987-88 प्रस्तावित ब्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यून0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यून आव0 कार्य	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजकीय लघु सिंचाई:-												
1-	पर्वतीय नहरें।	38424-40	10200-00	14100-00	12500-00	-	14100-00	12500-00	-	14100-00	12500-00	-
योग:-		38424-40	10200-00	14100-00	12500-00	-	14100-00	12500-00	-	14100-00	12500-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- राज्य विद्युत परिषद   ∦हजार रू0 में∦   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यूनतम आव0 कार्यक्रम	कुल	पूंजी गत	न्यूनतम आव0 कार्य0	कुल	पूंजी गत	न्यूनतम आव0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- ग्रामीण विद्युतीकरण:-												
	∦1∦ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम।	39855-00	11922-00	15200-00	15200-00	15200-00	15200-00	15200-00	15200-00	16265-35	16265-35	16265-35
योग:-		39855-00	11922-00	15200-00	15200-00	15200-00	15200-00	15200-00	15200-00	16265-35	16265-35	16265-35

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- उद्योग निदेशालय (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आव0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आव0 कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आव0 कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-लघु स्तरीय उद्योग:-												
1.	औद्योगिक सहकारी समितियाँ (अवस्त्रीय) का प्रसार	54-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(अ) अंश पूंजी	-	9-98	10-00	-	-	10-00	-	-	10-00	-	-
	(ब) प्रबंधकीय राज्य सहायता	-	16-20	12-60	-	-	12-60	-	-	5-40	-	-
2.	जिला उद्योग केन्द्र मार्जिनमनी ऋण 50% राजअंश	1035-00	200-00	100-00	-	-	100-00	-	-	100-00	-	-
3-	हरिजन एवं कमजोर वर्ग को सहकारी समितियों को अंश पूंजी- ऋण ।	-	36-00	36-00	-	-	36-00	-	-	18-00	-	-
4-	एकीकृत मार्जिन मनी ऋण	997-00	-	100-00	-	-	100-00	-	-	25-00	-	-
योग:-		2086-00	262-18	258-60	-	-	258-60	-	-	158-40	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम उद्योग-क्रमशः: (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2- हस्तकला योजनायें:-												
5.	रिंगाल उपयोगी केन्द्र।	154-91	68-64	80-00	-	-	80-00	-	-	80-00	-	-
6.	हस्त शिल्प सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता।											
	(अ) अंश पूंजीऋण	3-00	-	10-00	-	-	10-00	-	-	10-00	-	-
	(ब) प्रबंधकीय सहायता	-	-	3-60	-	-	3-60	-	-	5-40	-	-
7.	कच्चामाल व वाणिज्यिक क्रियाओं की व्यवस्था-	1521-61	350-00	700-00	-	-	700-00	-	-	500-00	-	-

योजनावार ब्यय/परिब्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- उद्योग-क्रमशः

(हजार रू0 में)

जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमोदित परिब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आव0कार्य0	1986-87 अनुमानित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आव0कार्य0	1987-88 प्रस्तावित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0आव0कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8-	गढवाल मण्डल में पापड़ी काष्टकला केन्द्रों की स्थापना।	101-78	23-93	50-00	-	-	50-00	-	-	50-00	-	-
9-	अनुसूचित/जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिकरण एवं उनके विस्तार की योजना।	137-78	65-98	75-00	-	-	75-00	-	-	80-00	-	-
10-	उद्यमियों के माध्यम से कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	176-20	24-83	208-00	-	-	208-00	-	-	184-20	-	-
11-	स्टोन कार्विंग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना	44-71	199-00	70-00	-	-	70-00	-	-	60-00	-	-
12-	शहरी क्षेत्र के दुर्बल वर्ग के ब्यक्तियों को आर्थिक सहायता (आउट राइट सब्सिडी)	-	-	75-00	-	-	75-00	-	-	-	-	-
13-	जिला एवं मण्डलीय प्रदर्शनी तथा सैमिनार	110-00	25-00	25-00	-	-	25-00	-	-	25-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- उद्योग क्रमशः:   (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0 योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14-राज्य पूंजी उत्पादन	182-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-विद्युत उपादान	7-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-स्टाम्प ड्यूटी उपादान	21-00	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-
योग:-	2460-10	757-38	1296-60	-	-	1296-60		-	994-60	-	-
योग- 1+2	4546-19	1019-56	1555-20	-	-	1555-20	-	-	1153-80	-	-
1-लघु स्तरीय उद्योग-											
1-प्रशिक्षणार्थियों के लिए हाटल एवं कर्मचारियों के लिएआवास (गोपेश्वर)	-	-	500-00	500-00	-	500-00	500-00	-	1000-00	1000-00	-
2- हस्त कला योजनायें-											
1-सिलाई एवं हौजरी केन्द्र हेतु कार्यालय एवं गोदाम(गोपेश्वर)	-	-	200-00	-	-	200-00	-	-	-	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी०एन०-2

विभाग का नाम- उद्योग क्रमशः: (हजार रु० में) जिला सेक्टर

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय कुल	पूंजी गत	न्यू० आवृ० कार्य	1986-87 अनुमोदित व्यय कुल	पूंजी गत	न्यू० आवृ० कार्य	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजी गत	न्यू० आवृ० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2-	कालीन बुनाई योजना	564-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग:-		564-16	-	700-00	500-00	-	700-00	500-00	-	1000-00	1000-00	-
कुल योग-		5110-35	1019-56	2255-20	500-00	-	2255-20	500-00	-	2153-00	1000-00	-
नई योजना-												
1-	विपणन केन्द्र की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	100-00	-	-
2-	सिलाई बुनाई उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र पीपलकोटी की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	105-00	-	-
योग नई योजना-		-	-	-	-	-	-	-	-	205-00	-	-
योग नई+ चालू योजना -		5110-35	1019-56	2255-20	500-00	-	2255-20	500-00	-	2358-00	1000-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग

(हजार रू0 में)

जिला लैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	कालीन बुनाई एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	-	119-83	160-00	-	-	160-00	-	-	160-00	-	-
2-	रेशम कर्मचारियों व कीट पालकों के प्रशिक्षण की योजना	18-00	-	7-00	-	-	7-00	-	-	8-00	-	-
3-	रेशम कीट पालन प्रस्तर योजना के अन्तर्गत माडल चाकी कीट पालन	-	-	75-00	-	-	75-00	-	-	82-50	-	-
योग:-		18-00	119-83	242-00	-	-	242-00	-	-	250-60	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- पर्यटन निदेशालय (हजार रू0 में) जिला सेक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	ऋण उत्पादन योजना-	525-00	4-00	100-00	-	-	100-00	-	-	10-00	-	-
	योग चालू योजना-	525-00	4-00	100-00	-	-	100-00	-	-	10-00	-	-
	नई योजना -											
1-	पाण्डुकेशार में मिनी कैफ्टेरिया तथा शौचालय का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	100-00	100-00	-
	योग नई योजना-	-	-	-	-	-	-	-	-	100-00	100-00	-
	योग चालू + नई योजना -	525-00	4-00	100-00	-	-	100-00	-	-	110-00	110-00	-

योजनावार ब्यय/परिब्यय   जी०एन०-2

विभाग का नाम- शिक्षा   ﴾हजार रू० में﴿   जिला सैक्टर

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमोदित परिब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आ०का०	1986-87 अनुमानित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आ०का०	1987-88 प्रस्तावित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आ०का०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.
प्रारम्भिक शिक्षा-												
1-	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के भवन रहित जू०बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान।	550-00	350-00	747-00	747-00	747-00	747-00	747-00	747-00	840-00	840-00	840-00
2-	असहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सी०बे० स्कूलों अनुरक्षण अनुदान	617-00	-	190-00	-	190-00	190-00	-	190-00	216-00	216-00	216-00
3-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सी०बे०स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान।	1240-00	1260-00	1080-00	1080-00	1080-00	1080-00	1080-00	1080-00	720-00	720-00	720-00
4-	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू०बे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान											
	1-चालू	5430-00	4833-00	1100-00	-	1100-00	1100-00	1100-00	1100-00	1454-00	-	1454-00
	2- नया	-	-	1179-00	-	1179-00	1179-00	-	1179-00	1320-00	-	1320-00

योजनावार ब्यय/परिब्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- शिक्षा क्रमशः: (हजार रू0 में) जिला लैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमानित परिब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1986-87 अनुमानित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5-	नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जू॰वे॰स्कूल खोलने हेतु अनुदान नया।											
	1. नये	242-00	-	200-00	-	200-00	200-00	-	200-00	436-00	-	436-00
	2. चालू	-	-	-	-	-	-	-	-	61-00	-	61-00
6-	जू॰वे॰स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान नया।	177-00	-	18-00	-	18-00	18-00	-	18-00	15-00	-	15-00
7-	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालकों को निशुल्कपाठ्य पुस्तकों का वितरण एवं प्रोत्साहन अनुदान योजना नया।	18-50	7-05	20-00	-	20-00	20-00	-	20-00	5-00	-	5-00
8-	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सी॰वे॰स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान चालू।	5497-00	650-00	240-00	-	240-00	240-00	-	240-00	407-00	-	407-00

योजनावार व्यय/परिव्यय — जी0एन0-2

विभाग का नाम- शिक्षा क्रमशः: (हजार रु0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए 10 स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान — नया	-	216-51	509-00	-	509-00	509-00	-	509-00	494-00	-	494-00
9-	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के वयवर्ग 6-14 के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान चालू-	892-23	-	605-00	-	605-00	605-00	-	605-00	-	-	-
	नया-	-	-	63-00	-	63-00	63-00	-	63-00	446-00	-	446-00
10-	प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 में 15 रु0 प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति	155-00	15-50	49-00	-	49-00	49-00	-	49-00	67-00	-	67-00
11-	वयवर्ग 6-11 के निर्बल वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में लाने हेतु छात्रवृत्ति अभियान नया-	10-50	-	5-00	-	5-00	5-00	-	5-00	5-00	-	5-00

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी०एन०-2

विभाग का नाम- शिक्षा क्रमश: (हजार रू० में)   जिला सैक्टर

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12-	निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सी०बे०स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान नया -	110-00	-	15-00	-	15-00	15-00	-	15-00	15-00	-	15-00
13-	ग्रामीण क्षेत्रों के सी०बे०स्कूलों के लिए काष्ठोपकरण साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान नया-	150-00	75-00	54-00	-	54-00	54-00	-	54-00	90-00	-	90-00
14-	जू०बे०स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान नया-	80-00	45-00	35-00	-	35-00	35-00	-	35-00	70-00	-	70-00
15-	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था ।	262-00	-	50-00	-	50-00	50-00	-	50-00	50-00	-	50-00
16-	सहायता प्राप्त सी०बे० स्कूलों को भवन अनुदान ।	41-00	54-00	54-00	-	54-00	54-00	-	54-00	54-00	-	54-00

योजनावार ब्यय/परिब्यय   जी०एन०-2

विभाग का नाम- शिक्षा क्रमश:]हजार रू० में[जिला सैक्टर

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87अनुमोदित परिब्यय			1986-87अनुमानित ब्यय			1987-88प्रस्तावित ब्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यू० आवृ० कार्य०	कुल	पूंजी गत	न्यू० आवृ० कार्य०	कुल	पूंजी गत	न्यू० आवृ० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17-	जूनियर बे०स्कूलों प्रधानाध्यापकों तथा सी•बे•स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों को नियुक्ति हेतु अनुदान नया-	3635-00	-	54-00	-	54-00	54-00	-	54-00	133-00	-	133-00
18-	सी०बे० स्कूलों में विज्ञान में शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान।	126-00	30-00	40-00	-	40-00	40-00	-	40-00	40-00	-	40-00
19-	बे०स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरूस्कार नया-	6-00	-	1-00	-	1-00	1-00	-	1-00	3-00	-	3-00
20-	विद्यालय स्कूलों का निर्माण नया -		-	30-00	-	-	30-00	-	-	30-00	-	-
21-	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का सुदृढीकरण।	64-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-	प्राइमरी एवं जूनियर बेसिक स्कूलों के मरम्मत हेतु अनुदान।	530-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

योजनावार व्यय परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- शिक्षा क्रमश: (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर   -141-

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आ0 का0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23-राजकीय आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु		910-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू योजना का योग-		20743-23	7536-06	6338-00	2097-00	6308-00	6338-00	2097-00	6308-00	6971-00	1776-00	6941-00
नई योजना -												
1-शाखा आधारिक विद्यालयों को पूर्ण विद्यालय का दर्जा देने हेतु अनुदान।		-	-	-	-	-	-	-	-	433-00	-	433-00
योग नई योजना -		-	-	-	-	-	-	-	-	433-00	-	433-00
चालू + नई योजना योग:-		20743-23	7536-06	6333-00	2097-00	6308-00	6338-00	2097-00	6308-00	7404-00	1776-00	7374-00

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी०एन०-2

विभाग का नाम- माध्यमिक शिक्षा   (हजार रू० में)   जिला सैक्टर

क्र०सं०	योजना	1984-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खेल कूद तथा युवक कल्याण-												
21-	खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु प्राविधान	10-20	15-00	17-00	-	-	17-00	-	-	25-00	-	-
	अन्य कार्यक्रम (भाषा विकास)											
22-	संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान।	128-91	-	8-00	-	-	8-00	-	-	26-10	18-00	-
	योग अन्य कार्यक्रम-	139-11	15-00	25-00	-	-	25-00	-	-	51-10	18-00	-
पुस्तकालय सेवा												
23-	वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्तकालयों की स्थापना नया-	-	100-00	60-00	-	-	60-00	-	-	70-00	-	-
24-	सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान नया-	-	7-00	7-00	-	-	7-00	-	-	7-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जो०एन०-2

विभाग का नाम- प्राविधिक शिक्षा ¥हजार रू०में¥ जिला सैक्टर

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यू० आव० कार्य०	कुल	पूंजी गत	न्यू० आव० कार्य०	कुल	पूंजी गत	न्यू० आव० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	वहुधंदो संस्थाओं का एकोकरण चमोली।	-	-	4300-00	4300-00	-	4300-[illegible]	4300-00	-	-	-	-
2-	आडोविजियुल एड्स एण्ड रिप्रोग्राफिक सर्विसेज	-	-	4-00	-	-	4-00	-	-	-	-	-
3-	वहुधान्धी संस्थाओं की स्थापना	3650-46	588-62	-	-	-	-	-	-	10000-00	10000-00	-
	योग:-	3650-46	588-62	4304-00	4300-00	-	4304-00	4300-00	-	10000-00	10000-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- खेलकूद एवं युवा कल्याण (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1986-87 अनुमोदित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	क्रीड़ा एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	14-29	4-72	15-00	-	-	15-00	-	-	15-00	-	-
	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना	20-07	-	3-80	-	-	3-80	-	-	3-80	-	-
	ग-	34-36	4-72	18-80	-	-	18-80	-	-	18-80		
	नई योजना-											
	क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण	-	-	-	-	-	-	-	-	150-00	150-00	-
	नई योजना-	-	-	-	-	-	-	-		150-00	150-00	-
	नई + चालू योजना-	34-36	4-72	18-80	-	-	18-80	-		168-80	150-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी०एन०-2

विभाग का नाम- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य   (हजार रू० में)   जिला सैक्टर

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यू० आव० कार्य०	कुल	पूंजी गत	न्यू० आव० कार्य०	कुल	पूंजी गत	न्यू० आव० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ।	2859-00	64-95	150-00	-	150-00	150-00	-	150-00	230-00	-	230-00
2-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण ।	-	1330-00	1050-00	1050-00	1050-00	1050-00	1050-00	1050-00	600-00	600-00	600-00
3-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण-निर्माण ।	439-00	-	2500-00	2500-00	2500-00	2500-00	2500-00	2500-00	-	-	-
4-	विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था ।	1627-00	-	40-00	-	-	40-00	-	-	120-00	-	-
5-	राजकीय एलोपैथिक औषधालयों का निर्माण ।	3984-00	-	600-00	600-00	-	600-00	600-00	-	2000-00	2000-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0स0-2

विभाग का नाम-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्रमशः:   (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवृ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6-	विस्तार, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन	50-00	50-00	60-00	60-00	60-00	60-00	60-00	60-00	70-00	70-00	70-00
7-	यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता व्यवस्था में सुधार ।	388-00	-	410-00	-	410-00	410-00	-	410-00	-	-	-
8-	आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना-	1260-00	-	80-00	-	-	80-00	-	-	156-00	-	-
9-	आयुर्वेदिक औषधालयों का निर्माण-	-	-	240-00	240-00	-	240-00	240-00	-	200-00	200-00	-
10-	होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना व अतिरिक्त दवाओं की व्यवस्था ।	266-00	8-00	10-00	-	-	10-00	-	-	15-00	-	-
11-	गैर सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों का प्रान्ती0 ।	-	5-'	50-00	-	-	50-00	-	-	-	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण   (हजार रु0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-86 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12-	स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान।	64-00	-	40-00	-	-	40-00	-	-	-	-	-
13-	यूनिसेफ सहायता।	-	1-00	20-00	-	-	20-00	-	-	-	-	-
14-	वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों का विस्तार आदि की व्यवस्था।	-	40-00	150-00	-	150-00	150-00	-	150-00	160-00	-	- 160=00
15-	मलेरिया कार्यक्रम।	117-00	130-20	250-00	-	250-00	250-00	-	250-00	-	-	-
16-	टी0बी0 औषधियों की आपूर्ति।	200-00	99-70	100-00	-	-	100-00	-	-	-	-	-
17-	उप केन्द्रों का निर्माण।	182-00	550-00	1600-00	1600-00	1600-00	1600-00	1600-00	1600-00	1800-00	1800-00	1800-00

योजनावार ब्यय/परिब्यय   जो0एन0-2

विभाग का नाम- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्रमांक: (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमोदित परिब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	1986-87 अनुमानित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	1987-88 प्रस्तावित ब्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18-	पूर्ण उपचारिक सेवाओं की ब्यवस्था तथा नर्सेज होम निर्माण ।	306-00	-	-	-	-	-	-	-	130-00	110-00	-
	योग-चालू योजना:-	11742-00	2278-95	7350-00	6050-00	6170-00	7350-00	6050-00	6170-00	5481-00	4780-00	2860-00
	नई योजना:-											
1-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण -	यह योजना पूर्व में राज्य सैक्टर में थी								2000-00	2000-00	2000-00
2-	राजकीय चिकित्सालय में रोगी शय्या की बृध्दि ।	-	-	-	-	-	-	-	-	200-00	200-00	-
3-	राजकीय चिकित्सालय में अतिरिक्त शैयायें की स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	30-00		-
4-	अस्पतालों में साज सज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री (एम्बुलेन्स तथा एक्सरे मशीन)	-	-	-	-	-	-	-	-	345-00	310-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्रमशः (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0 योजना		1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5-चीर घर का निर्माण		-	-	-	-	-	-	-	-	20-00	20-00	-
6-वर्तमान आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालय का प्रोन्नयन ।		-	-	-	-	-	-	-	-	50-00	-	-
7-आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी कार्यालय के स्थापना एवं प्रसार (टेलीफोन एवं जीप)		-	-	-	-	-	-	-	-	150-00	110-00	-
योग नई योजना		-	-	-	-	-	-	-	-	2795-00	2640-00	2000-00
योग नई + चालू योजना:-		11742-00	2278-95	7350-00	6050-00	6170-00	7350-00	6050-00	6170-00	8276-00	7420-00	4860-00

योजनावार व्यय/परिव्यय जे0एन0-2

विभाग का नाम जल निगम हजार रु0 में जिला सैक्टर 151

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजनायें:-											
	ग्रामीण पेयजल योजना	54227-00	16471-20	33714-00	33714-00		33714-00	33714-00		33714-00	33714-00	
	नई योजनायें:-											
	ग्रामीण पेयजल											
	योग- चालू + नई	54227-00	16471-20	33714-00	33714-00		33714-00	33714-00		33714-00	33714-00	

योजनावार ब्यय/परिब्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास   §हजार रू0 में§   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87अनुमोदित परिब्यय			1986-87अनुमानित ब्यय			1987-88प्रस्तावित ब्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	ग्रामोण हरिजन पेयजल योजना ।	2840-00	612-00	630-00	630-00	630-00	630-00	630-00	630-00	640-00	640-00	640-00
2-	आवास स्थलों का विकास । §ग्राम्य विकास§	196-00	66-60	60-00	60-00	60-00	60-00	60-00	60-00	66-60	66-60	66-60
-	निर्बल बर्ग आवास §ग्राम्य विकास§	2276-00	317-00	333-00	333-00	333-00	333-00	333-00	333-00	333-00	333-00	333-00

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- सूचना

(हजार रु0 में)

जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना-												
1-	सामूहिक दूरदर्शन योजना के अंतर्गत टी0बी0 सेट्स का क्रय करना।	53-50	30-00	30-00	-	-	30-00	-	-	40-00	-	-
2-	रेडियो पुर्जे एवं रेडियो आदि।	53-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग:-		107-00	30-00	30-00	-	-	30-00	-	-	40-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हजार रु0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा ब्रांच आई0टी0आई0की स्थापना	-	-	450-00	-	-	450-00	-	-	796-00	375-00	-
2-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार एवं सुदृढीकरण	158-00	2000-00	2010-00	2000-00	-	2010-00	2000-00	-	2000-00	2000-00	-
	योग चालू योजना -	158-00	2000-00	2460-00	2000-00	-	2460-00	2000-00	-	2796-00	2375-00	-
	नई योजना-											
1-	औद्योगिक प्रशिक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	35-00	5-00	-
	योग नई योजना-	-	-	-	-	-	-	-	-	35-00	5-00	-
	योग चालू + नई योजना	158-00	2000-00	2460-00	2000-00	-	2460-00	2000-00	-	2831-00	2380-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन   (हजार रु0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0 योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
			कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू योजना-											
1-अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना	-	6-00	100-00	-	-	100-00	-	-	110-00	-	
2-रोजगार बाजार सूचना इकाई को स्थापना	-	2-50	30-00	-	-	30-00	-	-	33-00	-	-
योग-चालू योजना-	-	8-50	130-00	-	-	130-00	-	-	143-00	-	-

योजनावार ब्यय/परिब्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय §हजार रू0 में§ जिला सैक्टर -156-

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87अनुमोदित परिब्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87अनुमानित ब्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88प्रस्तावित ब्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
§क§ अनुसूचित जाति												
शैक्षिक कार्यक्रम-												
	1-छात्रवृत्ति,पाठ्यपुस्तक एवं अन्य उपकरण हेतु अनावर्ती सहायता-											
	§1§कक्षा 1 से 5 तक §प्राइमरी कक्षा स्तर§	-	128-50	150-00	-	-	150-00	-	-	150-00	-	-
	§2§कक्षा 6 से 8 तक §जूनियर हाई स्कूल स्तर§	-	150-00	350-00	-	-	350-00	-	-	350-00	-	-
2-	अनुसूचित जाति के छात्राओं को अपारच्युनिटी कास्ट अनुदान	20-00	-	200-00	-	-	200-00	-	-	200-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी०एन०-2

विभाग का नाम-हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय क्रमश: (हजार रु० में)   जिला सैक्टर

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०	कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०	कुल	पूंजीगत	न्यू० आव० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-	दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरुस्कार ।	3-20	12-00	6-00	-	-	6-00	-	-	6-00	-	-
4-	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों, पुस्तकालयों एवं पाठशालाओं का सुधार/विस्तार	10-00	-	5-00	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-
5-	अनुसूचित जाति का पुर्नवासन	-	20-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-शैक्षिक कार्यक्रम	33-20	310-50	711-00	-	-	711-00	-	-	711-00	-	-
II-	आर्थिक उत्थान											
	1-कृषि/बागवानी हेतु अनुदान	176-00	45-00	105-00	-	-	105-00	-	-	120-00	-	-
	2-लघु कुटीर उद्योग हेतु अनुदान ।	190-00	45-00	100-00	-	-	100-00	-	-	120-00	-	-
	योग-आर्थिक उत्थान-	366-00	90-00	205-00	-	-	205-00	-	-	240-00	-	-

योजनावार ब्यय/परिब्यय   जो0एन0-2

विभाग का नाम-हरिजन एवं समाज कल्याण   (हजार रू0 में)   जिला सैक्टर
निदेशालय क्रमशः

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक ब्यय	1985-86 वास्तविक ब्यय	1986-87 अनुमोदित परिब्यय			1986-87 अनुमानित ब्यय			1987-88 प्रस्तावित ब्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवू0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवू0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आवू0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-	स्वास्थ्य, आवास संबंधी अन्य योजनायें -				-		250-00			270-00		
	गृह निर्माण/सुधार हेतु अनुदान	92-00	100-00	250-00		250-00		-	250-00		-	270-00
योग:- (क)		491-20	500-50	1166-00	-	250-00	1166-00	-	250-00	1221-00	-	270-00
(ख) अन्य पिछड़ी जाति												
1-शैक्षिक कार्यक्रम												
1-	छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक हेतु अनावर्तीय सहायता।											
(1)	कक्षा 1 से 5 तक (प्राइमरी कक्षा स्तर)	-	3-00	25-00	-	-	25-00	-	-	25-00	-	-
(2)	कक्षा 6 से 8 तक (जूनियर हाई स्कूल स्तर)	-	8-00	25-00	-	-	25-00	-	-	25-00	-	
(3)	कृषि भूमि क्रय हेतु अनुदान	55-00	-	-	-	-	-	-	-	10-00	-	

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम-हरिजन एवं समाज कल्याण क्रमशः (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	13
4-	दुकानों का निर्माण हायरपर्चेज पद्धति के आधार पर।	150-00	-	-	-	-	-	-	-	30-00	-	-
	योग चालू योजना-	205-00	11-00	50-00	-	-	50-00	-	-	90-00	-	-
	अनुसूचित जनजाति शैक्षिक कार्यक्रम											
(1)	कक्षा 1 से 5 तक	-	5-00	-	-	-	-	-	-	70-00	-	-
(2)	कक्षा 6 से 8 तक	-	40-00	120-00	-	-	120-00	-	-	160-00	-	-
1-	अनुसूचित जनजातियों को गृह निर्माण विस्तार तथा मरम्मत हेतु राजसहायता/सहायक अनुदान/अंशदान	105-00	26-00	50-00	-	-	50-00	-	-	60-00	-	-
2-	भोटिया जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रम।	775-00	268-80	117-00	-	-	117-00	-	-	130-00	-	-
3-	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रख-रखाव एवं उन्नयन	-	-	120-00	-	-	120-00	-	-	-	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय **जी0एन0-2**

विभाग का नाम- जनजाति विकास ॥हजार रु0 में॥ जिला सैक्टर

क्र0सं0 योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
			कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 का0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 का0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 का0
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-अनुसूचित जनजाति हेतु बागवानी अनुदान ।	65-00	25-00	-	-	-	-	-	-	75-00	-	-
5-अनुसूचित जनजाति हेतु कुटीर उद्योग अनुदान ।	125-00	53-00	-	-	-	-	-	-	90-00	-	-
6-अनुसूचित जनजाति का पुनर्गठन	50-00	20-00	-	-	-	-	-	-	50-00	-	-
योग जनजाति-	1120-00	437-80	407-00	-	-	407-00	-	-	642-00	-	-
कुल योग हरिजन कल्याण:-	1816-20	949-30	1623-00	-	250-00	1623-00	-	250-00	1953-00	-	270-00

विभाग का नाम- समाज कल्याण   (हजार रु0 में)   जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजी गत	न्यू0 आवृ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चालू योजना											
1-	निर्धन एवं निराश्रित महिलाओं को उनके पुनर्वासन हेतु सिलाई, कढाई बुनाई मशीनों के क्रय हेतु अनुदान	12-50	18-50	18-00	-	-	18-00	-	-	20-00	-	-
2-	निराश्रित विधवाओं को भरण पोषण हेतु अनुदान ।	99-00	676-40	677-00	-	-	677-00	-	-	789-00	-	-
3-	शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों को कक्षा 8 तक शिक्षा तथा वित्तिक एवं प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-	6-00	-	-
4-	शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम तथा विलांग अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा तथा व्यवसायिक एवं वित्त प्रशिक्षण हेतु छात्र वृत्ति	-	1-22	5-00	-	-	5-00	-	-	6-00	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय

जी0एन0-2

विभाग का नाम- समाज कल्याण

(हजार रू0 में)

जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5-	शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांगों को कृतिम अंग तथा श्रवण यंत्र आदि क्रय करने हेतु अनुदान।	-	-	2-50	-	-	2-50	-	-	3-00	-	-
6-	निराश्रित तथा विकलांग व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु अनुदान।	155-00	221-76	222-00	-	-	222-00	-	-	283-60	-	-
कुल योग-		266-50	917-88	929-50	-	-	929-50	-	-	1107-60	-	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- सैनिक कल्याण ﴾हजार रू0 में﴿ जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आवृ0 कार्य0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आवृ0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	जिला सैनिक कल्याण चमोली के अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण।	200-00	447-00	-	-	-	-	-	-	274-00	274-00	-
	योग-	200-00	447-00	-	-	-	-	-	-	274-00	274-00	-

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- पुष्टाहार(शिक्षा) (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम-											
	(क) शिक्षा विभाग	-	48-49	150-00	-	150-00	150-00	-	150-00	-	-	-
	(ख) समाज कल्याण विभाग	600-00	118-40	132-00	-	132-00	132-00	-	132-00	800-00	-	800-00
	योग-(विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम)	600-00	166-89	282-00	-	282-00	282-00	-	282-00	800-00	-	800-00

विभाग का नाम- कृषि

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ तारतर	1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डो में बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों पर राज सहायता की योजना	कुन्टल	500.00	305.00	250.00	229.	260	260	275
2. पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डो में उर्वरक प्रदर्शन की योजना	संख्या	500	478	300	246	750	750	800
3. पर्वतीय क्षेत्र में दलहनी फसलों की सघन खेती की योजना	हैक्टर	1595	1595	500	326	360	360	400
4. कृषि रक्षा सेवा के सुदृणीकरण की योजना क- आच्छादित क्षेत्र	,,	335000	356420	26560	80001	85000	85000	9000
5. कृषि रक्षा सेवा के सुदृणीकरण की योजना क- कृषक प्रशिक्षण	संख्या	–	–	–	7351	5500	5500	6000
6. सघन कृषि एंव बहुफसली योजना आच्छादन हजार हैक्टर धान-		–	–	–	–	21	21	21
मक्का		–	–	–	–	11	11	11
गेहूँ		–	–	–	–	22	22	22
7. सघन कृषि एंव बहुफसली योजना प्रर्द. सं. धान		–	–	–	–	1000	1000	1500
गेहूँ		–	–	–	–	1000	1000	1500
8. पर्वतीय क्षेत्र में गुणात्मक बीजो के उत्पादन संग्रहण एंव वितरण की योजना क- बीज वितरण	कुन्टल	–	–	–	24	210	240	250
ख- बीज बीज भण्डार ,बफर गोदाम निर्मा.	सं0	–	–	–	–	2	2	3
9. उर्वरक परिवहन पर राज सहायता - क- 10 कि.ग्रा. के पैकेटों की व्यवस्था	सं0	15000	7621	8000	8000	14000	14000	15000

विभाग का नाम- कृषि

भौतिक लक्ष्य/ उपलब्धि

जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भिक का स्तर	1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ख- उर्वरक वितरण-		1045	1300		540	635	635	650
एन.	मी. टन	–	–	–	233	400	400	410
पी.	,,	–	–	–	199	200	200	205
के.	,,	–	–	–	108	35	35	35
10. राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना :-								
1. बीज मिनीकिट	संख्या	–	–	–	–	–	–	225
2. बीज मांग	,,	–	–	–	–	–	–	400
3. बृहद् प्रदर्शन	हैक्टर	–	–	–	–	–	–	200
4. कल्चर पैकिट								5000
5. मृदा नमूने								6000

विभाग का नाम- उद्यान एवं फलोपयोग　　भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि　　जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इन्पुटस तथा फलपौध, सब्जी बीज के परिवर्धन/कीट व्याधि नियंत्रण एवं संयत्रों का वितरण								
क- फल पौध वितरण	लाख सं.	10.25	17.36	4.33	3.99	2.00	2.00	2.00
ख- शोभाकार/अन्य पौध वितरण	,,	–	–	–	–	1.25	1.25	1.25
ग- सब्जी बीज वितरण	कि.ग्राम	25000	31349	5862	6166	7000	7000	7000
घ- सब्जी पौध वितरण	ला.सं.	150.00	150.09	31.29	32.35	40	40	40
ङ- सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लायी जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्रफल	हैक्टर	500	1038	169	168	200	200	225
2. औद्योनिक फसलों के कीट एवं व्याधियों की रोकथाम एवं पौध रक्षा कार्यों पर राज सहा.		12500	14116	2652	3258	3500	3500	3500
क- सामान्य पौध रक्षा कार्यक्रम	है.	–	–	–	–	2000	2000	2000
ख- औद्यानिक फसलों पर कुरमुला कीट की रोकथाम	,,	2	–	–	–	1500	1500	1500
ग- पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	,,	2000	3122	352	534	525	525	525
3. औद्यानिक औजार संयत्रों के वितरण पर राज सहायता								
क- औद्यानिक संयत्रों का वितरण	सं.	600	1650	677	916	120	120	150
1. उद्यानों के अन्तर्गत लाया जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्रफल		3250	4044	891	991	750	750	750
अ- सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत	है.	–	–	–	–	525	525	525
ब- ऋण वितरण के अन्तर्गत	है.	–	–	–	–	225	225	225

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- उद्यान एवं फलोपयोग

जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. शीतगृह निर्माण हेतु ऋण वितरण से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	--	--	--	--	2	2	6
3. आलू विकास एवं प्रमाणित आलू तथा सब्जी बीज उत्पादन का सघनीकरण		--	--	--	--	2000	2000	2000
क- आलू बीज प्रमाणीकरण	कुन्टल	--	--	--	--	2000	2000	2000
ख- रोग रहित आलू बीज वितरण	,,	--	--	--	800	1000	1000	1000
ग- आलू के अन्तर्गत लाया जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्रफल	है.	--	--	--	--	50	50	50
4. अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को लोकप्रिय बनाने की योजना निःशुल्क सब्जी प्रदर्शन	संख्या	--	--	--	--	275	275	100
5. तीन दिवसीय उद्यान प्रशिक्षण	,,	7600	7636	1500	1667	--	--	--
6. अदरक बीज वितरण	कुन्टल	609	548	40	--	--	--	--
7. सामुदायिक फल संरक्षण कार्य	कि.ग्रा.	113000	130968	31822	--	--	--	--
8. फल संरक्षण प्रशिक्षण		3250	3473	801	--	--	--	.
9. उद्यान रक्षा सचल इकाइयों की स्थापना	सं.	2	2	2	--	--	--	.

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

169

विभाग का नाम- भूमि संरक्षण

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत उपचारित क्षेत्र है.		4725	5071	1073	2048	1200	1200	1500

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पशु चिकित्सालयो की स्थापना	संख्या	8	8	18	4	1	1	1
पशु सेवा केन्द्रो की स्थापना	,,	3	3	55	5	3	3	2
पशु चिकित्सालयो/ पशु सेवा केन्द्रो के लिये भवन निर्माण	संख्या							
1. पशु चिकित्सालय	,,	–	–	11	–	1	1	1
2. ...य पशु औषधालय	,,	–	–	7	–	1 3	3	–
पर्वतीय क्षेत्र में पशु चिकित्सालयो का सुदृढ़ीकरण	,,	–	–	–	–	4	4	2
नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र तथा सांड परिचयन का प्राविधान	,,	24	24	83	7	–	–	–
"ए" श्रेणी के पशु चिकित्सालय पर मुख्य पशु चिकित्सक के पद का सृजन	,,	–	–	–	1	–	–	1
सांडो का वितरण	,,	50	50	36	50	–	–	24
भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्रो की स्थापना	,,	6	6	26	1	–	–	–
माई कंइग अरस पर बहुउद्देश्यीय केन्द्रो की स्थापना		–	–	–	1	–	–	–
10. कुक्कुट प्रोजैक्ट गोपेश्वर का सुधार एंव विस्तार संख्या	संख्या	–	–	–	1	–	–	–
11. प्रक्षेत्र पर आदेश इकाई की स्थापना	,,	–	–	–	1	–	–	1
12. भेड़ प्रक्षेत्र पीपलकोटी का सुधार एंव विस्तार	,,	–	–	–	1	–	–	–

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. - 3 171

विभाग - पशुपालन

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. चारा पौध शालाओ का सुधार एंव विस्तार संख्या	संख्या	–	–	–	9	–	–	1
14. खुरपका. मुंह पका रोग की रोकथाम	,,	4222	4222	2500	6000	6000	6000	6000
15. एंन्टीरेबीज वाईरस रोग की रोकथाम	,,	–	27	27	200	600	600	700
16. भेड़ एंव ऊन प्रसार केन्द्रो के भवन निर्माण	,,	–	–	–	–	–	–	1

विभाग का नाम- मत्स्य

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अंगुलिका उत्पादन -								
क- मिरर कार्प	ला. में	0=04	0.038	0.038	-	0.05	0.05	0.05
ख- ट्राऊट		-	-	-	-	0.04	0.04	0.05
2. अंगुलिकाओं का वितरण	,,	70.00	69.55	69.55	-	50.00	50.00	50.00

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के किनारे वृक्षारोपण	रो. कि. मी.	545	545	545	10	40	40	54
2. ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण :-								
1. अग्रिम मिट्टी कार्य	हैक्टर	-	-	-	-	800	800	-
2. वितरण हेतु पौध उगाना	संख्या लाख	-	-	-	-	5	5	-
3. वन संचार साधन -								
1. नव निर्माण (पैदल मार्ग सहित)	कि. मी.	17.500	17.500	17.500	26.0	20	20	33
2. जीर्णोद्धार	,,	79.40	79.40	79.40	40.0	80	80	72
3. पुल, पुलिया/ स्पर्श	संख्या	16	16	16	4	10	10	4
4. भवन निर्माण (1) आंशिक		16	16	16	5	7	7	14
(2) पूर्ण		17	17	17	7	5	5	6
5. वन पंचायतों के माध्यम से चारागाहों का का विकास, घेरवाड	हैक्टर	-	-	-	-	130	130	130

विभाग का नाम - ग्राम्य विकास विभाग

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. - 3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लाभार्थी -								
(क) पुराने लाभार्थी								
1. कुल लाभार्थी	संख्या	-	-	-	4284	4950	4950	1079
2. अनुसूचित जाति के लाभार्थी	,,	-	-	-	1126	1485	1485	410
3. महिला लाभार्थी	,,	-	-	-	-	1485	1485	410
(ख) नये लाभार्थी -								
1. कुल लाभार्थी	,,	33000	26526	26526	2915	2530	2530	3108
2. अनुसूचित जाति के लाभार्थी	,,	-	-	-	869	759	759	225
3. महिला लाभार्थी	,,	-	-	-	-	759	759	25

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम खाधान्न								
वितरण	मै. टन	-	-	-	441.1	500	500	263
मानव दिवस सृजित	ला. मै	-	12.47	12.47	1.57	1.57	1.57	0.66
ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी योजना :-								
रोजगार सृजन	(मानव दि. लाख)	-	-	-	-	-	-	0.14

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

विभाग का नाम - पंचायतीराज

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1985-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	
1. पंचायत उद्योग को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता	स.प्र.उ.	3	3	3	-	2	2	-
2. पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु उनकी आय में वृद्धि करने के लिए गांव सभाओं को प्रोत्साहन	संख्या	15	15	15	3	3	3	-
3. ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिए खण्डंजा तथा नाली का निर्माण	ग्रा.स.सं.	-	-	-	3	3	3	2
4. पंचायत भवनों का निर्माण	सं. भ.	-	1	1	4	2	2	-
5. पंचायत उद्योग कार्यशालाओं का निर्माण	का.सं.	-	-	-	-	1	1	1

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

विभाग का नाम - प्रादेशिक विकास दल

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्रामीण खेलकूद	संख्या	26	26	13	13	13	13	66
2. स्वयं सेवकों को सुद्रढ़ीकरण	,,	65	65	65	197	228	228	80
3. युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	,,	64	64	64	242	100	100	92
4. स्वयं सेवकों का व्यावसायिक प्रशिक्षण	,,	-	-	-	4	1	1	6
5. व्यायामशालाओं की स्थापना	,,	1	1	1	2	1	1	2

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- ग्राम विकास (सामुदायिक विकास)

जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकास खण्ड भवन एंव आवासीय भवन निर्माण	संख्या	-	-	-	-	13	13	3
जिला विकास कार्यालय एंव आवासीय भवनो का निर्माण	,,	-	-	-	-	-	-	10

विभाग का नाम- सहकारिता   भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि   जी. एन. - 3

मद	इकाई	छठी योजना की 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना (प्रारम्भिक ऋण समितियां)								
1. स्वावलम्बी समितियों का संगठन	संख्या	–	–	75		–	–	–
2. सदस्यता बृद्धि	,,	19000	14241	59000	3045	2000	2000	2000
3. अंश धन बृद्धि	ह. रू.	1600	2784	5600	382	500	300	500
4. अमानतों में बृद्धि	,,	1565	868	700	136	200	150	150
5- ऋण वितरण कार्य								
1- कुल अल्पकालीन ऋण वितरण नि. बर्ग, [illegible]	,,	47590	29405	4557	2469	3500	3500	3500
(अ) नकद में	,,	–	26823	4277	2765	3270	2270	2700
(ब) अंश "ख" के रूपों में (5% से 10% तक)	,,	–	1582	280	278	230	230	300
2- कुल मध्यकालीन ऋण वितरण	,,	47430	73181	32365	18178	20000	150000	180000
6. दीर्घ कालीन ऋण वितरण	,,	–	–	–	514	200	500	500
7. जिला सहकारी बैंक में :-								
(अ) शाखा संगठन	संख्या	–	3	16	1	1	1	1
(ब) अंशधन जमा	ह. रू.	500	1141	2500	242	250	250	200
(स) निक्षेप बृद्धि	,,	290	1141	1600	1654	250	250	300
1- कुल अल्पकालीन ऋण वितरण	,,	47590	28805	4557	3044	3500	2500	3000
अ- उक्त में नकद	,,	–	26823	4277	2766	3270	2270	2700
ब- अंश "ख" के रूप में	,,	–	1582	280	278	230	230	300

विभाग का नाम- सहकारिता

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. कुल मध्यकालीन ऋण वितरण /निर्बल वर्ग	ह. रू.	47430	73181	32365	18128	20000	150000	180000
3. अल्पकालीन ऋण में से उपभोग ऋण वितरण	,,	–	720	603	177	80	80	80
(ब) क्रय विक्रय एंव उपभोक्ता योजना :-								
1. क्रय विक्रय समिति से गठन	सं0	–	–	– 1	–	–	–	–
2. उप./वाणिज्य कार्य कुल सर्वयोग	ह. रू.	63390	59995	24100	15384	13600	13600	104800
(क) उपभोक्ता भण्डारो द्वारा	,,	6800	7092	3400	1458	1000	1000	1200
(ख) क्रय विक्रय समिति द्वारा कुल	,,	4240	425	100	96	100	100	100
(1) उपभोक्ता कार्य	,,	4240	425	100	96	100	100	100
(2) खाद्यान्न / फलोत्पादन विक्रय								
(ग) डी.सी.डी.एफ. द्वारा कुल	,,	15270	13471	5600	3167	3000	3000	3500
1. उपभोक्ता कार्य	,,	15270	12466	5386	2947	1750	1750	2000
2. खाद्यान्न व खाद्य तेल	,,	–	1005	215	220	1250	1250	1500
(घ) प्राथमिक समितियों व अन्य समितियो द्वारा	,,	37080	39007	15000	10663	9500	9500	100000
3. गामीण गोदाम घर निर्माण	सं0	35	30	52	6	5	5	5
4. कुल उपभोक्ता वाणिज्य कार्य	रू.	63390	59995	24100	15384	13600	13600	104800
अ- नगरीय क्षेत्र में	,,	–	13130	350	3540	450	450	26200
ब- ग्रामीण क्षेत्रो मे	,,	–	46865	23750	11844	13150	13150	78600
5. सहकारी भण्डार (किराये पर)	सं0	–	38	25	19	–	20	15
क्रय विक्रय एंव उपभोक्ता योजना :-								
1. तिलहन/ दलहन उत्पादक समिति संगठन	,,	–	–	9	5	–	–	–
2. उप केन्द्र स्थापना	,,	–	–	29	29	1	–	–
3. तिलहन/दलहन समितियो द्वारा वाणिज्य कार्य	रू.	–	–	100	100	300	50	60
4. उर्वरक व्यवसाय मेंकार्यरत सहकारी समितियां विक्रय डिपो संगठन संख्या	सं0	–	–	40	34	8	8	–
(स) श्रम संविदा योजना								
1. श्रम समिति संगठन	,,	–	–	8	8	–	–	–
(द) भेषज विकास योजना								
1. जड़ी बूटी संग्रह कार्य में कार्यरत संस्थाये	,,	20	20	35	35	1	2	3
2. अ- उक्त संग्रह कार्य में कार्यरत लैम्पस समि.	सं.	1	1	1	1	–	1	1
ब- पैक्स ,, ,, ,, ,,	,,	19	19	34	34	1	1	2

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- सहकारिता

मद	इकाई	छटी योजना 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. भेषज संघ द्वारा वाणिज्य कार्य :-	रू.	200	210	150	1920	500	1500	1600
क- भेषज संघ के डिपो/ शाखा संगठन सं.	,,	5	5	5	2	5	2	–
3. जड़ी बूटी संग्रह का विक्रय मूल्य	,,	2750	3345	150	1969	350	350	400
4. भेषज कृषिकरण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्रफल	है. में	126	108	30	16.69	30	30	30
5. भेषज विक्रय का सकल वाणिज्य कार्य	रू.	4750	3555	300	3889	850	1850	2000
1. अ								

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- निजी लघु सिंचाई

जी. एन. -3

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निजी लघु सिंचाई साधनो द्वारा सृजित सिंचन क्षमता	हैक्टर	2206	2062	3203	372	260	260	260
2. हाईड्रम	सं0	51	45	52	14	12	12	12
3. गूल निर्माण	कि. मी.	192.00	183.00	295.165	28.22	18.00	18.00	18.00
4. हौज निर्माण.	सं0	935	815	1278	129	100.00	100.00	100.00

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

विभाग का नाम- सिंचाई ।

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन-								
पर्वतीय नहरें	है.	1415	2040	3600	627	620	620	620

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम – राज्य विद्युत

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980–85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985–86 के प्रारम्भ का स्तर	1985–86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986–87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987–88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
. ग्रामो का विद्युतीकरण	संख्या	(–	286	111 538	111	95	95	100
. हरिजन बस्तियो का विद्युतीकरण	,,	–	–	–	79	76	76	80

विभाग का नाम- उधोग

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. लघु स्तरीय उधोग :-								
1- औधोगिक सह. समितियो का गठन(अवस्त्रीय)	संख्या	4	5	5	-	1	1	1
2- एकीकृत राज्य पूंजी उपादान लाभा.	,,	15	49	49	-	50	50	-
3- जिला उधोग केन्द्र मार्जिन मनीऋण	ला. सं.	15	70	75	14	15	15	10
4- विकास केन्द्र मार्जिन मनी ऋण	,,	20	66	-	-	10	10	5
5- हरिजन एंव कमजोर वर्ग की विशेष औधोगिक सहकारी समितियो को सहायता	स. सं.	-	-	75	2	2	2	2
6- विपणन केन्द्र एंव मेले तथा प्रदर्शनी	संख्या	-	-	-	2	5	5	5
2- हस्तकला योजना -								
7- रिंगाल उपयोगी केन्द्र	प्रशि. व्य. सं.	50	21	31	-	10	10	5
8- हस्तशिल्प सहकारी समितियो का गठन	सं०	6	1	1	-	1	1	1
9- कच्चा माल एंव वाणिज्यिक क्रियाये	व्य.	30	279	279	37	30	30	50
10- पापड़ी काष्ठकला योजना का पुर्नगठन एंव वि.प्र.कंय.		45	39	39	13	10	10	10
11- उधमियो के माध्यम से कालीन प्रशि. के. योजना	प्र. सं.	100	100	75	-	50	50	100
12- अनु.जाति /जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु. औधोगिकरण की योजना का विस्तार	ला. सं.	-	-	-	2	10	10	10
13- स्टोन कार्विंग प्रशि. एंव उत्पादन केन्द्र की स्था.	प्र. सं.	-	-	-	-	10	10	5
14- अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह गोष्ठि	गो. सं.	-	-	-	-	2	2	2
3. लघु स्तरीय उधोग -								
15. मेले एंव प्रदर्शनी में भाग लेने की योजना	संख्या	-	-	-	2	1	1	2
4. हस्तकला योजनायें -								
16. सिलाई एंव होजरी केन्द्र हेतु कार्यशाला/ गोदाम गोपेश्वर	सं०	-	-	-	-	20	20	20
17. प्रशिक्षार्थियो के लिए होस्टल एंव कर्मचारी के लिए आवास गृह चमोली	,,	-	-	-	-	30	30	30
18. कर्मचारियो को आवास गृह तथा होस्टल	,,	-	-	-	-	-	-	30

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

विभाग का नाम- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कालीन बुनाई एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	प्र. सं.	215	183	323	24	50	50	100
2. रेशम कर्मचारियों व कीटपालकों का प्रशिक्षण	ला. सं.	–	60	109	–	20	20	27
3. रेशम कीट पालक, टसर योजना के अन्तर्गत माडल चाकीकीट एवं शहतूत उद्यान की स्थापना								
1. प्रदर्शन		–	–	–	–	1	1	1
2. शहतूत एकड़	एकड़	–	–	–	–	5	5	5

विभाग का नाम- पर्यटन

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. - 3

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आवासीय सुविधा	शैय्यायें सं.	3	3	5	1	140	140	1
पान्डवकेशर में मिनी केफ्टेरिया तथा शौचालय निर्माण		–	–	–	–	–		1

विभाग का नाम- सामान्य शिक्षा

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रारम्भिक शिक्षा -								
1. ग्रामीण एंव नगर क्षेत्रों के भवन रहित जू. बे. स्कूलों के भवन निर्माण अनुदान	भ. सं.	10	10	7	7	8	8	8
2. ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रो के सी. बे. स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान:	संख्या	11	11	7	-	6	6	4
3. ग्रामीण क्षेत्रो में मिश्रित जू. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान		63	63	50	50	11	11	12
4. नगर क्षेत्रो में बालक तथा बालिकाओं के जू. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान	संख्या	3	1	1	3	1	1	2
5. जू. बे. स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एंव विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	,,	663	420	30	-	30	30	25
6. ग्रामीण क्षेत्रो में छात्र संख्या में बृद्धि तथा स्थि. हेतु निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्. पु. के वितरणार्थ प्रोत्साहन	संख्या	6166	6166	300	80	200	200	1500
7. ग्रामीण क्षेत्रो में बालकों एंव बालिकाओं के सी. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान		19	19	2	-	2	2	2
8. ग्रामीण एंव नगर क्षेत्र में 6-14 वय वर्ग के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षाये खोलने हेतु अनुदान	संख्या	579	497	100	-	250	250	490
9. प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 में 15 रू. प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्र.	संख्या	480	480	209	-	49	49	96
10. वयवर्ग 6-11 वर्ष के बच्चों को विधालयों में लाने हेतु छात्रवृति अभियान	,,	5000	5000	1000	-	5000	5000	5000
11. नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सी. बे. स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	संख्या	110	110	12	-	12	12	12
12. ग्रामीण क्षेत्रों में सी. बे. स्कूल के लिए काष्ठोपकरण साज सज्जा तथा शिक्षण सामिग्री हेतु अनुदान	सं.	100	100	15	25	18	10	30
13. जू. बे. स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	सं.	336	330	35	45	35	35	70

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना के ~~प्रारम्भ~~ 85-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. निर्बल वर्ग के बच्चो को पोषाक देने की व्य.	सं.	8000	8000	100	–	500	500	500
15. सदस्यता प्राप्त सी.बेः स्कलो को भवन अन.	सं.	2	1	1	1	1	1	1
16. जू. बे. स्कूलो में प्राधा. तथा सी. बे. स्कूलों में अति. अध्यापको की नियु. हेतु अनुदान	संख्या	234	234	200	–	211	211	449
17. सी. बे. स्कूलो में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान साज सज्जा हेतु अनुदान	,,	–	–	–	6	8	8	8
18. बेसिक स्कूलो के अध्यापको को दक्षता पुरु.	,,	–	–	–	–	2	2	6
19. विद्यालय सकूलो का निर्माण	,,	–	–	–	–	116	116	116
20. आधा. शाखा विद्यालयो को उच्ची. कर विद्या. का दर्जा देना	,,	–	–	–	– 1	–	–	65 1
2‡ खेलकूद युवा कल्याण –								
21. खेलकूद तथा अन्य विद्यालय के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमो तथा युवक कल्याण हेतु प्राविधान	,,	–	–	2	1	17	17	17
भाषा विकास –								
22. संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान	,,	7	7	2	–	3	3	4
पुस्तकालय सेवा –								
23. वर्तमान रा. जिला पुस्त. का विकास तथा नये जिला पुस्तकालयो की स्थापना	,,	–	–	1	1	1	1	1
24. सार्वजनिक पुस्तकालयो को अनावर्तक अनुदान	,,	–	–	5	5	4	4	4
25. रा. जि. शाखा पुस्त. की स्था. और विकास	,,	–	–	4	4	4	4	5
खेलकूद –								
1. खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन	संख्या	4	4	4	4	4	4	4
2. ग्रामीण खेलकूद केन्द्रो का विकास	,,	40	35	35	2	2	2	2
3. क्रीडा प्रतिष्ठानो का निर्माण	,,	–	–	–	–	–	–	1

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- प्राविधिक शिक्षा

जी. एन. - 3

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ कास्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रवेश क्षमता	संख्या	-	-	-	93	100	100	100

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं.	5	5	14	1	1	1	1
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	सं.	2	1	10	1	2	2	1
3. उप केन्द्रों का निर्माण	सं.	15	15	15	1	15	15	15
4. राजकीय एलोपैथिक औषधालयों का निर्माण	सं.	12	3	9	1	2	2	2
5. स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	सं.	1	1	18	1	1	1	—
6. गैर सरकारी आयुर्वेदिक औष. का प्रान्ती.	सं.	—	—	—	—	1	1	—
7. यात्रा मार्गों पर पक्के शौचालयों का निर्माण	सं.	4	—	—	—	1	1	—
8. उपचारिक सेवाओं का प्रसार	सं.	1	1	1	—	—	—	6
9. राजकीय चिकित्सालयों में रोगी शै. की वृद्धि	सं.	—	—	—	—	—	—	1
10. राजकीय चिकित्सालयों में अति. शै. में वृद्धि	सं.	—	—	—	—	—	—	10
11. पुरुष तथा महिला चिकित्सालयों की स्था.	सं.	12	3	9	1	2	2	—
12. चीर घर	सं.	—	—	—	—	—	—	1
13. अधिकारी कार्यालय हेतु जीप क्रय	सं.	—	—	—	—	—	—	1
14. एम्बुलेन्स क्रय	सं.	—	—	—	—	—	—	1
15. एक्स-रे मशीन क्रय	सं.	—	—	—	—	—	—	1
16. सामुदायिक विकास केन्द्र	सं.	—	—	—	—	—	—	1

विभाग का नाम- जल निगम

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. लाभान्वित कुल ग्राम	संख्या	417	998	1175	60	100	100	100
2. लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्राम		–	–	–	–	82	82	82

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास (हरिजन पेयजल)

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ग्रामीण हरिजन पेयजल डिग्गी	संख्या	261	344	344	32	32	32	32

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- ग्राम विकास विभाग (निर्बल वर्ग आवास)

जी. एन. - 3

194

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्बल वर्ग आवास	संख्या	1399	636	636	102	111	111	111

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. - 3

विभाग का नाम- सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सामूहिक दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत टी.बी. स्थापना (टी. बी. सेट्स	संख्या	-	-	-	10	10	10	40

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी.एन. - 3

विभाग का नाम- प्रशिक्षण एंव सेवा योजना..

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ कास्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अतिरिक्त स्वीकृत सीटो की	संख्या	-	-	-	-	159	159	-
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	,,	1	1	1	-	-	-	-
3. ब्रांच आई.टी.आई. स्थापना	,,	-	-	-	1	2	2	-
4. आई.टी.आई. कर्णप्रयाग के भवन निर्माण	,,	-	-	-	-	-	-	1

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. - 3

विभाग का नाम- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा पिछड़ वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्था.	सं.	–	–	–	1	1	1	1
2. रोजगार बाजार सूचना इकाई की स्थापना	सं.	–	–	–	1	1	1	1

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3

विभाग का नाम- श्रमायुक्त

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. श्रम निरीक्षक कार्यालय की स्थापना	सं.	-	-	-	-	2	2	-

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- हरिजन एवं समाज कल्याण .

पद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क- अनुसूचित जाति -								
(1) शैक्षिक कार्यक्रम -								
1. छात्रवृत्ति एवं अन्य उपकरण हेतु अना. सहा.-								
(1) कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी कक्षा स्तर	छा. सं.	–	–	–	2339	1500	1500	1500
(2) कक्षा 6 से 8 तक (जूनियर हाईस्कूल स्तर)	सं.	–	–	–	780	1000	1000	1000
2. अनुसूचित जाति के छात्रों का अपार्च्यूनिटी कॉस्ट अनुदान	छा.	110	166	166	–	571	571	571
3. दशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरस्कार	छा. सं.	36	13	36	3	15	15	15
(2) आर्थिक उत्थान -								
1. कृषि/बागवानी हेतु अनुदान	परि. सं.	164	164	164	–	105	105	120
2. लघु कुटीर उद्योग हेतु अनुदान	,,	192	192	192	–	33	33	55
3. गृह निर्माण/ सुधार हेतु अनुदान	गृह सं.	84	65	84	36	83	83	90
ख- अन्य पिछड़ी जाति के शैक्षिक कार्यक्रम -								
1. छात्रवृत्ति पाठ्यपुस्तक एवं अन्य उपकरण हेतु अनावृत्ति सहायता-								
(1) कक्षा 1 से 5 तक (प्राइमरी कक्षा स्तर)	छा. सं.	–	–	–	200	250	250	250
(2) कक्षा 6 से 8 तक (जूनियर हाई स्कूल स्तर)	,,	–	–	–	115	71	71	71
ग- अनुसूचित जनजाति के गृह -								
1. निर्माण विस्तार तथा मरम्मत हेतु राज सहायता/ सहायक अनुदान	रू.	35	35	35	12	50	50	20
2. भोटिया जनजाति के उत्थान हेतु विशेष कार्य.		350	325	325	–	117	117	60
3. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का रख-रखाव		–	–	–	–	120	120	–
4. अनुसूचित जन जाति के बालक/बालिकाओं के कक्षा 6-8 छात्रवृत्ति अनावृत्ति सहायता/ छात्रवृत्ति/ छात्रवेतन	सं.	–	–	–	–120	120	120	452

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि जी. एन. – 3 200

विभाग का नाम– हरिजन एवं समाज कल्याण

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980–85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980–85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985–90 के प्रारम्भ का स्तर	1985–86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986–87 लक्ष्य	वर्ष 1986–87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987–88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के कक्षा 1–5 तक छात्रवृत्ति	संख्या	–	–	–	–	–	–	390
6. कृषि भूमि क्रय हेतु भूमिहीन श्रमिक सहायता	,,	13	13	13	2	–	–	2
7. हायर पर्चेज पद्धति के आधार पर दुकानों का निर्माण	,,	15	15	15	3	–	–	3
8. विकलांग कल्याण :–								
क– भरण पोषण अनुदान	ला. सं.	398	398	398	308	308	308	338
ख– छात्रवृत्ति	,,	–	–	–	–	25	25	30
9. निर्धन एवं निराश्रित विधवाओं का कल्याण–								
क– वित्तीय सहायता (महिला/बच्चे)	ला. सं.	206	206	206	912	1914	1914	1199
10. जनपद चमोली में बाल विकास परियोजना स्थापित करना। (गैरसैण एवं घाट)	सं.	–	–	–	–	–	–	2
11. विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग अनुदान	सं.	–	–	–	–	5	5	6

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- सैनिक कल्याण

जी. एन. - 3

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-86 के प्रारम्भ कास्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. जिला सैनिक कल्याण चमोली के अधिरियो/ कर्मचारियो के आवासी भवन निर्माण (3 आवासीय भवन पूर्ण करने हेतु)	संख्या	-	-	-	-	6	6	3

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. -3 202

विभाग का नाम- पौष्टिक आहार

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि अनुमानित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पुष्टाहार शिक्षा विभाग -								
1. छः वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों तथा धात्री महिलाओं को पुष्टाहार	ला.सं.	-	-	1100	1107	1100	100	-
पुष्टाहार- समाज कल्याण -								
2. पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम लाभान्वित (महिला /बच्चों)	संख्या	-	-	15000	1591	3000	3000	9000

योजनावार व्यय / परिव्यय (हजार रू. में)

जी. एन. -2 अनुसूचित जाति

विभाग का नाम- कृषि

क्र. सं.	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू. आव. कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू. आव. कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू. आव. कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	पुर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डो मे उर्वरको के कम्पोजिट प्रदर्शन	34.30	5.40	5.40	-	-	5.40	-	-	6.30	-	-
2.	कृषि रक्षा कार्यक्रम के सुद्दढीकरण (कुरमुला कीट के नियंत्रण एंव उन्मूलन) की योजना	167.90	49.30	77.40	-	-	77.40	-	-	83.50	-	-
3.	सघन कृषि एंव बहुफसली योजना	-	-	36.00	-	-	36.00	-	-	54.00	-	-
4.	तिलहन विकास कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	36.90	-	-
	योग	202.20	54.70	118.80	-	-	118.80	-	-	180.70	-	-

विभाग का नाम- उधान एंव फलोपभोग -

क्र. सं.	योजना	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	औधानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न इनपुट्स तथा फलपौध, सब्जी बीज के परि./कीट एव व्याधियो (कुरमुला कीट) की रोक. औधा. ऋण एव तकावी के वितरण पर राज सहायता-											
(1)	फल पौध सब्जी के परि. पर राजसहायता	-	24	24	-	-	24.00	-	-	24.00	-	-
(2)	औधा. फसलो के कीट एंव व्याधि की रोक. एंव. पौध रक्षा कार्यो पर राजसहायता	-	5	10	-	-	10.00	-	-	10.00	-	-
(3)	औधा. औजार /संयत्रो के वित. पर रा. स.	-	0.5	1.0	-	-	1.00	-	-	1.00	-	-
(4)	अालू एंव सब्जियो की फसल पर कुरमुला कीट के विरूध उपचार	-	4.0	4.0	-	-	4.00	-	-	4.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	नवीन उद्यानो, खम्ब उत्पादन इकाई तथा शीतगृहो की स्था. हेतु कृषको को दीर्घ. ऋण वि.											
	(1) दीर्घकालीन बागवानी ऋण वितरण	–	227.10	310.00	–	–	310.00	–	–	180.00	–	–
	योग - 2	–	227.10	310.00	–	–	310.00	–	–	180.00	–	–
3.	अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में सघन फल एंव सब्जी उत्पादनको लोकप्रिय बनाने की योजना	–	1.70	1.70	–	–	1.70	–	–	1.70	–	–
	कुल योग	–	262.30	350.70	–	–	350.70	–	–	220.70	–	–
	विभाग का नाम- ग्राम विकास विभाग -											
1.	लघु व सीमान्त कृषको को वि. सहा.	121.56	108.56	825.00	–	–	825.00	–	–	825.00	–	–
2.	उक्त योजना पर लघु सिंचाई एंव भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.आर.डी. पैटर्न पर अति. अनुदान की धनराशि	–	–	102.00	–	–	102.00	–	–	102.00	–	–
	योग	121.56	108.56	927.00	–	–	927.00	–	–	927.00	–	–
	विभाग का नाम- कृषि विभाग - भूमि संरक्षण											
1.	पर्वतीय क्षेत्र में भूमि एंव जल संरक्षण यो.	405.00	180.00	200.00	–	–	200.00	–	–	240.00	–	–
	विभाग का नाम- पशुपालन -											
1.	पशु चिकित्सा सेवायें एंव स्वास्थ्य -											
	(1) खुरपका, मुहपक्का रोग के रोकथाम हेतु ए.डी. वेक्सीन की व्य. (50% केन्द्र तथा											

विभाग का नाम- पशुपालन क्रमश: | योजनावार व्यय/ परिव्यय (हजार रू. मे) | जी. एन. -2 (अनुसूचित जाति)

1 मद 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(2) एन्टी रैबीज वाईरस रोग की रोकथाम हेतु एन्टी रैबीज वैक्सीन का क्रय	–	10	–	–	–	–	–	–	2	–	–
(3) पशु चिकि. एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार एवं विस्तार की योजनायें - "ए" तथा "बी" श्रेणी के पशु चिकि. पर अति. दवाओं एवं साज सज्जा की व्यवस्था	–	4	4	–	–	4	–	–	5	–	–
(4) पशु चिकि. एवं पशु सेवा केन्द्रो की स्था.	–	22	50	–	–	50	–	–	100	–	–
2. पशुधन विकास –											
1– पशुधन प्रक्षेत्रो पर प्रजननकार्य हेतु साड़ो के उत्पादन की योजना–											
1. उन्नत साड़ो का क्रय	–	–	10	–	–	10	–	–	20	–	–
2. पर्व. क्षेत्र मे नैसर्गिक अभि. केन्द्रो की स्था. तथा साड़ परिचर का प्राविधान	–	36	70	–	–	70	–	–	100	–	–
3. डी क्लास डिस्पेन्सरी का उच्चीकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–
3. कुक्कुट विकास –											
1. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग के व्यव. पुष्टा./कार्यक्रम के अन्तर्गत कुक्कुट उत्पादन की योजना	–	10	5	–	–	5	–	–	–	–	–
2. नये कुक्कुट प्रक्षेत्रो की स्था. तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रो का सुदृढ़ीकरण	–	1	20	–	–	20	–	–	20	–	–
4. भेड एवं ऊन विकास – भेड प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण सेवायें –											
1. परजीवी कीटाणुओ से बचाने के लिए भेड़ो को सामू. रूप से दवा पिलाने की योजना	–	30	20	–	–	20	–	–	30	–	–
2. भेड़ प्रजनन मार्गो पर बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रो की स्थापना	–	–	20	–	–	20	–	–	–	–	–
3. भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रो पीपलकोटी चमोली के सुदृ. एवं विस्तार की योजना	–	–	35	–	–	35	–	–	–	–	–
4. पर्व. क्षेत्रों मे अंगोरा शशक प्रजनन पाइनिया इकाइयो की स्थापना..	–	–	20	–	–	20	–	–	–	–	–

योजनावार व्यय/परिव्यय (हजार रू. में) जी. एन. -2 (अनुसूचित जाति)

विभाग का नाम- पशुपालन क्रमश:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	अन्य पशुधन विकास -											
1.	हाडा परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण	–	–	30	–	–	30	–	–	35	–	–
7.	चारा नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण-	–	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–
क-	पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	–	–	4	–	–	4	–	–	20	–	–
2.	पशुधन विकास-											
1.	प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर्व. क्षेत्र में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्था. तथा साड़ परिसर का प्राविधान	–	–	10	–	–	10	–	–	10	–	–
	योग	–	123	304	–	–	304	–	–	362	–	–
	विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग -											
1.	एकीकृत ग्राम्य विकास (50% राज अंश)	3945.00	1021.28	932.85	–	–	932.85	–	–	1026.13	–	–
2.	एकीकृत ग्राम्य विकास (अतिरिक्त राज अंश)	3847.66	1013.80	729.90	–	–	729.90	–	–	802.89	–	–
	विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग -											
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	2042.90	181.20	689.25	689.25	–	689.25	689.25	–	758.20	758.20	–
2.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी यो.	–	–	–	–	–	–	–	–	25.88	25.88	–
	विभाग का नाम- पंचायत -											
1.	खण्डन्जा तथा भूमिगत नालियों का नि.	–	5.00	16.00	16.00	–	16.00	16.00	–	20.00	20.00	–
1.	जिला परिषद अनुदान	236.88	125.00	75.00	–	–	75.00	–	–	75.00	–	–
2.	विकास खण्डों को अनुदान	1540.00	[illegible] (245.40 handwritten)	[illegible] (440.00 handwritten)	[illegible] (440.00 handwritten)	–	440.00	440.00	–	440.00	(440.00 handwritten)	–

योजनावार व्यय / परिव्यय (अनुसूचित जाति) जी. एन. -2 (हजार रू. में)

विभाग का नाम- प्रादेशिक विकास दल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	स्वयं सेवको का सुदृढ़ीकरण	7.00	19.90	16.80	-	-	16.80	-	-	9.00	-	-
2.	युवक मंगल दलो को प्रोत्साहन	7.00	5.10	25.41	-	-	25.41	-	-	9.00	-	-
	योग	14.00	25.00	42.21	-	-	42.21	-	-	18.00	-	-
	विभाग का नाम- निबन्धक सहकारी समितियां - ऋण एंव अधिकोषण योजना-											
1.	अनसुचित जनजाति के सदस्यो को अंश कृय करने हेतु ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण/अनुदान	80.00	20.00	20.00	-	-	20.00	-	-	20.00	-	-
2.	उपभोग ऋण वितरण पर रिस्क फण्ड हेतु अनु.	13.60	-	3.00	-	-	3.00	-	-	1.00	-	-
	योग -ऋण एंव अधि. योजना	93.60	20.00	23.00	-	-	23.00	-	-	21.00	-	-
2.	कृय विकृय एव भण्डारण योजना:-											
1.	पैक्स को उर्वरक.हेतु सीमान्त धन	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-
	योग -2	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	-
3.	उपभोक्ता योजना-											
1.	पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्तधन	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-
2.	पैक्स को उपभोक्ता कार्य हेतु समितियो के. पुर्नस्थापना हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-
	कुल योग-	93.60	20.00	23.00	-	-	23.00	-	-	51.00	-	-
	विभाग का नाम- निजी लघु सिंचाई -											
1.	ऋण	-	0.90	108.00	-	-	108.00	-	-	66.00	-	-
2.	अनुदान	-	52.00	54.00	-	-	54.00	-	-	33.00	-	-
3.	हाईड्रम	-	314.00	300.00	-	-	300.00	-	-	165.00	-	-
	योग-	-	366.90	462.00	-	-	462.00	-	-	464.00	-	-

विभाग का नाम- सिंचाई (राजकीय

योजनावार व्यय /परिव्यय (अनुसूचित जाति) जी. एन.-2 (हजार रू. में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	पर्वतीय नहरें	4700	1200	1100	970	–	1100	970	–	1800	1376	–
	विभाग का नाम- राज्य विद्युत परिषद-											
1.	ग्रामीण विद्युतीकरण-											
	(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	2408	2384	3040	3040	3040	3040	3040	3040	3000	3000	3000
	विभाग का नाम- उद्योग-											
1.	लघु स्तरीय उद्योग -											
	(अ) अंश पूंजी	7.35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनीऋण50%रा.अं.	147.00	20	60	–	–	60	–	–	40	–	–
3.	एकीकृत मार्जिन मनी ऋण	75.00	–	10	–	–	10	–	–	5	–	–
4.	राज्य पूंजी उपादान	8.69	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	स्टाम्प ड्यूटी उपादान	2.40	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
6.	विद्युत उपादान	2.40	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	योग -1	240.64	20	70	–	–	70	–	–	49	–	–
2.	हस्तकला योजनाये -											
7.	रिंगाल उपयोगी केन्द्र	32.55	4	25	–	–	25	–	–	48	–	–
8.	हस्तशिल्प सहकारी समि. को वित्तीय सहा.											
	(अ) अंश पूंजी ऋण	7.35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	कच्चामाल व वाणिज्यिक क्रियाओं की व्य.	319.55	10	50	–	–	50	–	–	100	–	–
10.	गढ़वाल मण्डल में पापड़ी काष्ट कला केन्द्रों की स्थापना.	21.40	2	6	–	–	6	–	–	15	–	–
11.	अनु./जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योग. एवं उनके विस्तार की योजना	23.51	10	25	–	–	25	–	–	40	–	–
12.	उद्य. के माध्यम से कालीन प्र.के.की स्था.	21.00	9	20	–	–	20	–	–	46	–	–
13.	स्टोन कार्विंग प्रशि. एवं उत्पा.के.की स्था.	–	–	15	–	–	15	–	–	36	–	–
14.	शहरी क्षेत्र के दुर्बल वर्ग के व्य. को आर्थिक सहायता (आउट राइट सब्सिडी)	–	–	13	–	–	13	–	–	–	–	–
~~15.~~												
	योग-2	425.36	35	164	–	–	164	–	–	285	–	–
	कुल योग-	666.00	55	234	–	–	234	–	–	334	–	–

शिक्षा   योजनावार व्यय / परिव्यय (अनुसूचित जाति)   जी. एन. -2 (हजार रु. में)

विभाग का नाम- हथकरघा एंव वस्त्रोद्योग

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	प्रारम्भिक शिक्षा-											
1.	ग्रामीण एंव नगर क्षेत्रो के भवन रहित जू. बे. स्कूलो के भवन निर्माण हेतु अनुदान	100	150	93	93	93	93	93	93	93	93	93
2.	अस. मान्य. प्राप्त अशा. सी. बे. स्कूल अनु. अनु.	123	–	38	–	38	38	–	38	43	–	43
3.	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सी. बे. स्कूलो के भवन निर्माणार्थ अनुदान	240	180	180	180	180	180	180	180	180	180	– (180)
4.	ग्रामीण क्षेत्रो में मिश्रित जू. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान	1118	2125	434	–	434	434	–	434	511	–	511
5.	नगर क्षेत्रो में बालक तथा बालिकाओं के जू. बे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान	242	–	–	–	–	–	–	–	200	–	200
6.	जू. बे. स्कूलो में विज्ञान शिक्षण मे सुधार एंव विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान...	45	–	3	–	3	3	–	3	6	–	6
7.	ग्रामीण क्षेत्रो में छात्र सं. में वृद्धि तथा स्थि. हेतु नि. ब. के बालको को नि:शुल्क पाठ्य पुस्त. के वित. एव प्रोत्सा. अनु. योजना	12	0.6	– (10)	1	– (10)	10	1	– (– 10)	3	–	3
8.	ग्रामीण क्षेत्रो में बालको एंव बालि. के सी. बे. स्कूल को खोलने हेतु अनुदान	1099	245	249	–	249	249	–	249	304	–	304
9.	ग्रामीण एंव नगर क्षेत्रो में वय वर्ग6-14 के बच्चो के लिए अंश. कक्षाये खोलने हेतु अनु.	178	43	121	–	121	121	–	121	89	–	89
10.	वयवर्ग 6-11 के निर्बल वर्ग के बच्चो को विद्या. मे लाने हेतु छात्र. अभियान	3	1	3	–	3	3	–	3	3	–	3
11.	नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सी. बे. स्कूलो में पाठ्य पुस्तक बैंक स्था. करने हेतु अनु.	31	3	3	–	3	3	–	3	3	–	3
12.	ग्रामीण क्षेत्रों के सी. बे. स्कूलो के लिए काष्ठो. साजसज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	65	15	18	–	18	18	–	18	30	–	30
13.	जू. बे. स्कूलो में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	52	13	8	–	8	8	–	8	25	–	25
14.	निर्बल वर्ग के बच्चो को पोषाक देने की व्य.	52	–	10	–	10	10	–	10	15	–	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	सहायता प्राप्त सी. वे. स्कूलो को भवन अनु.	8	10	10	–	10	10	–	10	10	–	10
6.	जू. व. स्कूलो में प्रधानाध्यापकों तथा सी. व. स्कूलो में अति. अध्य. की नियु. हेतु अनुदान	729	–	10	–	10	10	–	10	27	–	27
7.	सी. वे. स्कूलो में विज्ञान में शिक्षण में सुधार एंव विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	35	16	16	–	16	16	–	16	16	–	16
	योग	4140	2801.60	1196	273	1196	1196	273	1196	1558	273	1558
	विभाग का नाम- चिकित्सा एंव स्वास्थ्य -											
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	–	–	300	300	300	300	300	300	–	–	–
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण	–	–	800	800	800	800	800	800	–	–	–
3.	राजकीय एलोपैथिक औषधालयो का निर्माण	–	400	200	200	–	200	200	–	–	–	–
4.	टी.बी. औषधियों की आपूर्ति	–	200	600	600	600	600	600	600	100	100	100
5.	वर्तमान आयुर्वेदिक चिकि. को प्रोजजन	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–
	योग	–	600	1900	1900	1700	1900	1900	1700	110	100	100
	विभाग का नाम- जल निगम -											
1.	ग्रामीण पेयजल योजना	–	4830	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग -											
1.	ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना	2840	612	630	630	630	630	630	630	640	640	640
1.	आवास स्थलो का विकास	–	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
1.	निर्बल वर्ग आवास	1668	627	267	276	267	267	267	267	267	267	267
	विभाग का नाम- प्रशिक्षण एंव सेवायोजन-											
1.	अनु.जाति / जन जाति तथा पि. व. के अभ्य. के लिए शि. एंव मार्ग दर्शन केन्द्र स्थापना	–	–	75	–	–	75	–	–	82.5	–	–

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय (हजार रू0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजी गत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(क) अनुसूचित जाति												
शैक्षिक कार्यक्रम:-												
1-	छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य उपकरण हेतु अनावर्ती सहायता-											
	(1) कक्षा 1 से 5 तक (प्राइमरी कक्षा स्तर)	-	128-50	150-00	-	-	150-00	-	-	150-00	-	-
	(2) कक्षा 6 से 8 तक (जूनियर हाई स्कूल स्तर)	-	150-00	350-00	-	-	350-00	-	-	350-00	-	-
2-	अनुसूचित जाति के छात्राओं को अपारच्युनिटी कास्ट अनुदान	20-00	-	200-00	-	-	200-00	-	-	200-00	-	-

जिलावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2 ~~457~~ 212

विभाग का नाम--हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय द्वारा: {हजार रु0 में} जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87अनुमानित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1986-87अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	1987-88प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-	दशम एवं दशनोत्तर कक्षाओं की अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरस्कार ।	3-20	12-00	6-00	-	-	6-00	-	-	6-00	-	-
4-	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों,पुस्तकालयों एवं पाठशालाओं का सुधार/विस्तार	10-00	-	5-00	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-
5-	अनुसूचित जाति का पुर्नवासन	-	20-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग-शैक्षिक कार्यक्रम	33-20	310-50	711-00	-	-	711-00	-	-	711-00	-	-
II-	आर्थिक उत्थान											
1-	कृषि/बागवानी हेतु अनुदान	176-00	45-00	105-00	-	-	105-00	-	-	120-00	-	-
2-	लघु कुटीर उद्योग हेतु अनुदान ।	190-00	45-00	100-00	-	-	100-00	-	-	120-00	-	-
	योग-आर्थिक उत्थान-	366-00	90-00	205-00	-	-	205-00	-	-	240-00	-	-

योजनाओं पर व्यय / परिव्यय (जिला सेक्टर) जी. एन. -2 (हजार रु. में)

विभाग का नाम- हरिजन एंव समाज कल्याण (क्रमशः)

क्र. सं.	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू. अधि. कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यू. अधि. कार्यक्रम	कुल	पूंजीगत	न्यून. अधि. कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III-	स्वास्थ्य ,आवास संबंधी अन्य योजनायें-											
	गृह निर्माण/ सुधार हेतु अनुदान	92.00	100.00	250.00	-	250.00	250.00	-	250.00	270.00	-	270.00
	योग (क)	491.20	500.50	1166.00	-	250.00	1166.00	-	250.00	1221.00	-	270.00

विभाग का नाम- कृषि

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी.एन. -3 (अनुसूचित जाति)

214

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में उर्वरक प्रदर्शन की योजना	सं.	19.62	19.62	19.62	58.86	64.80	64.80	72.00
2. कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना आ.क्षे.	है.	60300	61153.60	5760.00	14586.08	15300	15300	16200
3. कृषि रक्षा सेवा के सुदृढ़ीकरण की योजना कृ.प्र.	सं.	–	–	1530	1630	990	990	1080
4. सघन कृषि एंव बहुफसली योजना आच्छादन	ह.है.	–	–	–	–	360	360	540
5. तिलहन विकास	है.	–	–	–	–	40	40	54
6. उर्वरक परिवहन पर राज्य सहायता 10 कि.ग्रा. के पैकेटों की व्यवस्था	सं.	2700	1372	1372	1440	2520	2520	2520
विभाग का नाम- उधान एंव फलोपयोग निदेशालय -								
1. औधो. फसलों के कीट एंव व्या. की रोकथाम एंव पौध रक्षा कार्यों पर राज सहायता-								
क- सामान्य पौध रक्षा कार्यक्रम	है.	–	–	143.60	143.60	444.00	444.00	145.00
2. औधा. औजार संयत्रों के वित.पर राज सहा.								
1: औधानिक संयत्रों का वितरण	सं.	–	–	50	50	50	50	50
3. नवीन उधानों, खुम्ब उत्पा. इकाइयों तथा शीतगृहों की स्था. कृषकों को दीर्घ. ऋण वितरण	सं.	–	–	82	82	185	185	75
4. शीतगृह निर्माण हेतु ऋण वितरण से लाभा. व्य.	सं.	–	–	–	–	–	–	1
5. अनु. जाति/जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में सघन फल एंव सब्जी उत्पा. को लोकप्रिय बनाने की योजना निः:शुल्क सब्जी प्रदर्शन	सं.	–	–	35	35	143	143	60

विभाग का नाम- भूमि संरक्षण   भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि   जी. एन.-3 (अनुसूचित जाति) 215

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत उपचारित क्षेत्र	है.	274	274	364	90	100	100	120
विभाग का नाम- पशुपालन -								
1. खुरपका के टीके	सं.	-	-	-	2500	3000	3000	3000
2. ए.आर.वी. टीकाकरण	,,	-	-	-	40	40	40	40
3. साड़ो का क्रय विक्रय	,,	-	-	-	-	8	8	8
4. भेड़ो को दवा पिलाना	,,	-	-	-	12000	15000	15000	15000
विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग-								
एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लाभार्थी -								
(क) पुराने लाभार्थी	सं.	-	-	-	-	350	350	385
(ख) नये लाभार्थी- कुल लाभार्थी	सं.	9900	7652	7652	869	192	192	211
1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम खा. वित.	मै. टन	249	286.60	286.60	185.90	236	236	263
2. ग्रामीण भूमिहिन रोजगार गारन्टी योजना- मानव दिवस सृजन	ला. मा. दि.	-	-	-	-	-	-	2.6
विभाग का नाम- पंचायतीराज								
1. ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिए खण्डन्जा तथा नाली का निर्माण	गां. स. सं.	-	-	-	1	2	2	4
विभाग का नाम- प्रादेशिक विकास दल -								
1. स्वयं सेवको को सुद्धढ़ीकरण	सं.	13	13	43	30	42	42	16
2. युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	सं.	12	12	39	27	42	42	20

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- निजी लघु सिंचाई.. | जी. एन. -3 (अनुसूचित जाति) |

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. निजी लघु सिंचाई साधनों द्वारा सृजन सिंचन क्षमता	है.	–	–	–	–	50.0	50.0	49.60
2. हाईड्रम	सं.	–	–	–	–	2	2	2
3. हौज निर्माण	,,	–	–	–	–	18	18	20
4. गूल निर्माण	कि. मी.	–	–	–	–	4	4	3.60
विभाग का नाम- सिंचाई (राजकीय)								
1. राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन - पर्वतीय नहरें	है.	15.00	17.00	35.00	4.00	6.00	6.00	8.00
विभाग का नाम- राज्य विद्युत								
1. हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	सं.	200	185	374	79	78	78	80
विभाग का नाम- उद्योग-								
1. लघु स्तरीय उद्योग -								
1. औद्यो. सह. समितियों का गठन (अपस्त्रीय)	सं.	–	5	–	–	–	–	–
2. एकीकृत राज्य पूंजी उपादान	ला. सं.	–	4	–	–	–	–	2
3. स्टाम्प ड्यूटी	सं.	–	6	–	–	–	–	3
4. जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनीऋण	ला. सं.	8	9	2	–	2	2	2
2. हस्तकला योजना-								
5. रिंगाल उपयोगी केन्द्र	पृ. व्य. सं.	–	21	16	–	7	7	3
6. हस्तशिल्प सहकारी समितियों का गठन	सं.	–	22	–	–	–	–	–
7. कच्चा माल एवं वाणिज्यिक क्रियाओं	ला. व्य.	–	20	59	10	5	5	10
8. पापड़ी काष्ठ. योजना का पुर्न. एवं विस्तार	पृ. व्य. सं.	–	–	–	7	3	3	3
9. उद्य. के माध्यम से कालीन प्रशि. केन्द्र की यो.	,,	–	36	–	20	10	10	25
10. अनु. जाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्यो. की योजना का विस्तार	ला. व्य.	–	43	–	10	5	5	5
11. स्टोन कार्विंग प्रशि. एवं उत्पादन केन्द्र की स्था.	पृ. व्य. सं.	–	–	–	–	5	5	3
विभाग का नाम- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग-								
1. कालीन बुनाई एवं प्रशि. केन्द्रों की स्था.	पृ. सं.	95	47	68	11	10	10	5

विभाग का नाम– सामान्य शिक्षा – ..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रारम्भिक शिक्षा–								
1. ग्रामीण एव नगर क्षेत्रो के भवन रहित जू. वे. स्कूलो के भवन निर्माण अनुदान	सं.	2	2	3	1	1	1	1
2. ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रो के सी. व. स्कूलो के भवन निर्माण हेतु अनुदान	सं.	2	1	1	1	1	1	1
3. ग्रामीण क्षेत्रो मे मिश्रित जू. व. स्कूल खोलने हेतु अनु.	सं.	13	13	22	22	2	2	2
4. नगर क्षेत्रो मे बालक तथा बालि. के जू. वे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान	सं.	1	1	1	–	–	–	1
5. जू. वे. स्कूलो मे विज्ञान शिक्षण मे सुधार एंव विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	सं.	75	75	–	–	5	5	10
6. ग्रामीण क्षेत्रो मे छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालको की पाठ्. पुस्तक के वित. प्रो.	सं.	4000	4000	4250	250	3335	3335	1000
7. ग्रामीण क्षेत्रो मे बालको एंव बालि. के सी. वे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान	सं.	4	4	1	1	1	1	1
8. ग्रामीण एंव नगर क्षेत्रो के वय वर्ग 6–14 के बच्चो के लिए अंशकालिक कक्षाये खोलने हेतु अनुदान	सं.	100	100	20	20	60	60	80
9. वयवर्ग 6–11 वर्ष के बच्चो को विद्यालयो में लाने हेतु छात्रवृत्ति अभियान	सं.	5000	5000	2000	2000	2000	2000	2000
10. निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराने हेतु सी. वे. स्कूलो में पा. पु. बैंक स्था. करने हेतु अनुदान	सं.	25	25	103	103	3	3	3
11. ग्रामीण क्षेत्रो में सी. वे. स्कूलो के लिए काष्टो. साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	सं.	22	22	27	5	6	6	10
12. निर्बल वर्ग के बच्चो को पोषाक देने की व्यवस्था	सं.	2080	2080	2080	–	400	400	600
13. सहा. प्राप्त सी. व. स्कूलो को भवन अनुदान	सं.	1	1	1	1	1	1	1
14. जू. वे. स्कूलो मे प्रधानाध्यापको तथा तथा सी. वे. स्कूलो मे अति. अध्या. की नियु. हेतु अनुदान	सं.	72	72	10	10	10	10	13
15. सी. वे. स्कूलो मे विज्ञान शिक्षण में सुधार एंव विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	सं.	7	7	7	3	3	3	3
16. जू. वे. स्कूलो मे साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	सं.	52	52	52	13	8	8	25

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

विभाग का नाम- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें-

जी. एन. -3 (अनुसूचित जाति)

218

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	संख्या	-	-	-		2	2	-
2. उप केन्द्रों का निर्माण	,,	-	-	-	-	2	2	2
3. राजकीय एलोपैथिक औषधालयों का निर्माण	,,	-	-	-	1	1	1	-
4. उप केन्द्रों की स्थापना	,,	-	-	-	-	-	-	2
5. वर्तमान आयुर्वेदिक /यूनानी औषधालयों का प्रोन्नयन	,,	-	-	-	-	-	-	1
विभाग का नाम- जल निगम-								
1. लाभान्वित कुल ग्राम	,,	-	-	-	55	30	30	30
विभाग का नाम- ग्राम विकास (हरिजन पेयजल)								
1. ग्रामीण हरिजन पेयजल डिग्गी	,,	261	344	344	32	32	32	32
विभाग का नाम- ग्राम विकास विभाग (निर्बल वर्ग आवास)								
1. निर्बल वर्ग आवास	,,	556	272	272	629	89	89	89
विभाग का नाम- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन-								
1. अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा पिछड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना	,,	-	-	-	-	1	1	-

भौतिक लक्ष्य / उपलब्धि

जी. एन. - 3

विभाग का नाम- हरिजन एंव समाज कल्याण

मद	इकाई	छटी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छटी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवी योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क- अनुसूचित जाति -								
§1§ शैक्षिक कार्यक्रम -								
1. छात्रवृति एंव अन्य उपकरण हेतु अना. सहा. -								
§1§ कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी कक्षा स्तर	छा. सं.	-	-	-	2339	1500	1500	1500
§2§ कक्षा 6 से 8 तक §जूनियर हाईस्कूल स्तर§	सं.	-	-	-	780	1000	1000	1000
2. अनुसूचित जाति के छात्रों का अपारच्युनिटी कास्ट अनुदान	छा.	110	166	166	-	57	571	571
3. दशम एंव दशमोत्तर कक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का विशेष पुरुस्कार	छा. सं.	36	13	36	3	15	15	15
§2§ आर्थिक उत्थान -								
1. कृषि/बागवानी हेतु अनुदान	परि. सं.	164	164	164	-	105	105	120
2 [illegible]	"	192	192	192	-	33	33	55
3- [illegible]		84	65	84	36	83	83	90

योजनावार व्यय/परिव्यय जी०एन०-2

विभाग का नाम-कृषि (हजार रू० में) अनुसूचित जनजाति

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आवृ० कार्य०	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आवृ० कार्य०	1987-88 प्रस्तावित व्यय कुल	पूंजीगत	न्यू० आवृ० कार्य०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में उर्वरकों के कम्पोजिट प्रदर्शन	30•10	19•70	60•00	-	-	60•00	-	-	65•00	-	-
2-	जनजाति विकास खण्डों में बीज विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों पर राजसहायता योजना	46•60	45•00	60•00	-	-	60•00	-	-	65•00	-	-
3-	दलहनी फसलों को सघन खेती की योजना.	3•90	0•60	0•60	-	-	0•60	-	-	0•70	-	-
4-	कृषि रक्षा कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण (करमुलाकोट के नियंत्रण एवं उन्मूलन) की योजना	18•66	5•5	8•60	-	-	8•60	-	-	9•50	-	-
5-	उर्वरक परिवहन पर राज सहायता	1•20	0•8	0•80	-	-	0•80	-	-	1•00	-	-
6-	गुणात्मक बीजों के उत्पादन संग्रहण एवं वितरण की योजना	-	-	4•00	-	-	4•00	-	-	6•10	-	-
7-	राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	4•10	-	-
	योग:-	100•46	71•60	-	-		134•00	-	-	151•40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उद्यान एवं फलोद्यान												
1-औद्यानिक फसलों के कीट एवं ब्याधि को रोक थाम एवं पौध रक्षा कार्य पर राज सहायता		-	46•00	46•00	-	-	46•00	-	-	46•00	-	-
2-वितरित किये गये दीर्घकालीन औद्यानिक ऋण के मूल धन पर राज सहायता		-	15•00	27•00	-	-	27•00	-	-	15•00	+5----	-
3-औद्यानिक औजार×संयंत्रों के वितरण पर राजसहायता		-	1•50	2•00	-	-	2•00	-	-	2•00	-	-
4-आलू एवं सब्जियों की फसल पर कुरमुला कीट के विरुद्ध उपचार		-	11•00	11•00	-	-	11•00	-	-	11•00	-	-
योग:-		-	73•50	86•00	-	-	86•00	-	-	74•00	-	-
2-नवीन उद्यानों,खाम्व उत्पादन इकाई तथा शीतगृहों की स्था• हेतु कृषकों को दीर्घ कालीन ऋण वितरण												
1-दीर्घकालीन बागवानी ऋण वितरण		-	22•70	40•00	-	-	40•00	-	-	20•00	-	-
2-फल उत्पादकों को शीतगृह निर्माण हेतु दीर्घकालीन(तकावी)(ऋण)		-	60•00	30•00	-	-	30•00	-	-	45•00	-	-
योग-2		=	82•70	70•00	-	-	70•00	-	-	65•00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3–	अनुसूचित जाति/जनजाति वाहुल्य विकास खण्डों में उद्यान फल एवं सब्जी उत्पादन को लोकप्रिय बनाने को योजना	–	2·00	7·00	–	–	7·00	–	–	7·00	–	–
4–	भवन निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग:-		–	158·00	163·00	–	–	163·00	–	–	141·00	–	–
	ग्राम्य विकास विभाग											
1–	लघु एवं सीमान्त कृषकों को वित्तीय सहायता0	39·54	1·22	55·00	–	–	55·00	–	–	55·00	–	–
2–	उक्त योजना पर लघु सिंचाई एवं भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आई·आर·डी·पैटर्न पर अतिरिक्त अनुदान की धनराशि	–	–	6·80	–	–	6·80	–	–	6·80	–	–
योग:-		39·54	1·22	61·80	–	–	61·80	–	–	61·80	–	–
	कृषि विभाग-भूमि संरक्षण											
–	पर्वतीय क्षेत्र में भूमि एवं जल संरक्षण योजना	60·00	80·00	100·00	–	–	100·00	–	–	150·00	–	–
	पशुपालन											
–	पशु चिकित्सा सेवायें एवं स्वास्थ्य											
–	खुरपका, मुहपक्का रोग के रोक थाम हेतु ए·डी·वैक्सीन की व्यवस्था (50% केन्द्र तथा 50% राज्य अंश)	–	1	1	–	–	1	–	–	2	–	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एन्टोरैक्सोज वाईरस रोग की रोक थाम हेतु एन्टो रैक्सो वैक्सीन का क्रय	–	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–
"तथावों" श्रेणी के पशु चिकित्सा- लयों पर अतिरिक्त दवाओं एवं साज सज्जा की व्यवस्था	–	1	1	–	–	1	–	–	2	–	–
पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना	–	5	5	–	–	5	–	–	2	–	–
पशुधन विकास-											
पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजनन कार्य हेतु सांड़ों के उत्पादन की योजना	–	2	2	–	–	2	–	–	1	–	–
पर्वतीय क्षेत्र में नैसर्गिकअभिजनन केन्द्रों की स्थापना तथा सांड शिविर का प्राविधान	–	8	7	–	–	7	–	–	7	–	–
कुक्कट विकास											
संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल नीति निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार/कार्यक्रम के अन्तर्गत कुक्कुट उत्पादन की योजना	–	32	5	–	–	5	–	–	–	–	–
नये कुक्कट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुटप्रक्षेत्रोंका सुदृढीकरण	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भेड़ एवं ऊन विकास											
प्रजनन सुविधाओंका प्रसार एवं उपकरण सेवायें-											
परजीवी कीटाणुओं से बचाने के लिये भेड़ों को सामूहिक रूप से दवा पिलाने की योजना	–	10	20	–	–	20	–	–	10	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2- नयें भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना		–	30	10	–	–	10	–	–	–	–	–
3- भेड़ प्रजनन फार्मों पर बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना		–	5	5	–	–	5	–	–	–	–	–
अन्य पशुधन विकास												
1-पशुधन विकास संबंधित कार्यक्रमों के विस्तार की योजना ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम भेड़/पशु प्रदर्शनियों की प्रसार सामग्री		–	5	5	–	–	5	–	–	5	–	–
2-हाड़ा परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण		–	3	2	–	–	2	–	–	–	–	–
चारा नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण												
1-पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सुधार एवं विस्तार की योजना-												
क- पशु चिकित्सालयों की स्थापना		–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख-पशु सेवा केन्द्रों कीस्थापना		–	6	–	–	=	–	–	–	–	10	–
2-पशुधन विकास- (1) प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना पर्वतीय क्षेत्र में नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्था• तथा सांड परिवार का प्राविधान		–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3- भेड़ एवं ऊन विकास- (1) पर्वतीय क्षेत्र में नयें भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों की स्थापना		–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग-		–	90	64	–	–	64	–	–	40	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ग्राम्य विकास विभाग												
-एकीकृत ग्राम्य विकास (50% राज्य अंश)		1065•82	175•85	62•19	-	-	62•19	-	-	68•40	-	-
- एकीकृत ग्राम्य विकास (अतिरिक्त) राज्य अंश)		823•04	176•69	48•66	-	-	48•66	-	-	53•52	-	-
ग्राम्य विकास विभाग												
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		349•70	59•30	55•14	55•14	-	55•14	55•14	-	60•65	60•65	-
पंचायतीराज विभाग												
- ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिए खाण्डजा नाली निर्माण		-	-	16•00	16•00	-	16•00	16•00	-	10•00	10•00	-
- जिला परिषद अनुदान		47•38	25•00	15•00	-	-	15•00	-	-	15•00	-	-
- विकास खण्ड अनुदान		385•00	61•40	110•00	110•00	-	110•00	-	-	110•00	-	-
प्रादेशिक विकास दल												
-स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण		0•70	2•00	2•00	-	-	2•00	-	-	1•00	-	-
- युवक मंगलदलों को प्रोत्साहन		0•64	2•42	2•00	-	-	2•00	-	-	1•00	-	-
योग:-		1•34	4•42	4•00	-	-	4•00	-	-	2•00	-	-

जी॰एन॰-2 अनुसूचित जनजाति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
निर्बाधक सहकारी समितियाँ												
1-उपभो ऋण वितरण पर रिस्क फण्ड हेतु अनुदान		5	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
2-सकल ऋण वितरण लेम्पस को छूट 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
योग-		5	1	1	-	-	1	-	-	6	-	-
2-क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना-												
1- पैक्स को उर्वरकव्यवसाय हेतु सीमान्तधान		-	-	-	-	-	-	-	-	15•00	-	-
2-सेब खरीद हेतु लैम्पस को मूल्य उतार चढाव निधि अनुदान		-	-	-	-	-	-	-	-	1•00	-	-
योग-		-	-	-	-	-	-	-	-	16•00		
3- उपभोक्ता योजना-												
1- पैक्स को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमान्त धान		-	-	-	-	-	-	-	-	10•00	-	-
2- लैम्पस को प्रबंधकीय अनुदान		-	-	-	-	-	-	-	-	10•00		
3-पैक्स उपभोक्ता कार्य हेतु समिति केपुनर्स्थापन हेतु अनुदान		-	-	-	-	-	-	-	-	2•00	-	-
योग कुल-		5	1	1	-	-	1	-	-	44•00	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
निजी लघु सिंचाई											
1– ऋण	–	0•09	10•80	–	–	10•80	–	–	16•00	–	–
2– अनुदान	–	5•2	5•40	–	–	5•40	–	–	8•00	–	–
योग–	–	5•29	16•20	–	–	16•20	–	–	24•00	–	–
सिंचाई (राजकीय)											
– पर्वतीय नहरें	1375•00	815•00	950•00	938•00	–	950•00	938•00	–	1500•00	1500•00	–
विद्युत परिषद											
–ग्रामीण विद्युतीकरण– 1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	600	310	1590	1590	1590	1590	1590	1590	1600	1600	1600
उद्योग निदेशालय											
–जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी एवं 50% राजअंश	210•00	30•00	70•00	–	–	70•00	–	–	60•00	–	–
2–एकीकृत समार्जिन मनी ऋण–	170•35	–	20•00	–	–	20•00	–	–	10•00	–	–
3–राज्य पूंजी उपादान	45•13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4–स्टाम्प ड्यूटी	2•19	–	–	–	–	–	–	–	3•00	–	–
5–विद्युत उपादान	[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	2•00	–	–
योग–	427•77	30•00	90•00	–	–	90•00		–	75•00	–	–

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8- हस्तकला योजनायें-		-	-	2.00	-	-	2.00	-	-	16.00	-	-
9-कच्चामाल व वाणिज्यिक क्रियाओं की व्यवस्था		760.81	150.00	55.00	-	-	55.00	-	-	150.00	-	-
10-गढवाल मण्डल में पापड़ी काष्ट कला केन्द्रों की स्थापना		-	-	6.00	-	-	6.00	-	-	10.00	-	-
11-अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिकरण एवं उनके विस्तार की योजना		114.27	13.00	25.00	-	-	25.00	-	-	40.00	-	-
12-उद्यमियों के माध्यम से कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना		-	-	-	-	-	-	-	-	46-00	-	-
13-स्टोन कार्विंग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना		70.48	80.00	40.00	-	-	40.00	-	-	92.00	-	-
14-शहरी क्षेत्र के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता--- (आउट राइट सब्सिडी)		-	-	4.00	-	-	4.00	-	-	12.00	-	-
15- जिला एवं मण्डलीय प्रदर्शनी तथा सेमिनार	-	-	-	30.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-
योग:- 2		945.50	243.20	162.00	-	-	162.00	-	-	266.00	-	-
हथकरघा एवं वस्त्र												
1-कालीन बुनाई एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना		192.50	60.00	50.00	-	-	50.00	-	-	80.00	-	-
योग-		1138.06	303.20	212.00	-	-	212.00	-	-	346.00	-	-

विभाग का नाम- शिक्षा

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रारम्भिक शिक्षा											
1-ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के भवन रहित जू0बे0स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	100	200	93	93	93	93	93	93	136	186	186
2-ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सी•बे•स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान	180	180	–	–	–	–	–	–	180	180	180
3-ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित जू•बे• स्कूल खोलने हेतु अनुदान	416	232	411	–	411	411	–	411	210	–	210
4-जू•बे•स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान नया	42	–	3	–	3	3	–	3	3	–	3
5-ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालकों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण एवं प्रोत्साहन अनुदान योजना नया	3	–	5	–	5	5	–	5	1	–	1
6-ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सी•बे•स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान	320	200	96	–	96	96	–	215		–	215
7-ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के वयवर्ग 6-14 के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान	50	–	36	–	36	36	–	36	36	–	36
8-वयवर्ग 6-11 के निर्बल वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में जाने हेतु छात्रवृत्ति अभियान नया-	2	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9-निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सी•बे• स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान		[illegible]	4	4	–	4	4	–	4	4	–	4
10-ग्रामीण क्षेत्रों के सी•बे• स्कूलों के लिए काष्ठोपकरण साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान		30	15	15	–	15	15	–	15	24	–	24
11- जु•बे• स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान		18	7	5	–	5	5	–	5	10	–	10
12-निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था		8		15	–	10	10	–	10	10	–	10
13-जु•बे• स्कूलों में प्रधानाध्यापकों तथा सी•बे• स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापक की नियुक्ति हेतु अनु•		146	–	–	–	–	–	–	–	14		14
14-सी•बे• स्कूलों में विज्ञान में शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान		20	–	5	–	–	5	–	–	5	–	5
योग-		1344•00	835•00	830•00	684•00	93•00	684•00	684	93•00	684•00	899•00	899•00

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

1-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना		–	–	500	500	500	500	500	500	–	–	–
2-राजकीय एलोपैथिक औषधालयों का निर्माण		–	–	100	100	–	100	100	–	–	–	–

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना ..	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–
4- उप केन्द्रों का निर्माण	–	–	300	300	300	300	[illegible]	300	100	100	100
5-वर्तमान आयुर्वेदिक/यूनानी औषधालयों का प्रोन्नयन	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–
योग-			900	900	800	900	900	800	140	100	100
चालू योजनायें:-											
ग्रामीण पेयजल योजना	–	420	500	500	500	500	500	500	500	500	500
आवास स्थलों का विकास	–	12	12	12	12	12	12	12	12·6	12·6	12·6
निर्बल वर्ग आवास	333	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन											
1-अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना	–	36	25	–	–	25	–	–	27·50	–	–
2-रोजगार बाजार सूचना इकाई की स्थापना	–	2·5	30	–	–	30	–	–	33	–	–
योग-	–	38·5	55	–	–	55	–	–	[illegible]		

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम-हरिजन एवं समाज कल्याण क्रमशः (हजार रु0 में) जिला सैक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	12	13
	4-दुकानों का निर्माण हायरपर्चेज पद्धति के आधार पर।	~~150-00~~	-	-	-	-	-	-	-	30-00		-
	योग चालू योजना-	~~205-00~~	~~11-00~~	~~50-00~~	-	-	~~50-00~~	-		~~90-00~~	-	-
	अनुसूचित जनजाति											
	शैक्षिक कार्यक्रम											
	(1) कक्षा 1 से 5 तक	-	5-00	-	-	-	-	-	-	70-00	-	-
	(2) कक्षा 6 से 8 तक	-	40-00	120-00	-	-	120-00	-	-	160-00	-	-
1-	अनुसूचित जनजातियों को गृह निर्माण विस्तार तथा मरम्मत हेतु राजसहायता/सहायक अनुदान/अंशदान	105-00	26-00	50-00	-	-	50-00	-	-	60-00	-	-
2-	भोटिया जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रम।	775-00	268-80	117-00	-	-	117-00	-	-	130-00	-	-
3-	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की रख-रखाव एवं उन्नयन	-	-	120-00				-	-			

योजनावार व्यय/परिव्यय   जी0एन0-2

विभाग का नाम- जनजाति विकास   (हजार रू0 में)   जिला क्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 कार्य0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4-	अनुसूचित जनजाति हेतु बागवानी अनुदान ।	65-00	25-00	-	-	-	-	-	-	75-00	-	-
5-	अनुसूचित जनजाति हेतु कुटीर उद्योग अनुदान ।	125-00	53-00	-	-	-	-	-	-	90-00	-	-
6-	अनुसूचित जनजाति का पुनर्गठन	50-00	20-00	-	-	-	-	-	-	50-00	-	-
	योग जनजाति-	1120-00	437-80	407-00	-	-	407-00	-	-	642-00	-	-
	कुल योग हरिजन कल्याण:-	1816-20	949-30	~~1623-00~~	-	250-00	~~1623-00~~	-	~~250-00~~	~~1953-00~~	-	270-00

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी0एन0-3

विभाग का नाम- कृषि

अनुसूचित जनजाति

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति विकास खण्डों में बीज विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीजों पर राज सहायता की योजना	कुन्तल	50	50-	11•50	229	250	250	275
-पर्वतीय क्षेत्र में दलहनी फसलों की सघन खेती की योजना	हैक्टयर	319	319	319	6•54	7•20	7•20	8•0
-कृषि रक्षा सेवा के सुदृढीकरण की योजना- (अ) आच्छादित क्षेत्रफल	,,	6700	7128	1620•67	640	1700	1700	1800
-कृषि रक्षा सेवा के सुदृढीकरण की योजना (ख) कृषक प्रशिक्षण	संख्या	-	-	5	181	110	110	120
- सघन कृषि एवं बहुफसली योजना प्रदर्शन	,,	-	-	-	-	40	40	60
- उर्वरक परिवहन पर राजसहायता क- 10 कि0ग्रा0 के पैकेट की व्यवस्था	,,	300	152	280	160	280	280	300

मासिक लक्ष्य/उपलब्धि जा0एन0-3

विभाग का नाम- उद्यान व फलोपयोग निदेशालय अनुसूचित जनजाति 235

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु इनपुटस तथा फलपौधा सब्जी बीज के परिवर्धन/कीट व्याधि नियंत्रण एवं संयंत्रों का वितरण								
(क) फल पौधा वितरण	लाख सं0	-	-	0·68	0·68	0·24	0·24	0·24
(ख) शोभाकार/अन्य पौधा वितरण	,,	-	-	-	-	-	-	-
(ग) सब्जी बीज वितरण	कि0ग्रा0	-	-	1192	1192	600	600	600
(घ) सब्जी पौधा वितरण	ला0सं0	-	-	4·47	4·47	3·00	3·00	3·00
(ड·) सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाई जाने वाला अति0क्षेत्रफल	है0	-	-	34·66	34·66	9·00	9·00	9·00
2-औद्यानिक फसलों के कीट एवं व्याधियों की रोकथाम एवं पौधा रक्षा कार्यों पर राज सहायता								
(क) सामान्य पौधा रक्षा कार्यक्रम	है0	-	-	417·70	417·70	356·00	356·00	660·00
3-औद्यानिक औजार संयंत्रों के वितरण पर राजसहायता	-	-	-	58	58	50	50	50
1-उद्यानों के अंतर्गत लाये जाने वाला अतिरिक्त क्षेत्र फल								
अ- सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत	है0	-	-	8	8	40	40	40
2-शीतगृह निर्माण हेतु ऋण वितरण से लाभान्वित व्यक्तियों की	सं0	-	-	4	4	20	20	3
3-अनु0जाति/जनजाति बाहुल्य विकास खण्डों में सघन फल एवं सब्जी उत्पादन को लोकप्रिय बनाने की योजना नि:शुल्क सब्जी प्रदर्शन	सं0	-	-	40	40	143	143	40

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी०एन०-3

विभाग का नाम- भूमि संरक्षण

अनुसूचित जनजाति 236

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-भूमि संरक्षण योजना के अंतर्गत उपचारित क्षेत्र	हैक्टयर	-	20	50	30	30	30	35
पशुपालन								
1-खुरपका रोग टीके	संख्या	-	-	-	200	200	200	200
2-ए०आर०वी०	,,	-	-	-	20	20	20	20
3- सं०वी०सी०पशु चिकित्सालय ~~को अतिरिक्त सुविधा~~	,,	-	-	-	1	1	1	1
अतिरिक्त सुविधा	,,	-	-	-	1	1	1	1
4- भेंडों को सामूहिक रूप से दवा पिलाने की योजना	-	-	-	-	2500	2500	2500	2500
ग्राम्य विकास विभाग								
एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लाभार्थी (पुराने लाभार्थी) 1- कुल लाभार्थी	संख्या	-	-	-	119	23	23	14
(नये लाभार्थी) 1- कुल लाभार्थी	,,	-	660	660	138	13	13	25
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना								
खाद्यान्न वितरण	मी०टन	19·96	23·90	23·90	35·90	20	20	24
पंचायती राज								
1-ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिये खण्डजा तथा नाली का निर्माण	गा·स·सं·	-	-	-	-	1	1	2

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी0एन0-3

विभाग का नाम- प्रादेशिक विकास दल अनुसूचित जनजाति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- स्वयं सेवकों को सुदृढीकरण	सं0	1	1	4	3	4	4	4
2-युवक मंगलदलों को प्रोत्साहन	,,	1	1	6	5	4	4	2
निजी लघु सिंचाई								
1-निजी लघु सिंचाई साधनों द्वारा सृजित सिंचन क्षमता	हे0	-	-	-	-	3·40	3·40	9·40
सिंचाई विभाग								
1-राजकीय लघु सिंचाई योजना द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन-								
1- पर्वतीय नहरें	हे0	8·00	8·00	20·00	2·00	4·50	4·50	5·70
राज्य विद्युत								
1-जनजातियों का विद्युतीकरण	बस्ती संख्या	15	4	18	2	10	10	12
उद्योग निदेशालय								
1-लघु स्तरीय उद्योग								
1- एकीकृत राज्य पूंजी उपादान	ला·सं·	-	9	9	-	-	-	-
2- स्टाम्प ड्यूटी		-	11	11	-	-	-	-
3- जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण	ला·सं·	-	20	20	3	5	5	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4-रिंगाल उपयोगी केन्द्र	प्रशि॰ब्य॰सं॰	-	-	-	-	1	1	1
5-कब्जा मात्र एवं वाणिज्य क्रियायें	ला॰ब्य॰	-	56	140	10	7	7	15
6-घापड़ी काष्ठकला योजना का पुनर्गठन एवं विस्तार	प्रशिक्षित ब्य सं०	-	-	-	-	3	3	2
7-उद्यमियों के माध्यम से कालीन प्रशिक्षण केन्द्र की योजना	प्रशि॰ब्य॰सं॰	-	20	20	-	20	20	50
8-अनु०जाति०/जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिकरण की योजना का विस्तार	ला॰ब्य॰	-	34	17	10	5	5	5
हथकरघा एवं वस्त्रउद्योग								
1-कालीन बुनाई एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	प्रशि॰सं॰	-	37	160	5	20	20	20
सामान्य शिक्षा								
1-ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के भवन रहित जू०बे० स्कूलों के भवन निर्माण अनुदान	भवन सं०	2	2	4	4	2	2	2
2-ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों सी॰बे॰ स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान	अनु॰सं॰	1	1	1	-	-	-	1
3-ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू०बे० स्कूल खोलने हेतु अनुदान	स्कू०सं०	5	5	5	4	1	1	1
4- नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जू०बे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान	,,	2	1					

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि   जी0एल0-3

विभाग का नाम- सामान्य शिक्षा   अनुसूचित जाति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5-जू॰ बे॰ स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	संख्या	70	70	70	-	5	5	5
6- ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु-निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्यपुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन	छा॰सं॰	1000	1000	1000	-	1666	1666	333
7- ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सी॰बे॰ स्कूल खोलने हेतु अनुदान	स्कू0सं0	-	-	-	-	-	-	-
8- के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान	के॰सं॰	50	50	50	-	50	50	50
9- वयवर्ग 6-11 वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में लाने हेतु छात्रवृद्धि अभियान		800	800	-	500	1000	1000	100
10- नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सी॰बे॰ स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान	स्कूल सं0	7	7	7	3	3	3	3
11-ग्रामीण क्षेत्रों में सी॰बे॰ स्कूलों के लिए काष्ठोपकरण साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	स्कू॰सं॰	6	6	3	3	3	3	5
12-जू॰बे॰ स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान	,,	18	18	18	5	5	5	10

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जो०एन०-3

विभाग का नाम-सामान्य शिक्षा क्रमश: अनुसूचित जाति 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13-निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था	छा०सं०	320	320	400	400	400	400	400
14- सी०बे०स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्त हेतु अनुदान	स्कू०सं०	17	17	17	-	42	42	42
15-सी०बे०स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान	स्कू०सं०	4	4	5	-	5	5	5
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें -								
1-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	सं०	-	-	-	-	2	2	1
2-राजकीय एलोपैथिक औषधालयों का निर्माण	सं०	-	-	-	-	1	1	1
3- उप केन्द्र स्थापना	,,	-	-	-	-	2	2	1
4-वर्तमान आयुर्वेदिक/यूनानी सहित औषधालय का प्रोन्नयन	-	-	-	-	-	-	-	1
जल निगम								
1- लाभान्वित कुल ग्राम	सं०	-	-	-	4	10	10	10

भौतिक लक्ष्य उपलब्धि जी एन0-3

241

विभाग का नाम- ग्राम्य विकास विभाग

अनुसूचित जाति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरिजन पेयजल								
ग्रामीण हरिजन पेयजल डिग्गी	सं0	–	–	–	–	–	–	–
निर्बल वर्ग आवास								
निर्बल वर्ग आवास	संख्या	165	14	14	30	16	16	16
हरिजन कल्याण-								
1-निर्माण विस्तार तथा मरम्मत हेतु र.ज. सहायता/सहायक अनुदान	रू0	35	35	35	12	50	50	20
भोटिया जनजाति के उत्थान हेतु विशेष कार्य		350	325	325	–	117	117	60
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का रख-रखाव		–	–	–	–	120	120	–
अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के कक्षा 6-8 छात्रवृत्ति अनावृत्ति सहायता/छात्रवृत्ति/ छात्र वेतन	सं0	–	–	–	120	120	120	452
अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकायें के कक्षा 1 से 5 तक छात्रवृत्ति	सं0	–	–	–	–	–	–	390
कृषि भूमि क्रय हेतु भूमिहीन श्रमिक सहायता	सं0	13	13	13	2	–	–	2
हायर पर्चेज पद्धति के आधार पर दुकानों का निर्माण	सं0	15	15	15	3	–	–	3

योजनावार व्यय/परिव्यय जी0एन0-2

विभाग का नाम- कृषि (हजार रू0 में) राज्य सेक्टर

क्र0सं0	योजना	1980-85का वास्तविक व्यय	1985-86का वास्तविक व्यय	1986-87अनुमोदित परिव्यय			1986-87अनुमानित परिव्यय			1987-88प्रस्तावित व्यय		
				कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0	कुल	पूंजीगत	न्यू0 आव0 काय0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों पर कीट/रोग आदि निगरानी की योजना	-	3-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उद्यान											
1-	खाद्य विज्ञान एवं फल संरक्षण सेवा का विस्तार	-	86-1	66-5	-	-	66-5	-	-	87-00	-	-
2-	उन्नत किस्म के रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु वर्तमान प्रक्षेत्रों	-	255-00	125-00	-	-	125-00	-	-	140-00	-	-
3-	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं मौनपालन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	-	37-00	37-00	-	-	37-00	-	-	140-00	-	-
4-	भवन निर्माण कार्यक्रम											
1-	भवन निर्माण अधीन अधीनित योजना	-	663-00	1100-00	1100=00	-	1100-00	1100-00	-	325-00	325=00	-
2-	नये भवनों का निर्माण	-	500-00	500-00	500-00	-	500-00	500-00	-	2000-00	-	-
5-	निदेशालय रानीखेत, मण्डल एवं जिला कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	-	22-8	27-5	-	-	27-5	-	-	29-00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6-	विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजना											
1-	विश्व बैंक द्वारा पोषित योजनाओं के लिए प्राविधान	-	93-2	105-00	-	-	105-00	-	-	290-00	-	-
7-	फलों के परिवहन औपचारिक फसलों के व्यवसायिक रूप एवं अदरक, हल्दी आदि रोपण एवं कृषि प्रनम्मित निगम के ऋण पर राज्य सहायता	-	115-00	125-00	-	-	125-00	-	-	100-00	-	-
8-	पैकेग कार्यक्रम अन्तर्गत एवं नीबू प्रजाति फलों के उच्चदर तथा बीज विधायन इकाई की स्थापना- पैकेग कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्जी उत्पादन एवं बीज विधायन इकाई स्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	91-00	-	-
9-	पर्वतीय क्षेत्र में पुष्पों का विकास-		-	-	-	-	-	-	-	150-00	115-00	-
	पशुपालन											
1-	मक्कू नाम स्थान पर भेड़पालन प्रक्षेत्र की स्थापना	-	524-00	525-00	-	-	525-00	-	-	525-00	-	-
2-	चमोली जिले में विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना	-	10-90	11-00	-	-	11-00	-	-	11-00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-वर्ण शंकर भेड़ो का क्रय		-	150-00	150-00	-	-	150-00	-	-	150-00	-	-
योग-		-	685-74	686-00	-	-	686-00	-	-	686-00	-	-
भूमि संरक्षण												
न्द्र पोषित बाढोन्मुख योजना (भूमि संरक्षण)		282-00	2552-00	3600-00	-	-	3600-00	-	-	47-00	-	-
वन												
- आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण योजना		-	1048-99	1049-00	-	-	1049-00	-	-	1200-00	-	-
-सिंचित सोयम वनों का वि० योजना		-	7785-00	7785-40	-	-	7785-40	-	-	8500-00	-	-
वन प्रबंध का सघनीकरण योजना		-	210-74	211-20	-	-	211-20	-	-	231-00	-	-
सिन्धु गंगा के बेसन में बाढ नियंत्रण		-	4861-57	4862-30	-	-	4862-30	-	-	5265-00	-	-
ीय क्षेत्रों में लघु वन उपज ण एवं जड़ी बूटी योजना		-	327-29	328-00	-	-	328-00	-	-	328-00	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हमालय क्षेत्र में समेकित जल वं भूमि संरक्षण योजना	-	61-08	60-90	-	-	60-90	-	-	62-00	-	-
भान्त कृषकों को भूमि के नारे कृषि योग्य भूमि पर सरो निर्माण	-	260-63	347-32	-	-	347-32	-	-	350-00	-	-
	-	14555-30	14644-12	-	-	16644-12	-	-	15936-00	-	-
पंचायत											
दाधिकारियों का शिक्षण	35-38	20-79	23-73	-	-	23-73	-	-	8-75	-	-
विद्युत											
300 के0वी0लाइन 100 के0वी0लाइन एल0टी0लाइन			6000-00		-	6000-00		-	6000-00		-
विद्युत उत्पादन		5040-00		6000-00			6000-00			6000-00	

राज्य सैक्टर 246 परि० एक० 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजकोय लघु सिंचाई					2087-00			2087-00			1681-00	–
(अ) राज्य अंश		–	1696-00	2378-00		–	2378-00		–	1861-00		
(ब) केन्द्रीय अंश		–	2000-00	3000-00				2500-00		4000-00		
					2500	–	3000-00		–		4000-00	
योग-		–	3696-00	5378-00		–	5378-00		–	5861-00		–
			–		4587-00			4587-00			5681-00	

सहकारिता-

(अ) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- उपभोग ऋण पर रिफन्ड अनुदान		49-00	–	4-00	–	–	4-00	–	–	2-00	–	–
2-राज्य साझेदारी											–	–
(क) जिला सहकारी बैंक		50-00	–	300-00	–	–	300-00	–	–	1000-00		
(ख) लैम्पस मे		–	–	40-00	–	–	40-00	–	–	20-00	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(ग) साधन समितियों में	70-00	–	400-00	–	–	400-00	–	–	100-00	–	–
-पैक्स समिति सचिव वेतन हेतु संवर्ग निधि अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अंश क्रय हेतु ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग-	194-00	–	744-00	–	–	744-00	–	–	1122	–	–
( ) क्रय विक्रय एवं भण्डारण योजना											
दुर्बल क्रय विक्रय समिति में राज्य अंश पूंजी	–	–	50-00	–	–	50-00	–	–	–	–	–
सेब व फलों के व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी	–	–	–	–	–	–	–	–	50-00	–	–
योग-	–	–	50-00	–	–	50-00	–	–	50-00	–	–
( ) डिपो को मार्जिन मनी	6-00	–	3-00	–	–	3	–	–	8	–	
डी०सी०डी०एफ० वाणिज्यक कृषि	130-00	–	50-00	–	–	50-00	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3-डी०सी०डी०एफ० को प्रबंधकीय अनुदान	–	–	2-00	–	–	2-00	–	–	4-00	–	–	
4-डी०सी०डी०एफ०को मार्जिन मनी	–	–	20-00	–	–	20-00	–	–	60-00	–	–	
5-सम्बद्ध समितियों को मार्जिनमनी	500-00	–	–	–	–	–	–	60-00	–	–	–	
6-सम्बद्ध समितियों को वाणिज्य कार्य हेतु साज सज्जा अनुदान	200-00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
योग:-	836-00	–	75-00	–	–	75-00	–	–	72-00	–	–	
द) श्रम योजना-												
-प्रबंधकीय अनुदान	5-00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
- उपकरण खरीद अनुदान	10-00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
-शासकीय अंशपूजी	10-00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
- मार्जिन मनी	25-00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
योग:-	50-00	–	[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	
य) सामान्य अधिष्ठान												
जिला सहायक निबंधक के शासकीय कार्यहेतु जीप ट्राली सहित खरीद हेतु सहायता	–	–	[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	
योग-	1080-00	–	549-00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उद्योग												
1- जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	2321-00	743-53	800-00	-	-	800-00	-	-	850-00	-	-	
2-खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना	653-75	620-00	837-00	-	-	837-00	-	-	707-00	-	-	
3-पर्वतीय जिलों के लिए परिवहन सहायता केन्द्रपो निष्पादित योजना	172-6	16-50	100-00	-	-	100-00	-	-	150-00	-	-	
4-पर्वतीय जिलों के लिए संस्कृत काम्बलेन्स योजना के अंतर्गत चुनाये मिलों में राज्य सहायता योजना	92-00	132-69	200-00	-	-	200-00	-	-	250-00	-	-	
5- (सैन्ट्रल केपीटल सब्सीडी)												
5- अखिल भारतीय हस्त शिल्प सत्ता	5-00	1-00	6-00	-	-	6-00	-	-	10-00	-	-	
6-उद्यमियता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-	40-00	-	-	40-00	-	-	40-00	-	-	
योग:-	3244-35	1513-72	1983-00	-	-	1983-00	-	-	2007-00	-	-	

राज्य सैक्टर अति० एस० — 250

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हथकरघा											
1- रेशम विकास योजना	-	43-19	40-50	-	-	40-50	-	-	45-00	-	-
2-ओकटसर/रेशम योजना	-	18-31	100-00	-	-	100-00	-	-	100-00	-	-
3-माडल चाको को पालन योजना	-	23665	24-00	-	-	24-00	-	-	27-00	-	-
योग	-	85-15	164-50	-	-	164-50	-	-	172-00	-	-
पर्यटन											
1-पर्यटक आवासगृह गोविन्दघाट	-	-	500-00	500-00	-	-	500-00	500-00	-	-	-
2- ,, ,, चोपता	-	217-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3- ,, ,, घांगरिया	-	637-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4- ,, ,, रामबाड़ा	-	169-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5- ,, ,, देवाल	-	68-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6- ,, ,, ऊखीमठ	-	21-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-केदारनाथ में धर्मशाला निर्माण	-	-	500-00	500-00	-	500-00	500-00		-	-	-
8- पर्यटक आवागृह जोशीमठ का विस्तार	-	1148-32	500-00	500-00	-	500-00	500-00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9-	होटल देवलोक बद्रीनाथ का विस्तार	-	934-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-	गौरीकुण्ड पर्यटक आवास	-	-	10-00	10-00	-	10-00	10-00	-	-	-	-
11-	पर्यटक आवास गृह गोपेश्वर	-	-	500-00	500-00	-	500-00	500-00	-	-	-	
12-	,, ,, तलवाड़ी	-	-	10-00	10-00	-	10-00	10-00	-	-	-	-
13-	,, ,, अनसूया माता	-	-	15-00	15-00	-	15-00	15-00	-	-	-	-
14-	ऋण उपादान योजना	-	0-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग:-		-	3239-67	2135-00	2135-00	-	2135-00	2135-00	-	-	-	-
<u>खोलकूद</u>												
1-	प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	-	0-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>जनस्वास्थ्य</u>												
1-	मलेरिया कार्यक्रम	-	-	250-00	-	-	250-00	-	-	250-00	-	-
2-	क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	-	-	100-00	-	-	100-00	-	-	150-00	-	-
3-	कुष्ट रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	30-00	-	-
योग:-		-	-	350-00	-	-	350-00	-	-	430-00	-	-

राज्य सैक्टर   औ०प्रप०-2   252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जलनि												
1- नगरीय	जल योजना	-	-	-	-	-	500-00	500-00	-	500-00	500-00	-
2- नगरीय	विस्तारण	3000-00	3000-00	500-00	500-00	-	500-00	500-00	-	500-00	500-00	
योग:-		3000-00	3000-00	500-00	500-00	-	1000-00	1000-00	-	1000-00	1000-00	

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि जी०एन०-3 राज्य सैक्टर 253

मद	इकाई	छठी योजना लक्ष्य	छठी योजना पूर्ति	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	वर्ष 1986-87 उपलब्धि अनुमानित	वर्ष 1987-88 का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि								
पर्वतीय क्षेत्र में उन्नतशील कृषि यंत्रों के प्रसार, बिक्रय एवं उनको लोकप्रिय बनाना	-	-	-	-	-	-	-	-
2- उद्यान								
1-उद्यान पतियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण	संख्या	7600	7636	7667-	1667	2350	2350	2500
2- फल पौधा उत्पादन	,,	102500	730360	263935	406441	410000	410000	410000
3-सब्जी बीज उत्पादन	कि०ग्रा०	25000·00	31343·54	6166·21	1800·70	1800·00	1800·00	1800·00
4-सब्जी पौधा उत्पादन	संख्या	15000000	15003791	3235493	12445994	250000	250000	250000
5-सामुदायिक फल संरक्षण कार्य	कि०ग्रा०	-	-	-	35701·750	36000·00	36000·00	36000·00
6-फल संरक्षण कार्य में प्रशिक्षण	संख्या	3250	3473	769	749	750	750	750
पशुपालन								
1- मेढा केन्द्रों के लिए वर्णशंकर मेढों का क्रय	संख्या	-	-	-	300	-	-	-
2-भेड़ प्रक्षेत्र मक्कू का सुधार एवं प्रसार		-	-	-	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
भूमि संरक्षण								
बाढ़ोन्मुख योजना (भूमि संरक्षण)(राज्य सैक्टर)		600·00	651·22	1237·27	314·45	400·00	400·00	400·00
वन								
1-आर्थिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण	हैक्टयर	–	–	–	320	320	–	320
2-सिविल सोयम वनों की विकास योजना	,,	–	–	–	1700	1700	–	1700
3-पर्वतीय क्षेत्रों में लघु वन उपज है०/सं० सर्वेक्षण एवं जड़ी बूटी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण	,,	–	–	–	20	20	–	20
4- सिन्धु गंगा के बेसिन में बाढ़ नियंत्रण								
(1) भवन निर्माण	(संख्या)	–	–	–	4	–	–	–
(2) वृक्षारोपण	हैक्टयर	–	–	–	1025	–	1025	1025
(3) चारागाह विकास	,,	–	–	–	40		40	40
(4) पथ वृक्षारोपण	कि०मी०	–	–	–	15	–	15	15
5-सिविल एवं पंचायती वनों के है०के घनत्व को बढ़ाने की योजना	,,	–	–	–	53·51	–	54	54
6-सीमान्त कृषकों को फार्म के किनारे कृषि योग्य भूमि पर नरसरी निर्माण	हैक्टयर	–	–	–	3·50	–	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंचायत								
1-पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	संख्या	115	435	435	299	339	339	125
2- ग्राम पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण	,,	-	-	-	2	-	-	-
विद्युत								
1- 33 के०वी०लाइन	कि०मी०	-	-	-	19·35	-	-	-
2- 11 के०वी०लाइन	,,	-	-	-	32·00	-	-	-
3- एल०टी०लाइन	,,	-	-	-	63·00	-	-	-
4- विद्युत उत्पादन	मि०यू०	-	-	-	3·25	-	-	-
उद्योग								
1- परिवहन सहायता	(लाभान्वित सं०)	-	2	2	3	3	3	3
2-खादी तथा ग्रामोद्योग की योजना	(लाभान्वित इ०)	176	52	221	243	243	243	250
3- अखिल भारतीय हस्तशिल्प दिवस सप्ताह का आयोजन								
(1) आयोजन	संख्या	-	2	2	2	2	2	-
(2)लाभान्वित व्यक्ति	,,	-	6	6	5	5	5	6
4- केन्द्रीय पूंजी उत्पादन	(लाभार्थी संख्या)	-	13	13	20	20	20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उद्योग (रेशम)								
1- विभागीय एवं व्यक्तिगत शहतूत वृक्षारोपण	संख्या	-	-	-	25050	-	-	-
2- शहतूत कलम उत्पादन	,,	-	-	-	5000	-	-	-
3- शहतूत कोया उत्पादन	कि०ग्रा०	-	-	-	1745·2	-	-	-
4-कीट पालक परिवारों द्वारा उत्पादित रेशम कोये के मूल्य में उन्हें अतिरिक्त लाभ	रू०	-	-	-	43635	-	-	-
5- लाभान्वित कीट पालक परिवार	सं०	-	-	-	90	-	-	-
6- टसर रेशम कोया उत्पादन	,,	-	-	-	8040	-	-	-
पर्यटन								
1- पर्यटन आवास गृह निर्माण		-	-	-	2	10	10	-
खेल कूद								
1- प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	संख्या	-	-	-	1	-	-	-
जल निगम								
1-नगरीय पेयजल योजना पुनर्गठन (नगर	संख्या)	-	-	-	1	-	-	-
2-नगरीय जलोत्सारण (नगर	,,)	-	-	-	-	1	1	-

।। आधार भूत आंकड़े ।।

जिला - चमोली

वर्ष- 1983-84

1- कुल ग्रामों की संख्या	1633
2- कुल गैर आवाद ग्रामों की संख्या	116
3- विकास खण्डों की संख्या (नाम सहित)	1-जोशीमठ 2-दशोली 3-घाट 4-कर्णप्रयाग 5-गैरसैण 6-थराली 7-देवाल 8-नारायणबगड़ 9-पोखरी 10-अगस्तमुनी 11-ऊखीमठ
4- तहसीलों की संख्या (नाम सहित)	1-जोशीमठ 2-चमोली 3-कर्णप्रयाग 4- ऊखीमठ
5- कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (हजार है0)	912-50
6- भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल (हजार है0)	861-596
7- वनों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार है0)	526-935
8- कृषि के उपयोग में लाई गयी भूमि (हजार है0)	70-701
9- कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गयी भूमि (हजार है0)	18-509
10- बंजर भूमि का क्षेत्र (हजार है0)	177-405
11- कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्र (हजार है0)	20-724
12- स्थाई चारागाह (हजार है0)	26-580
13- अन्य उद्यानों/ वृक्षों की फसलों का क्षेत्र (हजार है0)	41-466

14- वर्तमान परती भूमि (हजार है0) 0-582

15- अन्य परती भूमि (हजार है0) 1-160

16- शुद्ध बोया गया क्षेत्र फल (हजार है0) 48-235

17- सकल बोया गया क्षेत्र फल (हजार है0) 74-681

18- मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र उत्पादन (हजार है0) में

फसल का नाम	क्षेत्र (हजार है0)	उत्पादन (हजार टन में)
1- धान	19-173	22-511
2- गेहूँ	24-072	25-499
3- ज्वार	-	-
4- बाजरा	-	-
5- मक्का	0-374	0-458
6- चना	-	-
7- जौ	1-942	2-194
8- अरहर	0-027	0-023
9- उर्द	0-137	0-058
10- मूँग	-	-
11- मटर	0-003	0-004
12- मूँगफली	-	-
13- लाही/सरसों	0-112	0-046

19- खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार है0) 47-945

20- रबी फसलों के अन्तर्ग क्षेत्र (हजार है0) 26-736

21- जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार है0) -

22- जोतों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र

	संख्या	क्षेत्रफल (हजार है0)
1- एक हैक्टेयर तक	35519	13-5
2- एक से तीन है0 तक	14508	24-1
3- 3 से 5 है0 तक	1577	5-8
4- 5 हैक्टेयर तथा उस से अधिक	342	3-1

23- जनसंख्या (000 में)

	नगर	ग्रामीण	योग
(1) पुरूष	17-97	160-36	178-33
(2) स्त्री	11-19	174-81	186-00

24- पिछड़े समुदायों की जनसंख्या (000 में)

	नगर क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में	योग
(1) अनुसूचित जाति	4863	58023	62886
(2) अनुसूचित जनजाति	2581	6583	9164

25- सतत् प्रभावशील नदियाँ नाम दें

1- अलकनन्दा 2- धौली 3- बिरही 4- नन्दाकिनी 5-मन्दाकिनी 6-पिण्डर 7- रामगंगा 8- कैल

26- मौसमी नदियाँ/नाले नाम दें

1-सरस्वती 2- काकड़ागाड 3- भ्यूंडार 4- बालखिला 5-मौंग गधेरा 6- गरूड़ गंगा 7- पातालगंगा 8- निगोल गाड़ 9-ऊरागाड़ 10- थैलसाड़गाड़ 11-सौकाड़ 12- प्राणमती

27- औसत वर्षा (मि0मि0) 928

28- महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन के नाम

1- ऊन उत्पादन 2-बिरोजा 3- रिंगाल उत्पादन

29- पुलों के नाम

1- मन्दाकिनी नदी पर कुण्डपुल 2-कालीगंगा में सोनप्रयाग पर पुल

3- पिण्डर नदी पर-कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली, सिमली तथा बगोली

4- अलकनन्दा नदी पर-रूद्रप्रयाग, चमोली, विष्णुप्रयाग

5- नन्दाकिनी नदी पर- नन्दप्रयाग तथा घाट

30- सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)	1124-5
क- राष्ट्रीय मार्ग	-
ख-राजकीय मार्ग	64-00
ग- समतल	1124-5
घ- असमतल	-

31- विद्युत हाई टेन्सन लाइन

1- 11 कि0वा0 (कि0मी0)	613-48
2- 23 कि0वा0 (कि0मी0)	-
विद्युत लो टेन्सन लाइन(कि0मी0)	872-60

32- नगरों की संख्या

1- बिजली है:- 1-गौचर 2- चमोली 3- जोशीमठ 4- बद्रीनाथ 5-कर्णप्रयाग 6-नन्दप्रयाग 7- केदारनाथ

2-बिजली नहीं है:- ——

33- ग्रामों की संख्या

1- जिसमें बिजली है। 636

2- जिसमें बिजली नहीं है। 881

34- जल सम्पूर्ति

क- नगरों की संख्या व नाम जिसमें पाइप/लाइन द्वारा जल संपूर्ति होती है- गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ नन्दप्रयाग व केदारनाथ

ख- नगरों की संख्या व नाम जिसमें पाइप/लाइन द्वारा जल संपूर्ति नहीं होती है- शून्य

ग- ग्रामों की संख्या जिसमें पाइप/लाइन द्वारा जल संपूर्ति होती है- 1142

घ- ग्रामों की संख्या जिसमें पाइप/लाइन द्वारा जल संपूर्ति नहीं होती है- 362

35- शिक्षा-

	नगर क्षेत्र में	ग्रामीण क्षेत्र में
क-(1) जूनियर बेसिक स्कूल(संख्या)	37	745
क-(2) सीनियर बेसिक स्कूल ,,	2	147
ख- हायर सेकन्डरी स्कूल ,,	10	78
ग- महाविद्यालय ,,	2	1

घ- प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थायें(संख्या) 1 राजकीय पॉलिटैकनिक गौचर

(1) ग्रामों की संख्या जिनमें प्राइमरी बेसिक स्कूल नहीं हैं -

(2) बेसिक प्राइमरी स्कूल जिनमें भवन नहीं हैं:- -

36- अनुसूचित बैंक की शाखाओं की संख्या-

1- नगर क्षेत्र में 8

2- ग्रामीण क्षेत्र में 20

37- सहकारी बैंक संख्या -

1- नगर क्षेत्र में 5

2- ग्रामीण क्षेत्र में 12

38- गोदामों की संख्या- पूर्ति विभाग के

1- नगर क्षेत्र में	3	
2- ग्रामीण क्षेत्र में	8	
3- शीतगृह	-	

39-उर्वरक डिपो-

(क) कृषि विभाग द्वारा	11	
(ख) सहकारिता विभाग द्वारा	49	

40-भूमि विकास बैंक की शाखाओं की संख्या -

(अ) नगर क्षेत्र	1	
(ब) ग्रामीण क्षेत्र	-	

	नगर क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
41-राजकीय पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों की संख्या	6	12
42-राजकीय पशुपालन केन्द्रों की संख्या	1	54
43-राजकीय एलोपैथिक अस्पताल/ औषधालयों की संख्या	9	45
44-राजकीय एलोपैथिक अस्पताल/ औषधालयों में शैयाओं की संख्या	188	240
45-राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल/ औषधालयों की संख्या	1	4
46-राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल/ औषधालयों में शैयाओं की संख्या	-	4

1- कृषि:-

1- शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (हजार है0)	48-235
2- एकबार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल (हजार है0)	26-446
3- सकल बोया गया क्षेत्रफल (हजार है0)	74-681
4- कुल खाद्यान्न फसलें ,,	68-490
5- कुल अखाद्यान्न फसलें ,,	6-191
6- खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र ,,	47-945
7- रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र ,,	26-736
8- जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र ,,	-
9- फसल सघनता (प्रतिशत)	154-82
10- खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र (हजार है0)	2-909
11- रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र (हजार है0)	2-167
12- जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र ,,	-
13- सकल सिंचित क्षेत्र (हजार है0)	5-376
14- शुद्ध सिंचित क्षेत्र ,,	3-042
15- सिंचाई की सघनता (प्रतिशत)	176-2
(क) शुद्ध सिंचित क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	6-30
(ख) कुल सिंचित क्षेत्र में कुल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	7-20
16- कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	7-74
17- शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत	5-60
18- विभिन्न स्रोतों के द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हजार है0)	
(क) नहर	1-290
(ख) नलकूप	-

(ग) कूप

(घ) अन्य 1-752

19-उन्नतिशील एक्जोटिक किस्मों के बीज का विवरण (कुन्तल)

(क) कृषि विभाग द्वारा -

(ख) सहकारिता विभाग द्वारा -

20-मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र/उत्पादन

1- खाद्यान्न:-(क) खरीफ	क्षेत्र (हजार है0)	उत्पादन (हजार मी0टन)
1- धान	19-173	
2-ज्वार	-	
3-बाजरा	-	
4-मक्का	0-374	
5-खरीफ दालें	0-137	
6- अन्य	22-707	
योग-खरीफ खाद्यान्न		
(ख) रबी:-		
1- गेहूँ	24-072	
2-जौ	1-944	
3- चना	-	
4- मटर	0-003	
5- अरहर	0-027	
6- मसूर	0-053	
7- अन्य	0-003	
योग-रबी खाद्यान्न		
(ग) जायद		
1-	-	
2-	-	

योग जायद खाद्यान

कुल खाद्यान 68-490

2-वाणिज्यिक फसलें	क्षेत्र हजार है0	उत्पादन हजार मी0टन
1-लाही/सरसों	0-112	0-046
2- तिल	0-028	0-003
3- आलू	0-645	11-968
4- तम्बाकू	0-010	0-015
5- हल्दी	0-002	0-002
6- मूंगफली	0-001	0-001

21-उत्पादन (क्वि0प्रति है0) वर्ष 1983-84

1-चावल	11-74
2-मक्का	12-23
3-मडवा	11-88
4-सांवा	10-52
5-गेहूँ	10-59
6-जौ	11-28
7-उर्द	4-21
8- मसूर	4-35
9-मटर	11-74
10- अरहर	8-60
11-लाही/सरसों	4-07
12-तिल	0-95
13-मूंगफली	6-48
14- तम्बाकू	4-84
15- हल्दी	8-13
16- आलू	185-55

22-रासायनिक उर्वरक का विवरण

(क) कृषि विभाग द्वारा (हजार मी०टन)

1- नत्रजन	0-200
2-फास्फेटिक	0-168
3-पोटाश	0-107

(ख) सहकारिता विभाग द्वारा

1- नत्रजन	0-028
2-फास्फेटिक	0-025
3- पोटाश	0-002

(ग) कृषि औद्योगिक विकास निगम द्वारा

1- नत्रजन	-
2- फास्फेटिक	-
3- पोटाश	-

(घ) अन्य

1- नत्रजन	-
2- फास्फेटिक	-
3- पोटाश	-

23- उर्वरक डिपो:-

	(संख्या)
1- कृषि विभाग द्वारा	11
2- सहकारिता द्वारा	49
3-कृषि औद्योगिक निगम	-
4- गन्ना विभाग	-

24- शीतगृह

1-कृषि विभाग	-
2-सहकारिता विभाग	-
3-कृषि औद्योगिक निगम द्वारा	-
4- गन्ना विभाग द्वारा	-

25-कम्पोस्ट खाद का उत्पादन (हजार मी0टन)

26-हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार है0)

27- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना (संख्या) 41

(1) भूमि संरक्षण

(क) कृषि विभाग द्वारा	–
(ख) रेगहन्स (हजार है0)	1-508
(2) वन विभाग द्वारा	–
(1) कृषि भूमि में (हजार है0)	–
(2) रेगहन्स में ,,	–

3- फलोपयोग एवं औद्यानिक

(1) फलों/उद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार है0)	0-99
(2) शाक सब्जी के अन्तर्गत क्षेत्र ,,	0-17
(3) फलों का उत्पादन (हजार मी0टन)	2-56
(4) फलों का मूल्य (हजार रू0)	153-72
(5) आलू का उत्पादन (हजार मी0टन)	–
(6) पादप सुरक्षा कार्य (हजार है0 टन)	3-26
(7) पुराने बागों का जीर्णोद्धार (हजार है0)	0-53

4- गन्ना –

5- सिंचाई

निजी लघु सिंचाई	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1- पक्के कुएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2- कूप बोरिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3- नहर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4- नलकूप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5- पम्पिंग सैट	–	2	–	1	–	–	1	–	1	–

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	योग
6-पहाड़ी क्षेत्रों में हौज निर्माण	197	218	161	184	162	67	191	60	212	172	188	1829
7-कुल सिंचित क्षमता (है0)	-	10	-	5	-	-	5	-	5	-	10	35

	पशु चिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	भेड़ विस्तार केन्द्र
	1	2	3	4	5
1- जोशीमठ	-	5	-	-	6
2- कर्णप्रयाग	1	7	2	-	1
3- गैरसैण	2	7	1	-	-
4- नारायणबगड़	1	6	-	-	2
5- थराली	1	2	-	-	2
6- देवाल	1	3	-	-	3
7- दशोली	-	5	-	-	2
8- घाट	1	2	-	-	3
9- पोखरी	1	6	-	-	1
10- ऊखीमठ	2	6	-	-	5
11- अगस्तमुनी	2	5	-	-	1
12- नगरीय	6	1	2	-	-
योग:-	18	55	5	-	26

	राजकीय कुक्कुट फार्म	सहकारी कुक्कुट फार्म	चारे की फसल (ह0है0)
	6	7	8
1-जोशीमठ	-	-	-
2-कर्णप्रयाग	-	-	-
3-गैरसैंण	"	-	-
4-नारायणबगड़	-	-	-
5-थराली	-	-	-
6-देवाल	-	-	-
7-दशोली	-	-	-
8-घाट	-	-	-
9-पोखरी	-	-	-
10-ऊखीमठ	-	-	-
11-अगस्तमुनी	-	-	-
12- नगरीय	1	-	-
योग:-	1	-	-

पशु गणना :-

विकास खण्ड का नाम	(1) गौ जातीय (देशी)	(2) गौ जातीय (क्रास ब्रेड)
1- जोशीमठ	16616	413
2- कर्णप्रयाग	18667	790
3- गैरसैंण	27327	1157
4- नारायणबगड़	27257	1155
5- थराली	11200	474
6- देवाल	7982	338
7- दशोली	19682	842
8- घाट	15084	645
9- ना0पोखरी	33478	1432
10- उखीमठ	19901	740
11-अगस्तमुनी	26998	1003
12- नगरीय	3595	2816
योग :-	227787	11805

विकास खण्ड का नाम	सहिता जातीय	भेड़ देशी	भेड़ क्रास ब्रेड
1-जोशीमठ	1565	12847	4365
2-कर्णप्रयाग	5976	4567	277
3- गैरसैंण	8748	6686	405
4-नारायणबगड़	8726	6670	404
5- थराली	3585	2640	166
6- देवाल	2555	1953	118
7- दशोली	4434	8965	2273
8-घाट	3399	6871	1741
9-ना० पोखरी	7543	15249	3866
10-उखीमठ	6043	5103	1162
11-अगस्तमुनी	8198	6922	1577
12- नगरीय	1020	2481	150
योग:-	61792	80954	16614

विकास खण्ड का नाम	बकरा एवं बकरी	कुल घोड़े एवं टट्टू	कुल सुअर	कुल पशु	कुल कुक्कुट
1-जोशीमठ	9326	60	-	45267	774
2- कर्णप्रयाग	8190	59	5	38607	5727
3- गैरसैण	11990	86	7	56519	1064
4-नारायणबगड़	11960	87	6	56375	1062
5-थराली	4914	35	3	23063	2436
6- देवाल	3502	25	2	16508	311
7- दशोली	9524	67	14	45897	511
8-घाट	7299	52	12	35176	392
9-ना०पोखरी	16200	115	22	78067	870
10-ऊखीमठ	7124	156	5	40323	578
11-अगस्तमुनी	9664	212	6	54700	784
12- नगरीय	2456	63	106	12757	3443
योग:-	102149	1017	188	503259	10952

(8) सकल बोये गये क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	7-20
(9) शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत	6-30

2- वृहद एवं मध्यम सिंचाई

1- राजकीय लघु सिंचाई

(क) नलकूप संख्या	-
(ख) नलकूप द्वारा सिंचित क्षमता का सृजन (हजार संख्या)	-
2- कुल उपलब्ध शुद्ध सिंचित क्षमता राजकीय लघु सिंचाई द्वारा (हजार है0)	1-507
3-वृहत एवं मध्यम सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता का सृजन (हैक्टयर)	-
4- सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग	
(क) राजकीय लघु सिंचाई द्वारा (हजार है0)	0-874
(ख) वृहत एवं मध्यम सिंचाई द्वारा (हजार है0)	-

6- वन :-

(1) वन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्र (हजार है0)	147792-6
(2) आर्थिक महत्त्व के वृक्षों का क्षेत्र	11753-2
(3) जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र	-
(4) सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत क्षेत्र	-
(5) सड़कों की लम्बाई-	
(क) सरफेस्ड (कि0मी0)	16-50
(ख) अनसरफेस्ड (कि0मी0)	514-154
(6) वन द्वारा उत्पादित लकड़ी (घन मीटर)	1691-3 एवं 49574 क्विंटल
(7) उत्पादित लकड़ी का मूल्य (हजार रू0)	1300-0
(8) विक्रय की गयी लकड़ी का मूल्य (ह0रू0)	1300-0

3- दुग्ध एवं दुग्ध संपूर्ति:-

1- नगर क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन (लाख लीटर)	अप्राप्त
2- ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन (लाख ली0)	अप्राप्त
3- नगर क्षेत्र में समितियों की संख्या	1
4- नगर क्षेत्र में समितियों में सदस्यता की संख्या	अप्राप्त
5- ग्रामीण क्षेत्र में समितियों की संख्या	4
विकास खण्ड:- जोशीमठ-1, दसोली-1, अगस्तमुनी-2	
6- ग्रामीण क्षेत्रों में समितियों में सदस्यता की संख्या	अप्राप्त
7- दुग्ध एकत्र करने के केन्द्र	-
8- नगर क्षेत्र में प्लान्टस की (संख्या)	-
9- नगर में लगे हुए प्लान्टस की क्षमता	-

9- मत्स्य:-

(1) श्रमिक मछुआ सहकारी समितियों की संख्या	-
(2) अंगुलिकाओं का वितरण (लाख में)	0-03
(3) मत्स्य बीज फार्म (संख्या)	-
(4) राजकीय जलाशय मत्स्योत्पादन कुन्तल में	-
10- भण्डारण राज्य भण्डारागार निगम द्वारा संचालित	-

जिला सहकारी बैंक

	(क) शाखायें	(ग) जमा धन राशि	(ग) ऋण वितरण
1-जोशीमठ	-	-	-
2-कर्णप्रयाग	-	-	-
3-गैरसैंण	2	-	-
4-नारायणबगड़	1	-	-
5-थराली	1	-	-
6-देवाल	1	-	-
7-दशोली	1	-	-
8-घाट	1	-	-
9-पोखरी	1	-	-
10-ऊखीमठ	2	-	-
11-अगस्तमुनी	2	-	-
12-नगरीय	5	-	-
योग:-	17	-	-

	(1) अल्प कालीन हजार रु में	मध्य कालीन हजार रू0 में	(घ) भूमि विकास बैंक	[illegible]
1-जोशीमठ	-	-	-	-
2-कर्णप्रयाग	-	-	-	-
3-गैरसैण	-	-	-	-
4-नारायणबगड़	-	-	-	-
5- थराली	-	-	-	-
6-देवाल	-	-	-	-
7-दशोली	-	-	-	-
8-घाट	-	-	-	-
9-पोखरी	-	-	-	-
10-ऊखीमठ	-	-	-	-
11-अगस्तमुनी	-	-	-	-
12- नगरीय	-	-	।	-
योग:-	2651	22065	।	-

सहकारिता-

जनपद में विकास खण्डवार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ वर्ष 85-

क्र0सं0 नाम विकास खण्ड	संख्या	सदस्यों की संख्या	अंश पूँजी (हजार रु0)	कार्यशील पूँजी (हजार रु0 में)	जमा धन राशि (हजार रु0)
1- जोशीमठ	5	4802	601	5185	89
2- कर्णप्रयाग	6	5023	535	3741	36
3- गैरसैण	7	7189	616	4083	51
4- नारायणबगड़	7	5689	578	3679	57
5- थराली	6	4147	507	3636	23
6- देवाल	4	3233	298	2048	63
7- दशोली	5	5650	658	5467	74
8- घाट	3	3348	305	2683	68
9- पोखरी	9	6415	668	4825	61
10- ऊखीमठ	10	6484	682	5530	79
11- अगस्तमुनी	8	7362	863	5341	94
योग ग्रामीण	70	59342	6311	46218	695
योग-नगरीय	5	3621	487	3336	16
कुल योग:-	75	62963	6798	49554	711

क्र०सं० नाम विकास खण्ड	वर्ष में वितरित ऋण (हजारों में)		समितियों के अन्तर्गत ग्राम
	अल्पकालीन	मध्य कालीन	
1- जोशीमठ	192	890	61
2- कर्णप्रयाग	724	2399	104
3- गैरसैण	499	2414	212
4- नारायणबगड़	154	1738	212
5- थराली	154	1049	87
6- देवाल	133	1157	62
7- दशोली	122	2067	89
8- घाट	33	1111	82
9- पोखरी	164	1316	192
10- ऊखीमठ	214	1420	129
11- अगस्त्यमुनी	394	1414	175
योग-ग्रामीण	2783	16975	1405
योग नगरीय	261	1153	57
कुल योग:-	3044	18128	1462

जनपद में विकास खण्डवार अन्य सहकारी समितियाँ:-धनराशि (हजार रु0 में)

क्र0सं0 नाम वि0ख0	क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ			संयुक्त कृषि समितियाँ	विधायन समिति	
	संख्या	सदस्यता	लेन देन की गयी वस्तुओं का मूल्य	समितियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	संख्या	विधायन की गयी वस्तुओं का मूल्य
1- जोशीमठ	-	-	-	-	-	-
2- कर्णप्रयाग		-	-	-	-	-
3- गैरसैंण	-	-	-	-	-	-
4- नारायणबगड़	-	-	-	-	-	-
5- थराली	1	384	84	-	-	-
6- देवाल	-	-	-	-	-	-
7- दशोली-	-	-	-	-	-	-
8-घाट	-	-	-	-	-	-
9- पोखरी	-	-	-	-	-	-
10- उखीमठ	-	-	-	-	-	-
11- अगस्तमुनी	-	-	-	-	-	-
योग ग्रामीण:-	1	384	84	-	-	
योग नगरीय:-	-	-	-	-	-	
कुल योग:-	1	384	84	-	-	

3- उद्योग विकास:-

विकास खण्ड का नाम	ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना	उपर्युक्त इकाइयों में रोजगार सृजन	असंगठित क्षेत्र में लघु उद्योग इकाइयों की संख्या
		3	3
1-पोखरी	11	55	11
2-नारायणबगड	12	60	12
3- दशोली	17	85	17
4- जोशीमठ	17	85	17
5- कर्णप्रयाग	19	95	19
6- थराली	17	85	17
7- देवाल	10	50	10
8- घाट	10	50	10
9- अगस्तमुनी	15	75	15
10- उखीमठ	15	75	15
11- गैरसैण	13	65	13
योग:-	156	780	156

4- औद्योगिक आस्थान

विकास खण्ड का नाम	(क) अधिग्रहीत भूमि का विकास (ह0)	(ख) शेडों का निर्माण (संख्या)	(ग) कार्यरत इकाइयाँ संख्या
1- पोखरी	सिमली में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अध्यापित की जा रही है	-	-
2- नारायणबगड़		-	-
3- दशोली		-	-
4- जोशीमठ		-	-
5- कर्णप्रयाग		-	-
6- थराली		-	-
7- देवाल		-	-
8- घाट		-	-
9- अगस्तमुनी		-	-
10- ऊखीमठ		-	-
11- गैरसैंण	-	-	-
योग:-	-		

3- वृहत एवं मध्यम उद्योग:-

विकास खण्ड का नाम	(क) उद्योगों की संख्या	(ख) उपरोक्त उद्योगों के नाम व लगे व्यक्तियों की संख्या
1-पोखरी	-	-
2- नारायणबगड़	-	-
3- दशोली	-	-
4- जोशीमठ	-	-
5- कर्णप्रयाग	-	-
6- थराली	-	-
7- देवाल	-	-
8- घाट	-	-
9- अगस्तमुनी	-	-
10-उखीमठ	-	-
11-गैरसैंण	-	-
योग:-	-	-

विकास खण्ड का नाम	शहतूत रेशम कोया उत्पादन (कि0ग्राम)	ओक टसर रेशम कोया उत्पादन (संख्या)	हथकरघा वस्त्र का उत्पादन (ला0मी0)
1- जोशीमठ	90	-	-
2- दशोली	300	8000	-
3- कर्णप्रयाग	200	-	-
4- नारायणबगड़	50	-	-
5- देवाल	150	-	-
6- गैरसैण	90	-	-
7- पोखरी	150	-	-
8- अगस्तमुनी	275	-	-
9- ऊखीमठ	350	-	-
10- घाट	-	-	-
11- थराली	-	-	-
योग:-	1655	8000	-

विकास खण्ड का नाम	बुनकर सहकारी समितियों का गठन (संख्या)	सहकारी क्षेत्र में लगाये गये हथकरघे (संख्या)
1- जोशीमठ	-	-
2- दशोली	-	-
3- कर्णप्रयाग	-	-
4- नारायणबगड़	-	-
5- देवाल	-	-
6- गैरसैण	-	-
7- पोखरी	-	-
8- अगस्तमुनी	-	-
9- उखीमठ	-	-
10- घाट	-	-
11- थराली	-	-
योग :-	-	-

14- सड़क :-

विकास खण्ड का नाम	नई सड़कों का निर्माण (कि0मी0)	पुरानी सड़कों का निर्माण (कि0मी0)	पक्की सड़कों का निर्माण (कि0मी0)
	1	2	3
1-जोशीमठ	13	-	13
2-कर्णप्रयाग	-	1	-
3- गैरसैंण	26	-	26
4- नारायणनगड़	17	-	17
5- थराली	-	-	-
6- देवाल	-	-	-
7- दशोली	4	-	4
8- घाट	5	-	5
9- पोखरी	18	120	18
10-उखीमठ	8	-	8
11- अगस्तमुनी	3	-	3
12- नगरीय	-	-	-
योग:-	94	121	94

विकास खण्ड का नाम	कच्ची सड़कों का निर्माण (कि0मी0)	जिला परिषद द्वारा सड़कों का निर्माण (कि0मी0)	समस्त ऋतुओं में सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या
	4	5	6
1- जोशीमठ	-	-	36
2- कर्णप्रयाग	-	-	73
3- गैरसैण	-	-	65
4- नारायणबगड़	-	-	81
5- थराली	-	-	25
6- देवाल	-	-	17
7- दशोली	9	-	25
8- घाट	1	-	67
9- पोखरी	-	-	42
10- ऊखीमठ	-	-	58
11- अगस्तमुनी	6	-	130
12- नगरीय	-	-	-
योग :-	16	-	619

15- शिक्षा:-

1- विद्यालय-

विकास खण्डक का नाम	प्राइमरी स्कूलों की संख्या	बेसिक स्कूलों की संख्या	हायर सैकन्डरी स्कूलों की संख्या
		2	3
1- जोशीमठ	61	13	2
2- कर्णप्रयाग	64	13	5
3- गैरसैण	71	13	6
4- नारायणनगड़	75	22	6
5- थराली	45	9	5
6- देवाल	38	9	3
7- दशोली	51	11	5
8- घाट	46	9	2
9- पोखरी	88	12	7
10- उखीमठ	66	9	9
11- अगस्तमुनी	89	20	10
12- नगरोय	37	2	10
योग:-	731	142	70

विकास खण्ड का नाम	डिग्री कालेज की संख्या	विश्व विद्यालय की संख्या
	4	5
1- जोशीमठ	-	-
2- कर्णप्रयाग	-	-
3- गैरसैंण	-	-
4- नारायणबगड़	-	-
5- थराली	-	-
6- देवाल	-	-
7- दशोली	-	-
8- घाट	-	-
9- पोखरी	-	-
10- ऊखीमठ	-	-
11- अगस्तमुनी	1	-
12- नगरीय	2	-
योग:-	3	-

2- भर्ती

विकास खण्ड का नाम	प्राइमरी स्कूल में (संख्या)	बेसिक स्कूल में (संख्या)	हायर सेकन्डरी स्कूल में (संख्या)
	1	2	3
1- जोशीमठ	2100	937	260
2- कर्णप्रयाग	4745	1351	940
3- गैरसैंण	6001	1895	700
4- नारायणबगड़	6045	2035	1050
5- थराली	3287	1182	889
6- देवाल	2046	871	383
7- दशोली	4001	2234	1150
8- घाट	2975	634	322
9- पोखरी	6408	1751	1239
10- उखीमठ	5913	1995	1009
11- अगस्तमुनी	7968	2852	2014
12- नगरीय	3735	138	2013
योग:-	56324	18065	12969

विकास खण्ड का नाम	डिग्री कालेज में (संख्या)	विश्वविद्यालय में (संख्या)
	4	5
1-जोशीमठ	-	-
2-कर्णप्रयाग	-	-
3- गैरसैण	-	-
4- नारायणनगड़	-	-
5- थराली	-	-
6-देवाल	-	-
7-दशोली	-	-
8-घाट	-	-
9- पोखरी	-	-
10- उखीमठ	-	-
11- अगस्तमुनी	242	-
12- नगरीय	1059	-
योग :-	1301	-

3- ग्रामों की संख्या

विकास खण्ड का नाम	जिसमें प्राइमरी स्कूल/नहीं है (संख्या)	जिसमें बेसिक स्कूल भवन नहीं है (संख्या)
	1	2
1- जोशीमठ	24	-
2-कर्णप्रयाग	83	-
3- गैरसैंण	144	-
4-नारायणबगड़	144	-
5- थराली	45	-
6-देवाल	25	-
7-दशोली	56	-
8-घाट	38	-
9-पोखरी	96	-
10-उखीमठ	69	-
11-अगस्तमुनी	86	-
12- नगरीय	-	-
योग:-	810	-

5- अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थी की संख्या

विकास खण्ड का नाम	प्राइमरी स्कूल में (संख्या)	(तालिका) बेसिक स्कूल में (संख्या)	हायर सेकन्डरी स्कूल में संख्या
	1	2	3
1-जोशीमठ	1586	499	-
2- कर्णप्रयाग	978	262	-
3- गैरसैंण	1253	362	-
4-नारायणगढ़	1205	404	-
5-थराली	654	158	-
6-देवाल	747	134	-
7- दशोली	1002	587	-
8- घाट	598	66	-
9- पोखरी	1521	223	-
10-ऊखीमठ	1107	319	-
11- अगस्तमुनी	1400	473	36
12- नगरीय	1471	29	81
योग:-	13522	3616	109

विकास खण्ड का नाम	डिग्री कालेज में संख्या	विशेष विद्यालय में संख्या
	4	5
1- जोशीमठ	-	-
2- कर्णप्रयाग	-	-
3- गैरसैण	-	-
4- नारायणबगड़	-	-
5- थराली	-	-
6- देवाल	-	-
7- दशोली	-	-
8- घाट	-	-
9- पोखरी	-	-
10- उखीमठ	-	-
11- अगस्तमुनी	-	-
12- नगरीय	-	-
योग:-	-	-

16-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा

विकास खण्ड का नाम	एलोपैथिक अस्पताल/डिस्पेन्सारी	होम्योपैथिक अस्पताल/डिस्पेन्सारी	आयुर्वेदिक यूनानी अस्पताल/डिस्पेन्सारी	एलोपैथिक अस्पताल/डिस्पेन्सारी शैयायें
1-जोशीमठ	4	1	3	24
2-कर्णप्रयाग	4	-	5	16
3- गैरसैंण	3	-	7	22
4- नारायणबगड़	2	-	8	16
5- थराली	5	1	1	26
6-देवाल	2	-	5	12
7-दशोली	4	1	5	8
8-घाट	3	-	5	18
9- पोखारी	3	-	5	20
10-ऊखीमठ	8	-	5	38
11-अगस्तमुनी	7	1	4	40
12- नगरीय	9	1	2	188
योग:-	54	5	55	428

विकास खण्ड का नाम	होम्योपैथिक अस्पताल डिस्पेन्सरी में शैयायें	आयुर्वेदिक अस्पताल में शैयायें	टी0बी0अस्पताल संख्या	शैयाये
1- जोशीमठ	-	12	-	-
2- कर्णप्रयाग	-	16	-	-
3- गैरसैंण	-	24	-	-
4- नारायणबगड़	-	32	-	-
5- थराली	-	4	-	-
6- देवाल	-	20	-	-
7- दशोली	4	20	1	40
8- घाट	-	20	-	-
9- पोखरी	-	20	-	-
10- उखीमठ	-	20	-	-
11- अगस्तमुनी	-	16	-	-
12- नगरीय	-	8	-	-
योग:-	4	212	1	40

विकास खण्ड का नाम	फाइलेरिया अस्पताल		छूत की बीमारी		कुष्ट रोग अस्पताल	
	संख्या	शैयायों की संख्या	संख्या	शैयायें संख्या	संख्या	शैयायें संख्या
1- जोशीमठ	–	–	–	–	–	–
2- कर्णप्रयाग	–	–	–	–	–	–
3- गैरसैंण	–	–	–	–	–	–
4- नारायणबगड़	–	–	–	–	–	–
5- थराली	–	–	–	–	–	–
6- देवाल	–	–	–	–	–	–
7- दशोली				10	–	–
8- घाट	–	–	–	–	–	–
9- पोखरी	–	–	–	–	–	–
10- उखीमठ	–	–	–	–	–	–
11- अगस्तमुनी	–	–	–	–	–	–
12- नगरीय	–	–	–	–	1	–
योग:-	–	–	1	10	1	–

विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	परिवार कल्याण केन्द्र	बन्ध्याकरण		आई०यू० सी०डी०
			पुरुष	स्त्री	
1-जोशीमठ	-	-	97	193	216
2-कर्णप्रयाग	-	-	8	225	206
3- गैरसैण	2	1	40	204	214
4-नारायणबगड़	1	1	47	259	230
5-थराली	1	1	44	137	165
6- देवाल	1	-	15	79	95
7-दशोली	-	-	55	232	285
8- घाट	1	1	30	111	148
9- पोखरी	2	1	80	239	236
10- ऊखीमठ	1	1	47	270	276
11- अगस्तमुनी	2	1	76	338	42
12- नगरीय	3	2	-	-	-
योग:-	14	9	539	2297	2113

17- पर्यटन विकास

1- पर्यटन आवास का निर्माण/विस्तार (संख्या) 15

2- शैयायें (संख्या) 249

18- प्राविधिक शिक्षा

1- डिग्री स्तर की संस्थायें
(क) संख्या -
(ख) प्रवेश क्षमता (संख्या) -
(ग) वास्तविक भर्ती -

2- डिप्लोमा स्तर की संस्थायें
(क) संख्या 1

(ख) प्रवेश क्षमता 100

(ग) वास्तविक भर्ती 102

19- जल संपूर्ति एवं जल निस्तारण

1- नगरीय	नगर की संख्या	नगर का नाम	जनसंख्या लाभान्वित (हजार में)
(क) पाइपों द्वारा	7	जोशीमठ/कर्णप्रयाग/गोपेश्वर/गौचर/बद्रीनाथ/केदारनाथ/नन्दप्रयाग	37.74
(ख) हैन्डपम्प द्वारा	-	-	-
(ग) जलनिस्तारण	-	=	=
(घ) शुष्क शौचालयों की स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन	-	-	-

2- ग्रामीण जल संपूर्ति	ब्लाक का नाम	ग्रामों की संख्या
(क) हैन्ड पम्प द्वारा	-	-
(ख) कुयें	-	-
(ग) डिग्गी	जोशीमठ	63
	कर्णप्रयाग	97
	गैरसैण	113
	नारायणबगड़	184
	थराली	82
	देवाल	34
	दशोली	104
	ऊखीमठ	117
	अगस्तमुनी	140
	पोखरी	124
	घाट	94
(घ) प्राकृतिक झीलें	-	

3- नगरों की संख्या जिसमें पाइप द्वारा जल संपूर्ति नहीं है — -

4- ग्रामों की संख्या जिसमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है। — 39 — कर्णप्रयाग 4, थराली (गैरसैण 18, देवाल 3 नारायणबगड़ 3, अगस्तमु 2, नागपुर पोखरी 3.

5- ग्रामों की संख्या जिसमें पिछड़ी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पानी पाने की सुविधा है-

(क) जलनिगम द्वारा — 583

(ख) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा — 456

6- ग्रामों की संख्या जिसमें पिछड़ी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पानी की सुविधा नहीं है —

20- पिछड़ी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। हरिजन कल्याण।

1-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ

।अ। सामान्य कोर्स-

।क। पिछड़ी जातियाँ ।संख्या।	40
।ख। अनुसूचित जाति ।संख्या।	242
।ग। अनुसूचित जनजाति ।संख्या।	257

।ब। प्राविधिक एवं पेशेवर कोर्स

।क। पिछड़ी जाति ।संख्या	20
।ख। अनुसूचित जाति ।संख्या।	8
।ग। अनुसूचित जनजाति ।संख्या।	4

21- आवास विकास

1- आवास विकास परिषद द्वारा	-
2- जनपदों में विकास प्राधिकरणों द्वारा	-
3-अन्य स्रोतों द्वारा	। ग्राम्य विकास एवं हरिजन कल्याण विभाग द्वारा।
।क। भूमि अर्जन ।है।	-
।ख। भूमि विकास ।है0।	-
।ग। उच्च आय वर्ग गृह निर्माण ।सं0।	-
।घ। मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण ।सं0।	-
।ड.। अल्प आय वर्ग गृह निर्माण ,,	-
।च। दुर्बल आय वर्ग गृह निर्माण ,,	865

NIEPA DC
D03676